खण्ड-458, अंक-1
सोमवार, 06 चैत्र, शक संवत् 1928
(27 मार्च, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2006)

खण्ड 458 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची	ड--ठ
महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि -परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल	ड्--थ
उपस्थित सदस्य	द--प
प्रश्नोत्तर	[illegible]
आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 142 का समुचित उत्तर न आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	87
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गोपीनाथ दीक्षित, श्री मलखान सिंह, श्री भानु प्रताप सिंह तथा श्री पब्बर राम के निधन पर शोकोद्गार ...	88--89
वेतन विसंगतियों को लेकर संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों द्वारा की जा रही भूख-हड़ताल के सम्बन्ध में सूचना	89--90
दिनांक 23 मार्च, 2006 को कार्य-स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत पुलिस इन्सपेक्टर की हुई हत्या पर उठाये गये प्रकरण के प्रगति की जानकारी ...	90
दिनांक 23 मार्च, 2006 को कार्य-स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर के ग्राम केनौरा के निवासी श्री बुधराम व श्री राममूर्ति की हुई हत्या पर उठाये गये प्रकरण के सम्बन्ध की जानकारी ...	90--91
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	91--92
इलाहाबाद शहर के कटरा बाजार में दिन दहाड़े एक व्यापारी पर बम से हमले किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	92--93
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन की बिजली दरों में अन्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
फतेहपुर के खागा क्षेत्रान्तर्गत मजरा इरादतपुर से परसपुर तक (लगभग 4 कि0मी0) कच्चे सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93--94
प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल पावर कारपोरेशन लि0, मेरठ के किसानों की लगभग 8,000 रुपया अवशेष धनराशि वापस कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद गाजियाबाद में अनूप शहर नहर की पटरी पर रजापुर से गढ़स्याना रोड के पुल तक की सड़क की पेन्टिंग कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
आजमगढ़ के मेंहनगर स्थित ग्राम गोमाडीह गोसाई की बाजार के ब्लाक ठेकमा तक सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95

विषय	पृष्ठ-संख्या
गोण्डा के ग्राम सिमरिया सहसपुर में ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच के फलस्वरूप शीघ्र ही धन की रिकवरी कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
बलरामपुर जनपद के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र बेलवाई में श्रद्धालुओं हेतु रैन बसेरा आदि गृह बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद सुल्तानपुर के श्री आसलदेव इण्टर कालेज पांपरपुर में विद्यालय प्रबन्धक द्वारा की गयी अवैधानिक नियुक्ति की जांच कराकर दोषियों को दण्डित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद चित्रकूट में पैश्वनी नदी से निकली बनकट बन्धवइन-डाइवर्जन नहर व बाल्मीकी नदी से निकली ओहन डाइवर्जन नहरों को हेड से 8 कि0मी0 तक पक्का कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	96
गाजियाबाद के कांठ क्षेत्रान्तर्गत जल भराव की समस्या के निदान हेतु दो नालों की खुदाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	97
आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों की पेयजल समस्या के निदान हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सरोजनी नगर, लखनऊ के शिक्षकों व कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के तहत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97--98
वर्ष 2000 में स्वीकृत प्राविधिक कालेज औराई, जनपद संत रविदास नगर भदोही के निर्माण में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद फैजाबाद के क्षतिग्रस्त मया-टाण्डा मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98--99
गृह (पुलिस) विभाग का आय-व्ययक स्वीकृत हो जाने के बाद भी बजट साहित्य (कार्यपूर्ति दिग्दर्शक) प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	99
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरः स्थापित)	100
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	100--120
मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 ... (पारित) ...	120--147
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव ...(स्वीकृत)	148

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की वर्ष 2006-2007 की विभिन्न समितियों के प्रवेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्धारित कार्यक्रम की सूचना	148--149
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2006-2007 की विभिन्न समितियों, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में कार्य करने हेतु सदस्यता के लिये विधान सभा के सदस्यों के नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव...(स्वीकृत)	149--150
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	150--151
गाजियाबाद प्राधिकरण के अन्तर्गत श्री मोहन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, जनकपुरी, नई दिल्ली को भूखण्ड आवंटन एवं सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के बाद भी रजिस्ट्री न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	151
पी0एम0एच0एस0 संवर्ग उत्तर प्रदेश के कैडर रीस्ट्रक्चरिंग के अन्तर्गत विशेषज्ञ संवर्ग एवं सुपर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ संवर्ग की संरचना किये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	151--153
जनपद प्रतापगढ़ के चंघईपुर ब्लाक में सड़क निर्माण मानक के अनुरूप न किये जाने एवं सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिप्रताप सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	153
जनपद बस्ती के बहादुरपुर अन्तर्गत महुआ डाबर को पुरातत्व विभाग द्वारा सुन्दरीकरण कराये जाने एवं ऐतिहासिक स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य	154
जनपद एटा स्थित मै0बी0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा लाखों लीटर मिट्टी तेल की कालाबाजारी किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशुपाल सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	154

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहजहांपुर स्थित तिलहर एवं पुवांया शुगर मिल के बन्द होने से गन्ना किसानों के करोड़ों रुपये के बकाये गन्ने के भुगतान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...		154
श्री कृष्ण कुमार सिंह, ग्राम खन्दवा, जिला बलिया की अग्निकाण्ड से हुए नुकसान की सहायता हेतु जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद भी अभी तक सहायता धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	...	...	...	155
जनपद जालौन में काल्पी स्थित बीरबल का महल "रंगमहल" पर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	...	...	...	155
जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र चायल में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत अधूरे ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दया राम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	...			155
नत्थियां	...	...	...	156--172

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1—अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2—अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3—अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4—अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5—अजय कुमार, डा0 — बागपत
6—अजय राय, श्री — वाराणसी
7—अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
8—अताउल रहमान, श्री — बरेली
9—अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
10—अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
11—अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12—अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
13—अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
14—अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
15—अनिल कुमार वर्मा, श्री — हरदोई
16—अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
17—अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
18—अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
19—अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
20—अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
21—अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
22—अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीर नगर
23—अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
24—अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री — बाराबंकी
25—अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
26—अमरमणि, श्री — महराजगंज
27—अमर सिंह परमार, श्री — आगरा
28—अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
29—अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
30—अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
31—अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
32—अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
33—अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
34—अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
35—अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
36—अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
37—अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
38—अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
39—अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
40—अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्त कबीर नगर
41—अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
42—अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
43—अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
44—अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
45—अशोक सिंह चौहान, — मैनपुरी
46—आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
47—आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
48—आर0 एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
49—आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
50—आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
51—आलम बदी, श्री — आजमगढ़
52—आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
53—आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
54—आशीष यादव, श्री — बदायूं

55--आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
56--इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
57--इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
58--इन्द्रदेव सिंह, डा0 बिजनौर
59--उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
60--उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
61--उदयराज यादव, श्री उन्नाव
62--उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
63--उमा शंकर कुशवाहा, श्री गाजीपुर
64--ओइमवेश, स्वामी बिजनोर
65--ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
66--ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
67--ओम प्रकाश श्री सीतापुर
68--ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
69--ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
70--ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
71--ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
72--कपिल देव यादव, श्री मऊ
73--कमलेश कुमार, श्री गोरखपुर
74--कमलेश कुमार पाठक, श्री कानपुर देहात
75--कमाल यूसुफ मल्लिक, श्री सिद्धार्थनगर
76--कल्याण सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
77--काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां, नवाब रामपुर
78--कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
79--कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
80--काशीराम, श्री रामपुर
81--किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
82--किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
83--किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
84--कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री बिजनौर
85--कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
86--कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
87--कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
88--केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
89--कैलाश, श्री गाजीपुर
90--कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
91--कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
92--कौकब हमीद खां, श्री बागपत
93--कौशल किशोर, श्री खीरी
94--कौशल किशोर, श्री लखनऊ
95--खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री इलाहाबाद
96--गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
97--गंगा बक्श सिंह, श्री उन्नाव
98--गंगा भक्त सिंह, श्री हरदोई
99--गया चरन दिनकर, श्री बांदा
100--गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
101--गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
102--घूरा राम, श्री बलिया
103--चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
104--चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
105--चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
106--चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती

107--चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
108--छेदी राम, श्री गाजीपुर
109--छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
110--छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
111--जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
112--जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
113--जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
114--जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
115--जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
116--जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
117--जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
118--जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
119--जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
120--जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
121--जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
122--जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
123--जयराम विमल, श्री अम्बेडकरनगर
124--जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
125--जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
126--जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री गोरखपुर
127--जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
128--ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
129--तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
130--दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
131--दयाराम, श्री कौशाम्बी
132--दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
133--दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
134--दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
135--दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
136--दीनानाथ भाष्कर, श्री सन्त रविदासनगर, भदोही
137--दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
138--दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
139--देवकी नन्दन, श्री हाथरस
140--देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री गोरखपुर
141--देवेन्द्र नागपाल, श्री ज्योतिबाफूले नगर
142--देवेन्द्र प्रताप, श्री एटा
143--देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
144--द्वारिका प्रसाद, श्री सन्त कबीर नगर
145--धनंजय सिंह, श्री जौनपुर
146--धर्मपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
147--धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
148--धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकर नगर
149--धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
150--धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
151--धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर
152--नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
153--नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
154--नरेन्द्र कुमार, श्री गौतमबुद्ध नगर
155--नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
156--नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
157--नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
158--नरेन्द्र शिशौदिया, श्री गाजियाबाद
159--नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई

160--नवाब सिंह नागर, श्री गौतम बुद्ध नगर
161--नारद राय, श्री बलिया
162--परमजीत, श्री मुजफ्फरनगर
163--परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
164--पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
165--पीटर पैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
166--पीतम राम, श्री पीलीभीत
167--पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
168--पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
169--प्रताप चौधरी, श्री हाथरस
170--प्रदीप जैन "आदित्य", श्री झांसी
171--प्रदीप माथुर श्री मथुरा
172--प्रभु दयाल, श्री मेरठ
173--प्रभु नारायण, श्री चन्दौली
174--प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
175--प्रमोद गौड़, श्री अलीगढ़
176--प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
177--प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
178--प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
179--प्रेमलता देवी, श्रीमती अलीगढ़
180--प्रेम सिंह, श्री मथुरा
181--फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
182--फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) देवरिया
183--फागू, श्री मऊ
184--बंशीधर राज, श्री खीरी
185--बलराम यादव, श्री आजमगढ़
186--बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
187--बाबूराम, एम0काम, श्री जालौन
188--बाबू लाल, श्री गोण्डा
189--बाबू लाल, चौधरी आगरा
190--बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
191--बिजय सिंह, श्री फर्रुखाबाद
192--बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
193--बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
194--बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
195--बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट जालौन
196--बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
197--बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
198--ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
199--भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
200--भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
201--भरत सिंह, श्री बलिया
202--भारतेन्द्र सिंह, कुवंर बिजनौर
203--भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
204--मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
205--मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
206--मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
207--मदन भैया, श्री बागपत
208--मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री इटावा
209--मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
210--मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
211--मशहूद खां, श्री बलरामपुर
212--मस्तराम चौ0, एडवोकेट उन्नाव
213--महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूले नगर
214--महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
215--महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
216--महेन्द्र सिंह, चौधरी अलीगढ़

217--महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
218--महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
219--महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
220--महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
221--माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
222--मान पाल सिंह, श्री — एटा
223--माया प्रसाद श्रीमती — खीरी
224--मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
225--मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
226--मुकुल उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
227--मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
228--मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
229--मुश्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
230--मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
231--मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
232--मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
233--मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
234--मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
235--मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
236--मोहम्मद बशीर, चौधरी — आगरा
237--मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
238--मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
239--मोहम्मद शफीर, श्री — फतेहपुर
240--यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
241--यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
242--याकूब, हाजी — मेरठ
243--योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
244--योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
245--रंगनाथ मिश्र, श्री — संत रविदास नगर, भदोही
246--रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
247--रणवीर राणा, श्री — मेरठ
248--रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुवंर — कुशीनगर
249--रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
250--रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
251--रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
252--रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 — मेरठ
253--राकेश कुमार वर्मा, श्री — बाराबंकी
254--राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकरनगर
255--राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
256--राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
257--राजनाथ यादव, श्री — वाराणसी
258--राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
259--राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
260--राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
261--राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
262--राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
263--राजवीर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
264--राजा राम, श्री — प्रतापगढ़
265--राजीव कुमार सिंह, श्री — बारावंकी
266--राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
267--राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
268--राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
269--राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
270--राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
271--राजेश कुमार, श्री — खीरी
272--राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
273--राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर

274—राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
275—राबिया कलाम, श्रीमती वाराणसी
276—राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
277—राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
278—राम करन आर्य, श्री बस्ती
279--राम किशुन, श्री चन्दौली
280--राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
281--राम कृष्ण, श्री सीतापुर
282--राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
283--राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
284--रामजी शुक्ला, श्री औरैया
285--राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
286--रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
287--रामपाल यादव, श्री सीतापुर
288--राम पाल वर्मा, श्री हरदोई
289--राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
290--राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
291--राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
292--रामबाबू हरित, डा0 आगरा
293--राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
294--राम मगन, श्री बाराबंकी
295--राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
296--रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
297--रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
298--राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
299--राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
300--राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
301--राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
302--रामहेत भारती, श्री सीतापुर
303--रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
304--रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
305--रियाज अहमद खां, श्री पीलीभीत
306--लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
307--लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
308--लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
309--लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
310--लाल बाहदुर यादव, श्री जौनपुर
311--लुईस खुर्शीद, श्रीमती फर्रुखाबाद
312--वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
313--वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
314--विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
315--विजय कुमार मिश्रा, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
316--विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
317--विजय सिंह, श्री सोनभद्र
318--विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
319--विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
320--विनय शाक्य, श्री औरैया
321--विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
322--विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
323--विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
324--विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
325--विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री बदायूं

326--विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
327--विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
328--विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
329--विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
330--वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री शाहजहांपुर
331--वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
332--वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
333--वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
334--वीरेन्द्र सिंह बुन्देला भगत राजा, श्री ललितपुर
335--वीरेश्वर, श्री अलीगढ़
336--वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
337--शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
338--शब्बीर, श्री बहराइच
339--शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
340--शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
341--शहाजिल इस्लाम, श्री बरेली
342--शाकिर अली, श्री देवरिया
343--शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
344--शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
345--शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
346--शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
347--शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
348--शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
349--शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
350--शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
351--शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
352--शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर प्रतापगढ़
353--शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
354--शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
355--शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
356-श्याम सिंह अहेरिया, श्री मथुरा
357--श्यामदेव राय चौधरी, श्री वाराणसी
358--श्याम नारायन, श्री महराजगंज
359--श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
360--श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
361--श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
362--श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
363--श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
364--श्रीराम भारती, श्री मिर्जापुर
365--संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
366--संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर
367--संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
368--सन्तोदेवी, श्रीमती सहारनपुर
369--सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
370--सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
371--सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
372--सन्ध्या कठेरिया, कु0 मैनपुरी
373--समरपाल सिंह, श्री बागपत
374--सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 मुरादाबाद
375--सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर

376--सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा
377--सियाराम सागर, डा0 बरेली
378--सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
379--सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
380--सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
381--सुन्दर लाल, श्री उन्नाव
382--सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
383--सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री गाजियाबाद
384--सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0 बांदा
385--सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जौनपुर
386--सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
387--सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
388--सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
389--सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
390--सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
391--सुल्तान बेग, श्री बरेली
392--सुशील चौधरी, डा0 सहारनपुर
393--सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
394--सोमारू राम सरोज, श्री जौनपुर
395--सोवरन सिंह, श्री मैनपुरी
396--स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली
397--हरि ओम यादव, श्री फिरोजाबाद
398--हरि प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
399--हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
400--हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री वाराणसी
401--हीरा लाल गौतम , श्री आजमगढ़
402--हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
403--होशियार सिंह, श्री बुलन्दशहर
404--रिक्त गोरखपुर

नोट : एक स्थान रिक्त है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल

श्री टी० वी० राजेस्वर

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	श्री मुलायम सिंह यादव	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), मनोरंजन कर, न्याय, विधायी, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी (मद्य निषेध को छोड़कर), ऊर्जा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय
2	श्री मोहम्मद आजम खां	संसदीय कार्य, नगर विकास
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि, विदेश व्यापार, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात
4	श्री कोकव हमीद	पर्यटन
5	श्री अहमद हसन	परिवार कल्याण
6	श्री बलराम यादव	पंचायती राज
7	श्री अवधेश प्रसाद	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण
8	श्री नरेश अग्रवाल	परिवहन
9	डा0 अशोक बाजपेयी	कृषि (कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात को छोड़कर) एवं धर्मार्थ कार्य
10	श्री किरन पाल सिंह	बेसिक शिक्षा
11	श्री अम्बिका चौधरी	राजस्व

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
12	श्री हरिशंकर तिवारी	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक सुरक्षा
13	श्री राम गोविन्द चौधरी	बाल विकास एवं पुष्टाहार
14	श्री शाकिर अली	लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ
15	श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद	वाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास
16	श्री आर0 के0 चौधरी	खेलकूद, युवा कल्याण
17	श्री राजाराम पाण्डेय	खादी एवं ग्रामोद्योग
18	श्री ओम प्रकाश सिंह	भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास
19	श्री वीरेन्द्र सिंह	पशुधन
20	श्री यज किशोर सिंह	उद्यान
21	श्री जगदीश सिंह राना	लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग
22	श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी	होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षा दल
23	श्री राकेश कुमार वर्मा	कारागार
24	डा0 वकार अहमद शाह	श्रम एवं सेवायोजन
25	डा0 मेराज उद्दीन अहमद	सिंचाई
26	श्री राजपाल त्यागी	ग्राम्य विकास
27	श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, सैनिक कल्याण
28	श्री ख्वाजा हलीम	औद्योगिक विकास
29	श्री उज्जवल रमण सिंह	पर्यावरण

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1	श्री कामेश्वर उपाध्याय	दुग्ध विकास
2	श्री दिनेश सिंह	अर्थ एवं संख्या, प्रशासनिक सुधार एवं मत्स्य
3	श्री बाबू लाल	खाद्य प्रसंस्करण, राजनैतिक पेंशन, भाषा, मद्य निषेध तथा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
4	श्री महबूब अली	पिछड़ा वर्ग कल्याण

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
5	श्री वीरेन्द्र सिंह	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक उद्यम
6	श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला	कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा
7	श्री श्याम नारायण	विकलांग कल्याण
8	श्री हाजी याकूब	अल्पसंख्यक, हज
9	श्री शारदानन्द अंचल	सहकारिता
10	श्री योगेश प्रताप सिंह	कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान
11	श्री राजेन्द्र सिंह राना	महिला कल्याण एवं संस्कृति
12	श्री गंगा प्रसाद पुष्कर	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
	राज्य मंत्री	
1	श्री अजीत कुमार राजू	बेसिक शिक्षा
2	श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	लोक निर्माण
3	श्री इकबाल महमूद	राजस्व
4	श्री कैलाश	औद्योगिक विकास
5	श्री जयवीर सिंह	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
6	श्री नारद राय	नगर विकास
7	श्री बनवारी सिंह यादव	प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति
8	श्री मानपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा
9	श्री राम आसरे विश्वकर्मा	उच्च शिक्षा
10	श्री विनोद कुमार सिंह	चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा को छोड़कर)
11	श्री सीताराम निषाद	कारागार
12	श्री सूरज सिंह शाक्य	कारागार
13	श्री शाहिद मंजूर	वित्त

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
14	श्री शैलेन्द्र यादव	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण
15	श्री स्वामी ओमवेश	गन्ना विकास
16	श्री संजय गर्ग	कर एवं निबन्धन (व्यापार कर)
17	श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह	खाद्य एवं रसद
18	श्री जय प्रकाश यादव	कृषि

नेता विरोधी दल

श्री लालजी टण्डन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

उपाध्यक्ष

श्री राजेश अग्रवाल

प्रमुख सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

अधिष्ठाता मण्डल

1--श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा (खीरी),

2--श्री वंशीधर राज, सदस्य, विधान सभा (खीरी),

3--श्री वसीम अहमद, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़),

4--श्री दीनानाथ भाष्कर, सदस्य, विधान सभा (भदोही),

5--श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा (रायबरेली),

6--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (मेरठ),

7--श्री ओम प्रकाश सिंह, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर),

8--श्री गया चरण दिनकर, सदस्य, विधान सभा (बाँदा),

9--श्री जगदीश नारायण राय, सदस्य, विधान सभा (जौनपुर),

10--श्री श्याम सूरत उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2006 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 2 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।) गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 2 मिनट विलम्ब से प्रारम्भ हुयी।

उपस्थित सदस्य-346

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अजय कुमार, डा0	बागपत	अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अजय राय, श्री	वाराणसी	अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अताउल रहमान, श्री	बरेली	अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर	अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा	अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर	अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	अलका राय, श्रीमती	गाजीपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई	अशोक कुमार कटियार,श्री	कानपुर देहात
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया	आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती	आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद	आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर	आलम बदी, श्री	आजमगढ़
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई		
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर		

आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी	कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली	केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
आशीष यादव, श्री	बदायूं	कैलाश, श्री	गाजीपुर
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं	कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद	कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी	कौकब अहमद खां, श्री	बागपत
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर	कौशल किशोर, श्री	खीरी
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद	कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव	गंगा बक्श सिंह, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर	गया चरण दिनकर, श्री	बांदा
ओइमवेश स्वामी, श्री	बिजनौर	गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं	गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर	गूरा राम, श्री	बलिया
ओम प्रकाश		चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
(ओ0 पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर	चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर	चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर	छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर	जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज	जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
काजिम अली खां उर्फ		जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
नवेद मियां, नवाब	रामपुर	जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर		कुशीनगर
काशीराम, श्री	रामपुर	जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर	जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा	जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर	जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव	जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
कृष्ण कुमार उर्फ		जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
सतीश वर्मा, श्री	हरदोई	जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर

जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर,भदोही
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेंद्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी, (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम एम0 काम, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी

बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भारतेन्द्र सिंह, कुवंर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ	
झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुल बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ	
मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ	
योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ	
राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतनजीत प्रताप	
नारायण सिंह, कुवंर	कुशीनगर
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकरनगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री बुलन्दशहर
राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
राजेश कुमार, श्री खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल,डा0 गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
राम करन आर्य, श्री बस्ती
राम गोविन्द, चौधरी, श्री बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
रामबाबू हरित, डा0 आगरा
राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
राम मगन, श्री बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती फर्रुखाबाद
वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
विजय सिंह, श्री सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
विनय शाक्य, श्री औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री बस्ती

विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	इटा
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव हरीश जी, श्री	वाराणसी
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट:—परिवार कल्याण मंत्री, श्री अहमद हसन, औद्योगिक विकास मंत्री, सिंचाई मंत्री (डा0 मैराज उद्दीन), श्री ख्वाजा हलीम, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, श्री अजीत कुमार राजू भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में राजनीति के अपराधीकरण की वृद्धि को रोकने की योजना

*डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजनीति के अपराधीकरण की वृद्धि को देखते हुए क्या सरकार इस पर अंकुश लगाने हेतु कोई ठोस कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? क्या यह सत्य है कि विधान सभा में दिनांक 9-12-05 को सभी दलों-सपा, भाजपा, बसपा एवं कांग्रेस द्वारा राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए संकल्प व्यक्त किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान विधान सभा सत्र में इस हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिह गौर--

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे प्रश्न का दूसरा भाग था कि 'क्या यह सत्य है कि विधान सभा में दिनांक 09-12-05 को सभी दलों-सपा, भाजपा, बसपा एवं कांग्रेस द्वारा राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए संकल्प व्यक्त किया है ?' उत्तर है-जी नहीं। मान्यवर, मुझे पूरी जानकारी है, प्रदेश के अन्दर अपराध बढ़े हैं। अपराधों पर रोक लगे, इसके लिए जब चर्चा हुई थी तो सर्वसम्मति से यह बात आई थी कि हम लोग ऐसा संकल्प लेते हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, मैं भी उपस्थित था, हम अपराधी लोगों को टिकट नहीं देंगे। अभी जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव हुए, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव हुए, उसमें अपराधी लोगों को टिकट दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि यदि हम लोगों ने इस पर विचार किया था, एक संकल्प लिया था और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था तो यह गलत उत्तर क्यों दिया गया ? आज की स्थिति क्या है, मैं जानना चाहता हूँ ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह तो टिकट देने के वक्त देखा जाता है कि कौन व्यक्ति क्या है और फिर हमारे मौजूदा कानून में इसके लिए पूरी गुंजाइश मौजूद है कि जब तक कोई व्यक्ति सजा न पा जाए, उसे निर्दोष मानते हैं। इसमें अमुक टाइम के बारे में आपने कहा है और जिस अंपराधीकरण की बात हो रही है, उसमें यह बात भी बार-बार सदन में आई कि हम सब लोगों की उससे हटकर भी जिम्मेदारी

है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक दलों पर टिकट की जिम्मेदारी डाल देना काफी नहीं होगा। ऐसे भी उदाहरण हैं कि ऐसे लोग चुनकर आ जाते हैं, उन्हें भी लोग वोट देते हैं। इस बुनियाद पर भी पिछले दिनों विवाद रहा और बहस हुई कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। एक दल ने कहा कि अमुक अपराधी है और दूसरे ने कहा कि अमुक अपराधी है। जहां तक 09-12-2005 का ताल्लुक है, मैं भी सदन में था, ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ था, बल्कि सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, जिसमें प्रमोद कुमार जी भी थे, उन्होंने सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त की थी लेकिन कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ था, कोई यूनानिमश रेजोल्यूशन हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कार्यवाही देखेंगे तो इतना ही मिलेगा, अगर उस पर आप भरोसा रखते हों।

एक जमाने में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं राजनीतिक दलों से यह उम्मीद करूंगा कि वह अपनी पार्टियों, से अपराधी लोगों को निकालें और उस वक्त पहल सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने की थी और जब वह बहुत बड़ा दल नहीं था उस वक्त भी अपने 3 लोक सभा सदस्यों को अपनी पार्टी से निष्कासित किया था और इंतजार किया था कि जिन लोगों ने यह बात कही है वह भी ऐसी ही कार्यवाही करें लेकिन आज भी इसका इंतजार ही है कि जो पहल समाजवादी पार्टी ने की थी दूसरे दल भी यह काम करते।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, पहली बात तो यह कि संकल्प वाली बात को संशोधित करना चाहूंगा और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोग जो मंत्री बने हुए हैं, इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है। मान्यवर, अभी क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के चुनाव हुए थे और प्रदेश के 70 जिलों में से 45 जिलों में हिंसा की 109 घटनाएं हुयीं थी। इन घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि चाहे क्षेत्र पंचायतों के चुनाव हों, चाहे जिला पंचायतों के चुनाव हों या विधान सभा के चुनाव हों उसमें धनबल, बाहुबल ने चुनावों को प्रभावित किया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश विधान सभा में सरकार की तरफ से इस तरह का संकल्प लाया जाएगा कि जो ऐसे अपराधी लोग हैं, जघन्य अपराधों के दोषी हैं ऐसे लोगों को कोई भी राजनीतिक दल टिकट नहीं देगा ? क्या ऐसा संकल्प लाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

अच्छी बात है अगर हम लोग खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी कर लें। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि आप पहल करें और आने वाले चुनाव में आप किसी भी अपराधी को टिकट न दें तो हम भी सीखेंगे कुछ आपसे।

अयोध्या स्थित श्री राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद परिसर की विशेष सुरक्षा व्यवस्था की मांग

*2--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में है कि नयी दिल्ली से इन्टेलिजेंस ब्यूरो ने प्रदेश सरकार को इस बात की जानकारी दी है कि दो आत्मघाती अयोध्या में स्थित राम जन्म भूमि परिसर पर धावा बोलने के लिये अयोध्या पहुंच रहे हैं और 26 फरवरी, 06 तक वे कोई अनहोनी घटना कर सकते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने राम जन्म भूमि परिसर की सुरक्षा के लिये क्या कोई विशेष व्यवस्था की है? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी जिसके अनुसार 04 आतंकवादियों के एक समूह जिसमें 02 गैर हिन्दी भाषी व्यक्ति शामिल हैं, को 26 फरवरी, 06 तक श्री राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद परिसर, अयोध्या, फैजाबाद पर विस्फोट करने का टास्क दिया गया है।

अयोध्या स्थित श्री रामजन्म भूमि/बाबरी मस्जिद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जाती है एवं आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जाता है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न में माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या मुख्यमंत्री जी को जानकारी है कि नयी दिल्ली से इन्टेलिजेंस ब्यूरो ने प्रदेश सरकार को इस बात की जानकारी दी है कि दो आत्मघाती अयोध्या स्थित राम जन्म भूमि परिसर में धावा बोलने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं और 26 फरवरी, 06 तक वे कोई अनहोनी घटना कर सकते हैं ? इसी विषय पर मैंने 2 फरवरी को नियम 56 के अन्तर्गत भी काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उस समय माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अयोध्या का जो परिसर है, जो भी संज्ञान में आता है उसके संदर्भ में कदम उठाये जाते हैं और परिसर पूरी तरह से सुरक्षित है। आज आप कह रहे हैं कि इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी जिसके अनुसार 04 आतंकवादियों के एक समूह जिसमें 02 गैर हिन्दी भाषी व्यक्ति शामिल हैं, को 26 फरवरी, 06 तक श्री रामजन्म भूमि/बाबरी मस्जिद परिसर, अयोध्या, फैजाबाद पर विस्फोट करने का टास्क दिया गया है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। मैंने इसीलिए पूछा था कि सरकार ने राम जन्म भूमि परिसर की सुरक्षा के लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था की है ? मैंने विशेष शब्द पर बल दिया था और इसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है और उत्तर दिया है कि अयोध्या स्थित श्री राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जाती है एवं आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जाता है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या कोई विशेष व्यवस्था की गयी है ? अगर कोई विशेष व्यवस्था सरकार ने की हो तो सदन में कृपया बतायें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, माननीय सदस्य हमारे पुराने साथी हैं और सरकार में भी रहे हैं, अपना परिवार भी चलाते हैं। सरकार मुखिया है और पूरा समाज, देश-प्रदेश हमारा परिवार है अगर घर का मुखिया तवज्जो हटा ले तो घर में भगदड़ मच जायेगी, घर में व्यवस्था खराब हो जायेगी। मेरा आशय है सतर्क रहना। घर वाले घर में सतर्क रहें, सरकार प्रदेश के लिए सतर्क रहे। अगर सरकार सतर्क नहीं होती तो इतने आतंकवादी परिसर में मार नहीं दिये जाते। तो सबसे पहले मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा वह यह है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और जहां तक इंतजामात और जाहिरी ताल्लुक है, तो फोर्स में इजाफा किया गया है, हथियारों में इजाफा किया गया है, जाने के रास्ते में चौकसी बरती गयी है, तो जिस तरह से सतर्क किया जा सकता था वह किया है। लेकिन इस एतबार से कि कहीं सतर्कता में कमी रही होगी जो इस रास्ते तक पहुंच पाये इसलिए सतर्कता और बढ़ायी गयी। फोर्स को बढ़ाया गया, हथियार बढ़ाये गये और मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कराना चाहता हूं कि परिसर पूरी तरह से सुरक्षित है और हम किसी को नहीं आने देंगे। आप जबरदस्ती किसी को भेजना चाहें तो और बात है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं आग्रह पूर्वक बताना चाहूंगा आपने कहा कि सरकार पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त थी। सरकार अयोध्या के लिए चिन्तित थी और सरकार चिन्तित है, लेकिन इस चिन्ता के बावजूद भी पांच जुलाई, 2005 को अयोध्या राम जन्म भूमि में हमला करने की तैयारी से आतंकवादी गये और मारे गये यह ठीक है, लेकिन सरकार को पहले ही आई0बी0 ने सूचना दी थी और सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के बजाय वहां पर जो चौबीस घंटे बिजली मिलती थी उसको काटकर बारह घंटे कर दिया। वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के बजाय कम कर दी इसलिये मेरी चिन्ता बलवती हो गयी है कि वहां पर हमला हुआ और फिर आई0जी0 ने पत्र भेजा है, सरकार ने स्वीकार किया है, इसलिये मैंने यह साधारण प्रश्न नहीं पूछा है। उस समय से लेकर आज तक क्या विशेष व्यवस्था की गयी है यह सरकार बताने का कष्ट करे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, विशेष व्यवस्था का पता तब चलेगा जब कोई साहब तशरीफ लेकर जायेंगे। उधर से कृपा करके कोई जायेगा तब आप देखिये कि सुरक्षा व्यवस्था क्या है। सरकार कितनी चुस्त-दुरुस्त थी यह आपने देखा। आप कितने चुस्त-दुरुस्त थे जब अक्षरधाम पर हमला हुआ, आप कितने चुस्त-दुरुस्त थे जब लाल किले पर हमला हुआ, आप कितने चुस्त-दुरुस्त थे जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ। आप निश्चिन्त रहें हम चुस्त-दुरुस्त हैं कोई साहेबान आयेंगे तो उनका इन्तजाम हो जायेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे उदाहरण दिये। अभी हाल ही में संकट मोचन मंदिर में इतना बड़ा विस्फोट हुआ, उसमें कितने लोग मारे गये तो यह सरकार कितनी चिन्तित है उत्तर प्रदेश में श्रमजीवी एक्सप्रेस में हमला किया गया तो वहां पर कितने लोग मारे गये थे ? तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सेन्सिटिव प्लेसेस है-अयोध्या है, काशी है, मथुरा है इसके अलावा भी कुछ और सेंस्टिव प्लेसेज होंगे तो क्या सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कोई विशेष योजना उत्तर प्रदेश स्तर पर और केन्द्र सरकार से मिलकर बनायेगी ? जिससे भविष्य में आतंकवादी घटनायें उत्तर प्रदेश के अन्दर न हो सकें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, अच्छा प्रश्न है, लेकिन गौर साहब इससे भी वाकिफ हैं, जाहिर है इस तरह की जब घटनायें होती हैं तो फिक्रमंदी बढ़ती है और उसके इंतजामात भी बढ़ते हैं और जिस पर आपने नजर डाली है और मन्दिर हैं और इबादतगाहें हैं और सेंस्टिव प्लेसेज हैं, लेकिन यह भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह कोई उत्तर प्रदेश की या किसी एक इबादतगाह का मामला नहीं है, बनारस के हादसे में जितना कुछ हुआ उतना पता चला और जितना कुछ हो सकता था वह इतना खतरनाक हो सकता था जिसके बाद मुमकिन था कि माहौल में कहीं न कहीं कोई सरगर्मी पैदा होती, उसमें मालिक की तरफ से भी मदद हुई है तो यकीनन इस पर केन्द्र सरकार के साथ समन्वय रहता है राज्य सरकार का और कोशिश इसी बात की, की जाती है कि जहां तक भी सुरक्षा हो सके ऐसे जगहों की हो, लेकिन खुद भी सतर्क रहने की जरूरत है और अपने आप को भी इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है, लेकिन हां यह प्रश्न आपका गम्भीर है और इस पर सरकार बराबर काम कर रही है।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा भू-खण्डों के पंजीकरण एवं आवंटन में हो रही अनियमितताओं की कार्य योजना

*3--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा भूखण्डों के पंजीकरण एवं आवंटन में हो रही अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार इसे रोकने के लिये कोई कार्ययोजना बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

जी नहीं।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आवासीय भूखण्डों के आवंटन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को जनहित में और पारदर्शी बनाये जाने हेतु एक जांच आयोग का गठन अधिसूचना दिनांक 06-09-05 द्वारा किया गया है तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद्, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाये जाने संबंधी जांच समिति गठित है। उक्त समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षात्मक बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा समिति के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त होने पर विभागीय स्तर पर विद्यमान नियमों के अधीन कार्यवाही की जाती है। अत: अलग से कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के नजूल भूमि को निस्तारित किये जाने हेतु शासन द्वारा नजूल फ्री होल्ड नीति लागू करने की कार्य योजना

*1--श्री श्यामदेव राय चौधरी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के नजूल भूमि को निस्तारित करने की कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रदेश के नजूल भूमि को निस्तारित किये जाने हेतु शासन द्वारा नजूल फ्री-होल्ड नीति लागू की गयी है। वर्तमान में फ्री-होल्ड किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2873/9-आ-04-152एन/2000, दिनांक 10-12-2002 लागू है। उक्त फ्री-होल्ड नीति में पट्टागत नजूल भूमि एवं समाप्त पट्टे की नजूल भूमि को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार आवासीय मामले में 40 प्रतिशत तथा अनावासीय मामलों में 60 प्रतिशत प्राप्त कर फ्री-होल्ड किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 10-12-2002 में मुख्य रूप से निम्न प्राविधान किया गया है :--

(1) नजूल भूमि फ्री-होल्ड की सम्पूर्ण धनराशि 90 दिन के अन्दर जमा करने की दशा में 20 प्रतिशत का छूट अनुमन्य किये जाने के अतिरिक्त फ्री-होल्ड की धनराशि को किस्तों के रूप में ब्याज सहित जमा कराये जाने की सुविधा अनुमन्य की गयी है।

(2) गड्ढायुक्त तथा ऐसी नजूल भूमि जिसे एप्रोच मार्ग न होने के कारण नीलामी किया जाना संभव नहीं है, उसे विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद्/स्थानीय निकायों के पक्ष में प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर निम्न दर प्राप्त कर आवंटित किये जाने का प्राविधान किया गया है :--

अविकसित	विकसित
आवासीय 25 प्रतिशत	40 प्रतिशत
अनावासीय 25 प्रतिशत	40 प्रतिशत

(3) फ्री-होल्ड नीति के तहत मूल पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी के अतिरिक्त ऐसे क्रेता जिन्होंने पंजीकृत विलेख के माध्यम से स्टाम्प शुल्क देकर भूमि प्राप्त किया है, को भी फ्री-होल्ड की सुविधा अनुमन्य की गयी है।

(4) गरीब व्यक्तियों के अवैध कब्जों को विनियमित किये जाने के संबंध में दिनांक 1-1-1996 के सर्किल रेट को आधार मानते हुए रियायती दर पर फ्री-होल्ड की सुविधा अनुमन्य की गयी है।

(5) दिनांक 1-12-1998 के पूर्व के अवैध कब्जों को प्रचलित सर्किल रेट के 100 प्रतिशत पर फ्री-होल्ड की सुविधा अनुमन्य की गयी है।

(6) नजूल नीति के प्राविधान के अनुसार स्थानीय निकाय द्वारा किराये पर उठायी गयी सम्पत्तियों को दुकानदारों/किरायेदारों के पक्ष में फ्री-होल्ड किये जाने का प्राविधान किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त नजूल फ्री-होल्ड नीति के अन्तर्गत आवास विकास परिषद्/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा विस्थापितों के पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत उक्त निकायों को आवासीय प्रयोजन के लिये वर्तमान सर्किल रेट का 20 प्रतिशत तथा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु 25 प्रतिशत प्राप्त कर फ्री-होल्ड भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*2--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अयोध्या, मथुरा, वाराणसी के प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाये जाने की मांग

*3--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के आतंकवादी हमलों से निपटने के लिये सरकार ने क्या कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? क्या सरकार 5 जुलाई, 2005 को हुई घटना को दृष्टिगत रखते हुये अयोध्या, मथुरा, वाराणसी के प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

प्रदेश में आतंकवादी घटनाएं रोकने के लिये अभिसूचना विभाग के अन्तर्गत विशेष कोष्ठ का गठन किया गया है जिसके द्वारा आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी दृष्टि रखी जा रही है तथा आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर प्राप्त अभिसूचना पर तत्काल सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु निदेशित किया जाता है। सुरक्षा से सम्बन्धित अभिलेख "परमगोपनीय" प्रकृति के होते हैं, जिन्हें पटल पर नहीं रखा जा सकैता है।

05 जुलाई, 2005 की घटना के पश्चात् अयोध्या, मथुरा, वाराणसी के प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो अनुपूरक पूछना चाहता हूँ--

1--आपने प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि सुरक्षा से सम्बन्धित अभिलेख परमगोपनीय प्रकृति के होते हैं, जिन्हें पटल पर नहीं रखा जा सकता है। मान्यवर, मैं इनकी गोपनीयता भंग नहीं करना चाहता हूँ और न ही इसके विषय में और अधिक जानकारी करना चाहता हूँ, केवल इतना जानना चाहता हूँ कि जो आतंकवादी संगठन प्रदेश में सक्रिय हैं उनके संबंध क्या किसी विदेशी एजेन्सी से हैं अथवा नहीं हैं ?

2--जो तैयारी या विशेष सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या, मथुरा, काशी की, की गई है, उसमें अगर हवाई हमला होता है तो उससे निपटने के लिये कोई व्यवस्था हमने की है अथवा नहीं की है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

खन्ना साहब इतना मत डरवाओ। अयोध्या तक अगर हवाई हमला पहुंच जायेगा तो फिर सरहदों का क्या होगा ? वैसे उसकी भी तैयारी रहती है वैसे हमें इस हद तक मान कर नहीं चलना चाहिए वरना समाज में भय पैदा हो जायेगा। मान्यवर, विदेशी सहयोग का मेरे ख्याल से कुछ इसी तरह का प्रश्न है, किसी विदेशी संगठन का इसमें हाथ नहीं रहता है। आये दिन हम इस तरह की खबर सुनते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहता है तो इससे तो कभी इन्कार नहीं किया गया है लेकिन उसकी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है जिसको बतौर सबूत हम आपके सामने पेश कर सकें, क्योंकि इस मामले में केन्द्रीय सरकार ज्यादा बेहतर उत्तर दे सकती है, एक शब्द हालांकि हमने बहुत ज्यादा इस जवाब से इक्तेफाक नहीं किया था कि परमगोपनीय, कोई बहुत ज्यादा गोपनीय चीज नहीं है इसमें आप अगर कोई चीज जानना चाहेंगे तो हम बतायेंगे भी। हवाई हमले की संभावना अभी तक नहीं है अगर होगी तो उससे भी निपटने का इन्तजाम होगा।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, कार्य योजना जो बनाई गयी है उसका उल्लेख उत्तर में आया है। क्या सरकार की तरफ से यह इंगित [illegible] गया है कि यह-यह आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं ? और उस कार्य योजना के बनने के बाद से लेकर [illegible] तक इन आतंकवादी संगठनों के कितने लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने किसी संगठन का नाम लेकर बिल्कुल नहीं कहा है। जैसा हम सब जानते हैं और जिनके बारे में अंदाजा है, उसके संबंध में मैंने कहा है। मैं मान्यवर, तबियत के एतबार से किसी बात को सीने में छुपा कर नहीं रखता हूँ। लेकिन मान्यवर, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त संगठन का किसी घटना में इतना हाथ है। इसलिए यह जाहिर है कि ऐसे मामलात में हमें थोड़ा सा केन्द्र सरकार से भी सम्पर्क करना पड़ता है। मान्यवर, इस प्रश्न का ताल्लुक उस हद तक नहीं है और मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, यह स्पष्ट है कि सुरक्षा को गम्भीर खतरा है। इसके प्रति यह सरकार कितनी गम्भीर है यह देखने की बात है ? मान्यवर, आज आतंकवादियों के पास मिसाइलें भी हैं, मोर्टार भी हैं और आधुनिक असलहे भी हैं। मान्यवर, आप देखें जो एके-47 राइफलें यहां नहीं बनती हैं वह भी उनके पास उपलब्ध है। और उनके माध्यम से जो संतों और विधायकों के पास वह राइफलें आ रही हैं उस पर सरकार की कितनी पकड़ है यह देखने का विषय है ? आज यह अधिकार उन आतंकवादियों के माध्यम से लोगों के पास आ रहे हैं। सरकार क्या यह जानकारी दे सकती है कि उसने कितने विदेशी हथियारों को पकड़ा है ? मान्यवर, यह जो राइफलें आतंकवादियों के माध्यम से लोगों के पास आ रही हैं इससे विदित होता है कि किन-किन लोगों से उनके तार जुड़े हुए हैं।

मान्यवर, मिसाइलों से आतंकवादी हमले हुए हैं, कश्मीर में रोज मिसाइलें गिर रही हैं। उसके बचाव में इस सरकार ने अयोध्या और काशी में कौन-कौन सी व्यवस्थायें की हैं उसकी जानकारी देने का कष्ट करें ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जिस तरीके के हथियार उन लोगों के पास हैं, उससे प्रभावी किस्म के हथियार उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के पास है, हमारे सुरक्षा बलों के पास हैं। मान्यवर, जो मिसाइलें, राकेट, लान्चर और बम से हमले की बात है, वह भी रडार से पता चल जाता है। तो सारी व्यवस्था उपलब्ध है और उन हथियारों से सक्षम हथियार हमारे सुरक्षा बलों के पास हैं और उनसे ज्यादा मुकाबला करने का मनोबल हमारे सुरक्षा कर्मियों के पास है। उनमें इच्छाशक्ति है। मुकाबला करने की बेहतर हिम्मत है।

मान्यवर, मेरे सामने का वाक्या है। हमारे यहां रामपुर में चाकू बना करते थे, उस समय चाकू से आक्रमण होता था। आज के जमाने में चाकू से आक्रमण नहीं होता है। वह चाकू बनाने का काम एक दस्तकारी का काम था उसमें रंग भरा जाता था और सैकड़ों परिवार उस रोजगार पर पला करते थे। मान्यवर, बाजार में दो लोगों के बीच लड़ाई हुई एक के पास देशी कट्टा था और दूसरे के पास चाकू था। तो जब उसने कट्टा निकाला तो दूसरे ने चाकू निकाल लिया और वह कट्टे वाला आदमी भाग गया और चाकू वाले ने उसका बहुत दूर तक पीछा किया। तो कहने का मतलब है कि हथियार रखने वाले के पास उसको चलाने की हिम्मत होनी चाहिए। कभी-कभी कमजोर हथियार भी ताकतवर दुश्मन के सामने मजबूत हथियार साबित होता है। मान्यवर, अयोध्या में और अन्य जगहों पर हम लोगों ने देखा बहुत मौकों पर कमजोर हथियारों से कामयाब लड़ाई लड़ी गयी। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारी नहीं है। हमारे पास तमाम उपकरण हैं जिससे हम सब पता लगा सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, है क्या आपके पास, जिससे आप पता लगा सकते हैं, आप राडार लगाये हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, हमारी सूचना देने की मंशा और आपकी प्रश्न करने की मंशा यह नहीं होना चाहिए कि हमारी क्या तैयारी है ? यह हमारे दुश्मन को पता चले और उसे यह पता चले कि फला चीज की तैयारी नहीं है ताकि वह उससे ज्यादा इंतजाम से हमलवर हो। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि न आप ऐसा सवाल करें और न हम ऐसा जवाब दें, लेकिन आपकी सूचना के लिए वह सारी तैयारियां हैं जिनसे किसी भी दुश्मन का किसी भी हमले का मुकाबला किया जा सकता है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि आतंकवादी गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अन्दर एक साल के अन्दर 3 प्रमुख आतंकवादी घटनाएं हुई हैं अयोध्या में, काशी में और जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस में तो इन तीनों घटनाओं में किन आतंकवादी संगठनों को इनवाल्व पाया गया ? इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के अन्दर आज भी एसआईएस एक्टीविटीज हैं, नक्सलवादी एक्टविटीज हैं, अन्य कितने विदेशी आतंकवादी संगठन उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध किस तरह का अभियान चलाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, समय-समय पर इसका परीक्षण होता रहता है और संभावनाएं बदलती रहती हैं कभी कोई ग्रुप एक्टिव होता है, कभी कोई होता है जो होता है, उसका इलाज होता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, केवल एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जितनी भी घटनाएं प्रदेश में हुई आतंकवादी घटनाएं जिनकी वजह से बहुत जनहानि हुई, धनहानि हुई और बहुत वातावरण खराब करने की कोशिश की गयी इसमें एक बात मैं जानना चाहत हूँ कि अभिसूचना तंत्र और सूचनातंत्र का सबसे बड़ा रोल इसमें है। अगर हमको पहले से किसी चीज की जानकारी हो जाय कि फलां जगह हमला होने वाला है तो हम बेहतर तरीके से उसके सम्बन्ध में इंतजाम कर सकते हैं तो इसमें किस प्रकार का सूचनातंत्र में, एक पालिसी मैटर के हिसाब से किस प्रकार का परिवर्तन किया गया या किया जा रहा है या वह पूर्ण हो चुका है यह मैं जानना चाहता हूँ ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जहां भी कोई इस तरह से वाक्या या हादसा होता है तब एक परीक्षण होता है। कहां हुआ यह और वहां क्या कमी रह गयी, क्या कमजोरी रह गयी, कितने अन्दर आ गया आतंकवादी, हमारी चौकसी नहीं थी, हम रोक नहीं सके, हम सक्षम नहीं थे, तादाद कम थी, हमारे हथियार कमजोर थे या जो वह ला रहा था, उसको हम पहचान नहीं सके थे उस सारी चीजों का परीक्षण किया जाता है और जो कमियां रह जाती हैं पहले तो उन कमियों को दूर किया जाता है और उससे ज्यादा आगे बढ़कर कि अब और क्या संभावनाएं हो सकती हैं उन सम्भावनाओं के एतबार से आने वाले उसकी तैयारी की जाती है, सारी तैयारी है।

जनपद फैजाबाद, अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के उपाय

*4--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद, अयोध्या में आतंकवादी हमले के उपरान्त राम मन्दिर की सुरक्षा हेतु कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

हां।

अयोध्या में आतंकवादी हमले के उपरान्त राम मन्दिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ की गयी है।

सुरक्षा व्यवस्था एक लगातार समीक्षा का विषय है जिसके अनुसार अयोध्या स्थित श्री रामजन्म भूमि/बाबरी मस्जिद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जाती है एवं आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने मेरे मूल प्रश्न कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद, अयोध्या में आतंकवादी हमले के उपरान्त राम मंदिर की सुरक्षा हेतु कोई उपाय किये गये हैं ? उत्तर है जी हां, तो मैं अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से यह जानकारी चाहता हूँ कि अयोध्या में 5 तारीख को जब आतंकवादियों ने हमला करने का प्रयास किया उसके पहले वहां पर मंदिर की सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी और आतंकवादी हमले के बाद से मंदिर की सुरक्षा के लिये क्या-क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, सुरक्षा में दो-तीन चीजें होती हैं। तलाशी लेना, ज्यादा भीड़ न होने देना, दूर से नजर रखना, मेटल डिटेक्टर लगे रहना, जिससे यह पता चल जाय कि किसी के पास कोई हथियार, बम वगैरह तो नहीं है और सबसे ज्यादा जरूरी मान्यवर, चौकन्ना रहना, नजर रखना, यह सब व्यवस्था पहले से थी। जो कमी रही और जो थोड़ा सा लापरवाह समझे गये, उनके खिलाफ कार्यवाही हुयी, निलम्बित भी किये गये, निन्दा प्रविष्टि भी दी गयी। यदि मान्यवर, सुरक्षा बल चुस्त-दुरुस्त न रहते तो आतंकवादियों को मार नहीं सकते थे, इतने कम समय में उनको मार दिया गया, यह प्रमाण है कि परिसर पूरी तरह सुरक्षित है और आइन्दा भी सुरक्षित रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता हूँ कि इस पर काफी कुछ आ चुका है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, राम मंदिर की सुरक्षा में सुरक्षा बल तैनात किये गये थे और आतंकवदी हमले के बाद से सुरक्षा बलों में कितनी वृद्धि की गयी और कौन-कौन और सुरक्षाबल वहां पर लगाये गये हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, वहां पुलिस है, पी0ए0सी0 है, सी0आर0पी0एफ0 है सारे हथियार हैं, सब कुछ है, पूरी सुरक्षा है और बहुत ज्यादा चिन्तित होने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह सुरक्षा कर रही है। जहां तक संख्या की बात है तो उसके लिये आप अलग से मिलेंगे। वैसे संख्या बताना ठीक नहीं है, जिसकी ज्यादा होगी तो आप कहेंगे कि दूसरे की कम क्यों है ?

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मेरी चिन्ता है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

आपसे ज्यादा सरकार को है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

सरकार पहले भी थी। 6 दिसम्बर को भी थी, उससे पहले यह कहा गया था कि परिन्दा पर नहीं मारेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरे ख्याल से, हमारे साथी का यह कहना, इनकी उस नीयत को दर्शा रहा है, जिसमें आप कोई खास माहौल पैदा करना चाहते हैं। इतनी पुरानी बात जो कही नहीं गयी। मैंने वहां पर बैठकर भी कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने यदि कभी यह कहा हो कि परिन्दा पर नहीं मारेगा तो वह राजनीति छोड़ देंगे हमेशा के लिये। इतने पुराने वाकये को दोहराकर आप प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आप किसी एक खास मानसिकता के तहत यह कह रहे हैं। हम तो माहौल को अच्छा करने की, साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने की, रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप रिश्तों में कड़वाहट पैदा करने की कोशिश न करें, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मेरी मंशा किसी तरह से सौहार्द को समाप्त करने की नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जबरदस्ती अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। मैंने तो केवल चिन्ता प्रकट की है। सुरक्षा की व्यवस्था और संख्या पूछी थी कि कितनी संख्या 5 तारीख के हमले के बाद वहां पर बढ़ाई गयी। यदि उस समय आई0बी0 की रिपोर्ट थी और अब तो कोई चीज छिपी नहीं रह जाती, अखबार में छप जाता है, इलेक्ट्रानिक मीडिया में आ जाता है, यदि आप गोपनीय रखना भी चाहते हैं तो वह गोपनीय नहीं रह पायेगी। इसलिये मैं जानना चाहता था कि तब और अब परिसर की सुरक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है या यह सरकार वैसी ही सुरक्षा कर रही है जैसे पहले कर रही थी।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, बहुत बार कह चुका हूँ। लगता है, माननीय सदस्य मेरे जवाब को गौर से सुन नहीं रहे हैं।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी गम्भीरता से इसको लिया है। किसी मौके पर माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सुरक्षा से संबंधित बात प्रदेश और केन्द्र का आपसी समन्वय है। मैं उनसे

जानना चाहता हूँ कि जिस दिन अयोध्या की घटना हुयी थी और जिस दिन बनारस की घटना हुयी थी, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह कहा था कि हमने प्रदेश सरकार को इसकी सूचना पहले से दी थी। मान्यवर, उनका ऑफिसियल बयान था और समाचार-पत्रों में भी आया था फिर भी प्रदेश सरकार ने कोई चिन्ता नहीं की, तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने जो कहा वह सत्य है या उनका बयान झूठ है ? मान्यवर, इतना जरूर बता दें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

महाना जी मंत्री भी रहे हैं, ऑफिसियल बयान का क्या मतलब होता है, यह अब हम उनसे सीखेंगे। उन्होंने टेलीविजन पर कहा था, इतनी ही जानकारी हमारी भी है और अब हम आपसे सीखेंगे कि ऑफिसियल बयान क्या होता है।

श्री राम भारती--

मान्यवर, जिला-मिर्जापुर में थाना लालगंज के अन्तर्गत एक मार्शल में दो-तीन क्विंटल विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, कृपया माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना में मा0 विधायकों को आवास/भूखण्ड आरक्षित करने की मांग

*5--श्री राम करन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नगर, लखनऊ में मा0 विधायकों के लिए आवास हेतु क्या भूखण्ड आरक्षित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो भूखण्ड विधायकों को कब तक आवंटित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के विकल्प खण्ड-3 में ग्रुप हाउसिंग के लिये 8000 वर्ग मी0 भूमि मा0 विधायकगण को बहुमंजिले फ्लैट्स उपलब्ध कराने हेतु रु0 4500 प्रति वर्ग मी0 की दर से प्रस्ताव किया गया था, परन्तु दर अधिक होने के कारण प्राधिकरण की हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज योजना में रु0 2850 प्रति वर्ग मी0 की दर से भूखण्ड उपलब्ध कराने का पुन: प्रस्ताव किया गया है। इस संबंध में अभी मा0 विधायकगण की सहमति प्राप्त नहीं हुई है। सहमति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम करन आर्य--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह डायरेक्ट हम लोगों से सम्बन्धित मामला है, यह मामला खास तौर से उन साठ फीसदी विधायकों से सम्बन्धित है, जो सामान्य घरों से है। पिछली सरकार में

भी हमने इसके लिए निवेदन किया था, उस समय मैंने उधर से निवेदन किया था और आज इस तरफ से माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं। मान्यवर, उत्तर में कहा गया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के विकल्प खण्ड-3 में ग्रुप हाउसिंग के लिए 8000 वर्ग मी0 भूमि माननीय विधायकगण को बहुमंजिले फ्लैट्स उपलब्ध कराने हेतु रुपए 4,500/- प्रति वर्ग मी0 की दर से प्रस्ताव किया गया था, परन्तु दर अधिक होने के कारण प्राधिकरण की हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज योजना में रुपए 2,850.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से भूखण्ड उपलब्ध कराने का पुन: प्रस्ताव किया गया है। मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि हम लोगों के लिए नो प्राफिट, नो लास पर कहीं लखनऊ में फ्लैट्स उपलब्ध करा दिये जाएं क्योंकि मान्यवर, हम लोगों को लगातार यहां आना पड़ेगा, इसलिए हमने यह निवेदन किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर लखनऊ रोड पर, हवाई-अड्डे के पास या हरदोई रोड पर या मिलिट्री छावनी की तरफ यह फ्लैट्स उपलब्ध करा दिये गये तो विधायकों को आने-जाने में काफी दिक्कत होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गोमती नगर जैसी जगहों पर जो लखनऊ के मध्य में स्थित हों, वहां पर हम लोगों को जमीन एलाट कर दी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि मान्यवर, समय बहुत कम रह गया है, मैं समझता हूँ कि छ:-सात महीने का समय बचा है, हम लोगों की इच्छा है कि हम लोगों को कहीं नो प्राफिट, नो लॉस पर एडजस्ट कर दें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, इस प्रश्न के माध्यम से माननीय राम करन आर्य जी ने जो बात कही है, सचमुच इसका सरोकार सभी माननीय सदस्यों से है। प्रश्न का जो लिखित उत्तर आ सकता था, वह प्रस्तुत है लेकिन जो माननीय आर्य जी चिन्ता है, उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ और सभी माननीय सदस्यों को अवगत भी कराना चाहता हूँ कि माननीय नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और सभी संबंधित अधिकारी भी उसमें थे। उसमें यह हुआ कि सभी माननीय विधायकगणों से विकल्प मांग लिये जाएं और विकल्प के आधार पर उन्हें भूखण्ड या भवनों का आवंटन कर दिया जाए। इस स्कीम के तहत, जिसमें फ्लैट उपलब्ध हो सकें, इसके लिए विधायक और सांसद आवास समिति एक संस्था है इसी संस्था के माध्यम से पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ऐशबाग में जो फ्लैट्स का आवंटन हुआ और अपनी इसी सोसाइटी के माध्यम से हुआ, आज भी सोसाइटी फंक्शन कर रही है, तमाम लोग इसके सदस्य बन गय है, कई लोग नहीं बने। अनेक लोग व्यक्तिगत रूप से भी कहते हैं कि हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। पिछली बार जितने लोगों ने अप्लाई किया था उसमें अधिकांश को 58 लोगों को भूखण्ड आवास विकास परिषद् की वृन्दावन योजना में दे दिया गया और जब आप्शन मांगा गया कि कौन लोग फ्लैट्स लेना चाहते हैं, तो नो प्राफिट-नो लॉस के बेसिस पर फ्लैट्स देने का प्राविधान था। हमने गोमती नगर योजना में विकल्प खण्ड-3 में योजना बनायी है और भूखण्ड की व्यवस्था की गयी है और आप्शन मांगा गया है और यह नो-प्रॉफिट नो लॅस पर तभी चलेगा जब 50 या इससे अधिक मा0 सदस्य इसके लिए अपना आप्शन दें लेकिन न्यूनतम संख्या 50 माननीय सदस्यों की होनी चाहिए। इसके लिए धन चाहे लोन ले करके दें, चाहे कैश दें, आपके ही पैसे से निर्माण होगा तब वह नो प्राफिट-नो लॉस पर आपको दिया जा सकेगा। दूसरी स्थिति भूखण्ड की थी, आवास विकास परिषद् से पुन: कहा है कि भूखण्ड उपलब्ध करायें। हरदोई रोड योजना के बसंतकुंज में सस्ते रेट

पर रु0 2850.00 प्रति वर्ग मीटर के दर पर भूखण्ड उपलब्ध है। गोमती नगर के लिए मैं आज आपके माध्यम से माननीय सदस्यगण को अवगत कराना चाहता हूँ कि गोमती नगर में हमने एक ब्लाक 15 एक ड़ का मांगने का प्रस्ताव किया है, जो सिर्फ विधायकों के लिए ही हो और उसमें अन्य किसी का न हो, वह हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जायेगा और वह हम सभी सदस्यों को दे पायेंगे जिन लोगों का अभी तक लखनऊ में या अन्य किसी जगह पर आवास नहीं है, लखनऊ की शर्त बाध्यकारी है। यह प्रयास करेंगे कि सरकार अपनी ओर से कुछ कंट्रीब्यूट कर सके जिससे जो प्रचलित दर है उससे कम दर पर भूखण्ड उपलब्ध करायी जा सके। हम इसकी चेष्टा में हैं और जल्दी ही इसको करेंगे। लेकिन मैं यह पुन: अनुरोध करूँगा कि जितने लोग सोसाइटी के सदस्य नहीं बने हैं कृपा करके सोसाइटी के सदस्य बन जांय और अपना आप्शन दे दें ताकि उसके अनुसार पंजीकरण राशि जमा कराकर आपको ये भूखण्ड दिये जा सकें।

श्री राम करन आर्य--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक निवेदन है मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूँ। एक समय सीमा हम लोगों को दे दें कि दो या तीन महीने के अन्दर किसी विधायक को जो समिति के मेम्बर हैं उनका अधिकृत कर दिया जाए ताकि हम लोग उनके पास पैसा जमा कर दे।

श्री राधेश्याम जायसवाल--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2000 में वृन्दावन योजना में हमने एक लाख रुपया जमा कर पंजीकरण कराया था। मैं बार-बार पत्र लिख रहा हूँ लेकिन आज तक मुझे वहां प्लाट नहीं मिला है। अगर वहां प्लाट नहीं है तो क्या किसी दूसरी योजना में मुझे प्लाट देंगे, अगर नहीं देंगे तो ब्याज सहित मेरा धन वापस करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, धन न हमारे पास है न वापस करेंगे। धन आवास विकास परिषद् में जमा है, माननीय सदस्य एक दरख्वास्त दे करके उस धन को वापस ले सकते हैं। अगर आवास विकास परिषद् धन न दे तो यह सोसाइटी आपकी मदद करेगी।

श्री राधेश्याम जायसवाल--

मान्यवर, आवास विकास परिषद् में पैसा नहीं जमा है, आपकी समिति के खाते में पैसा जमा है। हमारे पास रिकार्ड मौजूद है। हमने जो पैसा बैंक में जमा किया है उसका डाक्यूमेंट मौजूद है, आप उसकी जांच करा लें।

(विपक्ष की तरफ से शेम-शेम की आवाजें आने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण कृपया शान्त रहें, इसका कोई उपयोग नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय सदस्य ने अगर समिति में जमा किया होगा और वापस चाहेंगे तो समिति उसको चाहेंगे तो वापस कर देगी। पिछली बार जिन लोगों ने आवंटन के लिए अपना आप्शन दिया उसमें उनके आप्शन के हिसाब से लाटरी निकाली गयी पहले 50 लोगों को मिले फिर बढ़ाते-बढ़ाते 58

लोगों को प्लाट दिया गया। पिछली वार जितने लोगों को किया था, ऐशबाग में जितने फ्लैट्स थे उन लोगों को दे पाये। माननीय सदस्य अगर वापस चाहेंगे तो पैसा और ब्याज सारी चीजें मिल जायेगी अगर आगे प्लाट चाहेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए उस एमाउन्ट को ट्रान्सफर कर दिया जायेगा।

मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षण हेतु उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था

*6--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र विकास निधि से शिक्षण संस्थाओं के लिये अनुमन्य कम्प्यूटर की भांति मानसिक रूप से विकलांग तथा अंधे, बहरे, गूंगें बच्चों के शिक्षण हेतु तत्सम्बन्धित आधुनिक यंत्र/उपकरण खरीदने हेतु उक्त मद से धनराशि दिये जाने की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय लेकर कब तक निर्देश जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री राजपाल त्यागी)--

विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि की वर्तमान में प्रभावी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षण संस्थाओं के लिए शैक्षिक प्रकृति के उपकरण/यन्त्र उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था नहीं है किन्तु इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ मंत्री जी ने इस प्रश्न से सहमति व्यक्त की है और अपने उत्तर में बताया है कि वर्तमान में व्यवस्था नहीं है लेकिन आगे सम्यक् विचारोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में अपनी बात मंत्री जी के सामने रखते हुए मैं मंत्री जी से उत्तर चाहूँगा तीन वर्ष पूर्व से मेरे द्वारा ग्राम्य विकास विभाग से लिखा-पढ़ी की जा रही है एम0पी0 फण्ड के जो मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं उसमें टेक्निकल एजूकेशन के लिए डिग्री कालेजों में शिक्षा के लिए कम्प्यूटर दे सकते हैं तो मानवीय संवेदना के पात्र मानसिक रूप से विकलांग, अंधे-वहरे, गूंगे बच्चों के प्रशिक्षण के लिए जो आधुनिक उपकरण आ गए हैं लेकिन उनको हम विधायक निधि से नहीं दे पा रहे हैं इसके लिए मैं तीन वर्ष से लिखा-पढ़ी कर रहा हूँ। यह प्रश्न भी मेरा 27-10-05 का है जिस पर पांच माह बाद मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं इतने दिन बाद हमारी सरकार से अपेक्षा थी कि मंत्री जी उत्तर में कहते कि सरकार इससे सहमत है और इतने दिन में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा या शासनादेश जारी करके सरकार को आना चाहिए था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ यदि सरकार सहमत है तो मानवीय संवेदना के पात्र इन नन्हें-मुन्ने विकलांग बच्चों के संबंध में सरकार को विचार करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस संबंध में कब तक शासनादेश जारी कर दिया जाएगा ? और नहीं जारी किया जायेगा तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बाजपेई जी ने जो प्रश्न उठाया है उसे उन्होंने नियम 51 में भी उठाया था मैं तब से इस बारे में पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से नियमों के तहत इसका दुरुपयोग न हो। इस पर पूरी तरह से गम्भीरता से चर्चा कर रहा हूँ और आपकी बात पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूँ लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इसको समयबद्ध करके आज ही तय कर दिया जाय। कम्प्यूटर खरीद का जो आपने जिक्र किया कम्प्यूटर खरीदने के लिए विधायक निधि में व्यवस्था थी और आप सभी लोगों के प्रयास से वह व्यवस्था हुई है लकिन मुझे नहीं कहना चाहिए कि उसकी शुरुआत में ही क्या हुआ बिजनौर से आपकी पार्टी के सांसद पर आरोप लगाये गए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि घोटाला हुआ मगर इलेक्ट्रानिक मीडिया ने कम्प्यूटर खरीद को घोटाला बताया। इसका हमारी आपकी छवि से संबंध है, हमारे विधान सभा क्षेत्र से संबंध है, इसका विकास से संबंध है ही लेकिन आपको मालूम होगा कि किस तरह से मीडिया में हम सभी के नाम जोड़े जाते हैं सब लोग मीडिया में ऐसे नहीं हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विधायक निधि के हमारे अच्छे-अच्छे कार्य नहीं दिखाई देते उनके लिए जगह नहीं है लेकिन अगर कहीं कमजोरी दिखाई दे जाय तो उसको काफी जगह दी जाती है। जिन माननीय सदस्यों का पूरा जीवन त्याग तपस्या में व्यतीत होता है उनके बारे में इस तरह की खबरें छपती हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जिस तरह की बात कम्प्यूटर में हुई है वह इसमें हो। हमारी सोच इसके बारे में सकारात्मक है, निश्चित रूप से प्रयास है कि कोई व्यवस्था ऐसी निकाल ली जाय जिससे दुरुपयोग न हो और जो पात्र हैं उनको सही ढंग से मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष--

बाजपेयी जी, मंत्री जी ने कह दिया कि वह इस पर पाजिटिव हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माननीय मंत्री जी ने कम्प्यूटर के संबंध में चर्चा के दौरान कुछ बातें कही हैं। मेरा कहना है कि यदि कम्प्यूटर खरीद में नियमों के विरुद्ध कार्य या घोटाला हुआ है तो क्या सरकार ने विधायक निधि से कम्प्यूटर देना बन्द कर दिया है ? मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि जब वही व्यवस्था यथावत् बरकरार है और जिस तरह से वह व्यवस्था बरकरार है तो कमोवेश उसमें जो भी आवश्यकताएं और कमियां हैं उनको पूरा करके सरकार अपनी प्रक्रिया को कब तक पूर्णता तक पहुंचा देगी ? बस इतना बता दें।

श्री राजपाल त्यागी--

अध्यक्ष जी, इसमें काफी समस्याएं हैं। जैसे इसमें विधि विभाग को भी भेजा गया और अन्य भी कई समस्याएं हैं। सबसे गम्भीर समस्या यह है कि उपकरणों को किन संस्थाओं को दिया जाय ? जिन संस्थाओं को यह दिये जायं उनके पास इनके रख-रखाव की उचित व्यवस्था है कि नहीं ? इन उपकरणों की खरीद किस तरीके से की जाय क्योंकि आज हर चीज पर अंगुली उठाई जा रही है। आज व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिनको यह उपकरण दिये जायं उनके पास उनके रख-रखाव की उचित व्यवस्था हो। उसमें पढ़ने के लिये सी0एम0ओ0 के सर्टिफिकेट आदि बातें हैं, इन सब चीजों पर गम्भीरता से विचार हो रहा है। मैं माननीय सदस्य से यही कहूँगा कि कृपा करके आप यकीन कर लें, हम इस पर जल्दी ही निर्णय ले लेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेई--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से शासन द्वारा अनुदान मिल रहा है उसी प्रकार सरकार के विकलांग कल्याण विभाग और केन्द्र से भी योगदान प्राप्त होता है। मेरा कहना है कि जिन संस्थाओं को इस प्रकार की मदद प्राप्त नहीं है उनको यह उपकरण न दें। केवल उन संस्थाओं को जिनको सरकार की तरफ से अनुदान मिल रहा है उन्हीं को आप यह उपकरण देने पर विचार कर लें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, चूँकि विधायक निधि से संबंधित विषय चल रहा है इसलिये मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मान्यवर, जो कार्य हम विधायक निधि से कराते हैं और विधान सभा में जो विभिन्न गतिविधियों में हम भाग लेकर जो स्टैण्ड हम लेते हैं उनको हम नागरिकों को दिखाने के लिये विधायक निधि का उपयोग कर सकते हैं ? मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि इसके लिये हम विधायक निधि का उपयोग कर सकें इस पर माननीय मंत्री जी विचार करना चाहें।

श्री राजपाल त्यागी--

आप एक बार फिर अपना प्रश्न दोहरा दें। मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

आपने ध्यान नहीं दिया इसलिये स्पष्ट नहीं हो सका। मेरा प्रश्न यह है कि विधायक निधि से जो कुछ विकास के कार्य हम अपने क्षेत्र में कराते हैं और विधान सभा की विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेकर जो स्टैण्ड लेते हैं उसका प्रकाशित करके नागरिकों को दिखाने हेतु हम विधायक निधि का प्रयोग कर सकें, कुछ आप ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करेंगे।

श्री राजपाल त्यागी--

उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी स्पष्ट नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूँ कि प्रचार-प्रसार का काम आप अच्छा कर रहे हैं। किसी गांव में क्या कर रहे हैं उसके लिये हमारे यहां व्यवस्था है, एक कम्प्यूटराइज्ड लिस्ट मिलती है हर विधायक को और बोर्ड भी लगाये जाते हैं। हमारी सरकार किसी भी कीमत पर विधायक निधि को ऐसे हाथों में नहीं सौंप सकती जो उसका दुरुपयोग करे। जहां तक डा0 बाजपेयी जी की बात है, हमारा पूरा प्रयास है कि हम उसको जल्दी से जल्दी कर सकें। डी0आर0डी0ए0 की एक पत्रिका छपती है आपको जो कुछ देना है उसमें दे सकते हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, मेरा प्रश्न अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो कुछ विकास के कार्य हम अपने क्षेत्र में कराते हैं या विधान सभा की गतिविधियों में भाग लेकर जो भी स्टैण्ड लेते हैं उसको हम अपने नागरिकों को छपवाकर बंटवा सकें, इसके लिये क्या हम विधायक निधि का प्रयोग कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसके लिये माननीय मंत्री जी से मिलकर बात कर लें।

विकास प्राधिकरणों के बोर्ड में नगरीय क्षेत्र के विधायकों के नामांकन पर विचार

*7--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विकास प्राधिकरणों के बोर्ड में नगरीय क्षेत्र के विधायकों के नामांकन पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्विका चौधरी--

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 में विकास प्राधिकरणों के बोर्ड में गैर सरकारी सदस्य नामित किए जाने की व्यवस्था है किन्तु माननीय विधायक को सदस्य के रूप में नामित किए जाने का स्पष्ट प्राविधान नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, यह प्रश्न विकास प्राधिकरण में जो भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके परिप्रेक्ष्य में किया गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में हम लोगों ने इस सीमा तक भ्रष्टाचार देखा है कि आवंटन के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में 5-5 लाख के टेण्डर वढ़ाकर 5-5 करोड़ कर दिये गये हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि हम लोकतंत्र में जीते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। देश की सभी संस्थाओं में चयनित, प्रदेश की सभी संस्थाओं में चयनित प्रतिनिधियों को स्थान देते हैं। जिससे विभाग जो काम करे, उसमें लोकतांत्रिक नियंत्रण रहे। मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। पहला तो यह मान्यवर, कि--क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि विकास प्राधिकरणों के बोर्ड पर उन-उन क्षेत्रों के चयनित विधायकों को स्थान दिया जाए। जिससे जो कुछ गतिविधियां विकास प्राधिकरण करे उसमें लोकतांत्रिक नियंत्रण हो सके। दूसरा सवाल--क्या राज्य वित्त आयोग ने विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जनप्रतिनिधियों के नियंत्रण में लाने की कोई अनुशंसा दी थी यदि दी थी तो वह क्या है ? इसमें सरकार ने क्या किया है ?

श्री अम्विका चौधरी--

श्रीमन्, एक प्रश्न तो संबंधित है लेकिन दूसरा प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। मैंने कहा मूल प्रश्न में, कि गैर सरकारी सदस्य नामित करने की व्यवस्था नियमों में होगी। अधिनियम की धारा-6 (2) के अन्तर्गत गठित होने वाली सलाहकार परिषद् में मा0 विधायक को सदस्य के रूप में नामित किये जाने की व्यवस्था है सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे--

प्राधिकरण का अध्यक्ष, पदेन, जो सभापति होगा। मुख्य नगर और ग्राम योजनाकार उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबंध निदेशक, पदेन होंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा उसका नाम निर्देशित जो उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, पदेन होगा। विकास क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारियों के चार प्रतिनिधि जो उनके सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे वह होंगे। इसी के साथ मान्यवर, लोक सभा के और राज्य विधान सभा के ऐसे सब सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास क्षेत्र का कोई भाग हो। वह इसका सदस्य होगा। इसकी व्यवस्था अधिनियम में है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

अधिनियम में व्यवस्था होगी। व्यवहारिक धरातल पर लाने की बात मैंने कही है। मान्यवर राज्य वित्त आयोग की स्पष्ट अनुशंसा है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विकास प्राधिकरणों और नगर निगमों को चयनित जनप्रतिनिधियों के नियंत्रण में दिया जाए। सरकार ने इसमें कहा है कि कार्यवाही की, अब उसको स्वीकार किया, अस्वीकार किया या परिवर्तित करके स्वीकार किया, तीनों काम सरकार करती है। यह सीधा संबंध नामांकन से था। इसलिए यह कहना उचित नहीं है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में 14 भ्रष्ट अधिकारियों को विधान सभा की कार्यवाही के बाद सस्पेंड किया गया। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और इसी गोरखपुर प्राधिकरण ने भ्रष्टतम् लेखाधिकारी को शासन में बैठे अधिकारी ने, पद के साथ रामपुर विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरित कर दिया। जो भ्रष्टतम् व्यक्ति था उस पर कार्यवाही नहीं हो पाई। उसको रामपुर विकास प्राधिकरण में पद के साथ ट्रांसफर कर दिया गया। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मा0 सदस्य शान्त रहें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

उपाध्यक्ष महोदय, जो उच्च पदों पर नौकरशाही के लोग हैं उनको नियंत्रण में लेना चाहिए। हम चयनित जनप्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के विकास प्राधिकरण में थोड़ा सा अधिकार गुणवत्ता को नियंत्रण करने का, कार्यों को तय करने का होना चाहिए ....

श्री मोहम्मद आजम खां--

नाम क्या है ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

विनोद कुमार श्रीवास्तव।

यह अधिकार मिलना चाहिए। हमारा विकास प्राधिकरण हमारे क्षेत्र में प्राथमिकता तय कर रहा है विकास कार्यों की गुणवत्ता तय कर रहा है, यदि भ्रष्ट अधिकारी पकड़े जा रहे हैं तो उसमें कार्यवाही क्या हो रही है ? हम इसके मेम्बर होंगे तो थोड़ा तो नियंत्रण आएगा। क्या सरकर इस पर विचार करने के लिए समिति का गठन करेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी--

श्रीमन्, रजिस्ट्रेशन में, पंजीकरण मे, आवंटन में जितनी तरह की धांधलियां पाई गई, जितनी तरह की शिकायत मिली थी, उसको गम्भीरता से लेते हुए इस संबंध में जैदी आयोग का गठन किया गया है और 6 महीने की अवधि समाप्त हुई, कार्य पूरा नहीं हुआ तो उसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। तो बहुत गम्भीरता से जैदी आयोग उस पर काम कर रहा है। जितने भी सुझाव आयेंगे, उस पर वह गंभीरता से काम करेगा। जो आपने पूछा है कि उनको बोर्ड में शामिल करेंगे, यह उपयोगी सुझाव है और हम आपकी बात से सहमत हैं कि जन प्रतिनिधि बोर्डों में अनिवार्य रूप से रहें और ढंग से देख सकें तो शायद उस पारदर्शिता को मेनटेन करने में ज्यादा अच्छा होगा। अधिनियम में ऐसा नहीं है लेकिन उनको हम शामिल कर सकें इस पर सरकार जरूर विचार करेगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो प्राधिकरण हैं, उनमें जनप्रतिनिधि, एम0एल0ए0 सदस्य नहीं है। मैं इलाहाबाद से जुड़ा हूँ, यहां पर हमारे लखनऊ के विधायक भी हैं, लेकिन कोई भी उनके विधायक विकास प्राधिकरणों के बोर्ड में सदस्य नहीं हैं। मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें या निर्देश भेज दें। अग्रवाल साहब ने जो बात कही है, आज किसी भी महानगर के अन्दर देख लें, कितना भ्रष्टाचार है, नक्शा पास कराने के लिए सालों पड़ा रहता है लेकिन पैसा दीजिए तो पास हो जाता है। मैंने प्रश्न भी उठाया था, कि इलाहाबाद में कितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है, उत्तर आया था 131, मान्यवर, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो एक राजनीतिक दल के नेता की है, कमिश्नर उसका अध्यक्ष है, इन्लीगल बनी है, हमारे बगल में बनी है, वह उसका उद्घाटन करने जाते हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस तरह की जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इन्लीगल बनी है, उनके खिलाफ 15 दिन के अन्दर कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी--

श्रीमन्, सारी कार्यवाइयों के लिए अलग-अलग प्राविधान है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि क्या विधान सभा के सदस्यों को विकास प्राधिकरणों की कमेटीज में रखेंगे या नहीं और आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग गिरवायेंगे या नहीं गिरवायेंगे ? आप जैसे वरिष्ठ सदस्य का प्रश्न है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

सबसे पहले जो 10 साल पहले बनी है, वह गिरवाई जायें ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मैं सहमत हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी--

आप सूचना दे देंगे तो उसको देखेंगे। विकास प्राधिकरणों के बोर्ड में शामिल करने का जो माननीय सदस्य का प्रश्न था, उस पर मेरा उत्तर था कि सरकार इस पर विचार करेगी और यह मुनासिब सवाल है। जहां तक आपने पूछा है कि सलाहकार परिषद् में नामित किया जाए, जो अधिनियम में प्राविधान है, वह मैंने बता दिया, इनको लागू करने में क्या कठिनाई है, उनको देखते हुए और जैसा आपने चाहा है, माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुसार इस पर सरकार अवश्य विचार करेगी कि इसमें उस क्षेत्र के माननीय सदस्य को रख लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी, कोई समय-सीमा देंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी--

श्रीमन्, जितना जल्दी हो सकता है, करेंगे।

सचिवालय में शासकीय विभागों में पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की तैनाती सम्बन्ध जानकारी

*8--श्री मुंशीलाल गौतम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में विभिन्न शासकीय विभागों में प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव एवं संयुक्त संचिव के पदों के सृजन हेतु क्या मानक निर्धारित

है ? क्या यह सत्य है कि विशेष सचिव एवं संयुक्त सचिव के स्वीकृत/सृजित पदों के सापेक्ष अधिक संख्या में पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की तैनातियां की गई ? यदि हां, तो क्या यह तैनातियां सिविल सर्विसेज बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ? यदि नहीं, तो नियुक्ति विभाग द्वारा इन अधिसंख्य तैनातियों को किस आधार पर औचित्यपूर्ण दर्शाया गया है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, एवं संयुक्त सचिव के पदों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। पी0 सी0 एस0 संवर्ग के विशेष सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के पदों के सृजन हेतु विशिष्ट मानक नहीं निर्धारित किया गया है बल्कि सचिवालय में व्यवहरित कार्य की आवश्यकता एवं कार्य हित में पद सृजित किये जाते हैं।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुंशीलाल गौतम--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं वैसे तो मैं कुछ सन्तुष्ट हूं जो प्रश्न का उत्तर है। मैं जानना चाहता हूं कि पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को भी जिलाधिकारियों के पदों पर नियुक्त करने का सरकार ने कोई निर्णय लिया है और क्या इसको लेकर आई0 ए0 एस0 नाराज हैं ? इस सन्दर्भ में सरकार ने क्या नयी नीति बनाई है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मुझे हमदर्दी है अपने साथी सदस्य से। जो प्रश्न बन सकता था वह उन्होंने नहीं किया। क्योंकि उनका जो प्रश्न था वह भी उनका अपना नहीं होगा किसी अधिकारी ने कराया होगा। इस प्रश्न से मुझे कष्ट यह है कि हम यहाँ पर जनता के मामलात सुलझाने के लिए बैठे हैं, अधिकारियों के मामलात को नहीं। यह प्रश्न किसी अधिकारी ने करा दिया है। जो प्रश्न बनना चाहिये था वह आपने किया नहीं। लेकिन इसमें कोई नाराज नहीं है और जो नाराज है उन्होंने यह प्रश्न कराया है। भविष्य में हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम अधिकारियों के लिए इस्तेमाल न हों।

श्री मुंशीलाल गौतम--

मान्यवर, मेरा जो प्रश्न है जिसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि किसी अधिकारी ने कराया होगा। मान्यवर, आज अतारांकित प्रश्न संख्या 92 में मेरा प्रश्न था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न मण्डलों में अपर आयुक्त कि कितने पद शासन द्वारा स्वीकृत एवं सृजित हैं तथा सृजित पदों के सापेक्ष मण्डलों में कितने पी0 सी0 एस0 अधिकारी अपर आयुक्त के पदों पर कार्य कर रहे हैं ? इसके आगे है कि क्या यह सत्य है कि मण्डलों में अपर आयुक्त के स्वीकृत/सृजित पदों से अधिक संख्या में पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की तैनातियां की गयी है ? उत्तर आया है जी हां। मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में 29 पद पी0 सी0 एस0 संवर्ग के अपर आयुक्तों के लिए चिन्हित है। जिसके साप्रेक्ष 50 अपर आयुक्त कार्यरत है। यानि कि 21 अपर

आयुक्त अतिरिक्त नियुक्त किए गए हैं। यह भी कहा गया है कि उक्त तैनातियां जनहित एवं प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत की गयी है। मान्यवर, 21 अतिरिक्त अपर आयुक्तों के पद आ गये हैं जिसमें जनता की गाढ़ी कमाई का 4 लाख 70 हजार 400 रुपया अतिरिक्त भार आ रहा है। उनके बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं हैं। एक-एक मण्डल में 11-11, 9-9 अपर आयुक्त हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह प्रश्न किसी अधिकारी के माध्यम से किया गया होगा। मान्यवर, मैंने जनहित का मुद्दा उठाया है। जनता के हित में जो अधिकारी काम करेगा उनको वेतन दिया जाये तो ठीक है लेकिन उनसे कोई काम न लिया जाये यह कहां तक उचित है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को डी0 एम0 बनाने का जो निर्णय लिया है इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या नीति बनायी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, वह अलग प्रश्न है अगर उसके सम्बन्ध में अलग से माननीय सदस्य जानकारी चाहेंगे तो जवाब मिल जायेगा। लेकिन जो भी पद सृजित किये गये हैं और जो लोग तैनात किये गये है वह जनहित एवं प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत तैनात किये गये हैं और इसमें भारत सरकार के मानक है और यह भारत सरकार के मानक के अनुसार ही हुआ है।

*9--श्री रामवीर उपाध्याय--

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

विधान सभा सदस्यों को एक से अधिक गनर/शैडो दिये जाने की मांग

*10--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने विधान सभा सदस्यों को एक से अधिक गनर एवं शैडो दिये गये हैं ? क्या शेष सभी विधायकों को भी एक से अधिक गनर एवं शैडों दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश में कुल 205 विधान सभा सदस्यों को एक से अधिक गनर एवं शैडो दिये गये है।

शासनादेश संख्या 1773/छ:-पु0-2--2001-700(1)/2001, दिनांक 25-4-2001 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार जनपदीय सुरक्षा समिति द्वारा जीवनभय का औचित्य पाये जाने पर मा0 सांसदों/विधायकों को अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी 25 प्रतिशत निजी व्यय पर दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत गम्भीर प्रश्न किया है। मान्यवर, आज सुरक्षा बहुत गम्भीर समस्या है। विशेष रूप से उस समय जब इस सदन के सदस्य गोली मारकर मौत के घाट उतारे

जाते रहे हों। और हमारी पुलिस से ज्यादा सक्षम हथियार अपराधियों के पास हों। पुलिस के पास जो गन दी गयी है उसकी क्षमता पिस्टल के बराबर है और जो ए0 के0 47 है उसकी क्षमता डेढ़ किलोमीटर तक मार करने की है । मान्यवर, आज सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि अपराधी पकड़ा जाय और इसके अनेकों उदाहरण आपके सामने है इसलिये मैंने इस गम्भीर प्रश्न को उठाया है । यह देखने में आ रहा है कि कुछ विधायक जो अपने बारे में सशंकित रहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं, जो जिला समितियों की संस्तुतियों की रिपोर्ट आती है, एस0 पी0 कप्तान रिपोर्ट देता है, आज विपक्ष के माननीय सदस्यों की सिफारिशों पर लाइसेन्स नहीं दिये जा रहे हैं। अधिकारी यह कहते हैं कि आप के जो पैड के ऊपर नाम है उसको फाड़ दीजिए नहीं तो कार्यवाही हमारे ऊपर हो जायेगी। मैं चैलेन्ज करता हूं और मुझे झटका लगा, हम भी कुछ दिन सरकार में रहे हमने जिले में व्यवस्था कर रखी थी कि विपक्ष के सदस्यों की सिफारिशों पर लाइसेन्स दिये जायें।

(कई सदस्यों ने कहा कि 'नहीं मिला')

मान्यवर, मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं। अंचल साहब आप बहुत सम्मानित मंत्री हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। आप लोगों की संस्तुतियों पर लाइसेन्स जारी हुए थे। अगर यह व्यवस्था करा दी होती तो इतना गम्भीर विषय पर सदन का समय मैं न लेता। लेकिन इस ढ़ग से अजीब टाइप का व्यवहार करके अधिकारी लोग कहते है कि आप ऊपर का पन्ना फाड़ दीजिये, अपना नाम हटा दीजिये यह उचित नहीं है। हम सही कह रहे हैं कि एक भी सदस्य को हमारी सिफारिश से लाइसेन्स नहीं मिला। अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो मैं अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरे ख्याल से हमारा प्रश्न लाइसेन्स देने के लिए नहीं है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं जानता हूं कि आप कानून बता देंगे। आप कहेंगे कि चीफ सिक्रेटरी ने लगाया है, कुछ भी बता देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर जो प्रश्न किया गया है उसी पर प्रश्न करना चाहिये। गनर के लिये प्रश्न है उस पर प्रश्न करें।

(इस समय 12 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री राम इकबाल सिंह--

आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूं आप ही के परिवार का सदस्य हूं। कहीं से कोई चीज हमारे समक्ष आती है तो उसको संज्ञान में लाने का हमारा दायित्व है। आप नहीं चाहेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

माननीय राम करन आर्य जी आप बैठ जायें। माननीय राम इकबाल सिंह जी आप प्रश्न पूछें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि 205 माननीय सदस्यों को एक से अधिक गनर शैडो मिले हैं ? इसमें क्या सब लोगों को पच्चीस प्रतिशत के भुगतान पर मिले हैं या सबकी जिले वाइज समिति रिपोर्ट देती है उसके आधार पर मुफ्त देने की व्यवस्था है या सरकार सीधे मुफ्त में दिये हुए है ? इसी में मेरा दूसरा प्रश्न है क्या विधायकों को जो गनर मिले हुए हैं उनको एके 47 जो उनको छोटी गन मिली है, उनकी जगह पर सुरक्षा की दृष्टि से सरकार देने पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय अध्यक्ष जी यह सदन खुद साक्षी है कि जब भी कोई ऐसा मामला आया है किसी माननीय सदस्य को कोई खतरा हुआ है तो खुद नेता सदन ने यही घोषणा कर दी है अतिरिक्त सुरक्षा दिये जाने की, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, अक्सर आपके माध्यम से भी सिफारिशें आयी हैं और उस पर भी जैसा आपका निर्देश प्राप्त हुआ है, उस पर अमल हुआ है। अतिरिक्त गनर देने के लिए जो प्रविधान है वह यही है कि जिले से भी सिफारिश हो और 25 प्रतिशत पर उसको अतिरिक्त गनर दे दिया जाय लेकिन इसके अलावा मान्यवर, अनेकों ऐसे गनर हैं जो एक से अधिक दिये हुए हैं जिनसे कुछ नहीं लिया जाता लेकिन उसका अधिकार मुख्य मंत्री जी को प्राप्त है और खुद सदन में जब भी किसी माननीय सदस्य ने एक बार का भी हमें ऐसा याद नहीं है कि मुख्य मंत्री जी सदन में रहें हो और किन्हीं माननीय सदस्य ने अगर अपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गनर चाहा हो तो गनर न मिला हो अगर भविष्य में भी कोई ऐसा होता है या किसी माननीय सदस्य के बारे में आपकी जिज्ञासा है अगर वह जानकारी में आये तो उस पर और आगे भी विचार हो सकता है।

श्री प्रमोद कुमार--

मैं एक बहुत विनम्र निवेदन माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से स्वीकार करते हुए इस बात को कि मौजूदा सरकार में जब भी नेता सदन रहे हैं और किसी सदस्य की सुरक्षा की बात आई है तो सचमुच यहीं पर घोषणा हुयी है और मिला है। यह प्रश्न एक अलग हो गया मैं दूसरे प्रश्न पर आ रहा हूं, मान्यवर, मिला क्या है अंगरक्षक, शैडो, शैडो दिन में 24 घण्टे होते हैं, यह शारीरिक रूप से व्यावहारिक रूप से छुट्टी पर भी जायेगा वह, मान्यवर उसको अधिकार है छुट्टी पर जाने का, आप कह सकते हैं कि रिप्लेसमेण्ट नहीं मिलता, रिप्लेसमेण्ट सबको मालूम है कि जब जाता है तो मेरा एक सुझाव है मैं नहीं कहता कि माननीय मंत्री जी यही घोषणा कर दें, आप विचार-विमर्श कर लें नेता सदन से, मान्यवर, एक व्यवस्था करके प्रत्येक विधायक के साथ दो-दो अंग रक्षक कर दिया जाय जिससे कि अगर कभी एक अनुपस्थित रहे या दोनों ड्यूटी बांध कर या अपने आप को बांट कर रहें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर ढंग से सुरक्षा हो जायेगी, तो इस पर मान्यवर, आप विचार कर लें और अगर आपको लगे तब यह घोषणा करें मैं यही घोषणा करने को नहीं कह रहा हूं। मैं यही चाहता हूं कि क्या आप मेरे इस अनुरोध को नेता सदन तक पहुचा देंगे ? दूसरा मान्यवर, मैं इसमें इसी से जुड़े हुए प्रश्न के रूप में कहना चाहता हूं कि यह 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत क्यों विधायकों की मर्जी पर छोड़ते हैं, एस0 पी0 और डी0 एम0 की, विधायक आपके हैं, सरकार के हैं, सदन के हैं तो इस पर एक विचार कर लें कि हर विधायक को कम से कम दो अंग रक्षक स्वीकृत किये जायं। जब चार विधायकों की हत्या इसी सदन के इसी सत्र के दौरान हुई है सत्र से मेरा मतलब पांच वर्ष के कार्यकाल से है तो दो अंग रक्षक देने पर विचार करेगी सरकार ? मेरा सीधा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी देंगे इसका जवाब ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आखिरी हिस्से का जवाब तो यह देना चाहूंगा कि जो हत्या आखिरी में हुई है इनके लिए तो बहुत बड़ी सुरक्षा की जरूरत होगी केवल दो-चार से काम नहीं चलेगा, इस तरह का गैंगवार हुआ उसमें दो-चार की नहीं दो चार सौ की जरूरत पड़ेगी, रही दो को देने की बात तो इस पर मैं नेता सदन से जरूर बात करूंगा लेकिन एक चीज इस पर आप भी गौर कर लें कि माननीय सदस्यों को जो गनर मिलती है वह अक्सर तो नहीं बल्कि आमतौर पर नाम दे देते हैं कि फलां शख्स को हमारे साथ शैडो या गनर रखा जाय तो वही रहते हैं और उनके साथ मुस्तकिल रहते हैं , अगर कोई छुट्टी पर चला जाय तो मान्यवर यह व्यवस्था है कि छुट्टी पर कोई गनर, शैडो जायेंगे तो फिर उसका विकल्प दूसरा व्यक्ति मिल जाता है।

श्री प्रमोद कुमार--

नहीं ऐसा नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

लेकिन इसके बावजूद भी जो आपका सुझाव है इस पर मैं बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में क्षेत्रीय विधायकों को नजर अन्दाज कर अन्य व्यक्तियों की लोकार्पण पट्टिकायें लगाये जाने का प्रकरण

1--डा0 राम बाबू हरित--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कराये जा रहे विकास कार्यों से सम्बन्धित लोकार्पण पट्टिकाओं में क्षेत्रीय विधायकों को नजर अन्दाज कर अन्य व्यक्तियों की लोकार्पण पट्टिकायें लगायी जा रही है ? क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 343 आगरा पश्चिम में कराये गये विकास कार्यों में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का नाम लोकार्पण पट्टिकाओं में अंकित न कर अन्य व्यक्तियों के नाम से पट्टिकायें लगायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

विगत तीन वर्षों में नगर निगम को प्रश्नकर्ता (मा0 विधायक, विधान सभा) के क्षेत्र में विकास कार्य हेतु विधायक निधि से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में लोकार्पण पट्टिकायें नगर निगम द्वारा लगाये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट--तारांकित प्रश्न सं0 10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

सहकारी संघों को खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की मांग

2--डा0 पी0 के0 राय--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघों को वर्ष 2005 में खाद एवं बीज उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त संघों को खाद एवं बीज कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शारदा नन्द अंचल)--

ऐसे सहकारी संघों जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, कार्य व्यवसाय बन्द है तथा निष्क्रिय हो गये हैं, को छोड़कर शेष सहकारी संघों को उनकी मांग पर वर्ष 2005 में खाद एवं बीज उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी कैन्ट की मलिन बस्तियों के सुधार के लिए धनराशि की मांग

3--श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-6-04 जो कि वाराणसी कैण्ट की मलिन बस्तियों के सुधार के लिये धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

योजनान्तर्गत निम्न कार्य कराया गया --

व्यय धनराशि

1--लहरतारा नई बस्ती की गलियों में जल निकासी एवं गली निर्माण	5.10 लाख
2--कोइराना बस्ती में गली निर्माण	6.48 लाख
	11.58 लाख

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के खैरागढ़ अन्तर्गत पीने योग्य स्वच्छ जलापूर्ति की योजना

4--श्री अमर सिंह परमार--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़, जनपद आगरा के अन्तर्गत अधिकांश ग्रामों में खारा पानी है, जिससे नागरिकों को स्वच्छ जल का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र का सर्वे कराकर पीने योग्य स्वच्छ जलापूर्ति हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां, जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत अभी तक 18 ग्रामों में खारे पानी की समस्या है।

खारे पानी की समस्या से प्रभावित 18 ग्रामों में से 01 ग्राम जगनेर देहात में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप पेयजल योजना निर्माणाधीन है।

खारे पानी से प्रभावित शेष 17 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने जाने की कार्य योजना प्रस्तवित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामाया नगर की साधन सहकारी समिति को शीघ्र चालू कराने की व्यवस्था

5--ठाकुर जयवीर सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर (हाथरस) के सिकन्दराराऊ विकास खण्ड की साधन सहकारी समिति लि0 वाजिदपुर के बन्द होने से क्षेत्र के कृषक, कृषि ऋण व अन्य कृषि निवेश प्राप्त करने की सुविधा से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समिति को शीघ्र चालू कराने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

जी नहीं। साधन सहकारी समिति लि0, वाजिदपुर के क्षेत्र के कृषकों को कृषि निवेश नकद उपलब्ध कराये जाने हेतु सहकारी संघ लि0, वाजिदपुर का उर्वरक बिक्री केन्द्र संचालित है तथा कृषकों को फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु समिति के परिसमापन के अन्तर्गत होने के कारण समिति के कार्यक्षेत्र को सा0 सह0 समिति लि0, बरतर खास में सम्मिलित कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत कबीर नगर के ग्राम सवापार में दबंग व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाने की मांग

6--श्री सुन्दर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत कबीर नगर, तहसील धनघटा, नगर पंचायत हरिहरपुर, ग्राम सवापार (वार्ड नम्बर 1) में दबंग व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जा तथा दिनांक 21-6-2005 को घटित घटना के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक श्री गोपी कृष्ण द्विवेदी, सेवानिवृत्त उप सचिव, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र दिनांक 12-09-2005 प्रमुख सचिव, गृह, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

नगर पंचायत हरिहरपुर अन्तर्गत थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर में श्री गोपी कृष्ण द्विवेदी एवं विपक्षी श्रीमती कमलावती देवी आदि के मध्य डीह की जमीन को लेकर अरसा काफी

दिनों से विवाद चल रहा है जिसके सम्बन्ध में श्रीमती कमला देवी द्वारा सिविल जज जू0 डी0 खलीलाबाद, बस्ती के न्यायालय में वाद सं0 422/05 श्रीमती कमलावती देवी बनाम गोपी कृष्ण द्विवेदी आदि दाखिल किया गया था जो न्यायालय में विचाराधीन था। किन्तु श्री गोपी कृष्ण द्विवेदी द्वारा बाउण्ड्री को गिरवाने का आदेश करा दिया गया तो विपक्षी श्रीमती कमलावती देवी द्वारा जिला जज बस्ती के यहां सिविल निगरानी सं0 229/05 गोपी कृष्ण द्विवेदी दाखिल कर दिया गया जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 20-6-05 को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया, जिसके आधार पर उक्त बाउण्ड्री की यथास्थिति बनी हुई है । श्री गोपी कृष्ण द्विवेदी द्वारा थाना महुली, जनपद संत कबीर नगर में दिनांक 22-6-05 को एन0 सी0 आर0 नं 96/05 धारा 504/506 भा0 दं0 वि0 विरुद्ध श्रीमती कमलावती देवी, उमा शंकर उर्फ राजू पाण्डेय, विजय पाण्डेय, ब्रज भूषण पाण्डेय आदि के विरुद्ध दिनांक 22-6-2005 को पंजीकृत कराया गया । विवेचनोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है। उक्त पक्षों के विरुद्ध शान्ति व्यवस्था की दृष्टिकोण से धारा 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही दिनांक 8-6-05 को की गयी थी। जिसकी समय अवधि समाप्त हो गयी है। किन्तु उभय पक्षों में अभी भी उक्त जमीन को लेकर विवाद है। जिसके सम्बन्ध में थानाध्यक्ष महुली को निर्देश दे दिये गये हैं कि धारा 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही करके भारी से भारी धनराशि पर पाबन्द करा कर न्यायालय के आदेश के अनुसार मौके पर सतंक एवं पैनी दृष्टि रखी जाये ।

प्रश्न नहीं उठता।

7--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

नो ट्रैफिक इन्ट्री जोन में वाहनों के अनाधिकृत प्रवेश के लिए एम0 वी0 ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की मांग

8--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नो-ट्रैफिक इन्ट्री जोन व्यवस्था लागू होने के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा विभिन्न कारणों से व्यस्तम इलाकों में भारी वाहनों के आवागमन की अनधिकृत छूट देने के फलस्वरूप होने वाली मौतों में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जाती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

किसी भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु की दशा में चाहे नो ट्रैफिक जोन हो अथवा न हो, होने वाली मौतों के आरोपों के सम्बन्ध में आई0 पी0 सी0 एवं एम0 वी0 ऐक्ट की निधि सम्मत धाराओं के अन्तर्गत सूचना मिलने पर अभियोग पंजीकृत होने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। चाहे वह पुलिस कर्मी ही क्यों न हो। नो इन्ट्री जोन में वाहनों के अनाधिकृत प्रवेश के लिये एम0 वी0 ऐक्ट अन्तंगत कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई हत्यायें

9--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 2002 से अगस्त, 2003 तथा सितम्बर, 2003 से सितम्बर, 2005 के बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुयी हत्याओं की अलग-अलग संख्या क्या है ? इनमें कितने मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की गयी तथा कितने शेष है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश में अप्रैल, 2002 से अगस्त 2003 के मध्य समस्त जनपदों में कुल 8257 हत्या के मुकदमें पंजीकृत हुए जिनमें से 7277 मुकदमों में चार्जशीट प्रेषित की गयी एवं 920 मामलों में अंतिम रिपोर्ट व 60 मामले लम्बित हैं। सितम्बर, 2003 से सितम्बर, 2005 तक की अवधि में समस्त जनपदों में कुल 12092 हत्या के मुकदमें दर्ज हैं जिनमें से 10336 मामलों में चार्जशीट प्रेषित की गयी एवं 1177 में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गयी व 579 मामले शेष है।

(जनपदवार विवरण संलग्न)† है।

10--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[दि0 2 फरवरी, 2006 के अता0 प्र0 सं0 106 द्वारा उत्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के पर्यटन स्थलों के विकास सम्बन्धी जानकारी

11--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-2006 में पर्यटन मद में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये किन-किन स्थलों को विकास कि लिए अनुमोदित किया गया है ? क्या उन कार्यो की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ?

पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)--

जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए निम्नलिखित स्थलों के विकास के लिए योजना अनुमोदित की गयी है :--

वर्ष 2004-05

कुण्डाधाम पट्टी का पर्यटन विकास , मुजाही देवी धाम का पर्यटन विकास, शबाना मजार का पर्यटन विकास, महड़ौरा शिव मंन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास, बाबा आधार सिंह मजार का सौन्दर्यीकरण एवं विकास, कल्याणी देवी मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास।

वर्ष 2005-06

प्राचीन जलाशय एवं शिव मन्दिर भनईपुर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास, राम जानकी मन्दिर, पट्टी टाउन एरिया का सौन्दर्यीकरण एवं विकास, महादेवन मंदिर पूरब पट्टी मगरौरा का सौन्दर्यीकरण एवं विकास, दुर्गा धाम मन्दिर कंजासराय का सौन्दर्यीकरण एवं विकास, मुजाही देवी मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास , महडौरा शिव मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास, कुण्डाधाम शिव मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास, राम जानकी मन्दिर ढिढुई पट्टी का सौन्द्रर्यीकरण एवं विकास, दुर्गाधाम मन्दिर बहुता का सौन्दर्यीकरण एवं विकास, शिव मन्दिर बेलारामपुर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के थाना सरायममरेज में दर्ज श्री हंसराज को पीटने सम्बन्धी मुकदमें पर कार्यवाही की मांग

12--श्री लाल बहादुर यादव--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री श्रवण कुमार, पवन कुमार, पुत्र बड़ेलाल द्वारा हंसराज को पीटने की रिपोर्ट अपराध सं0 84/05, थाना सरायममरेज, इलाहाबाद में धारा

†देखिये नत्थी क आगे पृ0 156--159 पर।

452/323/504/506 आई0 पी0 सी0 दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त मुकदमें में विवेचना अधिकारी ने आरोप-पत्र दाखिल कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार किसी दूसरे सर्किल द्वारा विवेचना करवा कर मुल्जिमों को गिरफ्तार करवा कर प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

विवेचक द्वारा धारा 452/506 भा0 दं0 वि0 का अपराध न पाये जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध 323/504 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र दनांक 07-11-05 को प्रेषित किया गया जिसे रोककर विवेचना किसी अन्य उप निरीक्षक से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया । विवेचना से धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0 के आरोपों की पुष्टि होने पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिस दी गयी लेकिन दस्तयाव नहीं हुये हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम द्वारा सुअरों को पकड़ने व पालने वालो के विरुद्ध कार्यवाही

13--श्री मदन भैया--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 नगरीय स्थानीय निकाय (अपदूषण कारक पशुओं के विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2004, दिनांक 12 अक्टूबर, 2004 को प्रख्यापित की गयी है जिसके द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सुअर पालन प्रतिबन्धित किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उदयगंज रोड, लखनऊ तथा ओ0 सी0 आर0 में सुअर घूमा करते हैं ?यदि हां, तो क्या सरकार उदयगंज रोड स्थित कूड़ाघर से सुअरों के ठिकाने समाप्त करने तथा सुअर पालकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

जी हां।

लखनऊ नगर निगम द्वारा कई बार विशेष अभियान चलाकर सुअरों को पकड़ने की कार्यवाही की गयी तथा सुअर पालने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सी0 आर0 पी0 सी0 133, आई0 पी0 सी0 289 के अन्तर्गत एफ0 आई0 आर0 व नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के खेखड़ा कस्बे में पेयजल समस्या

14-श्री मदन भैया--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के खेखड़ा कस्बे में पेयजल समस्या को देखते हुए क्या सरकार एक ओवर हेड वाटर टंकी बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जनपद बागपत के खेखड़ा कस्बे में पेयजल समस्या के निवारण हेतु 1000 कि0 ली0 क्षमता के अवर जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जनपद जौनपुर के थाना सरपतहा के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग

15--प्रो0 रविद्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के थाना सरपतहा में दिनांक 10-11-04 को धारा 376, 3(1) 12 एस0 सी0/एस0 टी0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इस सम्बन्ध में जौनपुर के थाना सरपतहा पर दिनांक 10-11-04 को नहीं बल्कि दिनांक 09-10-04 को थाना सरपतहा पर मु0 अ0 सं0 282/04 धारा 376 भा0 द0 वि0 व 3 (1) 12 एस0 सी0/एस0 टी0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

नामजद अभियुक्त अकरम खां को दिनांक 27-10-04 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त राजेश कुमार ने गिरफ्तारी हेतु दिये गये दबिश के कारण दिनांक 08-11-04 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है।

उपरोक्तानुसार।

एल0 के0 एस0 सचिवालय कालोनी अलीगंज में रिक्त पड़ी सरकारी भूमि पर भू-माफिओं द्वारा किये गये कब्जे को हटाने की मांग

16--डा0 अजय कुमार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0 के0 एस0 सचिवालय कालोनी, पुरनिया तिराहा, सीतापुर रोड अलीगंज, लखनऊ में आवास सं0 69 से 100 के सामने कालोनी की रिक्त पड़ी सरकारी भूमि पर भू-माफियों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करके पक्का निर्माण किया जा रहा है ? क्या इस अवैध निर्माण को हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत अवैध निर्माणों को दिनांक 28-1-2006 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हटा दिया गया है। वर्तमान में स्थल पर कोई अवैध निर्माण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत 'न्याय मित्रों' को भुगतान की गई धनराशि की जानकारी

17--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने "न्याय मित्र" कार्यरत हैं ? सत्र, 2004-05, 1 जनवरी, 2005 से अब तक कुल कितने मुकदमों की पैरवी न्याय मित्रों द्वारा की

गयी तथा कुल कितनी धनराशि का उनको भुगतान किया गया ? क्या सरकार न्याय मित्रों के भुगतान में आ रही समस्याओं को देखते हुये उनके भुगतान हेतु धनराशि की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में कितने न्याय मित्र कार्यरत हैं और उन्हें कितनी धनराशि का वर्तमान वर्ष 2005 में अब तक भुगतान किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सत्र 2004-2005 में प्रदेश में कुल 3515 "न्याय मित्र" कार्यरत हैं।

01 जनवरी, 2005 से अब तक कुल 4,685 मुकदमों की पैरवी न्याय मित्रों द्वारा की गई तथा इस निमित्त उन्हें कुल रु0 01,91,76,506 की धनराशि का भुगतान किया गया।

प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में कार्यरत न्याय मित्रों हेतु प्रत्येक वर्ष धन की व्यवस्था कराई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

गोरखपुर जनपद में 52 न्याय मित्र कार्यरत हैं और उन्हें रु0 3,05,765 की धनराशि का वर्ष 2005 में भुगतान किया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ के चयनित ग्रामों के विकास सम्बन्धी कार्यों की जानकारी

18--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2003-04 से अब तक चयनित समग्र ग्राम जो विधान सभा क्षेत्र पट्टी से संबंधित ग्राम ढिढुयी, दाउदपुर, डेईडीह, धोरहरा, नेवादा, धूती, रसूलपुर हैदरपुर, अस्थरा, पर्वतपुर, सुलेमान, दरघुटचैरैया, पूरबवटी, गहरौली, धरौली, मधुपुर, असुढ़ी, इटहरा, मलाक, मडरामऊ, डाही, सेतापुर तथा अन्य में मार्गों के नवीनीकरण, नव निर्माण, सुदृढ़ीकरण तथा सी0 के0 विद्यालय, कुम्हारी पट्टा में शेष विद्युतीकरण कार्य खड़ंजा निर्माण, नाली निर्माण का कार्य कराकर पूर्ण संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक करा दिये जायेंगे ?

अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)--

जी नहीं।

समग्र ग्राम्य विकास योजना में विद्युतीकरण कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है।

सीमित संसाधन।

समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद राय बरेली जिले के अन्तर्गत थाना भदोखर ग्राम की बेवा राम किशुन के हरिजन उत्पीड़न विषयक शिकायती-पत्र पर जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

19--श्री अक्षयवर लाल गौड़--

क्या सरकार को जानकारी है कि राय बरेली जिले के अन्तर्गत थाना भदोखर ग्राम की रामरानी बेवा रामकिशुन के हरिजन उत्पीड़न विषयक शिकायती-पत्र पर जांच करने का आदेश गृह विभाग उ0 प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 536 ख/छ:-पु0-4-2005, दिनांक 16-10-2005 को

पुलिस अधीक्षक, राय बरेली को दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

जांच में पाया गया कि वादिनी श्रीमती रामरानी द्वारा तहरीरी सूचना के आधार पर दर्ज कराये गये मु0 अ0 सं0-111/2005 धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0 व 3(1)10 एस0 सी0/एस0 टी0 ऐक्ट बनाम राम प्रकाश तिवारी व अन्य थाना भदोखर, जनपद राय बरेली में विवेचनोपरान्त साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट दिनांक 15-10-05 को मा0 न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद चित्रकूट के ग्राम गढ़चपा, थाना मानिकपुर की पुलिस चौकी प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

20--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के तहसील कर्वी के विकास खण्ड मानिकपुर के अन्तर्गत ग्राम गढ़चपा, थाना मानिकपुर की पुलिस चौकी प्रभारी, सरैया द्वारा पहतरा कि हरी पुत्र छेदी लाल, बच्चा पुत्र राम खिलावन को दिनांक 3-8-2005 को गोविन्द सिंह चौकी प्रभारी, सरैया द्वारा लाठियों से मार कर लहू लुहान कर दिया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बेकसूर उक्त दलितों को मारने वाले चौकी प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री हरी शंकर पुत्र छेदी लाल, बच्चा पुत्र रामखिलावन निवासीगण पहरतरा, मजरा गढ़चपा, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट के साथ चौकी प्रभारी श्री गोविन्द सिंह यादव, चौकी सरैया , थाना मानिकपुर द्वारा मारपीट नहीं की गयी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

21--श्री मुकुट बिहारी वर्मा--

[दि0 15 फरवरी, 2006 को अता0 प्र0 सं0 36 द्वारा उत्तरित।]

डी0 ए0 वी0 कालेज परिसर, ऐशबाग रोड, लखनऊ में अवैध डेरी हटाने की मांग

22--श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि डी0 ए0 वी0 कालेज परिसर, ऐशबाग रोड, लखनऊ में अवैध रूप से एक डेरी का संचालन किया जा रहा है जिसके कारण गंदगी से मच्छरों का प्रकोप है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डेरी को हटाने हेतु आवश्यक निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी, हां।

जी, हां।

दिनांक 26-12-2005 को डी0 ए0 वी0 कालेज परिसर में श्री सिराज डेरी चलाते पाये गये मौके पर 02 गाय पायी गयी उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बन्द करा दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित राजाजीपुरम् कालोनी के सेक्टर 5, 6 एवं 13 में सड़कों पार्कों का निर्माण एवं रख-रखाव नगर निगम द्वारा कराया जाना

23--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर निगम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित राजाजीपुरम् कालोनी के सेक्टर 5, 6, एवं सेक्टर 13 में आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित सभी भवनों एवं भूखण्डों को क्या नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उन सेक्टरों में सड़कों एवं पार्कों का निर्माण एवं रख-रखाव नगर निगम द्वारा कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

सेक्टर 5, 6 एवं 13 का आंशिक भाग ही अभी नगर निगम, लखनऊ को केवल रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित है। उक्त हस्तान्तरित क्षेत्र में ही नगर निगम, लखनऊ द्वारा कार्य कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

शहरी क्षेत्र के विधायकों के क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों को लगाने हेतु जल निगम को धनराशि उपलब्ध कराने की मांग

24--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर निगम विकास मंत्री को जानकारी है कि शहरी क्षेत्र के विधायकों के विधान सभा क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2004-2005 तथा 2005-2006 में विधायक कोटे के अन्तर्गत नये दो सौ इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने के लिये विधायकों से स्थानों की सूची जल निगम द्वारा मांगी गयी है ? यदि हां, तो हैण्डपम्पों के लिये कब तक धनराशि जल निगम को उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हा।

हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन तथा रिबोर के लिये रिवाल्विंग फण्ड से स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक ,उ0 प्र0 जल निगम के पी0 एल0 ए0 में है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरण करने के पूर्व ऋण की औपचारिक मांग/सहमति जिलाधिकारी द्वारा संबंधित निकाय से प्राप्त करने के

उपरान्त ही शासन की अनुमति से पी0 एल0 ए0 से आहरित कर जल निगम की संबंधित इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 16-09-05 द्वारा स्वीकृत रु0 3,508.17 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग की सहमति से अब तक विभिन्न शासनादेश द्वारा कुल रु0 1075.145 लाख की धनराशि जल निगम के पी0 एल0 ए0 से आहरित करने की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 1718.40 लाख के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 17-03-06 द्वारा रु0 616.21 लाख जल निगम के पी0 एल0 ए0 से आहरित करने की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। जैसे-जैसे अन्य प्रस्ताव प्राप्त होंगे उन पर वित्त विभाग की सहमति से कार्यवाही कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान हेतु नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन कार्कश यूटीलाइजेशन प्लाण्ट , हैदरगंज, लखनऊ को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

25--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान हेतु लखनऊ नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन कार्कश यूटीलाइजेशन प्लाण्ट, भमरौली वार्ड न्यू हैदरगंज, लखनऊ को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

स्थानीय निवासियों/क्षेत्रीय सभासद/जन प्रतिनिधियों के विरोध के कारण उक्त पशु बधशाला को स्थानान्तरित करने पर विचार किया जा रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना, कानपुर रोड के भूखण्डों के ले-आउट प्लान की स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी

26--श्री शिव तपस्या पासवान--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, कानपुर रोड, लखनऊ के अन्तर्गत एस 460 से एस0 480 तक भूखण्डों का ले-आउट प्लान स्वीकृति विषयक श्री जगदीश नारायण राय, सभापति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का पत्र संख्या 555, दिनांक 05 अक्टूबर, 2005 मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर, लखनऊ को उनके कार्यालय के प्राप्ति संख्या 710/यू0 पी0/05 पर दिनांक 6 अक्टूबर, 2005 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूखण्डों के ले-आउट प्लान की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नही, तो कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की बन्द सहकारी समितियों को पुनः संचालन कराने की मांग

27--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी सहकारी समितियां बन्द है ? क्या मंत्री जी बन्द सहकारी समितियों को पुनः संचालन की व्यवस्था करायेंगे ? क्या इस सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ, उ0 प्र0 के प्रदेश मंत्री/प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह का पत्रांक 1267/भा0 म0 संघ/दिनांक 22-12-02, पत्रांक 1266/22-12-02 व पत्रांक 1184/दि0 28-11-03 तथा पत्रांक 858/दि0 19-8-03 मा0 मंत्री जी, आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़, जिला सहायक निबन्धक, आजमगढ़ तथा निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार आजमगढ़ जनपद के माटीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत लसड़ाखुर्द से संबंधित ग्रामों कोहरौली, कुम्भ पिछौरा के किसानों को सहकारी समिति से खाद-बीज आदि का वितरण प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

प्रदेश में 1668 सहकारी समितियां बन्द हैं।

जी हां।

प्रश्नगत उल्लिखित पत्रांक 858, दिनांक 19-8-03 तथा पत्रांक 1184, दिनांक 28-11-03 प्राप्त हुए हैं।

बन्द समिति लसड़ाकला के कृषकों को उर्वरक/बीज की सुविधा निकट की समिति नवे से सम्बद्ध कर कृषि निवेश की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। भीरा समिति सक्रिय है जो कृषकों को उर्वरक/बीज उपलब्ध करा रही है।

जी हां।

वर्ष 2005-06 में रबी अभियान में उर्वरक का वितरण नगद मल्य पर कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के खेखड़ा कस्बे में प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था

28--श्री मदन भैया--

क्या पर्यावरण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बागपत के खेखड़ा कस्बे में नियमों का उल्लंघन करके बिना ई0 टी0 पी0 लगाये व प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था किये अनेकों उद्योग संचालित किये जा रहे है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके जांच कराकर कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री उज्ज्वल रमण सिंह)--

जनपद बागपत के कस्बा खेखड़ा में कुल 24 उद्योग स्थापित हैं। जिनमें से 09 उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। 01 उद्योग में प्रदूषण का स्रोत शून्य है । 03 उद्योग स्वतः

बन्द हैं। शेष 11 उद्योगों में से 10 उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। शेष 01 उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है

उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के मंडौला कस्बे के किसानों की भूमि का मुआवजा आवास विकास से दिलाने की मांग

29--श्री मदन भैया--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजियाबाद के मंडौला कस्बे के किसानों की अधिग्रहीत भूमि का आवास विकास परिषद् पर कितना मुआवजा लम्बित है ? मुआवजे का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद की दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गाजियाबाद में मंडौला कस्बे के किसानों की भूमि समाविष्ट है। प्रस्तावित योजना की धारा 31 (2) एवं धारा 7/17 की स्वीकृति दिए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है। धारा 7/17 की स्वीकृति के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्यापित), गाजियाबाद की मांग प्राप्त होने पर उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में बना सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट को ठीक कराने की मांग

30--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में बना सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट सुचारु रूप से चल रहा है। ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त प्लाण्ट को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजमा खां--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल निगम को जल संस्थान में विलय करने की मांग

31--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या इसका विलय जल संस्थान में करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल निगम सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की संस्था है, जबकि जल संस्थान मात्र नगरीय/क्षेत्रीय संस्थान है। प्रदेश स्तर की संस्था का क्षेत्रीय स्तर की संस्था में विलय किया जाना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है।

जल निगम के कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान किये जाने की योजना सम्बन्धी जानकारी

32--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम के कर्मचारियों को पिछले कितने माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है ? कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान किये जाने हेतु सरकार क्या योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

वित्तीय वर्ष 2005-2006 में कर्मचारियों को विगत वर्ष के 4 माह के अवशेष वेतन के साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के 05 माहों का वेतन कुल मिला कर 9 माह का वेतन दिया जा चुका है। इस प्रकार एक माह का वेतन प्रतिमाह वितरण किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों से प्राप्त होने वाले सेन्टेज से वेतन भुगतान की योजना है ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच

33--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरीपुर बरदेत्तर का निर्माण कार्य उ0 प्र0 जल निगम की सी0 एन0 डी0 एस0 यूनिट, अमेठी जनपद-सुल्तानपुर द्वारा कब से शुरू किया गया था और अब तक कितना कार्य किया गया ? क्या कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु शासन द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को कोई निर्देश दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरीपुर बरदेयता का निमार्ण कार्य उ0 प्र0 जल निगम की सी0 एण्ड डी0 एस0 इकाई, अमेठी द्वारा माह सितम्बर, 2004 में प्रारम्भ किया गया था और वर्तमान में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष्य लगभग 60 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

जी हां।

सामग्री की जांच सैम्पुल टेस्टिंग सरकारी संस्था, सुल्तानपुर से करायी गयी। परिणाम संतोषजनक पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता।

टिकैतराय सचिवालय कालोनी, लखनऊ में लगे बिजली के खम्भों पर लाइट ठीक कराने की मांग

34--श्री राम करन आर्य--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिकैतराय सचिवालय कालोनी, लखनऊ के आवास संख्या आर0 एस02/293 के सामने बने बिजली के पोल पर लाइट खराब है तथा पार्क के चारों तरफ पोलों पर लाइट नहीं जलती है जिससे अंधेरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कालोनी में लगे बिजली के खम्भों पर लाइट ठीक कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजाम खां--

जी हां।

टिकैत राय सचिवालय कालोनी, लखनऊ का हस्तान्तरण अभी तक नगर निगम को नहीं किया गया है। इस आवासीय कालोनी के रख-रखाव का कार्य राज्य सम्पत्ति विभाग/विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा किया जाता है । मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्न में उठायी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश प्रमुख सचिव, आवास व शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत घाटे में चल रहे उपक्रमों को बन्द कराने की मांग

35--श्री राम करन आर्य--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित कौन-कौन से उपक्रम वर्तमान समय में घाटे में चल रहे है ? क्या उनको बन्द करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त उपक्रमों को कब तक बन्द कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम संचालित है, जो घाटे में नहीं चल रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर स्थित नवीन मार्केट में ट्रीट रेस्टोरेन्ट के मालिक द्वारा फुटपाथ पर बनाये गये अनाधिकृत निर्माण के गिराने की मांग

36--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर स्थित नवीन मार्केट में ट्रीट रेस्टोरेन्ट के मालिक द्वारा फुटपाथ पर कब्जा करके रेस्टोरेन्ट की रसोई बना ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनाधिकृत निर्माण गिराये जाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

नवीन मार्केट स्थित दुकान संख्या 90 (ट्रीट रेस्टोरेन्ट) के बगल से लगी हुयी भूमि (28.44) वर्ग मीटर ट्रीट रेस्टोरेन्ट के मालिक को नगर निगम कार्यकारणी/सदन की स्वीकृति के पश्चात् नगर निगम द्वारा दिनांक 02-05-2000 को आवंटित की गयी है जिस पर रसोई बनाई गयी है।

चूंकि आवंटन नगर निगम कानुपर द्वारा किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन के आवास अनुभाग-3 के पत्र संख्या 7213/9 आ 3-2002-44 पुन/2001, दिनांक 09 अक्टूबर, 2002 के द्वारा परीक्षण उपरान्त आदेश यथावत् लागू रखे जाने हेतु आदेशित किया गया है। अत: अनाधिकृत न होने के कारण गिराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ नगर निगम की पशुवधशाला की जांच व कृत कार्यवाही की जानकारी

37--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर निगम में पशुवधशाला का वर्ष 2005-06 के अल्पकालिक अवधि का ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो उसकी अवधि कब समाप्त हुई ? क्या यह सही है कि अल्पकालिक ठेका समाप्त होने के बाद क्या नया ठेका अब तक नहीं दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पुराने ठेका की शर्तो का पूर्ण पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मेरठ नगर निगम में पशुवधशाला का वर्ष 2005-06 के अल्पकालिक अवधि के लिये ठेका दिनांक 09-01-05 से 30-09-05 तक दिया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 30-09-05 को समाप्त हो गयी थी।

जी हां। किन्तु रिट याचिका संख्या 1315/2006 हाजी मोहम्मद इमरान बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-01-06 के अनुपालन में दिनांक 01-10-05 से 31-03-06 के लिये पूर्व ठेकेदार द्वारा ही कार्य किया जा रहा है।

जी नहीं।

इसकी जांच आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ से करायी जा रही है। जांच की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रदेश में दलित उत्पीड़न के रोकथाम की योजना

38--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जनवरी, 05 से 15 नवम्बर, 05 तक कितने दलित उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आये हैं ? क्या यह सही है कि पिछले वर्ष की तुलना में उक्त अवधि में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिये क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत जनवरी, 2005 से 15 नवम्बर, 2005 तक कुल 2932 मामले पंजीकृत हुए।

वर्ष 2004 तथा 2005 में जनवरी से 15 नवम्बर की अवधि में प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों के तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत है :--

अपराध का प्रकार	2004	2005
1--हत्या	275	238
2--गम्भीर चोट	288	339
3--बलात्कार	221	214
4--आगजनी	42	57
5--अन्य भा0 दं0 वि0	1611	2084
योग ...	2437	2932

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि गम्भीर चोट, आगजनी एवं भा0 दं0 वि0 के अपराधों में आंशिक वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्पीड़न की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (अत्याचार निवा0) अधि0, 1989 वर्ष 1990 से तथा अजा0/अजजा0 (अत्या0 निवा0) नियमावली, 1995 वर्ष 1995 से प्रभावी है।

उक्त अधिनियम तथा नियमावली, के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेष जांच प्रकोष्ठ मुख्यालय, लखनऊ में स्थापित है तथा प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष जांच प्रकोष्ठ कार्यरत है। अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों की त्वरित निस्तारण हेतु प्रदेश में 40 जनपदों में विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है।

अधिनियम के प्राविधानों के प्रचार-प्रसार हेतु तथा प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के अन्तर्गत नालों में जमा सिल्ट एवं कूड़े की सफाई कराने विषयक पत्र

39--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत नालों में जमा सिल्ट एवं कूड़े की सफाई कराने के सम्बन्ध में श्रीमती सुनीता सिंघल, सभासद का पत्र दिनांक 31-5-2005 एवं 31-10-2005 महापौर एवं नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

वर्ष 2005-06 नाला सफाई कार्य के लिये प्रत्येक कक्ष समितिवार 20-20 सफाई श्रमिक 60 कार्य-दिवस हेतु उपलब्ध कराये गये थे, जिनसे नालों में जमा सिल्ट की सफाई करायी गयी थी। संदर्भित फूलबाग नाले एवं घसियारी मण्डी की सफाई अभियंत्रण विभाग द्वारा ठेके से कराई गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ एवं गाजियाबाद में सीवर लाइन की समस्या विषयक पत्र

40--श्री नरेश शिशौदिया--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ एवं गाजियाबाद में सीवर लाइन बन्द हो जाने विषयक श्रीमती सुनीता सिंघल, सभासद, लखनऊ नगर निगम का पत्र दिनांक 10-10-2005 एवं 31-10-2005 जो कि अध्यक्ष/महाप्रबन्धक/अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, लखनऊ को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां, उक्त पत्र केवल लखनऊ में सीवर लाइन की समस्या से सम्बन्धित थे न कि गाजियाबाद की सीवर लाइन समस्या से सम्बन्धित ।

श्रीमती सुनीता सिंघल के पत्र में वर्णित स्थल पर सूडा द्वारा सीवर लाइन डाले जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के थाना नकुड, गंगोह में युवतियों को अगवा करने सम्बन्धी प्रकरण

41--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर के थाना नकुड गंगोह में जनवरी, 2005 से मार्च, 2005 तक युवतियों को अगवा करने के कितने मामलों में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ? कितने अपहरणकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार करके युवतियों को बरामद किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद सहारनपुर के थाना नकुड तथा गंगोह में जनवरी, 2005 से मार्च, 2005 तक युवतियों को अगवा करने के 11 मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

12 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पुलिस ने 10 युवतियों को बरामद किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के गांवों में फ्लोराइडयुक्त भूमिगत पानी पीने से हो रही अपंगता की जानकारी

42--डा0 सुशील चौधरी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फ्लोराइडयुक्त भूमिगत पानी पीने से जनपद सोनभद्र के गांव रोहिनिया दामर, झिरगाडंडी, कुड़वा, कचनरवां ग्राम सभा समेत अन्य गांवों के हजारों की संख्या में लोग अपंगता की चपेट में आ गये हैं ? यदि हां, तो सरकार शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ के पुलिसकर्मी / अधिकारियों से उनके स्थानान्तरण /सेवानिवृत्त के उपरान्त सरकारी आवास खाली कराने की मांग

43--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में श्री के0 एम0 रायजादा द्वारा दायर याचिका संख्या 987/2003 में उच्चे न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों /अधिकारियों को स्थानान्तरण या सेवानिवृत्त होने के एक माह के अन्दर सरकारी आवास खाली करना होगा ? यदि हां, तो उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में जनपद लखनऊ के कितने पुलिसकर्मी/पुलिस अधिकारियों से सरकारी आवास कर्मचारियों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त होने के बाद निर्धारित समय अवधि में खाली कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

विशेष अपील संख्या-987/2003 के0 एम0 रायजादा बनाम नगर आयुक्त नगर निगम, अलीगढ़ व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा दिनांक 30-9-2003 को पारित आदेश में सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों को स्थानान्तरण या सेवानिवृत्त होने के एक माह के अन्दर सरकारी आवास खाली कराने के निर्देश दिये गये हैं।

जनपद लखनऊ के थाना/पुलिस लाइन परिसर के सरकारी आवासों में से 41 आवास खाली कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पाइपों को ठीक कराने की व्यवस्था

44--श्री कौशल किशोर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पाइपों को ठीक कराने की कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

दिनांक 01-04-2002 से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के खराब-रखाव का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक एवं आवासीय भू-खण्डों के आवंटन की नीति निर्धारण

45--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक एवं आवासीय भू-खण्डों के आवंटन की कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा कृष्ण विहार वाणिज्य एवं आवासीय कालोनी ए एवं एए में इसका पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

वाणिज्यिक भूखण्डों को आवंटन नीलामी पद्धति से तथा आवासीय भूखण्डों का पंजीकरण खोलकर प्राप्त आवेदनों पर लाटरी ड्रा द्वारा किया जाता है। ऐसी आवासीय सम्पत्तियां, जिनका निस्तारण नहीं हो पाता है, उनके निस्तारण हेतु "प्रथम आओ--प्रथम पाओ" का विज्ञापन देकर ही निस्तारित किया जाता है।

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण की कृष्ण विहार आवासीय योजना में विभिन्न समाचार-पत्रों एवं विभिन्न तिथियों में विज्ञापन देकर दिनांक 10-09-03 से 10-01-04 तक की अवधि में पंजीकरण कराये गये थे। पंजीकरण आवेदनों पर दिनांक 03-03-04 को लाटरी ड्रा निकालकर आवंटन किया गया था। लाटरी ड्रा की सूचना विधिवत् सभी पंजीकृत आवेदकों को पत्र द्वारा तथा समाचार-पत्रों में सूचना प्रकाशित कराकर दी गयी थी। लाटरी ड्रा में 691 आवेदकों ने भाग लिया, जिसमें से 566 आवेदकों को लाटरी ड्रा में सफलता प्राप्त हुई, जिनको आवासीय भूखण्ड आवंटित किये गये। वाणिज्यिक भूखण्डों को विभिन्न तिथियों में नीलाम किया गया। नीलामी द्वारा 51 वाणिज्यिक भूखण्डों, जो ए एवं एए के थे, का आवंटन किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में विकास खण्ड माल के चयनित समग्र गांवों को पूर्ण रूप से संतृप्त किये जाने सम्बन्धी जानकारी

46--श्री कौशल किशोर--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में वर्ष 2004-2005 में विकास खण्ड-माल के चयनित समग्र गांव दलथम्भा, ससपन, विकास खण्ड-मलिहाबाद के गांव तिलसुवा, बख्तियार नगर, कहला, मण्डौली, फतेहनगर, मनकोटी, विकास खण्ड-काकोरी के गांव बंशीगढ़ी व सैया को पूर्ण रूप से संतृप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

जी हां। जून, 2005 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ग्राम पंचायत हसनापुर में खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की मांग

47--श्री कौशल किशोर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत हसनापुर, ब्लाक माल, जनपद लखनऊ 8 इण्डिया मार्का हैण्डपाइप खराब हैं ? यदि हां, तो उक्त इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप कब तक ठीक करके चालू करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड-माल के हसनापुर में वर्तमान में 08 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हैं।

स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में रिबोर किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विसरात घाट, तिलक पार्क व गर्रा घाट के लिए प्रस्तावित धन की जानकारी

48--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2004-05 में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर के विसरात घाट के लिए 6 लाख, तिलक पार्क के लिए 3 लाख तथा गर्रा घाट के लिए 5 लाख रुपया सोलर लाइटों के लिए प्रस्तावित धन को नियोजन विभाग के मूल्यांकन प्रभाग द्वारा कटौती करके क्रमश: 5,69 लाख 2,32 लाख 4,64 लाख कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रभाग द्वारा इन तीनों कार्यों के आगणनों का वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 27-2-97 के आधार पर परीक्षण करके नियमानुसार कटौती की गयी है।

जनपद शाहजहांपुर के सिपाहियों का अन्यत्र स्थानान्तरण कर कार्यमुक्त किये जाने का प्रकरण

49--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण आदेश शासन या मण्डल स्तर पर होने के बाद इनका अनुपालन कितने दिन में किये जाने की नीति है ? जनपद शाहजहांपुर से कितने सिपाहियों का स्थानान्तरण पिछले 2 माह में शाहजहांपुर से बाहर अन्यत्र किया गया ? उनमें से कितने सिपाही कार्यमुक्त कर दिये गये हैं ? कितने शेष हैं तथा उन्हें कार्यमुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन किये जाने के संबंध में स्थानान्तरण आदेश के अनुरूप कार्यमुक्त किये जाने का प्राविधान है।

माह अक्टूबर से माह दिसम्बर तक 17 आरक्षी ना0 पु0 एवं 4 आरक्षी सशस्त्र पुलिस को जनपद शाहजहांपुर से अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है।

इनमें से 10 आरक्षियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। 11 आरक्षी कार्यमुक्त होने शेष हैं। वर्तमान में स्वीकृत नियतन से सशस्त्र पुलिस में 122 तथा नागरिक पुलिस में 123 कम आरक्षी उपलब्ध होने के कारण इन्हें अभी कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता है। जनपद शाहजहांपुर की रिक्तियों को पूरा करते हुए स्थानान्तरित आरक्षियों को कार्यमुक्त करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय स्तर से संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।

50--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

[दि0 15 फरवरी, 2006 के अता0 प्र0 सं0-37 द्वारा उत्तरित]

सदर बाजार, कैण्ट, लखनऊ के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें की जानकारी

51--डा0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सी0आर0पी0सी0 की धारा 2 (जी) में पुलिस को किसी के प्रार्थना-पत्र पर जांच करने का अधिकार नहीं है ? तो क्या सरकार बतायेगी कि 25/03/2004 एवं 8/4/2004 को थाना कैण्ट में प्राप्त श्री आर0एस0 राजौरिया, 62 रामदास का हाता, सदर बाजार, कैण्ट, लखनऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्रों की उपनिरीक्षक द्वारा जांच की गई थी ? यदि हां, तो उक्त सी0आर0पी0सी0 की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना करने के स्थान पर जांच का औचित्य क्या है ? क्या सरकार दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 219 के तहत मुकदमा पंजीकृत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सी0आर0पी0सी0 की धारा 2 (जी) केवल परिभाषिक है, इस धारा में पुलिस को किसी प्रार्थना-पत्र पर जांच का अधिकार है या नहीं, का कोई उल्लेख नहीं है।

श्री आर0 एस0 राजौरिया, 62 रामदास का हाता, सदर बाजार, कैंट, लखनऊ का प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-3-04 थाना-कैण्ट पर प्राप्त हुआ था, किन्तु दिनांक 8-4-04 का प्रार्थना-पत्र थाना कैण्ट पर प्राप्त होना नहीं पाया गया। उक्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित शिकायत के बारे में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0-144/04 धारा 452/506 भा0द0वि0 श्री आर0एस0 राजौरिया बनाम श्रीमती जुबैदा खातून उर्फ गुड्डी व मो0 इस्माइल, आदमनगर, अलमबाग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक द्वारा दिनांक 13-7-04 को जुर्म खारिज के साथ अन्तिम रिपोर्ट द्वारा विवेचना समाप्त की गयी। श्री आर0एस0 राजौरिया के पुनः अनुरोध पर विवेचना पुनः थाना ठाकुरगंज के उपनिरीक्षक से करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

श्री श्रीकान्त राय, कांस्टेबिल को न्याय प्रदान किये जाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र

52--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीकान्त राय, कांस्टेबिल नं0-1852 को बिना कारण बताये सन् 1982 से [illegible] से रोक रखा है एवं दो दशक से अधिक समय बीतने के उपरान्त भी न्याय प्रदान न [illegible] संबंधी मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 05 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के आदेश संख्या-आर0 536/82, दिनांक 5-6-82 द्वारा कांस्टेबिल के प्रार्थना-पत्र पर उनका त्याग-पत्र स्वीकृत किया गया है। उक्त आख्या को दृष्टिगत रखते हुए मामले में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला लखनऊ की राजाजीपुरम् निवासी श्रीमती पुष्पा अग्रवाल के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

53--श्री प्रागी लाल--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, निवासी ई-3494, राजाजीपुरम, लखनऊ का शिकायती-पत्र दिनांक 22-10-05 जो लखनऊ में राजाजीपुरम् ई-ब्लाक स्थित मार्केट में दुकान संख्या-191 से दुकान संख्या-219 के बीच अवैध रूप से सार्वजनिक सड़क के ऊपर से स्लैब डालकर रास्ता बनाये जाने के संबंध में है, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-12, उ0 प्र0 आवास विकास परिषद्, वृन्दावन योजना, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

राजाजीपुरम् स्थित ई-ब्लाक मार्केट, उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित व्यावसायिक परिसर है संदर्भित क्षेत्र की सड़कें, नालियां एवं पार्क आदि केवल अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित हैं। प्रश्नगत अवैध निर्माण के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण करके अवैध निर्माण पाये जाने की दशा में उसे नियमानुसार हटवाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

54--डा0 सुशील चौधरी--

[दि0 16 फरवरी, 2006 के अता0 प्र0 सं0-63 द्वारा उत्तरित]

55--श्री बृजेन्द्र व्यास उर्फ डमडम महाराज--

[दि0 1 मार्च, 2006 के अता0 प्र0 सं0-12 द्वारा उत्तरित]

जिला लखनऊ की टिकैतराय सचिवालय कालोनी के आवासीय भवनों की रंगाई, पुताई आदि के टेण्डर की जानकारी

56--श्री रामकरन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिकैतराय सचिवालय कालोनी, लखनऊ के आवासीय भवनों की पुताई व दरवाजे आदि लगाने का कार्य एक ही ठेकेदार को दे दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसका खुला टेण्डर डलवाकर पुताई आदि का कार्य देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी पंजीकृत ठेकेदारों को टेण्डर डालने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

छठ सूर्यषष्ठी पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग

57--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार जनमानस की भावनाओं को देखते हुए छठ सूर्यषष्ठी पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

सार्वजनिक अवकाशों की वर्तमान में पर्याप्त संख्या के दृष्टिगत और अधिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

आपराधिक मुकदमों में लिप्त व्यक्तियों से गनर व शैडो वापस लेने की मांग

58--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर में ऐसे कितने व्यक्तियों को गनर व शैडो की सुविधा प्राप्त है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमें पंजीकृत हैं ? क्या सरकार ऐसे लोगों से गनर व शैडो वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर की सूचना के अनुसार जनपद कानपुर नगर में वर्तमान में पूर्व मा0 सांसद/ राज्य सभा सदस्य/विधायक/सदस्य, विधान परिषद्, व शा0 सं0 1773/छ-पु-2-2001-700 (1) /01, दिनांक 25-4-2001 के प्रस्तर-3 के प्राविधानों को छोड़कर कुल 15 महानुभावों को गनर/शैडो की सुविधा उपलब्ध थी जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमें पंजीकृत हैं।

हां। प्रदत्त गनर/शैडो वापस ले लिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गनर व शैडो उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

59--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गनर व शैडो उपलब्ध कराये गये हैं तथा ऐसे कितने लोग जिनको स्थानीय स्तर पर गनर व शैडो बिना शासन के निर्देशों पर दिया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद कानपुर नगर में शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप 149 महानुभावों को गनर व शैडो उपलब्ध कराये गये हैं।

जनपद कानपुर नगर में 5 महानुभाव को शासनादेश संख्या 1773/छ--पु-2-ग-700 (1)/01, दिनांक 25-4-01 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गनर व शैडो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराये गये हैं।

लखनऊ के नरही वार्ड में ट्यूब लाइट व हाई माक्ट लाईट लगाये जाने विषयक पत्र की जानकारी

60--श्री राम करन आर्य--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अतुल यादव बन्टू, सभासद, नरही वार्ड, लखनऊ का पत्र संख्या-100, दिनांक 27-9-05 जो नरही वार्ड में ट्यूब लाइट लगाने तथा पत्र संख्या-111, दिनांक 7-11-05 जो हाई माक्ट लाईट लगाये जाने विषयक था, नगर आयुक्त, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

स्थलीय निरीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, परन्तु धनाभाव के कारण कार्य नहीं हो सका।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के नरही वार्ड में सोडियम लाइट लगाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

61--श्री राम करन आर्य--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अतुल यादव बन्टू, सभासद, नरही, लखनऊ का पत्र संख्या 100, दिनांक 2-11-04 जो नरही वार्ड, लखनऊ में सोडियम लाईट लगाये जाने विषयक भेजा गया था, नगर आयुक्त, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

जी हां, 07 संख्या में सोडियम फिटिंग लगवायी जा चुकी हैं।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ सभासद, श्री अतुल यादव बन्टू का नरही बाजार क्षेत्र में मार्ग को बनाये जाने विषयक पत्र

62--श्री राम करन आर्य--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतुल यादव बन्टू, सभासद; नरही, लखनऊ का पत्र संख्या 110 जो नरही बाजार क्षेत्र में मार्ग का बनाये जाने विषयक था, दिनांक 7-11-05 को नगर आयुक्त, लखनऊ को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

प्रश्नगत कार्य का व्ययानुमान तैयार कर लिया गया है, जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगवाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

63--श्री कौशल किशोर--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शिवपाल, निवासी न्यू आदर्श पुरम् कालोनी, बरौरा हुसैन बाड़ी, विकास पब्लिक स्कूल के पीछे वाली गली, बालागंज, लखनऊ का पत्र दिनांक 29-9-2005 श्री कौशल किशोर, स0 वि0 सभा के पत्र सहित जो 2 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपाईप लगवाये जाने के संबंध में था, मुख्य नगर आयुक्त, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं। तथापि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-9-2005 के साथ श्री शिवपाल एवं अन्य द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 21-9-2005 प्राप्त हुआ है, जिसमें 3 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाने का अनुरोध किया गया है। मा0 प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र में किये गये अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में मा0 विधायक से यह अनुरोध किया गया है कि वह प्रश्नगत 3 हैण्डपम्प को अपने कोटे के अन्तर्गत लेने तथा स्थल का प्रस्ताव देने का कष्ट करें, ताकि मा0 विधायक द्वारा अपेक्षित 3 हैण्डपम्प विधायक कोटे के अन्तर्गत लगवाये जा सकें।

जनपद बांदा, ग्राम बजरंगपुर, थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग

64--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा के अन्तर्गत ग्राम बजरंगपुर, थाना अतर्रा में अ0 सं0 66/05, धारा 323, 504, 506 भा0द0स0 व एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत दिनांक 2-6-2005 को पंजीकृत कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त मामले में कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव --

जी हां। दिनांक 2-6-2005 को शिवभवन पुत्र राम आसरे चमार, नि0 बजरंगपुर, मजरा नगवारा, थाना अतर्रा, जनपद बांदा द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार थाना अतर्रा में मु0अ0सं0-66/05 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व 3 (1) 10 एससी/एसटी ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना प्रश्नगत अभियोग में धारा 302/325 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा 3(1)10 एससी/एसटी ऐक्ट को 3(2)5 एससी/एसटी ऐक्ट में तरमीम किया गया।

प्रश्नगत अभियोग में नामजद तीन अभियुक्तों को दिनांक 04-06-2005 को विवेचक द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचनोपरान्त अन्तर्गत धारा 302/325/323/504/506 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आरोप प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र दिनांक 20-07-2005 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद लखनऊ में दलित उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार की रोकथाम के उपाय

65--डा0 सुशील चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ में दलित उत्पीड़न, हत्या, राहजनी, बलात्कार, डकैती के कितने मामले 1 जनवरी, 2002 से 15 नवम्बर, 2005 तक दर्ज किये गये हैं ? इसकी रोकथाम के लिये सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद लखनऊ में दिनांक 1 जनवरी, 2002 से 15 नवम्बर, 2005 तक दलित उत्पीड़न के 463, हत्या 660, राहजनी 218, बलात्कार 150 तथा डकैती के 31 मामले पंजीकृत हुये हैं।

अपराधों की रोकथाम हेतु समस्त क्षेत्र में व्यापक गश्त व पिकेट लगाए गये हैं। अपराधियों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। विवादों को चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही तथा लूट/डकैती के प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास एवं सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु सभी प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिये गये हैं।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

आर0 एस0 जे0 1/12 सेक्टर जे0 अलीगंज लखनऊ में बिजली मरम्मत के कार्यों की जानकारी

66--श्री राम करन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास संख्या आर0एस0जे0 1/12 सेक्टर जे0 अलीगंज, लखनऊ में बिजली/वायरिंग, मरम्मत कार्य व शौचालय निर्माण कराये जाने विषयक पत्र अधिशासी अभियन्ता, विद्युत, अधिशासी अभियन्ता (सिविल), लखनऊ द्वारा पत्र दिनांक 20-9-05, राज्य सम्पत्ति अधिकारी, अनुभाग-4 को आगणन स्वीकृति हेतु भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त आगणन स्वीकृत न होने का कारण क्या है ? आगणन स्वीकृत कर कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) अनुरक्षण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग से सिविल कार्य हेतु दिनांक 20-09-05 का पत्र/आगणन प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि दिनांक 07-09-05 का पत्र/आगणन-प्राप्त हुआ है जिसकी स्वीकृति शासनादेश संख्या-5138/32-4-05-8एस/2005, दिनांक 02-12-2005 के द्वारा प्रदान की जा चुकी है तथा अधिशासी अभियन्ता (विद्युत), अनुरक्षण खण्ड-1 से विद्युत कार्यों हेतु दिनांक 20-09-05 का पत्र/आगणन प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृति शासनादेश संख्या-5269/32-4-05-8एस/05, दिनांक 27-01-06 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत सिविल/विद्युत कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के चयनित स्थलों पर हैण्डपम्पों के अधिष्ठान तथा रिबोर हेतु रिवाल्विंग फण्ड से प्राप्त धन की जानकारी

67--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ में प्रश्नकर्ता द्वारा चयनित स्थलों की सूची देने के उपरान्त भी वर्ष 2005-06 के लिये शासन द्वारा स्वीकृत इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित तथा रिबोर नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस हेतु आवश्यक धनराशि जल निगम को प्राप्त हो गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन तथा रिबोर हेतु रिवाल्विंग फण्ड से शासनादेश संख्या 1928/नौ-9-05-141ज/05, दिनांक 16-09-2005 द्वारा रु0 3508.17 लाख की धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की गयी है कि स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरण करने के पूर्व ऋण की औपचारिक मांग/सहमति जिलाधिकारी द्वारा संबंधित निकाय से प्राप्त करने के उपरान्त ही शासन की अनुमति से पी0एल0ए0 से आहरित कर जल निगम की संबंधित इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त शर्त के अनुसार पूर्व में नगर निगम, लखनऊ का तत्संबंधी ऋण का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो सका था, जो अब प्राप्त हो गया है।

हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन तथा रिबोर के लिए रिवाल्विंग फण्ड से स्वीकृत धनराशि प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम के पी0एल0ए0 में है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरण करने के पूर्व ऋण की औपचारिक मांग/सहमति जिलाधिकारी द्वारा संबंधित निकाय से प्राप्त करने के उपरान्त ही शासन की अनुमति से पी0एल0ए0 से आहरित कर जल निगम की संबंधित इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 16-09-05 द्वारा स्वीकृत रु0 3508.17 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग की सहमति से अब तक विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रु0 1075.145 लाख की धनराशि जल निगम के पी0एल0ए0 से आहरित करने की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। जिसमें जनपद लखनऊ के रु0 168.37 लाख की धनराशि भी सम्मिलित है।

लखनऊ के सआदतगंज स्थित काला पहाड़ श्मशान घाट में स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने की मांग

68--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के वार्ड सआदतगंज में स्थित काला पहाड़ श्मशान घाट में विगत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत निर्माण कार्यों को क्या नगर निगम, लखनऊ द्वारा पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

एक माह में।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निधि से प्राप्त धन से स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग

69--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधायक निधि वर्ष 2005-06 से 69.410 लाख रुपये के स्वीकृत विकास कार्य कार्यदायी संस्था नगर निगम, लखनऊ द्वारा प्रथम किस्त रुपया 52.010 लाख प्राप्त होने के उपरान्त प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं। कुल 26 कार्य स्वीकृत हैं, जो प्रगति पर हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम बरदनी, चौबारा तक के सड़कों के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने की मांग

70--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा बरदनी, तहसील सोरांव, वि0 खं0 होलागढ़ के अन्तर्गत नेवादा चौराहे से बरनदी होते हुए चौबारा तक सड़क का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

ग्राम सभा बरदनी, तहसील सोरांव, विकास खण्ड होलागढ़ के अन्तर्गत नेवादा चौराहे से बरदनी होते हुए चौबारा तक अर्द्धनिर्मित मार्ग का आंशिक भाग जो बरदनी गांव को लेपित मार्ग से संतृप्त करने हेतु (लम्बाई 1.00 कि0मी0 तथा अनुमानित लागत रु0 30.00 लाख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज-5 के लिये जिला पंचायत द्वारा संस्तुत/अनुमोदित सूची में सम्मिलित किया गया है तथा इसका चयन वरीयता क्रमांक-36 है। प्रश्नगत मार्ग के आंशिक भाग का निर्माण उक्त प्रस्ताव के भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाने तथा धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन जनगणना के आधार पर कराने पर विचार

71--श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर सरकार कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो परिसीमन करने के लिये आधार बिन्दु कौन से हैं ? परिसीमन का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

नगरों में वार्डों को ऐसी रीति से विभाजित किया जायेगा कि यथासम्भव प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या सम्पूर्ण निकाय क्षेत्र की जनसंख्या को वार्डों की संख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाली औसत जनसंख्या के समान हो, यदि अपरिहार्य न हो, तो वार्डों की जनसंख्या का औसत 15% से अधिक न हो। वार्डों की सीमा विस्तार में यथासम्भव भौगोलिक सीमा, पक्की सड़क, रेलवे लाईन या मोहल्ले के नाम से विस्तार किया जाय। एक परिवार के सभी सदस्यों को एक ही वार्ड में रखा जाय। यथासम्भव नवीन वार्डों में पूरे मोहल्ले को रखे जाने का प्रयास किया जाय। वार्ड में एक से अधिक मोहल्ले होने पर उसे एक-दूसरे के सहयुक्त रखा गया है। नये वार्डों के परिसीमन में एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मतदाताओं को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता हो तो यथासम्भव एक मतदेय स्थल से संबंधित सभी मतदाताओं को एक वार्ड में स्थानान्तरित किया जाय, ताकि पूरा मतदेय स्थल एक यूनिट के रूप में दूसरे वार्ड में स्थानान्तरित हो जाय। वार्डों के परिसीमन के पश्चात् किसी नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में वार्डों को इस रीति से संख्यांकित करने के पश्चात् ऐसे क्रम में रखा जायगा कि नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या वाले वार्ड को 01 संख्यांकित किया जायगा और वार्ड संख्या-01 की अपेक्षा अनुसूचित जातियों की कम जनसंख्या वाले वार्ड को 02 संख्यांकित किया जायेगा और शेष वार्डों को इसी प्रकार संख्यांकित किया जायेगा।

शीघ्र ही।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कानपुर नगर को प्रदूषण मुक्त करने की कार्य योजना

72--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार कानपुर नगर को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उज्जवल रमण सिंह--

जी हां। कार्य योजना बनायी गयी है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :

1--वैकल्पिक ईंधन के रूप में ग्रीनगैस लिमिटेड द्वारा मार्च, 2006 तक वाहनों के प्रयोग हेतु सी0एन0जी0 गैस की आपूर्ति प्रारम्भ किया जाना।

2--वाहनों के उत्सर्जन हेतु भारत-2 मानक वाले वाहनों का ही पंजीकरण किया जाना।

3--शहरी क्षेत्र से संचालित वाहनों की अनुमन्य आयु सीमा कम किया जाना तथा पार्किंग और ट्रैफिक सिगनल की व्यवस्था किया जाना।

4--वाहनों हेतु पीयूसी प्रमाण-पत्र तथा वाहनों के जांच हेतु कैम्प लगाया जाना।

5--ईंधन में मिलावट को रोका जाना तथा ईंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना।

6--शहरी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में समुचित नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना करना।

7--वायु गुणवत्ता की जांच हेतु अनुश्रवण व्यवस्था को मजबूत बनाना।

8--अन्य स्रोतों जैसे जनरेटर सेट्स से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल प्रदूषण के संबंध में भारत सरकार से वित्त पोषित गंगा कार्य योजना संचालित की जा रही है इसके प्रथम चरण में निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं :--

(1) 08 सीवेज पम्पिंग स्टेशन।

(2) 02 विद्युत शवदाह गृह।

(3) 04 स्वच्छ शौचालय।

(4) 163 एम0एल0डी0 का घरेलू सीवेज शुद्धीकरण संयंत्र।

(5) 09 एम0एल0डी0 टैनरी उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र।

द्वितीय चरण के अन्तर्गत कानपुर नगर में लगभग 200 एम0एल0डी0 सीवेज के उपचार हेतु शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जापान इण्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी द्वारा तैयार की गयी फिजीबिल्टी रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2015 की आवश्यकता कानपुर नगर में सीवरेज मास्टर प्लांट के अन्तर्गत रुपये 422.28 करोड़ के व्यय का अनुमान किया गया है। इस फिजीबिल्टी रिपोर्ट पर भारत सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

ध्वनि प्रदूषण पर भी नियमानुसार नियंत्रण स्थापित करने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी पर फायर स्टेशन स्थापित किये जाने की मांग

73--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी पर फायर स्टेशन स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

तहसील पट्टी में सीजनल अग्निशमन व्यवस्था है। वर्तमान परिस्थितियों में यहां नये अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के श्री त्रिमोहन, निवासी ग्राम लखीमपुर को उनकी पैतृक भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग

74--श्री राम चन्द्र यादव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-11-05 को प्रश्नकर्ता का पत्र जो श्री त्रिमोहन, निवासी ग्राम लखीमपुर, थाना रुदौली, जनपद बाराबंकी की पैतृक भूमि भू-माफिया द्वारा कब्जा कर लिये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कथित प्रकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-11-05 (न कि 7-11-05) प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच से पाया गया कि आवेदक व विपक्षी रामू पुत्र राम जियावन, निवासी भेलसर, थाना रुदौली, बाराबंकी आपस में सगे पट्टीदार हैं। रामू के हिस्से की भूमि हड़पने की नियत से आवेदक रामू को अपनी परिवार का सदस्य नहीं मानता है। विवादित भूमि के संबंध में मुकदमा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। दोनों पक्षों के मध्य शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना रुदौली की पुलिस द्वारा धारा 107/116 जा0फौ0 की कार्यवाही की जा चुकी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद बाराबंकी निवासी श्री गया प्रसाद यादव, ग्राम मत्था की पैतृक भूमि एवं अन्य सम्पत्ति की फर्जी व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी करके हड़प लिये जाने पर जांच की मांग

75--श्री राम चन्द्र यादव--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 25-10-05 को प्रश्नकर्ता का पत्र श्री गया प्रसाद यादव, निवासी ग्राम मत्था, तहसील रुदौली, जनपद बाराबंकी की पैतृक भूमि एवं अन्य सम्पत्ति को फर्जी व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी करके रजिस्टर्ड वसीयत करा लिये जाने के संबंध में थाना-रुदौली, जनपद बाराबंकी में दर्ज कराये गये मुकदमा अपराध संख्या 130/05 धारा 467/471/420 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-10-05 शासन में तथा पत्र दिनांक 20-10-05 पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को प्राप्त हुआ है।

कथित प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्या के अनुसार आवेदक व विपक्षी के मध्य जमीन व सम्पत्ति की कब्जेदारी के बारे में वसीयत को लेकर विवाद है जिसके संबंध में न्यायालय में वाद विचाराधीन है। प्रकरण में की गयी जालसाजी व कूटरचित वसीयत के संबंध में थाना रुदौली पर मु0अ0सं0 190/05 धारा

467/468/471/419/420 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गया प्रसाद पासी व राम बहादुर ने मा0 उच्च न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया है। अभियोग में साक्ष्य संकलित कर गुण-दोष के आधार पर विवेचना के निस्तारण हेतु जांच अधिकारी द्वारा आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं। पक्षकारों के मध्य शान्ति बनाये रखने हेतु थाना-मवई की पुलिस द्वारा 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही की जा चुकी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

प्रदेश के मुख्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालय कर्मचारियों की भांति मुख्यालय भत्ता दिये जाने की मांग

76--श्री दद्दू प्रसाद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के मुख्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति मुख्यालय भत्ता दिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यालय भत्ता के नाम से कोई भत्ता अनुमन्य नहीं है।

जनपदों में आरक्षण नीति के अनुसार थानाध्यक्षों एवं प्रभारी निरीक्षकों की तैनाती का प्रकरण

77--प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में कितने थाना तथा कोतवाली हैं ? उनमें से कितने में अनुसूचित जाति के थानाध्यक्षों एवं प्रभारी निरीक्षकों को तैनात किया गया है ? क्या आरक्षण नीति के अनुसार तैनाती की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद मेरठ में 15 थाना तथा 13 कोतवाली, सहारनपुर में 15 थाना तथा 6 कोतवाली, मुजफ्फरनगर में 21 थाना तथा 7 कोतवाली, और जनपद गाजियाबाद में 14 थाना तथा 8 कोतवालियां हैं।

जनपद मेरठ में 01, सहारनपुर में 01 मुजफ्फरनगर में 02 तथा गाजियाबाद में 02 थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक अनुसूचित जाति के तैनात हैं।

जी नहीं।

उक्त जनपदों में अनुसूचित जाति के उपयुक्त उप निरीक्षकों/निरीक्षकों की अनुपलब्धता के कारण उक्त वर्ग का कोटा पूर्ण नहीं है। पुलिस महानिरीक्षक मेरठ जोन, मेरठ द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ एवं सहारनपुर को उनके परिक्षेत्र के जनपदों में निर्धारित कोटे के अनुसार प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों की तैनाती हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद बिजनौर की नगरपालिका परिषद् शेरकोट के अध्यक्ष के विरुद्ध अनियमितता की जांच व धनराशि वसूल किये जाने की मांग

78--श्री स्वामी प्रसाद मौर्या--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर की नगरपालिका परिषद् शेरकोट के अध्यक्ष के विरुद्ध अनियमितता की जांच तहसीलदार, धामपुर द्वारा की गई जिसमें वह रु0 24,37,000.00 की धनराशि के गबन के दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा धनराशि की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, शेरकोट के विरुद्ध आरोपों के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा जांच की गई थी जिसमें दो आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये थे। उक्त आरोपों पर नगर पालिका द्वारा तत्समय स्थिति स्पष्ट न कर पाने के कारण गबन की आशंका व्यक्त की गई थी। बाद में उपजिलाधिकारी, धामपुर द्वारा अभिलेखों की छानबीन करने पर गबन का आरोप निराधार पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निकायों में तैनात सफाई मजदूरों का भैंसा चारा भत्ता बढ़ाने की मांग

79--श्री प्रभु दयाल--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्थानीय निकायों में तैनात सफाई मजदूरों का भैंसा चारा भत्ता 10 रु0 प्रतिदिन से बढ़ाकर 50 रु0 प्रतिदिन किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां। प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में वृन्दावन योजनान्तर्गत भूखण्ड का आवंटन व पंजीकरण राशि वापस किये जाने की जानकारी

80--श्री राम प्रताप सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में वृन्दावन योजना सं0 2 के से0 11 में भूखण्ड हेतु पंजीकरण कराया था और उक्त योजनान्तर्गत भू-खण्ड का आवंटन नहीं किया गया और न पंजीकरण राशि मु0 एक लाख रुपये भी प्रश्नकर्ता को अब तक वापस किया गया ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता को भूखण्ड इसी पंजीकरण के आधार पर भविष्य में आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो पंजीकरण राशि कब तक वापस कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मा0 विधायक द्वारा पंजीकरण अवधि समाप्त हो जाने के बाद बिना परिषद् अनुमति के सीधे बैंक में पंजीकरण धनराशि जमा की गयी। निर्धारित समयावधि में पंजीकरण न होने के कारण इन्हें आवंटन में सम्मिलित नहीं किया गया। पंजीकरण धनराशि रुपये 1.00 लाख पंजाब नेशनल बैंक महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ के चेक संख्या 236451, दिनांक 1-2-2006 द्वारा वापस कर दी गयी है।

जी नहीं।

पंजीकरण धनराशि उपरोक्तानुसार वापस की जा चुकी है।

जनपद बलरामपुर के टेढ़ी बाजार में कुसुम चौहान के घर से वर्तमान वार्ड सदस्य के घर तक के सड़क निर्माण को पूर्ण कराये जाने की मांग

81--डा0 अजय कुमार--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, बलरामपुर, जनपद बलरामपुर के वार्ड टेढ़ी में कुसुम चौहान के घर से वर्तमान वार्ड सदस्य के घर तक के लिये वर्ष 2005 में स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त अधूरी सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

नगरपालिका परिषद्, बलरामपुर के वार्ड टेढ़ी बाजार में कुसुम चौहान के घर से वर्तमान वार्ड सदस्य के घर तक स्वीकृत सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

टिकैतराय तालाब एल0डी0ए0 (शासकीय) कालोनी लखनऊ में फेस-प्रथम के आवासों की मरम्मत व पुताई कराने की मांग

82--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिकैतराय तालाब एल0 डी0 ए0 (शासकीय) कालोनी लखनऊ में फेस-प्रथम आवास संख्या 63 से 137 तक के बाहरी भाग की मरम्मत व पुताई का कार्य गत 12 वर्षों से नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन आवासों की मरम्मत व पुताई कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, अन्य प्राथमिकता वाले अनुरक्षण कार्यों पर धनराशि व्यय होने के फलस्वरूप प्रश्नगत कार्य सम्पादित नहीं कराया जा सका। धनराशि की व्यवस्था होते ही शीघ्रातिशीघ्र यह कार्य करा दिया जायेगा।

प्रदेश में विधायकों के प्रस्ताव पर विलम्ब से विधायक निधि निर्गत करने संबंधी जानकारी

83--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विधायक निधि के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि का मा0 विधायकों के प्रस्ताव पर मी0 डी0 ओ0 द्वारा धनराशि निर्गत किये जाने हेतु

कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह समय सीमा क्या है ? क्या यह सही है कि विधायकों के प्रस्ताव पर विलम्ब से धनराशि निर्गत करने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए उसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कराने हेतु आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिन के अन्दर।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं उ0 प्र0 सचिवालय में महिला कर्मचारियों के सर्दियों में समय परिवर्तन पर विचार

84--श्री बैजनाथ दुबे--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं उ0 प्र0 सचिवालय में वर्तमान समय में कार्यालय का समय 9.30 से सायं 6.00 बजे है ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्दियों में महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने में हो रही असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय का समय प्रात: 10 बजे से 5 बजे तक करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

कार्य हित में कार्यालय समय में परिवर्तन एवं कार्यावधि में कमी किया जाना उचित नहीं है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय पुस्तकालय एवं प्रलेखीकरण केन्द्र में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही

85--श्री महेश त्रिवेदी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 सचिवालय पुस्तकालय एवं प्रलेखीकरण केन्द्र में मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, शोध अधिकारी एवं कैटलागर आदि के कुल 23 पदों में से 17 पद विगत 15 वर्षो से रिक्त हैं ? क्या सरकार प्रख्यापित नियमावली के अनुरूप विभागीय कर्मियों की पदोन्नति करके रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30-4-1998 द्वारा पुस्तकालय संवर्ग के तत्समय विद्यमान कुल 23 पदों को समाप्त कर विभिन्न प्रकार के 15 तकनीकी पद सृजित किये गये। उक्त 15 तकनीकी पदों के संबंध में नयी सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। अतएव उक्त 15 पद सेवा नियमावली के अभाव में रिक्त चल रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना-ककरौली में मेहराबुद्दीन खालिद आदि के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

86--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली में मेहराबुद्दीन, कमरूद्दीन, शमीम, नसीम, साहबू, दिलशाह तथा खालिद आदि के विरुद्ध अ0सं0-37/2005 मु0 धारा 147/148/149/452/302/102 बी भा0द0सं0 दर्ज है ? यदि हां, तो क्या पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर से प्राप्त सूचना के अनुसार वादी श्री नसीम पुत्र श्री मुनफैत निवासी पुरकाजी थाना पुरकाजी ने सूचना अंकित करायी कि दिनांक 31-3-05 को प्रतिवादी महराज, शमीम, नवीन, पुत्रगण युसुफ, कमरूद्दीन पुत्र सुलेमान, खालिद पुत्र सलाउद्दीन, साहबु पुत्र उस्मान, दिलशाद मुम्तयाज, मुक्तयाज पुत्र फैय्याज, भूरा पुत्र उसमान एवं सुलेमान पुत्र सुल्तान निवासीगण तेवड़ा, थाना ककरौली मुजफ्फरनगर द्वारा पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर श्रीमती अख्तरी पत्नी शौकत व श्रीमती अमीर फात्मा पत्नी रागिब निवासीगण तेवडा, थाना ककरौली की सामूहिक हत्या कर दी है, जिसके संबंध में थाना ककरौली पर दिनांक 31-3-2005 का मु0अ0सं0 37/05 धारा 147/148/149/452/302/102बी, 34 भादवि बनाम महराज आदि 10 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जो नहीं। विवेचना से नामित अभियुक्तों की नामजदगी गलत पाये जाने पर उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ स्थित कानपुर रोड योजना सेक्टर जी0 में जर्जर सड़क को ठीक कराने की मांग

87--श्री राम करन आर्य--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित कानपुर रोड योजना सेक्टर जी0 आवास संख्या एस0 एस0 800 से एस0 एस0 900 तक के आवासों के सामने सड़क जर्जर है और खुदाई करके ठेकेदार द्वारा छोड़ दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

प्रश्नगत कालोनी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी है, जो अभी नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है। इसके अनुरक्षण एवं रख-रखाव का दायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण का है। मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्न में उठायी समस्याओं के निराकरण के संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को दे दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी स्व0 मनीष झा निवासी कृष्णानगर लखनऊ की हत्या की जांच

88--कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी स्व0 मनीष झा निवासी कृष्णानगर, लखनऊ की मृत्यु/हत्या 12-10-05 को हुई थी ? क्या यह सत्य है कि दिनांक 13-10-05 को के0 जी0 एम0 सी0 में की गयी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक श्रीमती अनिता शर्मा की मृत्यु सिर पर चोट के कारण हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटना की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्रीमती अनीता शर्मा पत्नी स्व0 मनीष झा, की मृत्यु के संबंध में थाना कृष्णानगर पर मु0अ0सं0 327/05 धारा 302 भा0द0वि0 दिनांक 27-11-05 को वादी श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र स्व0 रमन लाल शर्मा निवासी प्रेम कुटीर ज्योतिनगर मथुरा उ0 प्र0 द्वारा विरुद्ध प्रेम दयाल (ससुर) सास निवासी 565/1724, जोधाखेड़ा, पूरननगर, थाना कृष्णानगर, लखनऊ पंजीकृत कराया गया।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम खुनशेखपुर के निवासी श्री हंस बहादुर सिंह के अपहरण पर कृत कार्यवाही

89--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री हंस बहादुर सिंह निवासी ग्राम खुनशेखपुर, थाना लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर का दिनांक 07-09-05 को अपहरण कर लिया गया था जिसकी रिपोर्ट थाना लम्भुआ में मु0अ0सं0 996/05 धारा 364 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

स्थानीय पुलिस की टीम द्वारा लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़ व अन्य स्थानों पर पतारसी तथा पूंछ-तांछ की गई एवं दिनांक 04-01-06 को जौनपुर निवासी अभियुक्त डा0 आशीष कुमार सिंह को अपहृत की क्वालिस गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना से 08 और अभियुक्त प्रकाश में लाये गये। इनमें से तीन अभियुक्त दिनांक 28-12-05 को जनपद जौनपुर में मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0 इलाहाबाद कनिष्ठ लेखा परीक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ देने की जानकारी

90--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0 इलाहाबाद में कितने कनिष्ठ लेखा परीक्षक ऐसे हैं जिनकी 19 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण हो गयी है ? क्या उन्हें सेलेक्शन ग्रेड का लाभ दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद में ऐसा कोई कनिष्ठ लेखा परीक्षक नहीं है जिसकी 19 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण हो गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

91--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश के विभिन्न मण्डलों में अपर आयुक्त के स्वीकृत/सृजित पदों से अधिक संख्या में पी0सी0एस0 अधिकारियों की तैनातियां करने का औचित्य

92--श्री मुंशीलाल गौतम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न मण्डलों में अपर आयुक्त के कितने पद शासन द्वारा स्वीकृत एवं सृजित हैं तथा सृजित पदों के सापेक्ष मण्डलों में कितने पी0सी0एस0 अधिकारी अपर आयुक्त के पदों पर कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि मण्डलों म अपर आयुक्त के स्वीकृत/सृजित पदों से अधिक संख्या में पी0सी0एस0 अधिकारियों की तैनातियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह तैनातियां सिविल सर्विसेज बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं ? यदि नहीं, तो नियुक्ति विभाग द्वारा इन अधिसंख्य तैनातियां करने का औचित्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

नियुक्ति विभाग के शासनादेश सं0 6087/दो-2-01, दिनांक 12-10-01 द्वारा उ0 प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के विभिन्न वेतनमानों में पदों के चिन्हीकरण के अनुसार वेतनमान रुपया 16400-20,000 में 17 पद तथा वेतनमान रुपया 18,400-22,400 में 12 पद, कुल 29 पद पी0सी0एस0 संवर्ग के अपर आयुक्तों के लिए चिन्हित हैं। जिसके सापेक्ष 50 अपर आयुक्त कार्यरत हैं।

जी हां।

उक्त तैनातियां जनहित एवं प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टगत की गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर में स्थित माया नगर मोहल्ले की खराब स्ट्रीट ट्यूब लाइटों को बदलवाने की मांग

93--श्री बैजनाथ दुबे--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में स्थित माया नगर मोहल्ले की माया नगर महल वाली रोड पर कितनी स्ट्रीट लाइट जल रही है तथा कितनी खराब है ? क्या मंत्री जी उन खराब स्ट्रीट ट्यूब लाइटों को बदलायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

लखनऊ नगर स्थित माया नगर मोहल्ले के माया नगर महल वाली रोड पर कुल 04 संख्या में 40 वाट ट्यूब फिटिंग, 01 संख्या में बल्ब तथा 01 संख्या में रिक्त पोल लगा है। लगी सभी ट्यूब लाईटें जल रही हैं। इसलिये बदलवाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, ग्राम चिकनी चोखरिया, निवासी श्री संजय कुमार को मृतक आश्रित के रूप में समायोजित किये जाने की मांग

94--श्री राजेश कुमार--

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना सरोजनी नगर लखनऊ में नियुक्त आरक्षी श्री रघुवीर प्रसाद की दिनांक 23-7-85 को दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी ? क्या यह सही है कि ग्राम चिकनी चोखरिया थाना लोनार जनपद हरदोई निवासी श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 रघुवीर प्रसाद को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने विषयक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ का पत्र सं0 म-144/2002, दिनांक 18 जनवरी, 2004 पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को भेजा गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

स्व0 कान्स0 के आश्रित पुत्र श्री संजय कुमार ने अपने पिता की मृत्यु के लगभग 17 वर्ष बाद वर्ष 2002 में सेवायोजन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि मृतक आश्रित नियमावली में मृतक कर्मी की मृत्यु के पांच वर्ष के अन्दर सेवायोजन हेतु आवेदन करने का प्राविधान है। पांच वर्ष के अन्दर मृतक की पत्नी सेवायोजन प्राप्त कर सकती थी किन्तु उनके द्वारा सेवायाजन प्राप्त नहीं किया गया।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद बरेली थाना शीश गढ़ के शातिर बदमाश लाल सिंह व राम सिंह को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग

95--श्री सुल्तान बेग--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्र0 सं0 सी 10/35012 पत्र सं0 सं0एम0/वि0को0 एम-135012, दिनांक 30-11-2005 जो शातिर बदमाश लाल सिंह व राम सिंह को तत्काल गिरफ्तार करने संबंधी था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु क्या कोई ठोस कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

दिनांक 9-9-05 को थाना शीशगढ़ जनपद बरेली पर मु0अ0सं0 434/05 धारा 324/323 504/506 भादवि0 व 3 (1) 10 एस0सी0/एस0टी0ऐक्ट बनाम लाल सिंह, राम सिंह अमर सिंह पंजीकृत किया गया। विवेचना के मध्य चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अभियोग में धारा 325 भादवि0 की वृद्धि की गयी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जाने पर बरामद नहीं हुए।

कालान्तर में अभियुक्तों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अपनी गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नामजद अभियुक्तों की बिना गिरफ्तारी किये उनके विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 3-10-05 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रकाश में आये एक अन्य अभियुक्त जसवीर सिंह निवासी ग्राम नियामतपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली के अपराध में सम्मिलित होने पर उक्त अभियोग में धारा 147 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त जसवीर सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अपनी गिरफ्तारी पर स्थगनादेश प्राप्त कर लिये जाने की दशा में अभियुक्त को बिना गिरफ्तारी किये उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 16-12-05 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, जो सम्प्रति मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

96--श्री सतीश महाना--

[दिनांक 16 फरवरी, 2006 के अता0 प्र0 सं0 42 द्वारा उत्तरित]

बुन्देलखण्ड झांसी में पर्यटन उद्योग को विकसित करने की योजना

97--श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड झांसी में पर्यटन उद्योग विकसित करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री कौकब हमीद--

जी हां।

बुन्देलखण्ड झांसी में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं विकसित करने के लिए निम्न योजनायें तैयार की गयी हैं :--

लक्ष्मीताल का विकास, वृन्दावन पार्क का विकास, बराठा घाट का विकास, मैथिलीशरण गुप्त पार्क का विकास, नारायण बाग का पर्यटन विकास, अतियाताल का पर्यटन विकास, अतरौदा राक का पर्यटन विकास, रानी महल का विकास, सुखवा डैम का विकास, पर्यटन सूचना केन्द्र की स्थापना, राज्य संग्रहालय का विकास, झांसी किला में ध्वनि एवं प्रकाश शो का आयोजन।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से महारानी लक्ष्मीबाई पार्क का समन्वित विकास, झांसी संग्रहालय की फ्लड/फसाद लाइटिंग एवं संग्रहालय पुनरोद्धार तथा सेन्ट्रल रोड फण्ड के अन्तर्गत जनपद झांसी से कचहरी चौराहे से दिल्ली बाईपास तक राज मार्ग संख्या-25 का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण का प्रस्ताव भी है।

जनपद झांसी नगर निगम द्वारा हाईमास्ट/सोडियम लाइटें लगाने में हुआ व्यय

98--श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 2004 से अक्टूबर, 2005 तक झांसी नगर निगम द्वारा कितनी हाईमास्ट एवं कितनी सोडियम लाइटें स्थापित की गयी और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ? लगाई गई लाइटों में से वर्तमान में कुल कितनी चालू अवस्था में हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मार्च, 2004 से झांसी नगर निगम द्वारा मार्च, 2004 से अक्टूबर, 2005 तक सेमी हाईमास्ट, पोल, एम0एच0फिटिंग (फ्लड लाईट) सोडियम फिटिंग निम्न प्रकार स्थापित की गई है :--

1--सेमी हाईमास्ट पोल 24 स्थानों पर।

2--एम0एच0 फिटिंग (फ्लड लाईटें) 86 फिटिंगें।
(24 पोलों पर)

3--सोडियम फिटिंग (250 वाट) 100 फिटिंगें।

4--सोडियम फिटिंग (70 वाट) 700 फिटिंगें।

उक्त स्थापित लाईटों में कुल रु0 29,86,964.00 का व्यय हुआ है।

स्थापित लाईटों में चालू लाईटों की स्थिति निम्नवत् है :--

1--एम0एच0 फिटिंग (फ्लड लाईटें) 69 चालू है।

2--सोडियम फिटिंग (250 वाट) 82 चालू है।

3--सोडियम फिटिंग (70 वाट) 555 चालू है।

झांसी नगर निगम को आवंटित धनराशि

99--श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा झांसी नगर निगम को वर्ष 2004-05 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी और नगर निगम को उक्त अवधि में कितना राजस्व प्राप्त हुआ ? प्राप्त धनराशि से कौन-कौन से कार्य कराये गये ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

शासन द्वारा नगर निगम, झांसी को वित्तीय वर्ष 2004-05 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 981.73 लाख, 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 54.68 लाख एवं रिवाल्विंग फण्ड के अन्तर्गत रु0 1.80 लाख की धनराशि आवंटित की गयी तथा इस अवधि में राजस्व रु0 395.00 लाख प्राप्त हुआ।

प्राप्त कुल धनराशि रु0 1433.21 लाख के सापेक्ष रु0 706.80 लाख वेतन पर तथा रु0 160.15 लाख विकास कार्यों पर व्यय किया गया। रिवाल्विंग फण्ड से प्राप्त रु0 1.80 लाख की धनराशि शासन के निर्देशानुसार जल निगम, झांसी को हस्तान्तरित कर दी गयी है।

जनपद शाहजहांपुर में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराने की मांग

100--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम शाही ग्राम पंचायत शंकरपुर पिटरहाई ब्लाक जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर में खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने हेतु आपका पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/132464/05, दिनांक 26-9-05 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

खराब हैण्डपम्पों को ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में जनप्रतिनिधियों के नाम शिलापट्टी लगाये जाने विषयक मा0 मुख्य मंत्री के पत्र पर कृत कार्यवाही

101--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में अम्बेडकर विकास योजना हेतु चयनित ग्रामों के सम्पर्क मार्गों पर जनप्रतिनिधियों के नाम शिलापट्टी लगाये जाने विषयक माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-/132486/05, दिनांक 26-9-05 प्रमुख सचिव/सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

जी हां।

शिलापट लगाये जाने के बारे में प्रचलित व्यवस्था के बारे में जारी शासनादेश के परिपेक्ष्य में दिशा निर्देश जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को दिये जा चुके हैं।

जनपद बरेली में श्री अनिल गंगवार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किये जाने की कार्यवाही

102--श्री सुल्तान बेग--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क0स0सी0 10134450 पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-/134450/2005, दिनांक 25-11-05 जनपद बरेली में श्री अनिल गंगवार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किये जाने से संबंधित था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

दिनांक 9-12-05 को श्री खेम करन, नि0 ग्राम दियोसास, थाना मीरगंज, जनपद बरेली द्वारा उन्हें श्री अनिल कुमार गंगवार द्वारा मारने-पीटने एवं जाति सूचक शब्द कहने के कारण उसके विरुद्ध थाना मीरगंज पर मु0अ0सं0-998/05 धारा 323/504/506 भादवि0 व धारा 3(1)10 एससी/एस0टी0 ऐक्ट पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय, ए0सी0जे0एम0-8 बरेली में आरोप पत्र सं0-4 दिनांक 11-1-06 को प्रेषित किया गया। अभियुक्त द्वारा मा0 न्यायालय में दिनांक 9-1-06 को आत्मसमर्पण कर उसी तिथि को अपनी जमानत करा ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के थाना रौजा के बाल किशन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने विषयक जानकारी

103--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के थाना रौजा में दिनांक 23-11-2004 को बाल किशन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के संबंध में दिनांक 7-12-2004

को उसके भाई हरीकिशन के प्रार्थना-पत्र पर पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे ? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त जांच आख्या 30/31 मई, 2005 को एस0पी0, शाहजहांपुर के द्वारा डी0आई0जी0, बरेली रेंज को भेज दी गयी है ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

उक्त जांच आख्या पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर के पत्र सं0 एसटी/शि-96/04 (डीजी), दिनांक 27-4-05 के द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली को भेजी गयी।

जांच से स्थानीय पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी के थाना भेलूपुर में सभासद, पूर्व सभासद एवं अन्य, राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज अपराधों की जानकारी

104--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के थाना भेलूपुर में सभासद, पूर्व सभासद एवं अन्य राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज अपराध सं0-125/2002 के संबंध में मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम/120814/2005, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी को संदर्भित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुकदमें को वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वाद वापसी के संबंध में शासनादेश दिनांक 12 मार्च, 2005 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को वाद वापस न किये जाने का आदेश निर्गत किया जा चुका है। मा0 सदस्य विधान सभा उत्तर प्रदेश श्री श्याम देव राय चौधरी को भी शासन के अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 14-7-2005 द्वारा उक्त स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

जनपद बस्ती व सिद्धार्थनगर की बड़ी ग्राम सभाओं को नगर पंचायत बनाने की मांग

105--श्री राम करन आर्य--

क्या नगर विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में गनेशपुर, नगर बाजार एवं जनपद सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज जो बड़ी ग्राम सभायें हैं, को क्या सरकार नगर पंचायत बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

परिसीमन आयोग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23-1-2004 के क्रम में निर्वाचन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 6-2-2004 द्वारा यह आदेश जारी किये गये हैं कि प्रदेश की प्रशासनिक इकाईयों में कोई भी परिवर्तन अग्रिम आदेशों तक नहीं किया जाय और

दिनांक 15-2-2004 की स्थिति यथावत् रखी जाय। यदि प्रशासनिक इकाईयों में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाना है या यह यदि पहले से प्रगति पर है, तो इस कार्य को दिनांक 15-2-2004 के पूर्व पूर्ण कर लिया जाय। दिनांक 15-2-2004 के बाद प्रदेश की किन्हीं भी प्रशासनिक इकाईयों में न तो कोई परिवर्तन किया जाय और न ही कोई इकाई सृजित की जाय। यह रोक तब तक रहेगी, जब तक प्रदेश में लोक सभा तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन का कार्य पूर्ण न हो जाय और इसे अधिसूचित न किया जाय। उक्त के दृष्टिगत वर्तमान में किसी भी ग्राम सभा को नगर पंचायत बनाया जाना सम्भव नहीं है।

महराजगंज के पनियरा में चयनित समग्र ग्राम विकास योजना की जानकारी

106--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र-पनियरा में वर्ष 2003-04 में चयनित समग्र ग्राम विकास-चौमुखा, जंगल बिहुली, लक्ष्मीपुर प्रथम, भरवलिया, जनकपुर नरकटहां रूद्रापुर, बेनीगंज एवं परसिया बुजुर्ग तथा वर्ष 2004-05 में डुमरिया, रामनगर केवटलिया, जंगल बब्बन उर्फ मोहम्मदपुर, तेनुआ विशम्भरपुर, साहबगंज, खजुरगांवा, बनभागलपुर, रजौडा पंजुम, रतनपुरवा एवं सुचितपुर बघौना वर्ष 2005-06 में सनगद, गोपलापुर, सरपतहां, रामचौरा, सोनौरा बुजुर्ग, गुलरिहा, रिगौली बाजार, खैंचा, बेलटिकरा को समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

प्रश्नगत वर्ष 2003-04 में चयनित ग्रामों में से ग्राम रूद्रापुर को छोड़कर शेष ग्राम सभी 15 कार्यक्रमों से संतृप्त हैं। वर्ष 2004-05 के ग्राम डुमरिया, रामनगर, केवटलिया, जंगल बब्बन उर्फ मोहम्मदपुर, तेनुआ विशम्भरपुर तथा बनभागलपुर सभी 15 कार्यक्रमों से संतृप्त हैं, तथा शेष असंतृप्त हैं। वर्ष 2005-06 में चयनित सभी ग्राम असंतृप्त हैं।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

107--श्री परमजीत मलिक--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ के प्लाट नं0 80 अशोक नगर (सहादतगंज) के सामने की सड़क मरम्मत व बिजली के पोलों पर लाइट लगाने की मांग

108--श्री राम करन आर्य--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्लाट नम्बर 80 अशोक नगर, (सहादतगंज) अन्तर्गत जनपद लखनऊ के सामने बनी नगर निगम की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं और बिजली पोलों पर लाईट नहीं जलती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्मत तथा बिजली पोलों पर लाईट जलाने की व्यवस्था कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां, सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। पोलों पर लगे प्रकाश बिन्दु प्रकाशित हैं।

धन उपलब्ध होने एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के टिकैतराय एल0डी0ए0 कालोनी में पार्क के रख-रखाव व पक्की पीच को ठीक कराने की मांग

109--श्री राम करन आर्य--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिकैतराय एल0 डी0 ए0 कालोनी, लखनऊ में आवास संख्या आर0 एस0 2/291 के सामने पार्क में बनी पक्की पीच क्षतिग्रस्त हो गयी तथा उक्त पार्क का रख-रखाव भी ठीक से नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पक्की पीच को ठीक कराने तथा पार्क के रख-रखाव की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित टिकैतराय आवासीय योजना का निर्माण एवं समस्त विकास कार्य पूर्व में ही पूर्ण करा दिये गये थे तथा योजनाओं के अन्तर्गत पार्कों को विकसित किया गया था। संदर्भित भवन संख्या 2/291 के सम्मुख इस पार्क के विकास एवं बागवानी का अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। पार्क के अन्दर पीच का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे प्राधिकरण द्वारा ठीक कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निगमों में मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पदों को भरने की मांग

110--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों में मुख्य नगर लेखा परीक्षक के कितने पद सृजित हैं और कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

प्रदेश के नगर निगमों में मुख्य नगर लेखा परीक्षक के कुल 08 पद सृजित हैं। जिसमें 02 पद रिक्त हैं।

रिक्त पद आरक्षित वर्ग के हैं तथा इन आरक्षित वर्ग के रिक्त 02 पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्र लेखा परीक्षकों के उपलब्ध होने पर नियुक्ति कर दी जायेगी।

उ0 प्र0 आवास विकास की वृंदावन योजनान्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भूखण्ड आवंटित किये जाने की नीति

111--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 आवास विकास की वृंदावन योजना 1 व 2 के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्राथमिकता के आधार पर भूखण्ड आवंटित किये जाने की नीति के अधीन खसरा नं0 729 ग्राम खरिका में 37 भूतपूर्व सैनिकों के भूखण्डों का समायोजन किया गया है ? क्या सरकार ने इसी नीति के तहत भूतपूर्व सैनिक श्री कौशल किशोर शुक्ला की पत्नी श्रीमती सरोजनी देवी शुक्ला, निवासिनी ग्राम हुसड़िया, पोस्ट मलेशमऊ, लखनऊ के आवासीय भूखण्ड के आवासीय भूखण्ड खसरा नं0-729 सेक्टर-5 को उक्त योजना में अन्य भूतपूर्व सैनिकों की भांति समायोजित करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

जी नहीं।

खसरा संख्या-729 परिषद् द्वारा विकसित किया जा चुका है एवं स्वीकृत ले आउट के अनुसार उपर्युक्त भूमि पर पार्क प्रस्तावित है।

लखनऊ में भवन संख्या-डी0-1390 इन्दिरा नगर में किये गये अवैध निर्माण को गिराने की मांग

112--श्री अनिल कुमार वर्मा तथा श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में भवन संख्या-डी-1390 इन्दिरा नगर, लखनऊ में किये गये अवैध निर्माण को गिराने हेतु आवास एवं विकास परिषद् द्वारा दि0 28-7-05 को नोटिस भवन स्वामी को दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध निर्माण को विभाग द्वारा गिरा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी के श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव की जन्म-तिथि सम्बन्धी प्रकरण

113--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी (श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव) द्वारा बैंक सेवा में चयन हेतु अपने आवेदन-पत्र में अपनी जन्मतिथि 01 अक्टूबर, 1955 अंकित की गई थी, जबकि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद ने अपने सत्यापन पत्र संख्या-30/850/964/2002-2003, दिनांक 19 दिसम्बर, 2002 द्वारा इनकी जन्म-तिथि 01 अक्टूबर, 1953 सत्यापित की है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

जी हां।

उक्त प्रकरण में संचालित अनुशासनिक कार्यवाही प्रबन्ध समिति द्वारा अपने प्रस्ताव सं0-7, दिनांक 8-11-2005 में निर्णय लिया गया है कि श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव कर्मचारी वर्ग-2 की माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा प्रदत्त हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि को 01-10-1953 ही बैंक अभिलेखों में माना जायेगा जो मा0 उच्च न्यायालय में जन्मतिथि के सम्बन्ध में विचाराधीन वाद में निर्णय के अधीन होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी की शाखा नवाबगंज के शाखा प्रबन्धक श्री उदित नारायण द्वारा लिये गये ऋण सम्बन्धी जानकारी

114--श्री सुखदेव राजभर--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी की शाखा नवाबगंज से नियम विरुद्ध रु0 50.000 का व्यक्तिगत ऋण लेने एवं वहां के शाखा प्रबन्धक श्री उदित नारायण द्वारा बिना प्रतिभूतियां बैंक में बन्धक किये अपने पिता, पत्नी एवं पुत्री के नाम रुपये तीस लाख का ऋण बिना प्रोनोट एवं डाक्यूमेंट्स भरे आहरित कर लेने के सम्बन्ध में अपर जिला सहकारी अधिकारी, बाराबंकी द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2004 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो उक्त दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

जी हां।

श्री उदित नारायण वर्मा को तत्काल निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी परन्तु दिनांक 19-2-2004 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ के श्री अनिल कुमार व एन0 के0 अग्रवाल प्रबन्धक द्वारा विभागीय सप्लाई न कर सरकारी धन के अपहरण के संबंध में पत्र

115--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अनिल कुमार जायसवाल व एन0 के0 अग्रवाल, प्रबन्धक, उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ द्वारा विभागीय सप्लाई में विभागों को वस्तुओं की सप्लाई न कर सरकारी धन के अपहरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र माननीय मुख्य मंत्री के आदेश संख्या सी0 एम0 / वि0 को0/एम-132462/05, दिनांक 26-9-2005 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

जी हां।

1--सम्बन्धित शाखा प्रबन्धकों से शार्ट सप्लाई के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। शार्ट सप्लाई के मामलें में कोई दोषी नहीं पाया गया।

2--श्री अनिल कुमार जायसवाल के जनपद सीतापुर के कार्यकाल वर्ष 1989 में मु0 90629.69 के पामोलिन एवं साबुन इत्यादि के स्टाक में कमी पायी जाने पर विक्रेता श्री सूबेदार सिंह के विरुद्ध श्री जायसवाल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा श्री सिंह को विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत सेवाच्युत किया गया । श्री जायसवाल को इस प्रकरण में कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता पर्यवेक्षण के लिये श्री अनिल कुमार जायसवाल की चरित्र पंजिका में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में गेहूँ खरीद में अधिकारियों द्वारा की गयी धांधली की जांच

116--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में गेहूँ खरीद में अधिकारियों द्वारा की गयी धांधली की जांच किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मा0 मुख्य मंत्री के आदेश संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम-132466/05, दिनांक 26-9-05 के साथ प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

जी हां।

प्रकरण के सम्बध में प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध धन अपहरण के आरोप लगाये गये हैं, वह सही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के निघासन में समग्र ग्राम विकास योजना के तहत ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की मांग

117--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी की विधान सभा क्षेत्र निघासन में समग्र ग्राम विकास योजना के तहत पिछले तीन सालों में चयनित 30 ग्रामों में से केवल 3 ग्रामों को ही मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है ? यदि हां, तो शेष ग्रामों को कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में 30 के स्थान पर 34 ग्राम चयनित हुए हैं, जिनमें से 19 ग्राम मुख्य मार्ग से जुड़े हैं।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी में प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण की मांग

118--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी में वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधान मंत्री सड़क योजना में कितने किलोमीटर सड़क बनाने का प्रस्ताव है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र निघासन में विगत दो वर्षों में कितने किमी0 सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जनपद खीरी में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 143.32 किमी0 सड़क बनाने का प्रस्ताव है।

विधान सभा क्षेत्र निघासन में विगत दो वर्षों में (वर्ष 2003-04 व 2004-05) 4.92 किमी0 लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला जौनपुर, ग्राम मेहौड़ा, निवासी श्री सुबाष राय पर हुए फर्जी मुकदमें के सम्बन्ध में पत्र

119--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुबाष राय पुत्र श्री सूर्यवली राय, निवासी मेहौड़ा, थाना गौराबादशाहपुर, जिला जौनपुर पर फर्जी मुकदमा कायम किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 609/वि0स0/आ0स0/05, दिनांक 11-11-05 महामहिम राज्यपाल महोदय को कार्यालय से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी, केराकत द्वारा कराई गई । जांच आख्यानुसार वादी शिवमणि यादव पुत्र रामसुख यादव, निवासी मेहौड़ा, थाना सरायख्वाजा की लिखित सूचना के आधार पर दिनांक 13-10-05 को मु0 अ0 सं0 490/05, धारा 147, 148, 323, 504, 506, 307 भा0 द0 वि0 विरुद्ध सुभाष राय आदि 07 नफर थाना गौराबादशाहपुर पर पंजीकृत हुआ। नामजद अभियुक्त सुबाष राय को दिनांक 14-10-05 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। नामजद अभियुक्त विपिन कुमार राय की घटना में संलिप्तता न पाकर आभियोग से नाम निकाला गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही एवं विवेचना प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ विकास प्राधिकरण की रतन खण्ड योजना में अध्यासियों को कब्जा दिये जाने की मांग

120--श्री राम करन आर्य तथा डा0 पूर्णमासी देहाती--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण की रतन खण्ड योजना में आवासीय भूखण्डों को वर्ष 2005 में आवंटित किया गया है तथा उनका सारा धन जमा कराने के बावजूद अध्यासियों को कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त भूखण्डों का कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

विकास कार्य पूर्ण होते ही आवंटियों के पक्ष में निबन्धन के उपरान्त भौतिक कब्जा शीघ्र दे दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में समग्र विकास योजनान्तर्गत संचालित योजनाओं व कार्यों में भारी धांधली

121--श्री राम करन आर्य तथा श्री पूर्णमासी देहाती--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में समग्र विकास योजना अन्तर्गत संचालित योजनाओं व कार्यों में भारी धांधली की शिकायत

प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार विगत 4 वर्षों से खर्च की गई समस्त योजनाओं की धनराशि व गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

सरकारी कार्यालयों में कार्यालय निरीक्षकों के स्वीकृत पदों को भरने की मांग

122--श्री परमजीत मलिक--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान में प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत शासकीय कार्यालय निरीक्षण शाखा में मुख्य कार्यालय निरीक्षक सहित कुल कितने कार्यालय निरीक्षकों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकारी कार्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार लाये जाने हेतु कार्यालय निरीक्षण शाखा को मजबूत किये जाने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रशासनिक सुधार एवं मत्स्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)-(श्री दिनेश सिंह)--

19 पद।

05 पद।

उत्तरांचल राज्य के गठन तथा नये जनपदों के सृजन के फलस्वरूप दिनांक 14-1-2005 को निर्गत शासनादेश के अनुसार प्रदेश में विद्यमान 17 राजस्व मण्डलों में 17 वृत्त कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है।

जिला हरदोई, नगरपालिका परिषद्, सण्डीला के सेवानिवृत्त श्री शाहिद अली के ग्रेच्युटी आदि के भुगतान की मांग

123--श्री पूर्णमासी देहाती--

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि श्री शाहिद अली, सेवानिवृत्त लिपिक, नगरपालिका परिषद्, सण्डीला, जिला हरदोई जो दिनांक 31-1-2003 को सेवानिवृत्त हुए को, ग्रेच्युटी का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में नगर विकास मंत्री द्वारा पत्रांक सं0 436, दिनांक 14 जनवरी, 2005 के माध्यम से जिलाधिकारी, हरदोई को तुरन्त ग्रेच्युटी का भुगतान किए जाने हेतु लिखा गया था ? यदि हां, तो क्या श्री शाहिद अली को ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो ग्रेच्युटी का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

124--डा0 विनोद तिवारी--

[दिनांक 9-3-2006 के अता0 प्र0 सं0-30 द्वारा उत्तरित]

विधायक निवास-6 के आवासों के मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु व्यय धन की जानकारी

125--श्री परमजीत--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान वर्ष में विधायक निवास-6 के आवासों हेतु प्रति आवास रख-रखाव व मरम्मत हेतु कितना धन प्राविधानित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में तथा नवम्बर, 2005 तक कुल कितने आवासों के मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु कुल कितना धन व्यय किया गया ? उनमें से कितने आवास क्रमश: विधान मण्डल सदस्यों, पत्रकारों एवं अन्य अध्यासियों के हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

विधायक निवास अथवा किसी कालोनी के आवासों के रख-रखाव व मरम्मत हेतु अलग से आय-व्ययक में प्राविधान नहीं होता है। अत: विधायक निवास-6 के आवासों के लिये अलग से प्राविधानित धनराशि बताया जाना सम्भव नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के माह नवम्बर, 2005 तक विधायक निवास-6 के कुल 108 आवासों के मरम्मत एवं रख-रखाव पर कुल रुपये 29,93,446.00 व्यय किया गया।

विधायक निवास-6 के कुल 108 आवासों में से 64 आवास विधान मण्डल सदस्यों, 11 आवास पत्रकारों एवं 18 आवास अन्य व्यक्तियों के अध्यासन में है एवं 15 आवास रिक्त हैं।

जिला जौनपुर के श्री स्वतंत्र कुमार पासी, थाना-गौराबादशाहपुर, जिला जौनपुर के उत्पीड़न के संबंध में पत्र

126--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री स्वतंत्र कुमार पुत्र स्व0 श्री सीताराम पासी, साकिन मौजा सरायज्ञान चन्द, थाना-गौराबादशाहपुर, जिला-जौनपुर को उत्पीड़न करने के सम्बनध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 641, दिनांक 8-12-05 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी केराकत, जौनपुर से कराई गयी। जांच आख्या के क्रम में आवेदक श्री स्वतंत्र कुमार पुत्र स्व0 सीता राम पासी, नि0 ग्राम सरायज्ञानचंद, थाना गौराबादशाह पुर तथा पूर्णमासी सरोज, मुक्खू सरोज आदि द्वारा प्रतिवादिनी श्रीमती बूटन देवी पत्नी श्री कंकड सरोज के बांस की बांसकोठी जबरदस्ती काटकर कब्जा करने तथा झगड़ा करने के दोषी पाये गये। अत: उनके विरुद्ध दिनांक 30-11-05 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बांसकोठी के विवाद का प्रकरण सुलह समझौते के आधार पर समाप्त कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती शशिबाला, निवासिनी जिला-जौनपुर, ग्राम मेहोड़ा को पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में पत्र

127--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती शशिबाला राय पत्नी श्री विजय बहादुर राय निवासिनी ग्राम-मेहोड़ा, थाना-गौराबादशाहपुर, जिला-जौनपुर को पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, गृह को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 590/वि0स0/आ0स0/05, दिनांक 27-10-05 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी, केराकत द्वारा करायी गयी। जांच से शिकायती प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला जौनपुर के बन्दी श्री दीपक कुमार की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु

128--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री मखन्चू, निवासी ग्राम-हौज (उंचवापुर), पोस्ट-हौजा, थाना-जलालपुर, जिला-जौनपुर का पत्र जोकि विचाराधीन बन्दी श्री दीपक कुमार की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो जाने से सम्बन्धित है, प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या- 571, दिनांक 6-10-05 के साथ प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी, नगर, जौनपुर द्वारा की गई । तद्नुसार दिनांक 27-7-05 को दो हजार नशीली गोलियों तथा 20 शीशी अवैध शराब के साथ श्री दीपक कुमार को प्रभारी चौकी थाना जफराबाद द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना जफराबाद पर मु0 अ0 सं0 419 व 420/05 धारा 8/21 एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट एवं 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। बन्दी दीपक कुमार की मृत्यु गिरफ्तारी के डेढ़ माह से अधिक अवधि के उपरान्त अस्वस्थ होने पर जिला कारागार से बी0 एच0 यू0 मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान हुई ।

प्रश्नगत प्रकरण की जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिये गये हैं।

मृतक की पत्नी श्रीमती नगीना देवी, ग्राम हौज (उंचवापुर) को रु0 50,000 की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका परिषद्, फैजाबाद के सेवानिवृत्त श्री रामेश्वर प्रसाद शाही की भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान

129--श्री अनिल कुमार मौर्य--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवानिवृत्त श्री रामेश्वर प्रसाद शाही को नगरपालिका परिषद्, फैजाबाद में उनकी तैनाती अवधि दिनांक 1-8-2000 से 8-10-02 तक की जमा भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

श्री रामेश्वर प्रसाद शाही, तत्कालीन सहायक अभियंता, जलकल, नगर पालिका परिषद्, फैजाबाद के पक्ष में भविष्य निधि की कटौती की धनराशि ब्याज सहित ड्राफ्ट बनाकर ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स देवरिया को भेजा गया था किन्तु बैंक द्वारा इनका खाता बन्द हो जाने के कारण ड्राफ्ट वापस कर दिया गया। श्री शाही के निवास स्थान पर पत्र भेजा गया है कि वे किसी भी कार्यालय दिवस में आकर भविष्य निधि की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर लें। श्री शाही द्वारा अभी तक बैंक ड्राफ्ट प्राप्त नहीं किया गया है।

श्री शाही द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण इन्दिरा भवन, लखनऊ में क्लेम पिटीशन संख्या 616/05 दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 24-4-2006 की तिथि नियत है। अतएव यदि श्री शाही निर्धारित तिथि से पूर्व उक्त ड्राफ्ट को कार्यालय आकर प्राप्त नहीं कर लेते हैं तो मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि 24-4-06 को बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिया जायेगा।

इलाहाबाद शहर में निर्मित अनियमित कालोनियों एवं आवासों को विनियमित करने की मांग

130--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर में निर्मित अनियमित कालोनियों एवं आवासों को विनियमित करने हेतु शासन कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इलाहाबाद शहर में तिमंजिला व और ऊँचे भवन बिना नक्शा पास किये हुए गत पांच वर्षों में बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन भवन स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इलाहाबाद शहर में निर्मित अनियमित कालोनियों को विनियमित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 5097/9-आ-3-2001, आ0 ब0, दिनांक 26-5-2001 द्वारा दिशा निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुसार इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी प्रकार अनियमित आवासों के विनियमितीकरण की कार्यवाही शमन उपविधि दि0 10-1-97 के अन्तर्गत की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद शहर में पांच वर्ष में तीन मंजिला व ऊँचे भवन जो बिना स्वीकृत मानचित्र के बने हैं, उनके विरुद्ध उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा आगे भी जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े मुकदमों को निपटाने की मांग

131--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 31-12-05 तक कितने मुकदमें लम्बित पड़े थे ? क्या सरकार मुकदमों को समयबद्ध निपटाने हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इलाहाबाद, उच्च न्यायालय में दिनांक 31-12-2005 की स्थिति के अनुसार कुल लंबित मुकदमों की संख्या 7,64,422 है।

मा0 उच्च न्यायालय से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में तहसील कर्मियों द्वारा अवैध रूप से दिवाल गिराने एवं उससे हुई मृत्यु की जांच कराने की मांग

132--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-रायबरेली, तहसील-सलोन, थाना-नसीराबाद के ग्राम पूरे उपाध्याय मजरे बेवल में तहसील कर्मियों द्वारा अवैध रूप से दीवाल गिराने एवं उक्त दीवाल से कई व्यक्तियों की मृत्यु/घायल होने की घटना की जांच विषयक श्री राजेन्द्र कुमार व श्री अवधेश कुमार के प्रार्थना-पत्र के साथ मा0 राज्य मंत्री कारागार स्वतंत्र प्रभार का उपरिपत्र दिनांक 28-09-2005 पुलिस अधीक्षक, रायबरेली व प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं, बल्कि मा0 राज्यमंत्री कारागार, स्वतन्त्र प्रभार के पत्र दिनांक 20-09-05 के साथ श्री राजेन्द्र कुमार व श्री अवधेश कुमार के प्रश्नगत घटना से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए है।

इस सम्बन्ध में राम सजीवन मौर्य के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 4-10-05 को थाना-नसीराबाद में मु0 अ0 सं0 72/05, धारा 338/288/304 ए भा0 दं0 वि0 बनाम रामदेव पाल व दिनेश कुमार पाल पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना नामित दोनों अभियुक्तों को दिनांक 4-10-05 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया व आरोप प्रमाणित होने पर दिनांक 30-10-05 को आरोप-पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

133--कुं0 आर0 पी0 एन0 सिंह--

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जिला बलिया में जन प्रतिनिधियों की संस्तुति पर जारी किये गये लाइसेन्स

134--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 29-8-03 से अब तक बलिया जिला में कितने शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किन-किन जन प्रतिनिधियों की संस्तुति पर कितने-कितने लाइसेन्स जारी हुये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

बलिया जनपद में दिनांक 29-8-2003 से दिनांक 28-1-2006 तक कुल 402 शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये हैं।

मात्र जन प्रतिनिधि की संस्तुति पर कोई शस्त्र लाइसेन्स जारी नहीं किया गया है अपितु नियमानुसार आवेदन-पत्रों पर पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारियों की जांच आख्याओं के अलावा शस्त्र हेतु आवेदक को पात्रता/आवश्यकता का आंकलन निर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा किये जाने के बाद निर्णय लिया जाता है।

अवध नगर सरपोटगंज, तेलीबाग, लखनऊ में जल निकासी की व्यवस्था सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

135--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध नगर, सरपोटगंज तेलीबाग, लखनऊ के निवासियों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र, सभापति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के उपरिपत्र सं0 592/सा0 उ0 स0/2005, दिनांक 14-10-2005 जो उस क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था से सम्बन्धित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

यह क्षेत्र अनाधिकृत एवं अविकसित कालोनी है, जिसके विकास का दायित्व नगर निगम का नहीं है बल्कि विकास प्राधिकरण का है। मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्न में उठायी समस्याओं के निराकरण के संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश प्रमुख सचिव, आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को दे दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर विचार

136--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियां लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग हेतु मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त लागू की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त सुविधा फरवरी, 2005 में समाप्त कर दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पूर्व में प्रदत्त लाभ पुनः प्रदान किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के पदों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार की समकक्षता के आधार पर किये जाने की मांग

137--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य के लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग क विभिन्न श्रेणी के पदों के वेतनमान केन्द्रीय सरकार से समकक्षता के आधार पर दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से संशोधित/उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया है ? क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार में समकक्ष पदों के वेतनमान दिनांक 1-1-1996 से संशाधित/उच्चीकृत हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के वेतनमान केन्द्रीय सरकार से समकक्षता के आधार पर दिनांक 1-1-1996 से संशोधित/उच्चीकृत करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

केन्द्र सरकार द्वारा अपने कार्यालय दिनांक 28 फरवरी, 2003 के माध्यम से लिए गये निर्णय के अनुसार लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के लिए दिनांक 1-1-1996 से प्रकल्पित आधार पर उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराते हुये वास्तविक लाभ दिनांक 19-02-2003 से दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा सभी राज्य कर्मियों को जिसमें लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग भी सम्मिलित हैं, केन्द्र के सादृष्य पर सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01-01-1996 से अनुमन्य कराये जा चुके हैं। केन्द्र सरकार द्वारा लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के सम्बन्ध में बाद में लिए गये निर्णय के आधार पर दिनांक 1-1-1996 से प्रकल्पित आधार पर उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराते हुये वास्तविक लाभ दिनांक 19-02-2003 से दिया गया। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा ऐसे मामलों के सम्बन्ध में लिये गये सामान्य निर्णय के अनुसार लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग को केन्द्र सरकार के समान उच्चीकृत वेतनमान का लाभ, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य कराये गये वास्तविक लाभ के पूर्व की तिथि दिनांक 01-04-2001 से अनुमन्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा ऐसे मामलों में लिए गये सामान्य निर्णय का अनुसरण करने के कारण।

उ0 प्र0 इलाहाबाद के लेखा परीक्षकों को अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत होने सम्बन्धी जानकारी

138--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0 इलाहाबाद के कितने वरिष्ठ लेखा परीक्षकों को 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेलेक्शन

ग्रड के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ दिनांक 1-1-2005 से देय है ? क्या उक्त वरिष्ठ लेखा परीक्षकों को देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृति कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

विभाग के 251 वरिष्ठ लेखा परीक्षकों को 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेलेक्शन ग्रेड के रूप में एक वेतनवृद्धि का लाभ दिनांक 1-1-2005 से देय है। परन्तु मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत नही की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद में निदेशक के पद पर तैनाती का प्रकरण

139--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद में पूर्णकालिक निदेशक का पद है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग पूर्णकालिक निदेशक की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में निदेशक के पद पर अधिकारी की तैनाती शासनादेश संख्या-एस-2-यू0ओ0-26/दस-2005-358 (2)/83, दिनांक 9-6-2005 द्वारा की जा चुकी है।

उत्तरी इलाहाबाद क्षेत्र में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की मांग

140--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-12-05 जो विधान सभा क्षेत्र उत्तरी, इलाहाबाद में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में है, नगर आयुक्त नगर निगम, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन तथा रिबोर के लिए रिवाल्विंग फण्ड से स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम के पी0 एल0 ए0 में है। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरण करने के पूर्व ऋण की औपचारिक मांग/सहमति जिलाधिकारी द्वारा संबंधित निकाय से प्राप्त करने के उपरान्त ही शासन की अनुमति से पी0 एल0 ए0 से आहरित कर जल निगम की संबंधित इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

वित्तीय वर्ष-2005-06 में प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 16-09-05 द्वारा स्वीकृत रु0 3508.17 लाख के सापेक्ष्य वित्त विभाग की सहमति से अब तक विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रु0 1075.145 लाख की धनराशि जल निगम के पी0एल0ए0 से आहरित करने की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त रु0 139.70 लाख की धनराशि उ0 प्र0 जल निगम के पी0 एल0 ए0 से आहरित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें विधान सभा क्षेत्र उत्तरी इलाहाबाद में 200 हेण्डपम्पों के अधिष्ठापन की धनराशि रु0 42.00 लाख भी सम्मिलित है। उक्त धनराशि के आहरण की कार्यवाही की जा रही है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश को केन्द्र द्वारा गेंहू तथा चावल का आवंटन

141--श्री राम नरेश यादव--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी बतायेंगे कि वर्ष 2004-05 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (जी0 आर0 वाई0-II) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को केन्द्र द्वारा कितना गेहूँ तथा कितना चावल आवंटित किया गया था, उसमें से प्रदेश सरकार द्वारा कितना गेहूँ/चावल उठाया गया था ? उठाये गये कुल आवंटित गेहूँ/ चावल का कितना प्रतिशत उपभोग किया गया था ? पूरा उपयोग न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री राजपाल त्यागी--

वित्तीय वर्ष 2004-05 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस0 जी0 आर0 वाई0-II) पृथक रूप से संचालित नहीं थी। इस वित्तीय वर्ष में (एस0 जी0 आर0 वाई0-I) एवं (एस0 जी0 आर0 वाई0-II) दोनों को मिलाकर सम्मिलित योजना संचालित थी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में गेहूँ/चावल केन्द्र सरकार द्वारा 863294 मी0 टन का आवंटन किया गया, जिसके सापेक्ष प्रदेश सरकार द्वारा 790013 मी0 टन का उठान किया गया।

उठाये गये गेहूँ/चावल का 90.19 प्रतिशत का उपभोग वित्तीय वर्ष 2004-05 में किया गया। शेष खाद्यान्न का उपभोग अगले वित्तीय वर्ष में किया गया।

मार्च, 2005 में अंतिम पक्ष में उठाये गये खाद्यान्न के सापेक्ष लगभग 10 प्रतिशत खाद्यान्न शेष बचा था, जो अगले वित्तीय वर्ष में वितरित हो गया।

जनपद आजमगढ़ में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों की जानकारी

142--श्री राम नरेश यादव--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जनपद में वर्ष 2003-04 व 2004-05 में कितने ग्राम चयनित किए गए थे तथा उनके नाम क्या हैं ? उक्त सभी ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2003-04 में 140 तथा वर्ष 2004-05 में 136 ग्रामों का चयन किया गया था (चयनित ग्रामों की सूची संलग्न)†। उक्त सभी ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

†देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 159--169 पर।

सम्पूर्ण रोजगार योजनान्तर्गत प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि

143--श्री राम नरेश यादव--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-05 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (जी0 आर0 वाई0-I) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी और उसमें से कितनी धनराशि अवमुक्त की गई तथा उसमें से कितने प्रतिशत की धनराशि कुल खर्च की जा चुकी है तथा शेष धनराशि खर्च न किए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

वित्तीय वर्ष 2004-05 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस0 जी0 आर0 वाई0-I) पृथक रूप से संचालित नहीं थी। इस वित्तीय वर्ष में (एस0 जी0 आर0 वाई0-I) एवं (एस0 जी0 आर0 वाई0-II) दोनों को मिलाकर सम्मिलित योजना संचालित थी। केन्द्र सरकार द्वारा उ0 प्र0 के सभी 70 जिलों के लिये रु0 78495.06 लाख का परिव्यय निर्धारित था, जिसके सापेक्ष रु0 79279.95 लाख अवमुक्त किया गया। इस अवमुक्त धनराशि में 23 जनपदों हेतु अतिरिक्त किस्त के रूप में रु0 2585.42 लाख की धनराशि भी सम्मिलित है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2004-05 में 99.65 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी। शेष धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में व्यय कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्पूर्ण ग्रामीण योजनान्तर्गत चयनित जिले तथा आवंटित धनराशि

144--श्री राम नरेश यादव--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2004-05 के दौरान कौन-कौन से जिले सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत चयनित किये गये हैं ? उक्त वर्ष 2004-05 में प्रत्येक जनपद को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेंगी कि आवंटित धनराशि का कितना प्रतिशत उपयोग हुआ है ? यदि शत-प्रतिशत उपयोग नहीं हुआ है तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2001-02 से संचालित की जा रही है। प्रारम्भ से ही प्रदेश के सभी 70 जिले योजना से आच्छादित है। वर्ष 2004-05 में भी प्रदेश के सभी 70 जिले योजना से आच्छादित थे।

जनपदवार वर्ष 2004-05 में योजनान्तर्गत जिलेवार आवंटित परिव्यय का विवरण संलग्न† है।

आवंटित धनराशि के सापेक्ष वर्ष में 99.65 प्रतिशत व्यय हुआ।

भारत सरकार द्वारा कई जनपदों को द्वितीय किस्त मार्च, 2005 में आवंटित की गयी, जिसके कारण वित्तीय वर्ष के अन्त तक शत-प्रतिशत व्यय नहीं हो सका।

---

†देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 170--172 पर।

जनपद खीरी व निघासन में कार्य के बदले अनाज योजनान्तर्गत शासन से प्राप्त धन तथा किये गये कार्य

145--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज योजना में कुल कितना धन शासन द्वारा अवमुक्त किया गया है और उससे कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं तथा विधान सभा निघासन में इस योजना के तहत कौन-कौन से कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-मुजफ्फरनगर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि

146--श्री परमजीत--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जनपद मुजफ्फरनगर के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ? स्वीकृत धनराशि से कुल कितने कि0 मी0 सड़क का निर्माण किया गया है तथा इस योजना के तहत कितने कि0 मी0 सड़क प्रस्तावित है ?

श्री राजपाल त्यागी--

वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत फेज-4 में कुल रु0 450.07 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

माह जनवरी, 2006 तक 6 सड़कों की 4.60 कि0 मी0 लम्बाई पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है। चूँकि कार्य जनवरी, 2006 में ही प्रारम्भ हुआ है, इसलिये पूर्णत: निर्मित लम्बाई शून्य है।

उक्त धनराशि से 19.075 कि0 मी0 लम्बी 12 सड़कों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी/प्रधान के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

147--श्री शमीमुल हक--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अमरेड़ी, वि0 सं0 जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान के विरुद्ध शिकायत पर आपके द्वारा पत्र संख्या सी0 एम0/वि0 को0/एम--/112056/दिनांक 4-11-04 द्वारा कार्यवाही करने एवं एक माह में अवगत कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास को दिया गया है ? यदि हां, तो आपके आदेश पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां। आयुक्त ग्राम्य विकास को जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद खीरी के ग्राम तिकोनियां तक जाने के लिए बार्डर योजनान्तर्गत पुल निर्माण की जानकारी

148--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी की तहसील निघासन में ग्राम तिकोनियां तक जाने के लिए बार्डर योजना के अन्तर्गत पुल निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2005-06 में कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 2006-07 के लिये भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय पर ही पुल का निर्माण संभव है।

प्रदेश में माह अक्टूबर में सम्पन्न क्षेत्र एवं जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में हुई हिंसा की जानकारी

149--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में सम्पन्न कराये गये क्षेत्र एवं जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में कितने जनपदों में हिंसा की घटनाओं की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं ? उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश में माह अक्टूबर, 2005 में सम्पन्न हुए क्षेत्र/जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में 45 जनपदों में हिंसा की कुल 109 घटनाओं की शिकायतें प्राप्त हुयीं।

घटनाओं के संबंध में संबंधित जनपदों में उचित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर त्वरित वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम में पूर्ण कालिक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

150--श्री वृजेन्द्र व्यास उर्फ डमडम महाराज--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक निगम में पूर्ण कालिक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो पूर्ण कालिक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

151--श्री राम करन आर्य--

[दि0 16 फरवरी, 2006 के अता0 प्र0 सं0-41 द्वारा उत्तरित]

जनपद सीतापुर, लखीमपुर खीरी के मध्य सराय नदी पर निर्माणाधीन रपटा पुल को पूर्ण कराने की मांग

152--श्री राम हेत भारती--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सीतापुर की तहसील-सदर के विकास खण्ड ऐलिया के गांव नौरंगपुर, लखीमपुर खीरी सीमा के मध्य सराय नदी पर निर्माणाधीन रपटा पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री राज पाल त्यागी--

जी हां।

माह जनवरी, 2006 में ।

प्रश्न नहीं उठता।

153--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

[8वें गुरु0 के अता0 प्र0 सं0 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

154--डा0 सुशील चौधरी--

[8वें गुरु0 के अता0 प्र0 सं0 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 142 का समुचित उत्तर न आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, प्रश्नों से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। मान्यवर, इस सदन में सम्मानित सदस्य प्रश्न करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि माननीय मंत्रीगणों की तरफ से और माननीय सत्ता पक्ष की तरफ से उसका समुचित उत्तर सदन में आ जाये, कभी-कभी जानकारी के लिए भी, कभी-कभी उस तरह के प्रश्न होते हैं जिन पर अपेक्षा की जाती है। मान्यवर, आप प्रश्न संख्या 142 देखें, मैने प्रश्न किया था कि क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जनपद में वर्ष 2003-04 व 2004-05 में कितने ग्राम चयनित किये गये थे तथा उनके नाम क्या हैं ? उक्त सभी ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया है ? मान्यवर, उत्तर आया है कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2003-04 में 136 ग्रामों का चयन किया गया था। चर्यानत ग्रामों की सूची संलग्न है, उक्त सभी ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया है। मान्यवर, आप अवगत हैं कि इसमें माननीय सदस्यों से 10-10 ग्राम लिये जाते हैं और जब सूची आ जाती है तो उसके बाद व्यवस्था होती है। मान्यवर, यह स्वण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है यह महत्वपूर्ण योजना है। इस पर आप गंभीरता से विचार करें और शासन को निर्देश दें कि सदन में ऐसा उत्तर आने के पहले माननीय मंत्री जी उसे अच्छी तरह से देख लें ताकि सदन में सही उत्तर आ सके।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में है, इसमें कुछ संदेह हो सकता है, इसलिए मैं आपकी और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री की बैठक करके समाधान करा दूँगा। अगर उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो उसमें निर्देश की आवश्यकता होगी।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री गोपीनाथ दीक्षित, श्री मलखान सिंह, श्री भानू प्रताप सिंह तथा श्री पब्बर राम के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष--

अब मैं निधन के निर्देश की सूचनाओं को लेता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गोपी नाथ दीक्षित का 20 मार्च, 2006 को प्रात: निधन हो गया। वे लगभग 83 वर्ष के थे।

श्री गोपी नाथ दीक्षित का जन्म 21 मई, 1923 को ग्राम ऊगू, जिला उन्नाव में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री गोपी नाथ दीक्षित वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र सफीपुर, जिला उन्नाव से कांग्रेस के टिकट पर, वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र बांगरमऊ, जिला उन्नाव से कांग्रेस के टिकट पर, वर्ष 1980 एवं वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र बांगरमऊ, जिला उन्नाव से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर तथा वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र बांगरमऊ, जिला उन्नाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री गोपीनाथ दीक्षित गन्ना आन्दोलन और स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित आन्दोलन में लखनऊ तथा उन्नाव कारागार में बन्दी रहे थे। वे 1940 से 1952 तक ऊगू सेवा दल, उन्नाव के संस्थापक अध्यक्ष और 1980 से 1984 तक उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबन्धक संघ के अध्यक्ष रहे थे। वे श्री चरण सिंह मंत्रिमण्डल, श्री कमलापति त्रिपाठी मंत्रिमण्डल, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मंत्रिमण्डल, श्री श्रीपति मिश्र मंत्रिमण्डल, श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रिमण्डल तथा श्री वीर बहादुर सिंह मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे थे। श्री दीक्षित अनेक शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध रहे थे।

श्री गोपी नाथ दीक्षित के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री मलखान सिंह का 20 मार्च, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 55 वर्ष के थे। श्री मलखान सिंह का जन्म 5 जुलाई, 1951 को ग्राम मजूपुर, पोस्ट सुवकरा, जिला अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने बी0 एस0 सी0, एल0 एल0 बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मलखान सिंह वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र इगलास, जिला अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री मलखान सिंह राजनैतिक आन्दोलनों में धारा 151 के अन्तगर्त पुलिस लाइन, अलीगढ़ में बन्दी रहे। वे वर्ष 1985 से 1989 तक लोक अदालत में सदस्य/अधिवक्ता तथा वर्ष 1987 से 1991 तक कलेक्ट्रेट बार एसोसियेशन, अलीगढ़ की कार्यकारिणी के सदस्य रहे थे। वे वर्ष 2005 में राष्ट्रीय लोक दल के अलीगढ़ जनपद के जिलाध्यक्ष चुने गये थे। सामाजिक सेवा और निर्धन किसानों के उत्थान हेतु कार्य करने में उनकी विशेष रुचि थी तथा खेलकूद प्रिय था।

श्री मलखान सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री भानु प्रताप सिंह का 22 मार्च, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे। श्री भानु प्रताप सिंह का जन्म 3 फरवरी, 1935 को ग्राम अग्रास, जिला बरेली में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र भेजीपुरा, जिला बरेली से कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र भेजीपुरा, जिला बरेली से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे लोक सभा के सदस्य भी रह चुके थे।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्ष 1978-79 में धारा 144 के उल्लंघन के कारण 16 दिन जिला कारागार, बरेली में बन्दी रहे थे। वे श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मंत्रिमण्डल तथा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिमण्डल में सदस्य रह चुके थे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य थे। वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे थे। वे निशानेबाजी में रूहेलखण्ड के चैम्पियन रहे थे। राजनीति, कृषि एवं पशु-पालन में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री भानु प्रताप सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री पब्बर राम का 24 मार्च, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 95 वर्ष के थे। श्री पब्बर राम का जन्म 1911 में हुआ था। उन्होंने मिडिल की शिक्षा प्राप्त की थी। श्री पब्बर राम वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र गाजीपुर, जिला गाजीपुर एवं वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र गाजीपुर (शहर), जिला गाजीपुर से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री पब्बर राम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक वर्ष जेल में रहे। वे खालिसपुर हायर सेकेण्डरी स्कूल के मैनेजर तथा नगरपालिका गाजीपुर के चेयरमैन रहे थे। समाज सेवा में इनकी विशेष रुचि थी। श्री पब्बर राम के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

अब मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि दो मिनट खड़े होकर मौन रखें।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।)

वेतन विसंगतियों को लेकर संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों द्वारा की जा रही भूख-हड़ताल के सम्बन्ध में सूचना

*नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टंडन)--

मान्यवर, बाहर संस्कृत के अध्यापक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस सदन में मैंने यह प्रश्न उठाया था जब अरबी मदरसों के मुतल्लिस के वेतनमान रिवाइज हो रहे थे तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि उनको भी वही पंचम वेतन आयोग की सुविधा मिलेगी और 62 साल की सुविधा मिलेगी लेकिन उनको नहीं मिली तो वह लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो इसमें एक को मिल गया और एक को नही मिला, तो यह है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, नेता विरोधी दल ने एक ध्यान आकृष्ट किया है।

संसदीय कार्य-नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लेंगे अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसको सुधारेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, आज राजधानी में मेहर भार्गव की हत्या हुई ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

वह नियम 56 में है, नियम 56 आने दीजिए फिर अपनी बात कहियेगा।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, आपने सुनना शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष--

वह नहीं सुना, नेता विरोधी दल किसी विषय में कभी भी ध्यान आकर्षित कर सकते हैं यह उनको अधिकार प्राप्त है। वह उन्होंने किया।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, नेता विरोधी दल के बाद मैं कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--

आप जो विषय आप उठा रहे है वह आलरेडी नियम 56 में हमारे पास है, वह जब आयेगा तो मौका मिलेगा।

दिनांक 23 मार्च, 2006 को कार्य-स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत पुलिस इन्सपेक्टर की हुई हत्या पर उठाये गये प्रकरण की प्रगति की जानकारी

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, 23 तारीख को आप विराजमान नहीं थे लेकिन मैंने बहुत गम्भीर और मार्मिक घटना का उल्लेख किया था माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने उस वक्त यह आश्वस्त किया था कि यह घटना गम्भीर है और मार्मिक भी है इस पर कार्यवाही होनी चाहिए और नेता सदन से परामर्श करके उस पर वह कार्यवाही करायेंगे और उसकी जानकारी सदन को भी देंगे और हमको भी देंगे। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यहां विराजमान हैं वह पुलिस इंसपेक्टर की हत्या के बारे में आपने आश्वस्त किया था कि आर्थिक सहायता के बारे में और जो भी मुद्दे उठाये गये हैं उनके बारे में नेता सदन से बात करके आप अवगत करायेंगे यदि बात हो गयी हो तो जानकारी हो जाय और जानकारी हो जाय तो सबसे हम कह सकेंगे।

दिनांक 23 मार्च, 2006 को कार्य-स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर के ग्राम केनौरा निवासी श्री बुधराम व श्री राम मूर्ति की हुई हत्या पर उठाये गये प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी

श्री जगदम्बिका पाल--

एक बात आई थी सुल्तानपुर में जिस तरह से पुलिस का उत्पीड़न हुआ था माधवपुर गांव में लोगों का, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के लोगों ने कहा था तो हमारे माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने कहा था कि हम दो दिन में निश्चित रूप से उन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे क्योंकि जिस तरह से पुलिसिया ताण्डव हुआ और जुल्म हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों को, महिलाओं को बच्चों को चोटें आई थी, लोगों की परीक्षाएं छूटी थी उसमें भी सदन को आश्वस्त किया था संसदीय कार्य मंत्री जी ने कि सुल्तानपुर और अमेठी के सी0 ओ0 के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और वहां के एस0 ओ0 के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। उसमें भी सदन को आश्वासन था तो मैं चाहूँगा कि उसमें क्या कार्यवाही हुई है, उसके संबंध में बता दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

अब नियम 301 को लेने दीजिए। यह नियमों में उठाइये, अब हर आदमी सूचना मांगेगा।

*श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल सुन लें उस दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था जैसा कि माननीय जगदम्बिका पाल ने कहा कि कार्यवाही करेंगे और साथ में यह भी कहा था कि वहां के थानाध्यक्ष को निलम्बित किया जा चुका है। लेकिन मान्यवर, निश्चित रूप से मेरी जानकारी है कि वहां के थानाध्यक्ष निलम्बित नहीं किये गये है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मांग करूँगा कि उनको निलम्बित कर दें। संसदीय कार्य मंत्री जो ने उत्तर दिया था कि उसको करवा देंगे, उन्होंने घोषणा की थी।

संसदीय कार्य-नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

थानाध्यक्ष तो निलम्बित हो गये थे, तभी हो गये थे।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, मैं सुल्तानपुर जनपद से ही चुनकर आता हूँ। मैं निश्चित जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ कि वह लाइन हाजिर किये गये हैं, निलम्बित नहीं किये गये हैं।

श्री जगदम्बिका पाल--

आज की तारीख में उनका स्थानान्तरण हुआ है, दंड की कोई कार्यवाही नहीं हुयी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्र जी ने कह दिया तो पालन होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय हुकुम सिह जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे हालात रहे, नेताजी की तबियत ठीक नहीं रही, थोड़ा सा आप समय दे दें, 2-3 रोज का।

नियम 301 के अन्तर्गत सुचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 27 मार्च, 2006 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई :--

पहली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद शहर के कटरा बाजार में दिनांक 23.03.06 को दिन दहाड़े एक व्यापारी पर बम से हमले के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन की बिजली दरों में अन्तर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप पढ़ना ही चाहते है तो पढ़ दें। तीसरी सूचना श्री दयाराम की फतेहपुर के खागा क्षेत्रान्तर्गत मजरा इरादतपुर से परसपुर तक (लगभग 4 किमी0) कच्चे सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री महेश त्रिवेदी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की है, वह उपस्थित नहीं हैं। पांचवी सूचना श्री सुन्दर सिंह की प्रबन्ध निदेशक पश्चिमांचल पावर कारपोरेशन लि0 मेरठ से किसानों की लगभग 8,000 रुपया अवशेष धनराशि वापस कराने के संबंध में है। छठी सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद में अनूप शहर नहर की पटरी पर रजापुर पुल से गढ़स्याना रोड के पुल तक सड़क की पेंटिंग कराने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ के मेहनगर स्थित ग्राम गोमाडीह गोसाई की बाजार के ब्लाक ठेकमा तक सड़क का निर्माण कराने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर के ग्राम सिमरिया सहसपुर में गांव पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच के फलस्वरूप शीघ्र ही धन की रिकवरी कराने के संबंध में है। नवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की आजमगढ़ जनपद के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र बेलवाई में श्रद्धालुओं हेतु रैन बसेरा/अतिथि गृह बनवाने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की जनपद सुल्तानपुर के श्री आसल देव इंटर कालेज, पीपरपुर में विद्यालय प्रबन्धक द्वारा की गयी अवैधानिक नियुक्ति की जांच कराकर दंडित कराने के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री आर0 के0 सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट में पैश्वनी नदी से निकली बनकट बन्धवइन-डाइवर्जन नहर व वाल्मीकि नदी से निकली ओहन डाइवर्जन नहरों को हेड से 8 किमी0 तक पक्का कराने के संबंध में है। बारहवीं सूचना श्री रिजवान अहमद खां की मुरादाबाद के कांठ क्षेत्रान्तर्गत जलभराव की समस्या के निदान हेतु दो नालों की खुदाई कराने के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों की पेयजल समस्या के निदान हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाने के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री राम करन आर्य की उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सरोजनीनगर, लखनऊ के शिक्षकों व कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के तहत वेतनमान दिये जाने के संबंध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की वर्ष 2000 में स्वीकृत प्राविधिक कालेज, औराई, जनपद संत रविदासनगर भदोही के निर्माण में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

माननीय सदस्यों का नाम जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गयी। श्री लल्लू सिंह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री मुंशी लाल गौतम, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, चौधरी महेन्द्र सिंह।

श्री महेश त्रिवेदी के स्थान पर श्री लल्लू सिंह की सूचना स्वीकार की जाती है।

(श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ने अपनी सूचना पढ़ी, शेष सूचनाएं पढ़ी हुयी मानी गयी)

इलाहाबाद शहर के कटरा बाजार में दिन दहाड़े एक व्यापारी पर बम से हमले किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

[मान्यवर, इलाहाबाद शहर के थाना कर्नलगंज क्षेत्र के कटरा बाजार में विश्वविद्यालय चौराहे के पास व्यापारी विजय जायसवाल (40 वर्ष) अपनी हार्डवेयर की दुकान में मौजूद थे।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 23-3-2006 को लगभग दिन में तीन बजे चार लड़के दुकान पर आये और विजय जायसवाल से उनके भतीजे आशीष के बारे में पूछने लगे। उन्होंने बताया कि आशीष इस समय नहीं है। चारों लड़के थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आये। उनमें से दो दुकान से थोड़ी दूर पर खड़े हो गये तथा अन्य दो युवकों ने विजय जायसवाल पर निशाना साधते हुए बमों से हमला कर दिया।

पांच बम फेकने के बाद वह भाग गये। दुकान व आस-पास चारों ओर धुआं फैल गया तथा भगदड़ मच गयी। आश्चर्य की बात है कि मात्र 200 मीटर दूरी पर थाना होने के बावजूद आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुँची। व्यापारी विजय जायसवाल को घायल अवस्था में बेली अस्पताल ले जाया गया। थाना कर्नलगंज में रिपोर्ट दर्ज की गयी, परन्तु अभी तक किसी अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। शहर में गुंडा टैक्स वसूल करना जोरों पर है, यह घटना भी उसी प्रकार की है। दिन में भीड़ वाले बाजार में इस प्रकार बमबाजी होना निन्दनीय एवं चिंताजनक है, जिसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

उपरोक्त विषय लोक महत्व का एवं अविलम्बनीय है। अत: नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूँ।]

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले ट्यूबवेल कनेक्शन की बिजली दरों में अन्तर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, शहरी क्षेत्र में किसानों के कृषि के काम में प्रयोग होने वाले ट्यूब वेल से विद्युत विभाग द्वारा 130 रुपये प्रति हार्स पावर की दर से भुगतान लिया जा रहा है इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले ट्यूबवेल पर विद्युत दर 75/- प्रति हार्स पावर है।

एक ही ग्राम एक ही बिजली घर, एक ही विद्युत लाइन, एक ही खेती का आधार एक जैसी फसल फिर भी विद्युत दरों में अन्तर का क्या कारण है। शहरी व ग्रामीण कृषि काम में आने वाले ट्यूबवेल के विद्युत कनेक्शन की दरें एक समान होनी चाहिये।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूँ।

फतेहपुर के खागा क्षेत्रान्तर्गत मजरा इरादतपुर से परसपुर तक लगभग 4 किमी0 कच्चे सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दयाराम--

[मान्यवर, जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अंतर्गत ब्लाक हथगांव के ग्राम सभा इरादतपुर, चतुर्भुजपुर (कुम्भीपुर) में पांच मजरे क्रमश: इरादतपुर, भानपुर, नरियनपुर, धिधौरपुर, शिवरसीपुर एवं परसपुर सम्मिलित है। उक्त ग्राम सभा के मजरा इरादतपुर से परसपुर तक (लगभग 4 किमी0) सम्पर्क मार्ग के रूप में एक-एक कच्ची सड़क बनी हुई है। सम्पर्क मार्ग में पड़ने वाली नदी के ऊपर पुल का निर्माण कराया जा चुका है। परन्तु कच्ची सड़क होने के कारण वह लुप्त प्राय: हो गयी है। बरसात के दिनों में पानी फैलने से सम्पर्क मार्ग से आवागमन बिल्कुल

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बंद हो जाता है। गांव वालों व मजरें के लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जिससे जहां एक ओर कृषक वर्ग का हाट-बाजार एवं अन्य काम-काज बुरी तरह प्रभावित होता है वही दूसरी ओर बच्चों के लिए स्कूल जाना बिल्कुल बंद हो जाता है । बार-बार लिखा पढ़ी होने के बाद भी सरकार/प्रशासन द्वारा उक्त सड़क का डामरीकरण नहीं कराया जा रहा है। बरसात से पूर्व उक्त कच्चे चार किमी0 सड़क का डामरीकरण कराया जाना अति आवश्यक है।

अत: आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ग्राम इरादतपुर चतुर्भुजपुर के समस्त मजरों से गुजरने वाली कच्ची सड़क/सम्पर्क मार्ग जो लगभग चार किमी0 है, का बरसात आने से पूर्व डामरीकरण करा दें। सधन्यवाद।]

प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल पावर कारपोरेशन लि0 मेरठ से किसानों की लगभग 8,000 रुपया अवशेष धनराशि वापस कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर सिंह--

[मान्यवर, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड मेरठ ने वर्ष 2005 के माह अक्टूबर में मेरठ परिक्षेत्र (मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर) के कृषकों को गन्ना क्रेशर चलाने हेतु साढ़े सात अश्वशक्ति (7½ अश्वशक्ति) के तीन माह को अस्थाई विद्युत कनेक्शन देते समय कृषकों से 16000 रुपये जमा कराये थे जिसमें (4800 रुपये मीटर मूल्य, शेष 11200 रुपये) विद्युत मूल्य था जब की विगत वर्षों में मात्र मीटर का किराया जमा कराया जाता रहा है। प्रदेश भर के अन्य जनपदों में कहीं भी रुपये 4800 मीटर की कीमत जमा नहीं करायी गयी है। प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड मेरठ ने इस प्रकार से किसानों का उत्पीड़न किया है। गन्ना की फसल कम होने के कारण अधिकतर गन्ना क्रेशर बंद हो चुके हैं तथा मीटर में बिल लगभग सात व आठ हजार रुपये का आया है। शेष धनराशि लगभग आठ हजार रुपये वापिस करने के सम्बन्ध में विद्युत विभाग के डिवीजन स्तर के अधिकारी बता रहे हैं कि एम0 डी0 महोदय के स्तर से वापस की जायेगी जिसमें लगभग एक वर्ष का समय लगेगा।

अत: माननीय आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि सरकार मेरठ क्षेत्र के एम0 डी0 (प्रबन्ध निदेशक), पश्चिमांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड मेरठ को आदेश करें कि किसानों की अवशेष धनराशि लगभग आठ हजार तुरन्त वापस कराने के आदेश पारित करने की कृपा करें।]

जनपद गाजियाबाद में अनूप शहर नहर की पटरी पर रजापुर से गढ़ स्याना रोड के पुल तक की सड़क की पेन्टिंग कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान--

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र में अनूप शहर नहर की पटरी जो कि एक सिंचाई विभाग की महत्वपूर्ण नहर है तथा बक्सर के पास से स्याना गढ़ रोड पर पुल तक एक मुख्य मार्ग भी है। लगभग शहर तक आने जाने के लिए 80 ग्रामों का आवागमन मार्ग है। अत्यन्त व्यस्त है। स्याना पुल की ओर लगभग 2 किमी0 अत्यन्त जर्जर है। जो कि मार्ग का शेष भाग है। निर्माण होना पेन्टिंग सड़क का जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। कृषकों की व आम नागरिकों की समस्या बना है। अत्यन्त महत्वपूर्ण व अविलम्बनीय है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ ताकि उपर्युक्त मार्ग का निर्माण हो सके । धन्यवाद।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आजमगढ़ के मेंहनगर स्थित गांव गोमाडीह गोसाई की बाजार के ब्लाक ठेकमा तक सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विद्या चौधरी--

[मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम गोमाडीह गोसाई की बाजार शारदा खण्ड-23 नहर की पटरी अधूरे पीच होते हुए ठेकमा सड़क तक ब्लाक-ठेकमा तक सड़क न बनने के कारण जनता का आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध है। बरसात के दिनों में जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है सड़क न बनने से जनता में काफी आक्रोश है।

अत: इस अविलम्बनीय एवं लोक हित के महत्व को देखते हुए मैं मांग करती हूँ कि सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग करती हूँ।

शाहजहांपुर के ग्राम सिमरिया सहसपुर में ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच के फलस्वरूप शीघ्र ही धन की रिकवरी कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना--

[मान्यवर, शाहजहांपुर जनपद की सदर तहसील के ग्राम सिमरिया सहसपुर में ग्राम पंचायत के द्वारा खराब काम कराने/ मानक से कम सामग्री का प्रयोग करने पर गांव पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच गत वर्ष 2003-04 में कराई गई, जांच में अनियमितता पायी गयी । इस अनियमितता के आधार पर धन की रिकवरी के आदेश हुए हैं परन्तु अभी तक धन की रिकवरी नहीं हो सकी है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से इसमें शीघ्र ही धन की रिकवरी पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

आजमगढ़ जनपद के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र बेलवाई में श्रद्धालुओं हेतु रैन बसेरा/अतिथि गृह बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम नरेश यादव--

[आजमगढ़ जनपद में दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि, चन्द्रमा ऋषि, का आश्रम प्राचीनकाल से चला आ रहा है। यहीं पर महराजगंज में भैरव बाबा का स्थान है। बेलवाई नामक स्थान पर प्राचीन शिव लिंग एवं मंदिर है। यह ऐतिहासिक सांस्कृतिक केन्द्र है। यहां प्रतिवर्ष मेले लगते है लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। प्रदेश के कोने-कोने से तो लोग आते ही हैं। दूसरे बड़े-बड़े शहरों से भी श्रद्धालु दर्शनार्थ मेले में भाग लेते आते हैं। किन्तु ये सभी स्थान उपेक्षित हैं। पर्यटन की दृष्टि से अपना महत्व रखते हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहां ठहरने के लिए रैन बसेरा अतिथिगृह आदि की विशेष आवश्यकता है। कई दिन तक श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। मेले के पश्चात् भी यहां पर रह रहकर यज्ञ आदि होते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि पर्यटन की दृष्टि से उपयोगी समझते हुए उनके रहने, उठने, बैठने तथा सुन्दरीकरण आदि के लिए विशेष योजनाबद्ध रूप से करें।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद सुल्तानपुर के श्री आसलदेव इण्टर कालेज, पीपरपुर में विद्यालय प्रबन्धक द्वारा की गयी अवैधानिक नियुक्ति की जांच कराकर दण्डित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अमरजीत सिंह जनसेवक--

[आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूँ।

जनपद के इन्टर कालेजों में व्याप्त अराजकता से शैक्षिक वातावरण निरन्तर दूषित होने से जन सामान्य की इच्छाओं/महत्वाकांक्षाओं का क्षरण होने के साथ-साथ छात्र/छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उदाहरण के तौर पर श्री आसलदेव इण्टर कालेज, पीपरपुर, सुल्तानपुर में श्री शिवभूषण उपाध्याय, अध्यापक को अवैधानिक ढंग से नियुक्ति करके वेतन का भुगतान किया जा रहा है। उक्त विद्यालय के प्रबंधक द्वारा शासन व प्रशासन के संज्ञान में विगत कई वर्षों से प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा है किन्तु अभी तक इस मामले में कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है, इस मामले में माननीय श्री तेज भान सिंह, विधायक गौरीगंज, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक 30-8-2000 पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी द्वारा परीक्षण करके प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु अभी तक अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। उक्त अवैधानिक नियुक्ति के सम्बन्ध में जांच के प्रकरण को काफी समय से लम्बित रखा गया है, इससे असमंजस की स्थिति बनी हुयी है। विद्यालय प्रबंधन एवं उक्त अध्यापक के मध्य उत्पन्न विवाद के कारण विद्यालय के शिक्षणकार्य का माहौल प्रभावित हो रहा है तथा सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर इसका कुप्रभाव भी पड़ना स्वाभाविक है। उक्त असमंजसपूर्ण स्थिति को देखते हुए दीर्घ काल से लम्बित इस मामले का जनहित में व छात्रों के हित में तत्काल निस्तारण आवश्यक है।

अत: आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण पर जांच कराकर समस्या का निराकरण कराने एवं सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्डित कराकर अवगत कराने का कष्ट करें।]

जनपद चित्रकूट में पैश्वनी नदी से निकलकर बनकट बन्धवइन डाइवर्जन नहर व बाल्मीकी नदी से निकली ओहन डाइवर्जन नहरों को हेड से 8 कि0 मी0 तक पक्का कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

[मान्यवर, आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कराना चाहूँगा जनपद चित्रकूट में दो प्रमुख नहरों जो क्रमश: पैश्वनी नदी से एवं बाल्मीकी नदी (ओहननदी) डाइवर्ड करके निकाली गई थी जिनसे काफी बड़े भू-भाग की सिंचाई होती थी। किन्तु उक्त नहरों में हेड से लेकर छ: किमी0 तक अत्यन्त गहरी होने से प्रतिवर्ष मिट्टी का कटाव हो जाता है। जिससे उक्त दोनों नहरों में पानी होते हुए पानी सिंचाई हेतु आगे नहीं बढ़ पाता है। जिसके कारण किसानों की फसले सूख जाती हैं। उक्त नहरों को 0 से 8 किमी0 तक पक्का कराये जाने हेतु एवं किनारों पर पिचिंग कराने हेतु कई बार मांग की गई । किन्तु कोई धन उपलब्ध नहीं हो सका जिससे जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अत: सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कराते हुए उक्त दोनों नहरों को 0 से 8 किमी0 तक पक्का कराने की मांग करता हूँ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुरादाबाद के कांठ क्षेत्रान्तर्गत जल भराव की समस्या के निदान हेतु दो नालों की खुदाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रिजवान अहमद खाँ--

[मेरे विधान सभा क्षेत्र-8 कांठ, जनपद-मुरादाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड-छजलैट के ग्राम-मौढ़ीतय्या के दक्षिण में लगभग 100 एकड़ भूमि कच्चे नाले की खुदाई न होने के कारण जलमग्न हो जाती है। तथा ग्राम मिलक हरिद्वारी रोड तक ग्राम गांवड़ी के सामने तक भी कच्चा नाले की खुदाई न होने के कारण फसल एवं रास्ते में जल भराव हो जाता है जिससे फसल नष्ट होने के साथ ही साथ आवागमन में काफी असुविधा होती है। उक्त दोनों नालों की खुदाई लगभग डेढ़-डेढ़ किमी0 होना है। तथा कुल तीन किमी0 नाले की खुदाई होना अति आवश्यक है। उक्त नाले की खुदाई न होने के कारण क्षेत्रीय किसानों के साथ ही साथ राहगीरों में भी काफी आक्रोश एवं रोष व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दोनों नाले की खुदाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों की पेयजल समस्या के निदान हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखदेव राजभर--

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र लालगंज, जनपद आजमगढ़ में गांनी नदी के किनारे के ग्राम अगेहता, नाऊ पुर, चाँदपुर, बछनी, वालिपुर, सिकरारा, कजहित, श्री कान्तपुर, कसड़े आदि विकास खण्ड लालगंज, आजमगढ़ के तमाम ग्रामों में पेयजल समस्या उत्पन्न हो गई है। आये दिन बड़ी तेजी से जल स्तर गिरता जा रहा है। छोटे हैण्ड पम्पों ने पानी देना बन्द कर दिया है। इण्डिया मार्का हैण्डपम्प इतनी संख्या में नहीं हैं कि कुछ समस्या हल हो जाती। ग्रामीण जनता के घरों में बर्तनों में पानी इकट्ठा करके रखा जा रहा है। वह भी कहीं दूर से ला रही हैं। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी पानी पीने की समस्या विकराल हो जायेगी अभी से हाहाकार मचा है जिला प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी दशा में स्पेशल पैकेज के द्वारा इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवाने की व्यवस्था करना जरूरी हो गया है जनता काफी आक्रोशित है तथा आन्दोलित है।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय एवं लोकहित के महत्वपूर्ण विषय पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए यथा शीघ्र उक्त प्रभावित ग्रामों में विशेष व्यवस्था करके इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगवाने की मांग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, सरोजनीनगर, लखनऊ के शिक्षकों व कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के तहत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम करन आर्य--

[मान्यवर, आपके संज्ञान में उ0 प्र0 सैनिक स्कूल, सरोजनीनगर, लखनऊ में तनात शिक्षकों व कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग के तहत वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूँ। प्रदेश के विद्यालयों व अन्य कार्यालयों में पंचम वेतन मिल रहा है परन्तु 1996 से लागू

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उक्त वेतनमान सैनिक स्कूल में नहीं किया गया है जिससे रोष व्याप्त है, पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाया जा रहा है शासनादेश के पैरा 2 को देखें पैरा 8 पैरा 9 को देखें जो प्रमुख सचिव वित्त के संख्या वे0 आ0-2-1007/दस-17 जी0 98 वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 द्वारा जारी है, स्पष्ट प्राविधान है, यह विद्यालय प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अनुदानित है परन्तु पक्षपात पूर्ण रवैया शासन में बैठे कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया है जिससे पठन-पाठन पर प्रभाव पड़ रहा है। लोगों में रोष व्याप्त है तत्काल 1996 से वेतनमान लागू किया जाये। और एरियर बनाकर दिया जाये। वर्ष 2000 से लागू करने का औचित्य क्या है समझ में नहीं आ रहा है। इन कर्मियों के साथ अन्याय हो रहा है। तत्काल कार्यवाही की जाये और मा0 मुख्य मंत्री जी के समक्ष ये प्रकरण नहीं रखा जाता है नहीं तो अब तक न्याय मिल गया होता। कुछ सांची समझी राजनीति के तहत शासन के कुछ अधिकारी बदनाम कर रहे हैं।

अत: इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल 1996 से वेतनमान लागू करने की मांग करता हूं तथा एरियर आदि बनाकर कर दिया जाये, हो रहे पक्षपात पर रोक लगाई जाये।]

वर्ष 2000 में स्वीकृत प्राविधिक कालेज, औराई, जनपद संत रविदासनगर, भदोही के निर्माण में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रंगनाथ मिश्र--

[मान्यवर, भदोही जनपद में प्राविधिक कालेज 2000 में स्वीकृत हुआ तत्कालीन मुख्य मंत्री ने तत्कालीन गृह राज्य मंत्री रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में शिलान्यास भी तत्समय कर दिया तथा 50 लाख रुपया टोकेन मनी के रूप में अवमुक्त हो गया सात करोड़ की परियोजना जिसमें 3 ट्रेड कम्प्यूटर इंजि0 इनफार्मेशन टेक्नालोजी एवं इलेक्ट्रानिक्स खोलने की अनुमति भी शासन ने दी कार्यदायी संस्था निर्माण निगम को बनाया गया किन्तु दुर्भाग्य है कि आज तक 6 वर्ष में मात्र 4 फिट की वाउन्ड्री का निर्माण हो पाया है। जिले के तथा प्रदेश के छात्र इस कालेज से लाभ नहीं ले पा रहे हैं यह भी सुनने में आ रहा है कि सारा पैसा खर्च दिखा दिया गया है। इस प्रकार भारी भ्रष्टाचार की गंध आ रही है।

अत: मैं मांग करता हूँ कि इस लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए शासन से अवशेष रुपये को तत्काल अवमुक्त कराये तथा अतिशीघ्र प्राविधिक कालेज का निर्माण हो सके।]

जनपद फैजाबाद के क्षतिग्रस्त मया-टाण्डा मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह--

[मान्यवर जनपद फैजाबाद से मया होकर टाण्डा जाने का मया-टाण्डा मार्ग ही प्रमुख मार्ग है। यह मार्ग वैसे भी बहुत कम चौड़ा है दूसरे जगह-जगह टूटकर दो-दो, तीन-तीन फिट गड्ढे हो जाने से आवागमन अक्सर बाधित रहता है। टाण्डा में जे0 पी0 सीमेन्ट की फैक्ट्री होने के कारण इस मार्ग पर जे0 पी0 सीमेन्ट की लम्बी ट्रकें जो कि 30-40 टन का वजन लेकर चलती हैं मार्ग के अत्यन्त खराब होने के कारण प्रतिदिन कहीं न कहीं फंसी रहती हैं जिसके कारण इस मार्ग पर आये दिन 5-5 घन्टे तक जाम लगा रहता है। जिसके कारण आवागमन बाधित रहता है। जनहित में इस मार्ग का निर्माण अविलम्ब कराया जाना चाहिए।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग का निर्माण अविलम्ब कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

श्री अध्यक्ष--

राधा मोहन दास अग्रवाल जी, मैं आपसे आग्रह करूँगा, हालांकि यहां से नही कहना चाहिए, अलग से कहना चाहिए लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ, आपकी लिखने की जो शैली है वह विवरणात्मक होनी चाहिए, ऐसा न होने पर आपकी सूचना अस्वीकार हो जाती है, कृपया इसका ध्यान रखें।

गृह (पुलिस) विभाग का आय-व्ययक स्वीकृत हो जाने के बाद भी बजट साहित्य (कार्यपूर्ति दिग्दर्शक) प्राप्त न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

माननीय गौर साहब आपकी नियम 300 की सूचना है, यह उसी समय व्यवस्था में उठाना था, मैं सरकार से कहे दे रहा हूँ, क्या इस पर चर्चा करेंगे ? उस दिन आपको सुनाना चाहिए था, आप यहां उपस्थित थे, उस दिन आपने नहीं कहा था।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, उस दिन चर्चा नही हुई थी, कृपया दो मिनट सुन लें। माननीय अध्यक्ष जी, भारत के संविधान और उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया एवं संचालन नियमावली के तहत् आम बजट सदन में प्रस्तुत होता है और विभागों की मदें प्रस्तुत की जाती है। मान्यवर, जब किसी विभाग का बजट प्रस्तुत होता है तो अभी तक यह परम्परा रही है कि उस विभाग की साहित्य सामग्री हम लोगों को मिल जाती थी। इस बार मान्यवर, 11 मार्च को सारा बजट एक साथ पास हो गया और मैं पटल पर छ:-सात बार जा चुका हूँ, गृह विभाग का बजट साहित्य लेने के लिए। मान्यवर, मुझे गृह विभाग के बजट से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करनी थी और इसके लिए यहां से फोन भी किया लेकिन विभाग द्वारा कोई रिस्पांस नहीं मिला। मान्यवर, क्या यह विभाग द्वारा विधान सभा की उपेक्षा नहीं है ? इसके लिए मैं गृह विभाग की निन्दा करता हूँ और सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि गृह विभाग का बजट साहित्य हमें तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

श्री अध्यक्ष--

यह सही है कि बजट साहित्य सम्बन्धी सामग्रियां माननीय सदस्यों को उपलब्ध करायी जाती है लेकिन चूँकि इस बार सारे विभागों का एक ही दिन बजट प्रस्तुत हुआ, इसलिए यह सामग्रियां उपलब्ध नही हो पायी, इसलिए मैं चाहूँगा कि यह सामग्रियां उपलब्ध करा दी जाएं और हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि बजट सामग्री समय से उपलब्ध करा दी जाए।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैं इसके लिए छ:-सात बार वहां जा चुका हूँ लेकिन वहां पर कोई रिस्पांस नही मिलता है क्या गृह विभाग इतना इनसेंटिव हो गया है ?

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006†

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री (स्व0 प्रभार) (श्री योगेश प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री योगेश प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 27 मार्च, 2006 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 09 सूचनाएं प्राप्त हुई । नम्बर-1 श्री प्रमोद कुमार जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री राम नरेश यादव जी, श्री सतीश महाना जी, श्री रंगनाथ मिश्रा जी, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी, श्री सुखदेव राजभर जी, श्री हीरा लाल गौतम जी।

श्री प्रमोद कुमार जी आप अपनी बात कहें।

*श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष महोदय, आज मैं बहुत दु:ख और वेदना के साथ इस प्रश्न को यहां पर उठा रहा हूँ। मान्यवर, कानून और व्यवस्था के मामले में क्या आज हम इस स्तर पर पहुँच गये हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक सुरक्षित कहा जाने वाला क्षेत्र है, आज वह भी सुरक्षित नहीं है ? मान्यवर, पूरे लखनऊ की बात को छोड़ दें, जिस तरह से 28 फरवरी को यह घटना लखनऊ में घटित हुई है। वह मैं कह सकता हूँ कि सरकार के लिए एक कलंक की बात है। सरकार दावा करती है कि उसने यहां पर सुरक्षा दे रखी है, प्रदेश के लोग सुरक्षित हैं, उस पर सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाती बल्कि पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। अगर सरकार राजधानी लखनऊ में कानून-व्यवस्था की हिफाजत नहीं कर सकती तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की हालत क्या होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ? मान्यवर, मेहर भार्गव का कुसूर क्या था, क्या एक मां को अपनी बेटी के प्रति आपके राज्य में यह भी अधिकार नही रह जायेगा कि यदि उसके प्रति कोई अश्लील टिप्पणियां करे, उसके साथ ऐसा व्यवहार करे जो किसी नारी के साथ नही होनी चाहिए, क्या किसी मां को अपनी बेटी की सुरक्षा का अधिकार नहीं रह गया, एक सास को बहू की सुरक्षा का अधिकार नहीं रह गया ? क्या किसी भाई को अपनी बहिन की सुरक्षा का अधिकार नहीं रह गया ? आखिर मेहर भार्गव का कुसूर क्या था ? वह दिलीपपुर टावर से नीचे उतरकर अपनी बहू को लेने गयी थी,

---

†दिनांक 12-4-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा हैं।

कार से थी, ड्राइवर साथ था उनकी गाड़ी पर कांग्रेस का झण्डा लगा हुआ था, श्री लव भार्गव जी जहां हम आप बैठे हुये हैं, इसी क्षेत्र से विधान सभा का चुनाव लड़ चुके हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार से हैं, लखनऊ का एक प्रतिष्ठित परिवार है, मान्यवर, वह लड़की उतर रही है उसे चार-पांच लोग जिस तरह से फब्तियां कसकर अश्लील टिप्पणियां कर रहे हैं, किसी की भी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। श्रीमती मेहर भार्गव ने एक जागरुक नागरिक के नाते एक मानवीय आधार पर, मैं तो सलाम करता हूँ श्रीमती मेहर भार्गव के उस साहस को कि उन्होंने कम से कम इन लोगों के खिलाफ आवाज तो उठायी। आप देखें कि क्या स्थिति है ? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का घर और कार्यालय वहां से मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर है, कहां तक हौसले बुलन्द हैं, इन अपराधियों के कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने इतनी प्रतिष्ठित परिवार की महिला जो कार में है अगर इनके साथ यह हालत है तो गरीब झोपड़ियों में रहने वालों की हालत इस सरकार के कार्यकाल में क्या होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है ? श्रीमती मेहर भार्गव प्रतिरोध करती है, अपनी बहू को बचाने का प्रयास करती है तो गोलियां चला दी जाती है। उन्हें ट्रामा सेण्टर ले जाया गया, जहां पर स्थिति और खराब होने पर उन्हें संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया किन्तु उनकी स्थिति अत्यधिक खराब होने पर अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली ले जाया गया। किन्तु चोट इतना प्राणघातक व संघातिक थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका और परसों 25 मार्च, 2006 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद सवाल उठता है, मैं मानता हूँ कि घटना हो सकती है लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया ? हर अखबार पढ़ने वाले और इलेक्ट्रानिक मीडिया देखने वालों ने बयान देखा सर्वोच्च पुलिस अधिकारियों का, जिले के अधिकारियों का जहां कुछ नाम के साथ कोई के0 डी0 सिंह पहाड़ी नाम के व्यक्ति का नाम आया और यह भी कहा गया कि उन्हें पूर्वान्चल के एक शक्तिशाली बाहुबली विधायक का संरक्षण प्राप्त है। 28 फरवरी, 06 से लेकर 25 मार्च, 06 तक का समय बीत गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो उसके खिलाफ सरकार ऐसी कार्यवाही करती कि फिर किसी गुण्डे की हिम्मत नही रह जाती कि वह किसी महिला के साथ ऐसा आचरण कर सके, आपने वह नहीं किया। परसों जब मेहर भार्गव जी का निधन हो गया तो 10 घण्टे के अन्दर उस ब्लाक प्रमुख को पकड़ लिया गया, वह ब्लाक प्रमुख जौनपुर छोड़कर भागा नहीं था, वह कहीं नही गया था लेकिन आप उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे, उसे एक सत्ताधारी नेता का संरक्षण प्राप्त था। सरकार अपराधी को संरक्षण देने वालों के दामन पर हाथ नहीं डाल सकती। मैं इस घटना से पूरी तरह से विचलित हूँ। कल अंतिम संस्कार में मैं गया था, दलों के बंधन को तोड़कर लोग एक सवाल पूछ रहे थे कि मौजूदा कानून-व्यवस्था क्या है ? वहां पर एक नेता और विधायक के रूप में जाने पर शर्म महसूस हो रही थी, हर कोई यह सवाल पूछ रहा था कि लोग कहां सुरक्षित हैं, जब राजधानी में यह हाल है ? नि:संदेह यह सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आक्षेप है। सरकार अपराधियों की 3 दिन या एक सप्ताह के अन्दर गिरफ्तारी करे, अगर नहीं कर सकती है तो बता दे। अगर नही कर सकती तो सी0 बी0 आई0 के हवाले कर दे, सी0 बी0 आई0 निष्पक्ष कार्यवाही करेगी। उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेगी जिन्होंने शरण दे रखी है। आप यह नहीं कर सकते। क्योंकि सरकार हिलती-डुलती नजर आती है, ऐसे में अपराधियों के पौ-बारह हो जाते हैं। मान्यवर, आप हमारी भावनाओं को समझें। अध्यक्ष जी, इस प्रकरण पर महिला सदस्य भी बोलना चाहेंगी, पाल साहब भी बोलना चाहेंगें इसलिए मैं चाहूँगा कि आप समय का बन्धन न डालें। एक चुनौती है। सरकार इस चुनौती

को स्वीकार करे और सरकार इस सदन में घोषणा करे कि तीन दिन के अन्दर गिरफ्तारी होगी। इस शिथिलता के लिए जो लोग जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय साथ ही इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की जाय।

श्रीमती लुईस खुर्शीद--

मान्यवर, दो दिन पहले मेरी दोस्त, इस शहर की मानी हुई वकील मेहर भार्गव ने 25 दिन अस्पताल में जूझने के बाद दम तोड़ दिया। दुख पर काबू हम करेंगे मुश्किल से मगर काबू करेंगे। मगर यह हुआ क्यों? पुलिस सुरक्षा बल होना चाहिए लेकिन 25 दिनों तक कुछ नहीं किया जैसा कि प्रमोद कुमार ने कहा यह हादसा पुलिस एस0एस0पी0 के घर के सामने हुआ वहाँ पर कितने पुलिस कर्मी पोस्ट थे मगर किसी ने पकड़ा नहीं और 25 दिनों तक कुछ नहीं किया। यह सिर्फ मेहर भार्गव के साथ नहीं हुआ बल्कि इस तरह की घटनाओं से हम अपने आपको जोड़े तो पता चलेगा परसों किसी दूर गांव में इस तरह की घटना हुई कल लखनऊ में हुई, कल हमारे पड़ोसी के घर होगी आगे क्या पता हमारे घर में हो सकती है।

आज मुख्य मंत्री जी नहीं है अगर वह रहते तो मैं उनसे जरूर यह कहती कि मुख्य मंत्री जी आपके चारों तरफ संकट की घंटियाँ बज रही हैं। क्या हम बहरे हो गए हैं या हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? मैं आरोप नहीं लगाना चाहती हूँ और न मैं सदन में यह कहना चाहती हूँ कि जो कातिल है वह किसी विधायक को धमकी दे रहा है न ही मैं यह आरोप लगा रही हूँ कि कातिल किस गैंग से जुड़ा है लेकिन यह बताने का हक है अगर सुरक्षाबल 25 दिन बाद भी काम नहीं कर पाए तो या तो उनकी रुचि नहीं है या उनमें काबिलियत नहीं है इसलिए यह केस सी0बी0आई0 को दे दिया जाय। मेरे ख्याल से हमारी कांग्रेस पार्टी सहित जितने विधायक हैं वह इस बात से सहमत होंगे कि इसमें सी0बी0आई0 निष्पक्ष जाँच कर सकती है क्योंकि इस सरकार ने साबित किया है कि वह करना नहीं चाहती है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ जैसा कि प्रमोद कुमार जी ने कहा कि मुझे विधायक होने के नाते शर्म लगती है या शर्म की बात है कि मेहर भार्गव की कीमत सिर्फ ढाई हजार थी कातिल को पकड़ने की कीमत ढाई हजार थी और मुख्य मंत्री जी के जाने के बाद इसे पाँच हजार किया गया यह शर्म की बात है। मान्यवर एक बकरी भी पाँच हजार में नहीं मिलेगी लेकिन मेहर भार्गव की कीमत सिर्फ पाँच हजार रुपये। इससे मुझे शर्म आ रही है और मेरे ख्याल से जितने भी सदस्य हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए।

*श्री जगदम्बिका पाल--

आपने यह देखा कि यह प्रश्न कितना गम्भीर है और कितने लोगों को भावुक करने वाला है इस प्रश्न पर पूरा सदन संवेदनशील है जैसा कि श्री प्रमोद कुमार व श्रीमती लुईस खुर्शीद ने कहा उससे सहमत होते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि वह परिवार लखनऊ का एक प्रतिष्ठित परिवार ही नहीं बल्कि रानी लीला राम कुमार भार्गव को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है देश और दुनियाँ में लखनऊ को एक अदब और तहजीब का शहर कहा जाता है। तो इस अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में और वह भी एक प्रतिष्ठित परिवार जिसको पद्म श्री का खिताब मिला हो रानी लीलावती राजकुमार मेहर का परिवार उनकी बहू के साथ इस तरह की घटना हुई है। मान्यवर, इस घटना ने लखनऊ शहर को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। मान्यवर,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल वहाँ पर हर वर्ग के लोग मौजूद थे। प्रशासनिक अधिकारी, आई0पी0एस0, तमाम बड़े पुराने लोग वहाँ पर थे जो उस परिवार से खानदानी ताल्लुकात रखते थे, सभी राजनीति दलों के लोग वहाँ पर थे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब लखनऊ शहर छोड़ देना बेहतर है। मान्यवर, अगर अपनी बहू बेटी पर कोई फब्तियाँ कसे तो उसका प्रतिरोध होगा। मान्यवर, यही शायद उसका गुनाह था कि उन्होंने इसका प्रतिरोध किया। मान्यवर, इस तरह की घटना होती है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और वह भी एस0एस0पी0 के घर के सामने। मान्यवर, 28 तारीख की घटना के 26 दिन बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह गिरफ्तारी घटना के चन्द घंटों बाद भी हो सकती थी। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप अपने उत्तर देने से पहले इसकी विवेचना कर लें या इसका उत्तर देने के समय तक पता कर लें कि जो इस मामलें की विवेचना कर रहे थे, जिस तेजी से यह कार्यवाही शुरू की गई थी उन अपराधियों ने, अपराधियों को संरक्षण देने वालों ने उस विवेचना करने वाले अधिकारियों को बदलवाकर इसकी विवेचना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अपराधियों को आज तक नहीं पकड़ा गया। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब वे उत्तर दें तो यह भी बतायें कि जब विवेचना हो रही थी तो उस विवेचना अधिकारी को बदला गया तो उनके स्थान पर जो दूसरे विवेचना अधिकारी आये वे आज घटना के 26 दिन बाद तक इसमें कार्यवाही क्यों नहीं कर पाए ? इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, ठेकेदार की हत्या हुई, इंजीनियर की हत्या हुई, आई0आई0एम0 के प्रोफेसर की हत्या हुई। कितनी लम्बी फेहरिस्त है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बड़ी से बड़ी घटनाएं लखनऊ में हो चुकी हैं और अपराधियों के गिरफ्तार न होने से जनता यही समझती है कि उनके साथ इस तरह की घटना होगी तो अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पायेंगें। आज मेहर भार्गव हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनकी हत्या करने वालों का क्या हुआ ? पुलिस कहती है कि मुजरिम पकड़े नहीं जा सके हैं। आज कहा जाता है कि अमित मुगलसराय का बड़ा हिस्ट्रीशीटर है। आज परत दर परत खुल रही है। जिनको आज अखबारों में अपराधी बताया जा रहा है उसके लिये कह रहे हैं कि वह बम्बई में हो सकता है। मान्यवर, आज इस तरह की घटना से प्रदेश के लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है। आज घर की बहू बेटियाँ सड़क पर निकल नहीं सकती हैं। कानून व्यवस्था का क्या पैमाना है ? आप सदन में खड़े होकर कानून व्यवस्था के पैमाने के बारे में बताते हैं कि रात का फिल्म शो देखकर कोई भी बहू बेटी अकेले आ जा सकती है। लेकिन, मान्यवर, एस0एस0पी0 के घर के सामने, पुलिस लोकेलिटी में, हजरतगंज के एक पाँश इलाके में एक बहू अपनी सास के साथ जा रही होती है उसकी बहू को कुछ लोग फब्तियाँ कसते हैं और वह उसका विरोध करती हैं तो उसको गोली मार दी जाती है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें पाल जी, आपकी बात आ गयी है। यादव जी भी कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी घटना और नहीं हो सकती है। आज मेहर भार्गव को जिस तरह से अपराधियों ने मारा और वो मर गयी। आज सरकार उन अपराधियों के खिलाफ कहीं तो कठोर कार्यवाही करे। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया तो जिस तरह से रोजाना यह घटनाएं हो रही हैं तो यहाँ पटना और बिहार से भी बदतर स्थिति कानून

व्यवस्था की हो जायेगी। एक दिन की कार्यवाही में सी0ओ0 इंस्पेक्टर को हटा दीजिये, किसी का निलम्बन कर दीजिये। इस तरह से कार्यवाही नहीं होगी। आज पद्मश्री से सम्मानित उस प्रतिष्ठित परिवार की वहू जिसने समाज की सेवा की हो, सम्मान की जिन्दगी जिसकी रही हो उसको वापस नहीं ला सकते हैं। अपराधियों के हौसले बढ़ते जाएं पहले आदमी गोली मार दें।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गई है। यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

*श्री रामनरेश यादव--

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का गम्भीर प्रश्न है। जैसा प्रमोद जी ने, लुईस खुर्शीद जी और जगदम्बिका पाल जी ने सारी प्रस्तुति रखी, वास्तव में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो यह घटना घटी है वह पूरे समाज के लिए कलंक की बात है। विशेष रूप से इस सरकार के लिए यह चुनौती है कि आज तक जो मुख्य आरोपी था, जो मुख्य अभियुक्त है उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। यह भी प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। इस घटना में दुस्साहस दिखाने पर एक बेटी चली गयी। उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था तत्काल की जाए मैं इसकी मांग करता हूँ। इस तरह से आतंकवादी अपराधी घूमेंगे और इस तरह की घटनायें करेंगे अगर कोई अपराधी को मना किया जाता है तो उसको गोलियों का शिकार होना पड़ता है इसमें निवेदन है कि इतने दिन बीत जाने के वाद भी शासन और प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है। इसमें कोई कार्यवाही नहीं की है इससे यह लगता है कि जो पुलिस है। स्थानीय पुलिस का कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसलिए वह इसमें कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वह मुख्य मंत्री जी से इसमें बात करें इसमें सी0बी0आई0 की जाँच कराई जाए ताकि सही ढंग से आरोपी सामने आ जाएं और वह जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो सकें। राजधानी लखनऊ में इस तरह का साहस किया जाए इस तरह की घटना हो जाए। सामने पुलिस रहती है यह शर्म की बात है। इसमें सी0बी0आई0 की जाँच कराकर कार्यवाही की जाए।

श्री सुखदेव राजभर--

मैं इस घटना पर वोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

आपका नोटिस नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर--

मानवीय घटना है। बोलना चाहता हूँ। अप्रत्यक्ष रूप से यह सामने आया है कि इसमें संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। पहली बार एक बहन ने मांग की है, पहली बार एक बहन ने कहा है और हम बहुजन समाज के सदस्य भी कह रहे हैं कि इसमें सी0बी0आई0 की जाँच करा दी जाए।

(मेंजे थपथपाई गई)

श्री आलम बदी--

इसमें सी0बी0आई0 की जाँच कराई जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप क्या कह रहे हैं आप बैठ जाएं।

श्री हुकुम सिंह--

स्पष्ट रूप से आरोप आ रहे हैं कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसलिए राज्य सरकार की मशीनरी जाँच नहीं करवा पाएगी। मैं भी इसमें माँग करता हूँ कि सी0बी0आई0 की इसमें जाँच कराई जाए।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

बहुत दुखद घटना है और जिस तरह से प्रमोद कुमार जी ने और अन्य साथियों ने बात को रखा है इससे बिल्कुल यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार किसी बात को छिपाना चाहती है या इसके असर को कम करना चाहती है। यह दुखद है कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ जो बर्ताव होना चाहिए, नारी सम्मान होना चाहिए इतनी लम्बी आजादी के बाद सामाजिक परम्पराओं को वह स्थान नहीं दिया जा सका। यह सब बातें अपनी जगह है जिस तरह के लोगों ने अपराध किया है उनकी हिस्ट्री बताती है कि वह कैसे लोग हैं। दो लोग ऐसे हैं एक नाम से काम नहीं चला, उनकी उर्फियत चार बार बदली गई। पहाड़ी की चार उर्फियत हैं यह ऐसे हिस्ट्रीशीटर हैं। ऐसे अपराधी कहाँ क्या घटना कर देंगे, यह पहले से नहीं कहा जा सकता लेकिन यह काबिल मजम्मत है, इसकी जितनी निन्दा की जाए, कम है और यह भी एहसास किया होगा, माननीय सदस्यों ने कि उनके निधन के बाद तुरन्त मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी उनके आवास पर पहुँचे लेकिन जितना बड़ा जख्म है, यह मरहम नाकाफी है। लेकिन सरकार ने कोई कोर-कसर नहीं उठा रखी है, एक महिला की जान चली जाना और इस तरह से, बहुत ही गम्भीर है। प्रमोद कुमार जी ने कहा कि क्या एक माँ को एक बेटी की आबरू बचाने के लिए आवाज उठाने का हक नहीं है और क्या हम बहू-बेटी को छेड़ने वालों को भी नहीं रोक सकेंगे ? यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, जो गलती दर्शायी गयी है, उसमें कहीं कोताही हो गई है लेकिन अभी मैं फौरी तौर पर जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ लेकिन पुलिस अफसर के खिलाफ कार्यवाही की गयी है, उनकी भी लम्बी फेहरिस्त है, उनका ट्रान्सफर और निलम्बन भी हुआ है। सी0बी0आई0 जाँच की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि मुल्जिमान के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है और जिसके लिए ढाई हजार रुपये का इनाम था, इनाम को बढ़ाकर पाँच हजार रुपये किया गया है, इनाम और बढ़ सकता है लेकिन इनाम के बढ़ जाने से भी अपराधी गिरफ्तार नहीं होते आए हैं और न उनकी गिरफ्तारी होती है, ऐसे काम अचानक हो जाया करते हैं। इनाम से आमतौर पर किसी अपराधी को नहीं पकड़ा गया है। इनाम से यह जरूर तय हो जाता है कि अपराधी की तलाश कितनी गम्भीरता से की जा रही है। लव भार्गव का नाम लखनऊ शहर में बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानित है और विधान सभा के एक किलोमीटर के अन्दर में इस तरह का हादसा हो और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बराबर ऐसा हादसा हो, हम इसकी घोर निन्दा करते है और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी सम्भव होगा, अपराधियों की गिरफ्तारी की जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय प्रमोद कुमार और संसदीय कार्य मंत्री को सुना। एक गम्भीर प्रश्न है इसलिए मैं निर्देश करता हूँ कि इस पर सरकार एक वक्तव्य दे।

श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने इसकी गम्भीरता को समझा लेकिन मूल प्रश्न कहीं तक सवालों में खो कर रह गया है। मैंने कहा है कि कौन है वह माफिया।

श्री अध्यक्ष--

जब वक्तव्य आयेगा तब आपको पूछने का पूरा अवसर मिल जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष जी, आप मेरी भावनाओं को समझें, एक सीधा सा प्रश्न है, 28 फरवरी को गोली मारी जाती है, 29 तारीख को अखबारों में निकलता है, प्रिंटमीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया से खबर आती है, आप मंगा कर देख लें उसमें साफ है कि पूर्वांचल के एक माफिया का संरक्षण प्राप्त है। पूर्वांचल का वह माफिया कौन है, जिसके संरक्षण में वह अपराधी है। लेकिन सरकार जानती है कि यदि उस अपराधी पर हाथ डाल देंगे तो सरकार हिलने-डुलने लगेगी और अस्थिरता आ जायेगी। इसलिए आप इसकी जांच सी0बी0आई0 को भेज दीजिए। आप मेरी भावनाओं को समझें। मैं बहुत दुखी और आहत हूँ, जिस शख्स को मारा गया है, उसके परिवार से मेरा सम्बन्ध है, हम लोगों का सम्बन्ध है। वह पूर्वांचल का माफिया कौन है ? भारतीय जनता पार्टी कह रही है, बसपा कह रही है और कांग्रेस माँग कर रही है कि सरकार इस मामले की सी0बी0आई0 से जांच कराये। जब तक आप उस पर हाथ डालने का साहस नहीं करेंगे तब तक आप उसे संरक्षण पहुंचा रहे हैं। यह लखनऊ अपराधियों का ज्वालामुखी बन चुका है। जिस तरह से सचिवालय के अन्दर नग्न ताण्डव हुआ है वह हमने देखा है आपने नहीं देखा है। अगर आप इस पर सी0बी0आई0 से जांच नहीं कराना चाहते हैं तो हम समझेंगे कि आप अपराधियों को संरक्षण देना चाहते हैं।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें आप विपक्ष की धारणा को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री जी से बात करके सी0बी0आई0 जांच का निर्देश करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, सी0बी0आई0 जांच तो बहुत आखिरी चीज है। मैं भावनाओं को समझ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई संवेदनहीन व्यक्ति हूँ। जिस तरफ उनका इशारा है वह भी मैं समझ रहा हूँ। मान्यवर, आपने वक्तव्य का निर्देश दिया है उसमें बहुत सी चीजें आ जाएंगी और उसमें बहुत से सवाल आ सकते हैं और हमारी भी जवाब देने की तैयारी हो सकती है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, वक्तव्य देने की आपने व्यवस्था दे दी है लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई है। जैसे पिछली बार गाजीपुर के बारे में हुआ था, इसी सदन में कहा गया कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होगी, एस0टी0एफ0 करेगी लेकिन आज तक कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी है। जिस तरह से अपराधी अपराध करके बम्बई भाग जाते हैं। अगर इसमें आप सी0बी0आई0 जांच से भी कतरा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

इनके पति श्री लव भार्गव ने भी यही मांग रखी है। इस पर पूरे प्रदेश का ध्यान खींचने एवं अपराधियों को संरक्षण दिए जाने के विरोध में मैं सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

*श्री सतीश महाना--

मान्यवर, आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में नदियों को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान की बहुत बड़ी योजना बनी। उसके अन्तर्गत कानपुर महानगर में जो ट्रेनरियों का रिसाव होता था उसे देखते हुए, सीवेज प्लान को देखते हुए ही यह प्लांट बनाया गया था। मैं इस मामले पर राजनीति नहीं करना चाहता। मान्यवर, वहाँ पर जब ट्रीटमेंट प्लांट किया जाता है और विशेष रूप से उस समय जो ट्रेनरीज से निकला वेस्टेज होता है उसमें बहुत से केमिकल होते हैं। उसमें जो गुदा निकलता है उसे स्लज को दबाकर केमिकल निकाल लिया जाता है और उसे सूखने के लिए डाल दिया जाता है। लेकिन एक-डेढ़ वर्षों से उसे सूखने के लिए बेड पर न डालकर खुले में, जमीन पर डाल दिया जाता है जिससे उसका रिसाव जमीन में चला जाता है और इससे जमीन का जल जहरीला हो गया है और दूसरी तरफ उसमें से जो गैसे निकलती थी उस गैस के निस्तारण की भी एक प्रक्रिया है। उसे गैस होल्डर में रखने के बाद स्क्रबर के द्वारा अलग-अलग तरीके से किया जाता है जिससे विद्युत उत्पादन होता है। जो कुछ गैस जहरीली होती है उसे होल्डर में जलाकर छोड़ दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह स्क्रबर खराब है और गैस होल्डर खराब है जिससे वह जहरीली गैस सीधे हवा में जा रही है। जिससे वहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उस क्षेत्र के आप-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक तरफ तो भूगर्भ जल जहरीला हो रहा है और दूसरी तरफ जहरीली गैस हवा में जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में एक भय वहाँ पर व्याप्त है, आतंक है। लोग वहाँ पर स्थान छोड़कर जा रहे हैं। वहाँ पर बीमारियाँ हो रही है। पिछली बार भी मैंने यह निवेदन किया था कि वहाँ पर काम करने वाले चार व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो गया और उनकी मृत्यु हो गयी लेकिन उसका भी संज्ञान नहीं लिया गया। इधर समाचार पत्र में पढ़ा है कि उस ट्रीटमेंट प्लान को नगर निगम में स्थानान्तरित किया जा रहा है ठीक वह किया जाय। आप पूरी तरह से ट्रांसफर तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वह पूरी तरह से सक्षम न हो। जब तक वह मानकों के अनुरूप काम न करने लगे तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते। जब मानकों के अनुरूप चल रहा हो तब ही उसको लें। लेकिन न तो वह मानकों के अनुरूप चल रहा है और न कोई सुचारू व्यवस्था की गयी है। ऐसी परिस्थितियों में जब वहाँ पर कोई सक्षम इंजीनियर न हो, और न ही कोई साधन हो इसको ले लेंगे, तो जो इसको बनाने में इतना पैसा लगा है वह सारे का सारा पैसा बेकार हो जायेगा। माननीय नगर विकास मंत्री जी वहाँ पर गये थे, मेरे को इसकी जानकारी नहीं हो पायी।

श्री अध्यक्ष--

आप पूरा विवरण क्यों दे रहे हैं कि कौन गया था, कौन नहीं गया था ? आप इसकी ग्राह्यता पर बोलें। क्यों विवरण दे रहे हैं ?

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि वहाँ पर भूगर्भ जल जहरीला हो रहा है, जो गैस निकल रही है उससे हवा जहरीली हो रही है और इससे वहाँ के रहने वालों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और इसके गम्भीर परिणाम आ रहे हैं। वहाँ पर रोज नयी-नयी बीमारियाँ हो रही है। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस पर वल देते हुए माननीय नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मानवता के आधार पर इसकी गम्भीरता से जाँच करा लें। मैंने वहाँ पर डीप ट्यूववेल बनवाया था। एक ट्यूववेल वन गया उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पड़ गयी दूसरा ट्यूववेल भी बन गया लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अभी नहीं पड़ पायी है उसको वनवायें। वहाँ पर जो स्लज को सुखाने का तरीका है उसे विधि और मानक के अनुरूप बनायें। दूसरे ट्यूववेल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए धनराशि जारी कर देंगे तो भला होगा। यही मेरा नम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, माननीय महाना जी ने एक सूचना दी है। महाना जी की अपनी भी टेनरीज है मैं उसकी भी जांच करा लूँगा। सारी टेक्निकल जानकारी उन्होंने दी है।

(श्री सतीश महाना जी द्वारा कुछ कहने पर)

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

आप क्यों नाराज हो रहे हो। आप कह दीजिये कि आपकी टेनरीज में डीजल के ड्रम नहीं है। तो मान्यवर, मैं जांच करा लूँगा। क्यों आप परेशान हो रहे हो।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, अगर कोई टेनरीज मेरे नाम हो तो मुझे वता दें। इसमें आधी मेरी होगी और आधी इनकी होंगी।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

आप परेशान मत हों कोई नहीं जा रहा है। महाना जी को तो कहने की आदत हो गयी है। नगर विकास मंत्री से कुछ कहना है वह कह दिया। यह वात उस दिन भी कहनी थी जव यह एक प्रश्न लेकर आये थे। तो, मैं इसकी जाँच करा लूँगा और इसका समाधान करा लूँगा।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस सूचना पर श्री सतीश महाना और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ क्योंकि यह सूचना नियम-56 में नहीं आती। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूँ।

*श्री रंगनाथ मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, मिर्जापुर जनपद में 25-26 की रात में पुलिस चेकिंग के दौरान एक ऐसी मार्शल गाड़ी मिली जिसमें 12 पेटियां विस्फोटक सामग्री थी, जिसकी एक पेटी का वजन लगभग 25 किग्रा0 है। मान्यवर, पूर्वांचल में सोनभद्र, चन्दौली जिला नक्सलियों से प्रभावी जिला है, यह वारूद के ढेर पर इस समय बैठा हुआ जिला है। जिस ढंग से वहां पर यह सामग्री मिली है निश्चित रूप से एक बहुत बड़े षड़यंत्र की बू आ रही है। पिछले दिनों जिस प्रकार से बनारस की घटना घटी है, उसके पहले जिस प्रकार से चन्दौली जिले में चकिया के इलाके में नक्सलियों के द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुलिस कर्मचारियों की हत्या हुई, जिस ढंग से नक्सलियों ने सोनभद्र और मिर्जापुर के एक गांव के इलाकों में लोगों का जीना दूभर किया है, निश्चित रूप से मान्यवर यह बहुत गम्भीर घटना है और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या है कि पुलिस चेकिंग कर रही है, बैरियर लगा हुआ है, मार्शल गाड़ी निकल गई, आगे जाकर वह नाले में गिर गई और अपराधी भाग गये, यदि कहीं अपराधी पकड़े गये होते तो शायद उनकी योजना क्या थी ? और उनका कहां से सम्बन्ध था, यह जानकारी हो जाती तो बड़ी घटना कोई आगे नहीं हो पाती कोई पुनरावृत्ति नहीं हो पाती। मान्यवर जिस ढंग से सोनभद्र में नक्सलियों का आतंक है, जिस ढंग से मिर्जापुर के इलाकों में उनका प्रभाव है, इस पर जितनी भी कार्यवाही होनी चाहिए थी आज तक नहीं हो पायी है। पिछले दिनों उसी मिर्जापुर जनपद में जहां पर यह दिखाया गया है कि 12 पेटियों में विस्फोटक सामग्री मिली है वहीं पर एक मुठभेड़ के दौरान 18 से 20 नक्सली मारे गये थे, आज भी उसकी सी0बी0आई0 जांच हो रही है। मान्यवर, यह कितने ताकतवर लोग हैं, इनका सम्बन्ध छत्तीसगढ़ से लेकर आन्ध्र प्रदेश तक के लोगों से है। पिछले दिनों चकिया के एक गांव के इलाके में इन्होंने पी0ए0सी0 की ट्रक उड़ा दी थी, उसमें काफी मात्रा में पुलिस कर्मी भी मारे गये थे इतना ही नहीं बल्कि मिर्जापुर जिला में पिछले ही साल में पी0ए0सी0 के कैम्प से उन्होंने भारी मात्रा में हथियार लूट लिये थे, फिर भी प्रशासन को जितनी कार्यवाही करनी चाहिए थी, उतनी नहीं कर पा रहा है, जो घटना कल हुई है इसमें अगर थोड़ी सी भी सक्रियता हुई होती तो इसमें जितने भी अपराधी पकड़े गये होते तो निश्चित रूप से उनकी योजना और उनका सम्बन्ध कहां से था, इसकी जानकारी हो जाती । मान्यवर, यह जो नक्सल प्रभावी क्षेत्र है, क्यों नक्सली वहां पैदा हो रहे हैं, यह भी एक गम्भीर विषय है। मान्यवर, दूर-दूर तक के इलाकों में लोगों को कोई सुविधायें नहीं मिल पाती है।

श्री अध्यक्ष--

यह पूरी चर्चा नहीं है, आप इसकी ग्राह्यता तक ही सीमित रखें। आपका यह विषय है कि कुछ विस्फोटक पदार्थ पकड़े गये, यह महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा करायी जाय। जब इस पर चर्चा कराई जायेगी तब आप सारा विवरण दीजियेगा। अभी आप सिर्फ ग्राह्यता पर कहिये। वैसे अब हो गया है, अब मंत्री जी कह लें तो हम इस पर निर्णय दे दें।

श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, इसलिए भी है कि जिस इलाके में यह विस्फोटक मिला है, मान्यवर, सोनभद्र में खादान में कहीं-कहीं विस्फोटक सामग्री का प्रयोग होता है वह भी जहां पर गिट्टियां तोड़ी जाती हैं, लेकिन वह स्थान जहां पर विस्फोटक मिला है वहां से दो सौ किमी0 दूर है और वह रास्ता भी नहीं है। दूसरे यह मिर्जापुर के उस इलाके में मिली हुई है जहां पटिया का काम होता है वहां पर यह विस्फोटक प्रयोग भी नहीं होता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, बनारस से बम निरोधक दस्ता आकर उसको रिफ्यूज किया है उनका कहना है कि यह जो विस्फोटक सामग्री है यह आर0डी0एक्स0 के बराबर शक्तिशाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को नक्सलाईट के साथ-साथ आई0एस0आई0 जैसे लोग भी मिल करके इस प्रकार का अंजाम तो नहीं दे रहे हैं। इसलिए मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर घटना है। इसको अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग करूँगा कि नियमों को शिथिल करते हुए, इस पर मेरी चर्चा की मांग को स्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री राम हेत भारती--

मान्यवर, यह जिस समय वह गाड़ी गुजर रही थी, लालगंज थाने के सामने से गुजर रही थी, यह गंभीर घटना है। मान्यवर, वहां सरसवां, लेदुकी, मटियावां, सरसी यह ऐसे स्थान हैं जहां बड़े पैमाने पर नक्सलवादी मौजूद हैं। थाने की पुलिस ने वहां पर गस्त लगाना बन्द कर दिया है। जब थानेदार से बात की गई तो उनका कहना है कि क्योंकि यह लोग बड़े पैमाने पर मौजूद है और हमारे दो पुलिस के लोग रहते हैं इसलिए हम क्या कर सकते हैं। मान्यवर, जहां से यह गाड़ी गुजरी, वहां दो पुलिस के लोग थे उन्होंने उसे रोका नहीं और वह घबड़ा करके गाड़ी खाई में गिर गयी। दो बदमाश उसमें से भागने लगे। पुलिस वाले चाहते तो उन्हें पकड़ सकते थे। आज उन्हें पकड़ने के बजाय पुलिस के लोग गांव को खाली करा रहें हैं। वह यह कह रहें हैं कि यह जो विस्फोटक सामग्री मिली है इससे कुछ भी हो सकता है। मान्यवर, पुलिस साथ देती तो गांव के लोग ही उन्हें पकड़ लेते।

मान्यवर, हमारी मांग है कि वहां पुलिस की गश्त लगवाई जाए और जो चौकियां हैं उन पर बैरियर लगवा कर चेकिंग करवाई जाये। मान्यवर, हमारे यहां जिगना थाना के अन्तर्गत परसों सुबह एक घटना हुई है जिसमें एक जमीन के मामले में एक आदमी को मार्शल जीप से कुचल कर मार दिया गया है। उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज हो गयी है लेकिन बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। मान्यवर, इस घटना को भी दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष--

इससे उस घटना से क्या संबंध है ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, स्वयं आप इस नोटिस को देख लें। माननीय सदस्य ने खुद ही स्वीकार किया है कि 20-20 नक्सलवादी एक साथ पुलिस मुठभेड़ में मारे गये हैं। यह बात नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होती है या कार्यवाही नहीं हो रही है। मान्यवर, यह भी सही है कि नक्सलवादी समस्या की ओर जो इंगित किया गया है वे भी मान्यवर, एक बड़ी वजह है। शायद आपको विदित होगा कि इस बारे में खुद मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है। वहां नक्सलवाद की समस्या है, जो बुनियादी समस्या है, जिसकी वजह से वहां यह हालात पैदा हुए हैं उनके बारे में नेता सदन के अपने विचार हैं और उस पर काम हो रहा है।

मान्यवर, इसको और गम्भीरता से लिया जायेगा और भी प्रबन्ध किया जायेगा। यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है, कृपया इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--

विस्फोटक पदार्थ जो मिला है उसके बारे में कुछ जानकारी है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मेरे पास मान्यवर, पूरी जानकारी इस समय नहीं है। यह नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं। सरकार बहुत ही ज्यादा सजग है और सचेत है। इसका सामाजिक हल करने के लिए लगी हुई है। ताकि हम वहां ऐसे हालात पैदा करें कि नक्सलवाद न पैदा हो।

श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, वहां विस्फोटक सामग्री मिली है। मान्यवर, आप चर्चा करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है और काफी बातें सदन में आ चुकी है।

श्री रंग नाथ मिश्र--

मान्यवर, वहां जो हालात हैं लोगों को राशन नहीं मिलता है। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। वह ऐसे हालात में जी रहे हैं कि 1800 सदी के लोग भी नहीं जीते होंगे। वे आदिवासी लोग उस हालात में जी रहे हैं और इसीलिए नक्सली लोग पैदा हो रहे हैं। मान्यवर, इनकी मूलभूत समस्या को जानकर समाधान का प्रयास होना चाहिए। जो विस्फोटक सामग्री मिली है उसकी जांच करा ली जाये।

श्री अध्यक्ष--

आपने पूरी बात कह ली है। जब यह चर्चा का विषय होता तो आप विस्तार से कहते। मैंने बताया कि जब नक्सली हमला हुआ था और पुलिस के लोग मारे गये थे तो उस विषय पर यहां काफी चर्चा हो चुकी है। तो फिर उस बात की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, आप सुनकर अग्राह्य या ग्राह्य करते हैं और ऐसा देखा गया है कि जनपदों से सूचना आ जाती है और उसके आधार पर माननीय मंत्री जवाब देते हैं। इसमें जो विस्फोटक सामग्री मिली है उसमें कोई भी सूचना जनपद से नहीं आयी है। इसलिए इस पर आप वक्तव्य स्वीकार कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, इसमें कोई वक्तव्य की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि मैंने खुद स्वीकारा है। मान्यवर, जो मूलभूत समस्या है उसके बारे में कार्यवाही हो रही है कि बजाए इनकी संख्या घटने के बढ़ क्यों रही है। नेता सदन ने सदन में इस पर काफी कहा था। उनके हालात को बदलने के लिए, उनके सामाजिक हालात को बदलने के लिए, उनके आर्थिक हालात को बदलने के लिए, क्यों इतने वायलेन्ट हो गये हैं क्यों हथियार उठा लिये हैं? इसके लिए भी हम एक बड़ी योजना तैयार करेंगे और उनको इस रास्ते से हटाकर एक सभ्य रास्ते की ओर ले जाने का कोशिश करेंगे, खुद नेता सदन ने इसी सदन में कहा है, हम समझते हैं इस बात को अच्छी तरह कि पहली बार किसी सरकार ने उनकी जातीय जिन्दगी के बारे में भी विचार करना शुरू किया है उनके बारे में यह योजना शुरू किया है कि उनका विकास कैसे हो, शिक्षा कैसे आये, काम उनको कैसे मिले उनकी भुखमरी का इलाज कैसे हो ताकि वह हथियार फेककर अपने हाथ में कलम ले सकें? मान्यवर, इस पर अब पूरी तरह से काम हो रहा है। और इसी समस्या पर ज्यादा कार्य यह सरकार कर रही है तो मैं समझता हूँ कि जब सरकार खुद सजग है तो इस पर किसी वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

जो यह विस्फोटक सामग्री है इसके बारे में कोई जानकारी आपको है इसलिए वह इस पर वक्तव्य की मांग कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, विस्फोटक तो मिला है, विस्फोटक मिला है हम भी इसको सकार रहे हैं। जाहिर है कि सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है कहाँ से मिला है, क्यों मिला है, कौन लोग हैं ? सरकार इस पर कार्यवाही कर ही रही है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने आश्वस्त कर दिया, आपकी सूचना पर उन्होंने जो बताया है उसको भी सुना और आपको भी सुना इसको मैं अग्राह्य करता हूँ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, इलाहाबाद में घूरपुर में इरादतगंज स्थित त्रिवेणी ग्लास फैक्ट्री में मजदूर यूनियन के अध्यक्ष श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डे जिनकी 45 वर्ष आयु थी, अनेकों वर्षों से काम कर रहे थे मजदूरों के लोकप्रिय नेता थे, मजदूरों के लिए संघर्ष किया करते थे। 24 मार्च को शाम को जब ड्यूटी समाप्त करके साइकिल से बाहर निकले उसी समय 3 नकाबपोश हमलावर मोटरसाइकिल से आये और धड़ाधड़ गोली वर्षा कर दी और उनकी मौत हो गयी। जब गोली की आवाज सुनी फैक्ट्री के लोगों ने तो सब वह वहाँ आ गये तो उसके बाद स्वाभाविक है कि रोष होना। उस रोष के फलस्वरूप दो प्लांट वहाँ के थे उनको बन्द करा दिये, फैक्ट्री की दो गाड़ियां थी उनको जला दिया, रोडवेज की एक बस को जला दिया, जो मुख्य मार्ग था वहां पर शव को रखकर चक्का जाम कर दिया, ट्रेन को भी मान्यवर, रोक दिया तो इतनी भीषण घटना वहां घटी है तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इसके पहले इसी फैक्ट्री में दो लोगों की हत्या हो चुकी है एक राम प्रवेश ठाकुर की और गया प्रसाद की हत्या हो चुकी है वह बड़ा सेन्सिटिव फैक्ट्री है वहाँ मजदूर और मालिक के बीच डिस्प्यूट चलता रहता है। मान्यवर, सरकार का दायित्व बनता है कि फैक्ट्री ठीक चले, मजदूरों का हित संरक्षित हो जिस तरह से अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय की हत्या हुई उससे वहाँ पर फैक्ट्री में बहुत बड़ा रोष है। इलाहाबाद में बहुत बड़ा रोष है। क्या एक मजदूर नेता जो उसका अध्यक्ष था, को दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी। अभी कांग्रेस पार्टी के लोग भी लखनऊ के अन्दर एक हत्या की बात कर रहे थे। इलाहाबाद के अन्दर होली में एक हत्या हो गयी। अभी जिसकी मैंने नियम 301 में सूचना दी थी कटरा बाजार मुख्य बाजार है दिन दहाड़े वहाँ पर लोग जाते हैं और बम से आक्रमण कर देते हैं। इस तरह से पूरे प्रदेश में, इलाहाबाद में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो नकाबपोश हत्यारे थे उनको पकड़ा जाय उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाय। वह गरीब परिवार के पाण्डेय जी थे उनको 10 लाख रुपया मुआवजा दिलाया जाय और उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने की कृपा करें। यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का तात्कालिक है। इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, शायद इसमें आपकी जानकारी में होगा माननीय सदस्य की यह नामजद रिपोर्ट हुई है अगर आप नकाबपोश कहेंगे तो बात फर्जी हो जायेगी अगर इसे नकाबपोश मान लिया जाय और आपकी बात को सही मान लिया जाय तो नकाबपोश की निशानदेही कैसे होगी, फिर नामजद रिपोर्ट गलत हुई। तो पहले यह तय करिये। आप हत्या करने वालों को फायदा पहुँचा रहे हैं या नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आपकी सूचना को सही मान लें कि नकाबपोश लोगों ने हत्या की है तो यह

रिपोर्ट असत्य है। किसी व्यक्ति को कत्ल के इल्जाम में आखिरी सजा दे दी जाय और रिपोर्ट में तीन लोग नामजद कर दिये जायें। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री भी रहे हैं और सदन को यह सूचना दे रहे हैं कि नकाबपोश लोगों ने हत्या की है। इस पर तो मेरे ख्याल से, यह एक नया विषय खुल गया कि फर्जी रिपोर्ट दर्ज हुयी है, जिसमें तीन लोग नामजद हैं। आपके अनुसार 3 नकाबपोश मुलजिमान को सही माने या उस रिपोर्ट को सही माने?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

हमने यह कहा कि जिस समय हत्या हुयी है, उस समय वह नकाबपोश थे। इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तो यह कह रहा हूँ कि हत्या के समय वह नकाबपोश थे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

इसका मतलब यह हुआ कि नामजद लोगों वाली रिपोर्ट फर्जी है। मेरे पास जो एफ0आई0आर0 की कापी है, उसके अनुसार 3 लोग नामजद हैं, फैक्ट्री मालिक जे0के0 अग्रवाल, श्री के0के0 गुप्ता, सुरक्षा अधिकारी और श्री सी0पी0 यादव, उप महाप्रबन्धक। जबकि माननीय सदस्य की सूचना यह है कि नकाबपोश लोगों ने हत्या की है। यह नकाबपोश यह भी हो सकते हैं, यह नकाबपोश और भी हो सकते हैं। तो मान्यवर, इस पर तो जांच होनी चाहिए । आप देखें कि दुनिया का कानून यह है कि किसी एक बेगुनाह को सजा न हो चाहे उसके लिए 99 गुनहगारों को छोड़ना ही पड़ जाय। अगर यह मारने वाले नकाबपोश थे, तो यह रिपोर्ट असत्य है और असत्य रिपोर्ट पर 302 का मुकदमा कायम करके किसी को आखिरी सजा दे दी जाय, तो यह न्याय नहीं है। तो माननीय सदस्य खुद ही तय कर दें कि आपकी बात को सही माना जाय या उस रिपोर्ट को सही माना जाय। जिसके आधार पर दो मुलजिमान गिरफ्तार किये जा चुके हैं, 302 के तहत दो मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, और दोनों जिम्मेदार लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं। यह कौन नकाबपोश थे जो गिरफ्तार हो चुके हैं। आपकी सूचना के ऐतबार से, जिन्होंने हत्या की है, वह नकाबपोश थे, नकाबपोश लोगों ने हत्या की है तो यह रिपोर्ट फर्जी लिखवाई गयी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या रिपोर्ट है, आप सदन को अवगत करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

चश्मदीद गवाहों ने यह कहा है कि 3 लोगों को उन्होंने मारते हुये देखा है। रिपोर्ट यही है, लफ्ज-ब-लफ्ज तो नहीं पढ़ा जायेगा। मैंने अर्ज किया इलाहाबाद के घूरपुर में इरादतगंज स्थित त्रिवेणी शीट ग्लास फैक्ट्री की मजदूर यूनियन के अध्यक्ष श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय की दिनांक 24-3-2006 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी। मृतक के चाचा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी, जिसमें 3 नामजद अभियुक्त जे0के0 अग्रवाल, मालिक फैक्ट्री, के0के0 गुप्ता, सुरक्षा अधिकारी और सी0पी0 यादव, उप महाप्रबन्धक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह 120 बी0 के मुलजिम थे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मारते वक्त तो नकाब रखी थी और जब मार चुके तो नकाब उतार दी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, यह तो जांच का विषय है। जांच हो जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यकीनन रिपोर्ट सच्ची होगी। एक मजदूर नेता की हत्या हुई है, उसे आप हल्के से मत लीजिए और उस रिपोर्ट को कन्फ्यूज मत कीजिए। आप नकाबपोश कहकर उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आपको तो बहुत तर्जुबा है। उस तर्जुबे की बुनियाद पर मैं आगे के लिये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हत्यारों को बचाना तो नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ की प्रोसीडिंग, ऐसा न हो कि अदालत में चली जाय, इसकी किताब छपती है और अदालत में पेश की जा सकती है। इवीडेंस और क्या होती है।

श्री हुकुम सिंह--

इसका कांग्नीजेंस नहीं लिया जा सकता । इनका स्टेटमेंट भी इवीडेंस नहीं हो सकता।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

कत्ल के मामले में कानून इतना सेंसिटिव होता है कि अगर जहाँ पर रोशनी दिखाई गई है, एक खम्भा दिखाया गया है, अगर उसमें पाँच मीटर का भी फासला हो गया तो बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर कह दिया जाता है कि वहाँ रोशनी नहीं पहुँच सकती है और मुकदमा छूट जाता है।

श्री हुकुम सिंह--

यह उसका हिस्सा नहीं हो सकता है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

एक ऐसा कत्ल जो कि बहुत ही अहम है, जिसमें दो मुलिजमात पकड़ लिये गये हैं इसमें तो आपकी माँग यह होनी चाहिए कि तीसरे मुल्जिमात को भी जल्दी पकड़ लिया जाय अगर आप इस प्रकार से नकाबपोश कह देंगे तो मुश्किल पड़ जायेगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

हम चाहते हैं कि जो भी हत्यारे हों, उनके विरुद्ध जितनी कठोर से कठोर कार्यवाही हो सकती है की जाए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

ठीक है, दो मुल्जिमों को पकड़ा जा चुका है और तीसरे को पकड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैंने मुआवजे की बात कही थी, कृपया इसका उत्तर दिला दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

हत्याओं के सम्बन्ध में सरकार का मापदण्ड है। हत्या, हत्या है, कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, कातिलों को पकड़ा जाना चाहिए, यह सारी कार्यवाही की जा रही है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

कई जगह पर तो आप मुआवजा दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय गौर साहब और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राहय करता हूँ।

माननीय सुखदेव राजभर जी, आपका तो तीन तारीख का मामला है, चूंकि गिरफ्तारी आज हुई है इसलिए में इसे मान लेता हूँ। यह तीन तारीख का मामला है, आप संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, इसलिए आपको अवगत करा रहा हूँ।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, इसके लिए थोड़ी सी कृपा कर दें।

श्री अध्यक्ष--

हम लोग एक पार्टी में बहुत दिनों तक साथ-साथ काम किये हैं।

*श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, जो मैंने सूचना दी है इसमें तिथि का थोड़ा सा अन्तर जरूर है। मान्यवर, धरना, प्रदर्शन और आन्दोलन निश्चित तौर पर एक हथियार है अपनी बात को पहुँचाने का और दोनों पक्षों के लोग धरना, प्रदर्शन वगैरह करते हैं। मान्यवर, यह घटना जनपद मऊ की है, वहाँ पर जिला पंचायत चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे। मान्यवर, इसकी मतगणना विकास खण्डों पर होती है लेकिन नतीजे अन्तिम रूप से जनपद स्तर से दिये जाते हैं। विकास खण्ड घोसी में श्री महेन्द्र जी को बताया गया कि आप निर्वाचित हो चुके हैं और इसका प्रमाण पत्र आपको जनपद स्तर से मिल जाएगा। जब वह जनपद पर जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आप चुनाव में पराजित हो गये हैं और दूसरा निर्वाचित हो गया है। मान्यवर, स्वाभाविक था कि लोगों को गुस्सा आता, वहीं पर सर्वोदय इण्टर कालेज है, वहाँ पर लगभग दो सौ लोगों ने इकट्ठा हो करके चक्काजाम कर दिया, मान्यवर, जिस रोड पर चक्का जाम किया गया, वह कोई ऐसा मार्ग नहीं था जिससे कोई बहुत बड़ी असुविधा जनता को होती। वहाँ घोसी के प्रभारी ने बातचीत की और कहा कि इसकी जांच करा ली जायेगी और इसके बाद मामला नार्मल हो गया। मान्यवर, हम जीते हुए प्रत्याशी थे, हमें पराजित करा दिया गया, इस प्रकरण में स्वाभाविक आक्रोश था ही, यह धरना-प्रदर्शन 20-25 मिनट तक चलता रहा। इतने में थाना प्रभारी चार थानें की पुलिस को बुलाता है और जनता तथा पुलिस में नोंकझोंक शुरू हो जाती है, इस नोकझोंक में मान्यवर, पाँच-छः राउण्ड गोलियाँ चलाई गयी, लाठियाँ बरसायी गई, कई लोग घायल हुए। इस नोंक झोंक में कहीं पुलिस पर खरोंच आ गये होंगे तो कह दिया गया कि पुलिस पर हमला किया गया। मान्यवर, एक पुलिस वाले को हल्की सी खरोंच आ गई तो उसे प्रतिष्ठा का विषय बनाकर आन्दोलनकारियों को मारे-पीटें, उन्हें मुकदमें में फंसा दें और जो हम लोगों की इज्जत लूट जी जाए तो हम लोगों का जरा सा भी आक्रोश न आये, यह कहाँ का न्याय है? पुलिस के हाथ में पावर है, उसके हाथ में कागज है और उसे एफ0 आई0 आर0 लिखने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकार है, पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 142/6, धारा 147, 148, 149, 307, 336, 341, 504, 506, 323, 353, 332 और इंडियन पैनल कोड की धाराएं लगा दी और 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट की धारा लगा दिया गया। यह कहा गया कि बहुत बड़े क्रिमिनल थे। मान्यवर, आपने भी बड़े-बड़े धरने-प्रदर्शन किये हैं।

श्री अध्यक्ष--

मेरे ऊपर कम से कम 20 बार यह एक्ट लगा है।

श्री सुखदेव राजभर--

अब इसकी ग्राहयता पर आ रहा हूँ। क्या सड़क पर एक घण्टे, दो घण्टे या 20-25 मिनट प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। पुलिस कहती है कि इन प्रदर्शनों की कोई इजाजत नहीं है, 15-15 धाराओं में बन्द कर देंगे। इतनी धारायें तो अंग्रेज भी नहीं लगाते रहे होंगे। वह तो एक-दो धारायें लगाते थे। धारा 107,151 में भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी जेल गये हैं लेकिन आजाद देश में 17 धारायें लगी हैं, 26 लोग मुल्जिम बनाये गये हैं। कुछ विद्यार्थी इम्तिहान दे रहे थे, वह भी मुल्जिम बना गये हैं। पुलिस के तांडव से 26 लोग अपने घर-बार छोड़कर भागे हुए हैं। पुलिस ने एक सबसे बड़ा हथियार प्रयाग किया, वह यह कि 150 अज्ञात लोगों का नाम एफ0आई0आर0 में दर्ज कर लिया। अब स्थिति यह है कि जिसको पुलिस चाह रही है, पकड़ ले रही है। विधान सभा में पुलिस नहीं घुसने पायेगी नहीं तो मुझे भी पुलिस पकड़ लेती कि प्रदर्शन के दिन आप भी थे। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि मान्यवर, रोजाना नोटिस आ रही है कि पुलिस हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर रही है। पुलिस के नाक के नीचे 12-12 मुकदमों का मुल्जिम मौजूद है पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हम लोगों को जबरिया हरा दिया गया, जब विरोध किया तो पब्लिक में कह दिया कि समझौता हो गया है। 26 लोग मुल्जिम बनाये गये, 150 लोगों का अज्ञात में नाम डाल दिया। 12 धारायें लगायी हैं, 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट भी लगाया गया है। अध्यक्ष जी, मैं माँग कर रहा हूँ कि लोकतंत्र में आपका लम्बा विश्वास है, आप एक अच्छे नेता हैं, एक नजीर दे दें कि मैं उन मुकदमों को वापस लेने के लिए सरकार को निर्देश दे रहा हूँ और जब तक जांच चल रही है 150 अज्ञात लोगों को तंग नहीं किया जाए और 26 लोगों को जमानत तक का मौका नहीं दे रहे हैं। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं श्री कपिलदेव यादव जी, वह भी आपको बतायेंगे। अध्यक्ष जी, जो गरीबों पर मुकदमा कायम हुआ है उसे वापस कराने का निर्देश दे दें और 150 अज्ञात को इसमें शामिल किया गया है उन्हें तंग न किया जाय, यही निवेदन है।

*श्री कपिल देव यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जनपद मऊ में हमारी पार्टी के जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार नदवा सराय से चुनाव लड़ रहे थे और घोसी ब्लाक पर उसकी काउंटिंग हुई तो 700 मतों से विजयी हुई। खुशियाँ मनायी गयी, उनके गले में माला पहनाया गया, ढोल-नगाड़े बजाये गये और यह कहा गया कि दूसरे दिन प्रमाण-पत्र जनपद पर दिया जायेगा। दूसरे दिन जब प्रमाण-पत्र लेने के लिए महेन्द्र राजभर वहाँ गये तो पुन: यह कहा गया कि आप विजयी नहीं है, लालचन्द चौहान विजयी हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उम्मीदवार लालचन्द्र यादव थे लेकिन जो शासन से प्रशासन के लोगों को कहा गया कि लालचन्द्र यादव को जिता दीजिए लेकिन वह तीसरे-चौथे नम्बर पर थे, दूसरे नम्बर पर लालचन्द चौहान थे, उनको विजयी घोषित कर दिया गया। इस पर वहाँ की जनता ने आक्रोशित हो करके सर्वोदय इण्टर कालेज के पास आकर, वहाँ हमारे पार्टी के जनपद अध्यक्ष भी थे और जो लोग आक्रोशित थे वह धरने के रूप में वहाँ एकत्र हुए वहाँ भाषण हुआ उपजिलाधिकारी आए उनके सामने अपना मेमोरण्डम पेश किया गया और उसके बाद सभा की कार्यवाही समाप्त हो गयी थी। तभी वहाँ का कोतवाल पूरे जनपद की पुलिस को बुलवाकर आ गया और उसने प्रदर्शन कारियों को पिटवाया और 6 राउण्ड की फायरिंग भी करवायी और सारे लोगों को खेद-खेद कर पीटा। लोक तंत्र में सबको अधिकार है जब किसी को परेशानी हो तो धरना प्रदर्शन का सहारा लिया जाता है यही काम हम लोग कर रहे थे लेकिन वहाँ इस तरह का नंगा नृत्य कराया गया यह बहुत ही अशोभनीय और दुखद भी है। इसमें 26 लोगों को नामजद किया गया और करीबन 150 अज्ञात लोगों के नाम रखे गए। उस क्षेत्र के लोग तबाह और परेशान हैं। पुलिस के लोग सबके घर जाकर सबको परेशान और तबाह कर रहे हैं। सबके दरवाजें पीट रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। इस स्थिति में वहाँ की जनता आक्रोशित है और कभी न कभी कोई घटना घट सकती है। मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूँ कि उत्पीड़न को तत्काल रोका जाय साथ ही साथ जिन निरपराध लोगों पर मुकदमें दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाय साथ ही साथ इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, श्री सुखदेव राजभर जी ने और कपिल देव यादव जी ने जो बातें कही हैं जो मुकदमें कायम हुए हैं उसके सम्बन्ध में कहना है बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी यह सही है कि लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है। वहाँ पर 400-500 लोग इकट्ठे हुए उन्होंने रास्ता रोका। जब तक कोई भी मूवमेंट शांतिपूर्वक रहेगा वह कामयाब होता रहेगा लेकिन जब मूवमेंट में वाइलेंस आ जाएगा वहीं से उसकी नाकामी शुरू हो जायेगी इसमें भी यही हुआ पहले यह कहा गया कि जब तक कोई अधिकारी आकर मेमोरण्डम नहीं लेगा रास्ता खाली नही करेंगे जब अधिकारी आया और उसने मेमोरण्डम ले लिया और उनसे निवेदन किया गया कि वह रास्ता खाली कर दें लेकिन रास्ता खाली नहीं किया गया। बाद में हल्के बल प्रयोग के बाद रास्ता खाली हो गया उसके बाद प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किया गया जिसमें काफी चोटें आई और उसके बाद इसकी गम्भीरता हो गयी। मेमोरण्डम देने के बाद भी पथराव करने का कोई औचित्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय इसके बावजूद अगर कोई निर्देश होगा उसका पालन होगा। यह जनता द्वारा किया गया विरोध है जो भी सहानुभूतिपूर्वक रियायत हो सकती हैं करेंगे।

श्री सुखदेव राजभर--

जो अज्ञात के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है उसको रोक सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने कह दिया है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लेंगे।

श्री सुखदेव राजभर--

उत्पीड़न रोकने का आश्वासन दे दें। वह गरीब लोग हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

वह तो गरीब लोग ही होते हैं।

श्री सुखदेव राजभर--

आप दिखवा लें। उत्पीड़न न हो।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने कह दिया है कि वह सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लेंगे। अब आप बैठ जायं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

हमें आगे के लिए सीख मिलनी चाहिए कि जिन लोगों को हम धरना प्रदर्शन में ले जाते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल हों, उन्हें इस्तेमाल न करें। वायलेंस नहीं होना चाहिए। देखिये बात वहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी जहाँ मेमोरण्डम ले लिया गया था। मेमोरण्डम लेने के बाद पथराव हुआ है और इसलिए हम आपसे कह रहे हैं।

(श्री सुखदेव राजभर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजभर जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में आश्वस्त कर दिया है कि उत्पीड़न नहीं होगा, तो अब क्या रह गया है ?

श्री सुखदेव राजभर--

धन्यवाद दे रहा हूँ। मंत्री जी पुलिस के वर्जन पर ध्यान दें रहे हैं और जो हमारा वर्जन है उसको नहीं सुन रहे हैं। पुलिस ने कहा कि वहाँ पर उपद्रव हुआ उसको सुन रहे हैं और उसके हिसाब से कह रहे हैं लेकिन हम जो कह रहे हैं उस पर तो कुछ कहिये।

श्री अध्यक्ष--

प्रदर्शन आप भी समझते हैं, सारा सदन समझता है। माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया है कि उत्पीड़न नहीं होगा।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, मंत्री जी मुकदमा वापस करने पर विचार कर लें मैं अदब के साथ निवेदन कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गई है और माननीय मंत्री जी ने उस पर अपनी बात कह दी है। मैं इसको अग्राहय करता हूँ। अगली सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की है। यह मामला न्यायालय का मामला है, न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये इस पर यहाँ चर्चा नहीं हो सकती है। आप लोगों को मैं बार-बार समझाता हूँ कि पढ़िये आप लोग सुनते नहीं है खुद लिख दिया है कि न्यायालय में है। इसको नियम 56 में नहीं लाना चाहिए । इसके बाद की सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है कि सीमेन्ट के दाम बढ़ने से मंहगाई आ गई, प्रोजेक्ट बाधित है। इसमें क्या बात है ?

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, आप अनुमति दे रहे हैं तो दो मिनट में मैं अपनी बात कह लूँ। मान्यवर, 22 दिसम्बर, 2005 को सीमेन्ट के कट्टे का दाम 163 रुपये प्रति बोरी था और उसी के हिसाब से पी0डब्ल्यू0डी0 के शिड्यूल रेट में था। इसलिये 22 दिसम्बर, 2005 और उसके पहले विकास के आंगणन चाहे वो पी0डब्ल्यू0डी0 के हों या विधायक निधि के वह सब 163 रुपये सीमेन्ट के कट्टे के आधार पर ही बने थे। आज दो कारणों से एक तो यह कि ओवर लोडिंग पर प्रतिबंध के कारण और दूसरा ज्यादा रैक न मिलने के कारण। अब फैक्ट्री वालों ने अपने उत्पादन को घटा दिया जिसके कारण सीमेन्ट के दाम में बढोत्तरी हो गई और इसके परिणाम स्वरूप 31 मार्च, 2005 यानि चार दिन बाद जिन कामों को पूरा होना था उनके ठेकेदारों ने, निर्माण एजेन्सियों ने काम करना बन्द कर दिया जो सीमेन्ट पर आधारित थे। यह जो 27.6 प्रतिशत की मँहगाई सीमेन्ट में बढ़ गई इस कारण काम रूक गया। मान्यवर, यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय है। सीमेन्ट के रेट बढ़ने के कारण या तो सरकार अपने शिड्यूल रेट में परिवर्तन करे या सीमेन्ट के रेट को नियंत्रित करें अन्यथा कोई ऐसी व्यवस्था करे कि यह जो विकास के कार्य अवरूद्ध हो गये हैं वह 31 मार्च, 2005 तक पूरे हो जायं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी, सीमेन्ट फ्री है। सरकार के कन्ट्रोल की चीज नहीं है। जब टेण्डर डाला जाता है तो उसमें सारी प्रक्रियाएं रहती है। कॉस्ट आफ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसी अनुपात में बनाते हैं कि कल कीमत बढ़ जाय तो इसमें हमारा कार्य पूरा हो सके। उसका मूल्यांकन करके बनाया जाता है। माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे सीमेन्ट पर ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

आपने स्वयं मेरी बात कह दी।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपकी बात समझ गया। यह जो सीमेन्ट का दाम है इसमें कोई नियंत्रण नहीं है। ठेकेदार ने जब टेण्डर डाला होगा तो सोच समझ कर ही डाला होगा। अपने हिसाब से डाला होगा। अब मँहगाई बढ़ गई, दाम बढ़ गया तो सरकार क्या करे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

आप इसको इतने हल्के से न लें। जब आपने कृपापूर्वक सुनने की अनुमति दे दी तो मान्यवर, एक मिनट। पी0डब्ल्यू0डी0 के शिड्यूल रेट के आधार पर ठेकेदार टेण्डर देते हैं। 22 दिसम्बर, 2005 को जो सीमेन्ट का रेट था।

श्री अध्यक्ष--

क्यों आप ठेकेदारों की वकालत करते हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, वकालत की बात नहीं है। मेरे विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, यह मैं बता रहा हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

टेण्डर डालते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी उसकी है जिसने टेण्डर डाला है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मेरा निवेदन है कि संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

कहना चाहते हैं तो कह लें। मैंने उनको रोका थोड़े है।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री के कुछ न कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी बात सुन ली है, आपने इस पर चर्चा कर ली है। यह सदन के संज्ञान में आ गई है मँहगाई की बात। मैं इसको अग्राहय करता हूँ। अगली सूचना मुंशी लाल गौतम की है, इसको भी अग्राहय करता हूँ। सुरेश कुमार श्रीवास्तव की सूचना अग्राहय हो गई है। अब विधेयक रखें। संसदीय कार्य मंत्री जी आज दो बजे से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने वाली थी, अब टाइम बढ़ गया है। यह विधेयक ले लिया जाए या कार्य मंत्रणा के बाद लिया जाए तब तक इसको स्थगित कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

ले लिया जाए। इसके बाद कार्यमंत्रणा होगी।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी का अनुरोध आया है कि कार्यमंत्रणा को ढाई बजे कर दिया जाए। अगर कहें तो स्थगित कर दे कहें तो विधेयक ले लें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

ले लें।

मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि मंगलायतन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 पर विचार किया जाए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

संशोधन रख रहा हूं मंगलायतन विधेयक पर।

मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दया जाय, जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जाएंगे) अब मैं बोलूं।

श्री अध्यक्ष--

बोलें, पूरी आजादी है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर मैं इसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं दो तीन बातें मुझे कहनी है। सरकार ने जिस प्रकार से इंटीग्रिल विश्वविद्यालय, एमिटी विश्वविद्यालय, और अब मंगलायतन विश्वविद्यालय और दो प्राइवेट विश्वविद्यालय का गठन हो चुका है। धीरे-धीरे शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। यह एक खतरनाक संकेत है। सामान्य, मध्यम वर्ग के लोगों की दृष्टि से, इससे बहुत असर पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में बनने वाले विश्वविद्यालय क्या मानक का पालन करेंगे या नहीं करेंगे ? उनके क्या मानक होंगे ? मानकों का समय-समय पर परीक्षण होगा या नहीं होगा ? अगर मानकों का पालन नहीं करते हैं तो इसमें उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी ? इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में 200 से ऊपर प्राइवेट सेक्टर के विश्वविद्यालय दिए गए। उन्होंने सारे देश में संबद्धता देकर शैक्षणिक अराजकता का वातावरण पैदा किया। अन्ततोगत्वा उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई । इससे सम्बद्ध विश्वविद्यालय के छात्रों में असंतोष था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट विश्वविद्यालय अगर खुलते हैं या लोग खोलना चाहते हैं तो कृपा करके प्रदेश के उन क्षेत्रों में खोलें जहां पर विश्वविद्यालय नहीं हैं। अलीगढ़ में केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। अलीगढ़ के नजदीक आगरा विश्वविद्यालय हैं। अलीगढ़ के नजदीक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ है। आगरा के नजदीक रूहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली है। प्राइवेट सेक्टर में विश्वविद्यालय खोलने वाले जो लोग हैं। उनका काम अगर धन उगाही नहीं है। कमाई उनका उद्देश्य नहीं है तोवह ऐसे स्थानों का चयन करें जहां विश्वविद्यालय नहीं है। जिन मंडलों में विश्वविद्यालय नहीं है। मैं समझता हूं कि उनका उद्देश्य पवित्र होगा। छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है कि अगर हम मानक का चयन नहीं करेंगे तो इसमें होने वाली अव्यवस्था को कैसे रोका जाएगा ? हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो इसके लिए सरकार की तरफ से सहमति दी जा रही है। इसी के साथ इस संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं दो-तीन बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला बिन्दु तो यह है कि जो सामान्य अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्थापित हैं। आज उनकी हालत क्या होती जा रही है। क्या वास्तव में संतुष्ट हैं ? चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो या दूसरे राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालय हों। आज वहां पर शिक्षा का क्या स्वरूप रह गया है। अध्यापक हो सकते हैं, पढ़ाने वाले हो सकते हैं लेकिन कभी मंत्री जी जाकर क्लास रूम का निरीक्षण कर लें। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की हालत यह है कि मोटी-मोटी तनख्वाह लेने वाले अध्यापक वहां हो सकते हैं लेकिन छात्र नहीं हैं। इसलिए नहीं है पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था सही नहीं है। महाविद्यालयों में कोई छात्र जाने को तैयार नहीं है उन महाविद्यालयों में कोई भी छात्र जाने को तैयार नहीं है और अध्यापक आराम से वेतन ले रहे हैं।

(श्री कपिल देव द्वारा प्रेस दीर्घा में कोई पेपर देने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष--

कपिल देव जी, शीशे इसीलिए हटाये गये हैं कि पर्चे इधर से नहीं दिए जायेंगे, यह उचित नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह--

आप पर्चे वालों की बात कह रहे हैं, जैसे पर्चे यहां दिए जा रहे हैं, वैसे ही पर्चे वहां भी दिए जा रहे हैं तो पढ़ाई की जरूरत ही क्या रह गई ? जो संशोधन मैंने दिया है, इसमें ऐसा संशोधन हो और हम लोग बैठकर इस पर विचार कर लें ताकि कोई अच्छी व्यवस्था बन जाए। अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना कुछ पहले हुई और कुछ अब हो रही है, यहां पर मोटी-मोटी फीस ली जा रही है, उन पर आपका कोई नियन्त्रण है नहीं। जो विश्वविद्यालय पहले से है, वह समाप्त हो रहे हैं, उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालयों का काम देखने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन होता है और उसके गठन की विधिवत् प्रक्रिया निर्धारित है, कानून है लेकिन आपने कह दिया कि जो कार्यकारिणी होगी उसकी नियमावली बनेगी। कार्यकारिणी के रूप में हमने कुछ अर्हता रखी थी और उसके अन्तर्गत एक निरन्तरता बनी थी कि कौन सभापति होगा, कौन नहीं होगा लेकिन इस एक्ट में आपने गोल कर दिया। एक बोर्ड की स्थापना होती थी, उसकी अध्यक्षता खुद कुलाधिपति करता था, विधान मण्डल सदस्यों का भी उसमें प्रतिनिधित्व होता है, वह भी आपने समाप्त कर दिया। वह अपने क्षेत्र की किसी बात के लिए या विशेषज्ञ के रूप में वहां जाते थे, उनको देखने का मौका मिलती था, इससे आपको क्या शिकायत है ? कुलपति की नियुक्ति का अधिकार किसको दिया, कुलाधिपति को, कुलाधिपति की नियुक्ति का अधिकार किसको दिया, राज्य सरकार को। मान्यवर, सरकार तो बदलती रहती है, यदि कोई नई सरकार आती है, अगर आपने वहां कोई नमूना खड़ा कर दिया है तो उसको वह हटा सकती है, सारी कार्यकारिणी को भंग करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है।

शिक्षा को कायम रखने के लिए 1973 में एक अधिनियम बना था, महामहिम राज्यपाल को आमतौर पर कुलाधिपति का पद दिया गया था, लेकिन आपने उस प्रक्रिया को बन्द करके कुलाधिपति को नियुक्त करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया इससे जो स्थिति सामने आने वाली है, उससे प्रदेश की समस्त जनता को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसमें आप देखें, बोर्ड के गठन करने का अधिकार धारा-22 में है और इसमें धारा-21 में दिया है, जो बिल आप लाये हैं, कार्य परिषद् का अधिकार 22(2) में दिया है। जो व्यवस्था पिछले 50 साल से परखी जा रही है, ब्रिटिशकाल में परखी गई उसको बदलकर आप एक नई बात ले आए और विश्वविद्यालय को एक छोटे से निगम का रूप दे दिया, जैसी निगमों की आज हालत है, कल विश्वविद्यालयों का भी वही हाल होगा। जिनको आप मंत्री नहीं बना पायेंगे, वह विश्वविद्यालय में चले जायेंगे कि यहां तो पद नहीं दे पाये लेकिन विश्वविद्यालय में भेज देंगे। जिन्होंने कभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में दाखिला भी नहीं लिया हो, लेकिन जिनके समर्थन की आवश्यकता है, उनको वहाँ भेज दिया जाएगा। तो पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है। मान्यवर, इसमें विश्वविद्यालयों की मान्यता वापस लिया जाना। यह पृष्ठ संख्या-13 पर है। विश्वविद्यालयों की मान्यता समाप्त करने का अधिकार भी राज्य सरकार को होगा। तो काहे का विश्वविद्यालय रह जाएगा वह। अब तक एक विशेष प्रकार का तरीका बना हुआ है। उसमें राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के शिक्षाविद् रहते हैं। कोई सचिव आपके आएंगे, अपनी पसंद की नियुक्ति कराना चाहेंगे। वह आपको परामर्श दे देंगे कि उसकी मान्यता समाप्त कर देंगे। मान्यवर, कोर्ट को निलम्बित करने का अधिकार भी आपने ले लिया। आप तो घर की चौपाल बना रहे हैं। मान्यवर, इसमें जो उसकी समीक्षा होगी और जो रिपोर्ट तैयार होगी वह यथाशीघ्र विधान मण्डल में प्रस्तुत की

जाएगी। यह तो आपने देखा होगा कि आपने 3 महीने का समय नहीं दिया, 6 महीने का समय नहीं दिया। आप उसे समयबद्ध करिए कि 3-4 महीने में वह रिपोर्ट विधान मण्डल में प्रस्तुत होगी। विश्वविद्यालय का नियंत्रण आपने संबंधित मंत्री पर कर दिया। मेरा आग्रह यह है कि इसमें इतनी खामियां हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दो बिल आप पहले लाये। एक तरफ ठण्डे बस्ते में रखा है उसका पता ही नहीं कहां है। उसकी और इसकी तुलना करें। वहां पर कुलाधिपति की नियुक्ति का अधिकार भिन्न है और यहां पर कुलाधिपति का अधिकार अलग है। अपनी सोच में चिंतन में एकरूपता तो रखें। जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है वह प्रदेश की शिक्षा का स्तर उठाने के लिए किया है। आज अगर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को देखें तो वह नीचे जा रहा है। कभी लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम होता था। दक्षिण इस मामले में आगे निकल गया क्योंकि उन्होंने इस बारे में चिंतन किया और अपने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया। इसलिए कम से कम जो कानून बनाएं वह सोच-समझकर करें और मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बारे में उदारता दिखाएं और सोच-समझकर विचार करने के बाद एक अच्छा विधेयक लायें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, यह जो मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया गया है उसमें बताया गया है कि आचार्य कुन्दकुन्द एजूकेशनल सोसायटी, अलीगढ़ द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मेरे पास उत्तर प्रदेश शासन का उच्च शिक्षा विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक सामने है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 38 विश्वविद्यालय हैं जिसमें 5 निजी और 9 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। 119 शासकीय महाविद्यालय और 1518 अशासकीय महाविद्यालय है। इसमें से मात्र 345 अनुदान सूची पर हैं और 1173 अनानुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय हैं। आज उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार प्रदेश की शिक्षा का निजीकरण कर रही है बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि व्यवसायीकरण कर रही है। व्यवसाय के नाम पर यह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय खोलने जा रहे हैं उसे यह व्यवसाय के रूप में लाना चाहते हैं। आज निजी क्षेत्र के अंदर जो विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं वह व्यवसाय के रूप में खोले जा रहे हैं, मिशन के रूप में नहीं खोले जा रहे हैं। मैं अभी विधेयक पर नहीं आ रहा हूं। अभी हमारे माननीय सदस्य हुकुम सिंह जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटीज एक्ट, 1973 बना, वह इसलिए बना था कि जो भी विश्वविद्यालय बनें वह उसी के अनुरूप बनें, उसकी व्यवस्थाओं और नियम-परिनियम के अनुरूप बने। लेकिन आज हो यह रहा है कि हर एक विधेयक के प्रारूप में अन्तर हो रहा है। मान्यवर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत विश्वविद्यालय होते हैं। कोई भी विद्यालय या महाविद्यालय की वही व्यवस्था होनी चाहिए जो उसमें है। वहां पर परमानेंट टीचर हो, यूजीसी के अन्तर्गत वेतनमान मिले, कितने स्थायी होंगे कितने डेलीवेजेज के होंगे इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आज छात्रों से मनमानी फीस ली जा रही है। कितने इंजीनियरिंग कालेज खोले गये हैं उसमें महीने के आधार पर साल भर के आधार पर टीचर्स की नियुक्ति की जाती है, छात्रों से मनमाने ढंग से फीस ली जाती है। डेढ़ साल पहले मैंने यह बात उठायी थी कि जो बीएड कालेज है वह मनमाने ढंग से खोले जा रहे हैं । उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी एक बाढ़ सी आ गयी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया

और उनके सचिव का फोन आया कि बताये कहां-कहां अनियमितताएं हैं उनको अवगत करायें और उस पर रोक लगायी गयी। उसके बाद महामहिम श्री राज्यपाल जी ने 64 बी0एड0 कालेजों की मान्यता समाप्त कर दी। उत्तर प्रदेश के वि0वि0 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव एवं एकेडेमिक वातावरण बनाना चाहिए। आज पांच-पांच विद्यालयों के कुलपति हटा दिये जायें तो इससे उत्तर प्रदेश के अन्दर शिक्षा का विकास कैसे हो रहा है हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। शिक्षा के विकास के लिए, उसके सुधार के लिए जो भी पाजिटिव कदम आप लेकर आयेंगे हम उसका समर्थन करेंगे। आज विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है ? लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र लोगों में अनुशासनहीनता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव में प्रत्याशी की हत्या कर दी जाती है, गोरखपुर में भी हत्या हो जाती है। बोर्ड की परीक्षाओं की क्या हालत है। यूनीवर्सिटीज की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसकी पवित्रता बने यह हमारा दायित्व बनता है। जब हम उसकी पवित्रता बनायेंगे तभी इस प्रदेश का शिक्षा का स्तर अन्य प्रदेशों से अच्छा बनेगा। अब मैं विधेयक के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। मान्यवर, इसके पृष्ठ-3 के अनुच्छेद 4(1) (घ) में है कि विभागों/विद्यालयों के शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षकों को नियुक्त करना और अवस्थापना स्थापित करना। यह टीचिंग विश्वविद्यालय बनाया गया है। इस सरकार ने तमाम विश्वविद्यालय बनायें। केजीएमसी यूनिवर्सिटी बनायी, डेन्टल यूनिवर्सिटी बनायी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहता है कि सात फैकल्टीज होनी चाहिए लेकिन केजीएमसी यूनिवर्सिटी में कितनी फैकल्टीज हैं, डेन्टल यूनिवर्सिटी में कितनी फैकल्टीज है, यह चिन्ताजनक है। यह जो सरकार की तरह से बने विश्वविद्यालय हैं उनकी यह हालत है तो इनका क्या हाल होगा। वहां पर कितनी फैकल्टीज होंगी यह मैं जानना चाहता हूं। इसी तरह से इसमें कहा गया है विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हों। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह अनुदान के जो मानक हैं उसके अनुसार होना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा-- इसमें 8(3) में है अध्यापक-छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर जितने प्राईवेट डिग्री कालेज हैं, प्राईवेट इंजीनियरिंग कालेज है, प्राईवेट यूनिवर्सिटीज है वहां पर पता लगा लिया जाये कि अध्यापक-छात्र अनुपात क्या है ? हम तो कहते हैं कि आपके अन्दर अगर ईमानदारी और पारदर्शिता है तो सदन की एक समिति बना दीजिए, सभी दलों के लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं वह लोग वहां पर जायें ताकि शिक्षा का स्तर ठीक हो, उसमें हम लोग भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं। क्या इस दिशा निर्देश का कार्यान्वयन हो पायेगा या नहीं ? मेरे सामने प्रश्नवाचक चिन्ह है। मान्यवर, इसमें यह भी कहा गया है कुलाध्यक्ष की नियुक्ति सोसाइटी द्वारा स्वयं की जायेगी। मान्यवर, कुलाध्यक्ष किस तरह होगा, उसकी शैक्षिक अर्हता क्या होगी ? चाहे जिस किसी भी स्तर का हो उसको आपने कुलाध्यक्ष बना दिया और उसके मानक क्या होंगे इसमें यह भी स्पष्ट होना चाहिए और इसमें मान्यवर, 10 (2) में दिया है कि कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की शिक्षा, अनुशासन, शालीनता और समुचित कार्यप्रणाली के मानकों को सुनिश्चित करने के लिये विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किन्हीं संस्थाओं, महाविद्यालयों, विद्यालयों, इतना तो ठीक है मान्यवर, इसके बाद कहा गया है कि पोलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का

निरीक्षण करने का अधिकार होगा। मान्यवर मैं भी उच्च शिक्षा मंत्री बहुत वर्षों तक रहा हूं और शिक्षक रहा हूं, विश्वविद्यालय क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को देखेगा, पोलिटेक्निक को देखेगा विश्वविद्यालय तो हायर एजुकेशन के जो कालेज हैं उस स्तर को देखने की व्यवस्था होती है, इसमें इस बात का प्रावीजन किया जा रहा है इससे स्वयं यह पता चल रहा है कि शायद इस विश्वविद्यालय के अन्दर इस तरह के संस्थान खोले जायेंगे जो डिग्री स्तर के नहीं हैं तो मान्यवर, यह भी चिन्ताजनक है। मान्यवर इसमें जो कहा गया है कुलाधिपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी के परामर्श से की जायेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि अभी तक व्यवस्था है महामहिम राज्यपाल जो कुलाधिपति हैं विश्वविद्यालय का उसमें एकरूपता होती है, उसके माध्यम से नियुक्ति होनी चाहिए। आज आपकी सरकार है, कल किसी औरकी सरकार होगी, परसों किसी और की होगी, क्या सरकार बदल जायेगी तो वहां का जो कुलाधिपति हैं उनका भी बदलाव हो जायेगा ? अगर महामहिम कुलाधिपति जो राज्यपाल हैं उसके माध्यम से होनी चाहिए। मान्यवर, इसमें 12 (2) में दिया गया है कुलाधिपति, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा। मान्यवर, फिर (4) में दिया गया है इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कुलाधिपति अपने पद ग्रहण के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा, परन्तु कुलाधिपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। मान्यवर, नहीं नियुक्ति हुई तो पांच साल, दस साल, 15 साल तक वह अपने पद पर बना रहेगा। उसका उदाहरण देना चाहूंगा विश्वविद्यालय में कार्यपरिषद् हुआ करती थी उसमें इलेक्ट लोगों का तीन साल का कार्यकाल होता था, चुनाव नहीं हुआ, तीन साल, चार साल, पांच साल, छः साल तक लोग चलते रहते थे तो जब हम लोगों की सरकार आई तो इसमें हम लोगों ने संशोधन किया, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए, पांच साल या पांच साल के भीतर यह दायित्व जिसका भी अधिकार क्षेत्र है पांच साल बाद नयी नियुक्ति हो जानी चाहिए, तो मान्यवर यह भी कमी है। इसमें कार्य परिषदों के सदस्यों की बात की गई, किस स्तर के लोग होंगे, मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय कोई भी हो चाहे वह विश्वविद्यालय हो या अन्य कोई विश्वविद्यालय हो शैक्षिक शिक्षा से जुड़े लोग, उच्च शिक्षा से जुड़े लोग कार्य परिषद् के सदस्य होने चाहिए। क्या पोलिटीशियन्स सारे उसमें भर दिये जायेंगे, तो वहां का क्या स्तर होगा, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। हम लोग तो इलाहाबाद से जुड़े हमारे उज्जवल रमण सिंह, मंत्री जी बैठे हुए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर भले ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो गया है जिसकी हम लोगों ने अनुशंसा की थी, मांग की थी, लेकिन वहां की कार्य परिषद् मुझे कहते हुए दुख है कांग्रेस पार्टी के उसमें छः-सात लोगों को कार्य परिषद् का सदस्य बना दिया गया। किसी विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् का राजनीतिकरण होना चाहिए ? तो यह भी मान्यवर मैं यहां पर चाहूंगा कि इसमें इस तरह का कोई संशोधन कर दिया जाये और मान्यवर इसमें जो नियुक्तियों की बात कही गयी है, यहां पर चाहे कुलपति की हो, चाहे अन्य सारे पद की, प्रति कुलपति की हो, कुल सचिव की हो, सबमें लिखा है जो विहित किया जाय क्या स्पष्ट करोगे, किस तरह की नियुक्ति होगी, कहीं पर मान्यवर, कोई प्राविजन नहीं है, तो मान्यवर, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और इन सारे बिन्दुओं पर विचार कर लिया जाय जिससे कि अगर नया विश्वविद्यालय बन रहा है प्रदेश का हित, उच्च शिक्षा का हित, शिक्षा का हित से उत्तर प्रदेश के अन्दर बन सके, फिर इसको लिया जाये तब उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, यदि इस विधेयक को पढ़ा होगा माननीय मित्रों ने हमारे सदस्यों ने तो यह सारी चीजें जो शंकायें इन्होंने व्यक्त की हैं, यह सारी चीजें इस विधेयक में पहले से ही उनको कवर किया गया है और यह प्रयास है कि यह विश्वविद्यालय उन सारे मानकों के अनुरूप ही स्थापित हो और इसके लिए न्यूनतम शर्तें जो निर्धारित की गई है मान्यवर 30 वर्ष या उससे अधिक, कम से कम 50 एकड़ या उससे अधिक की भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, उक्त भूमि पर 24 हजार वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र होना चाहिए, मान्यवर, कम से कम पांच करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण की प्रयोगशाला स्थापित होनी चाहिए।

मान्यवर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कम से कम सात विषयों के लिए शिक्षकों की तैनाती तथा उनके शिक्षण/अनुसंधान के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधायें संबंधित विभाग/महाविद्यालय में विकसित कर ली जानी चाहिए। मान्यवर, इसके अलावा है कि अन्य शर्तें जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायें।

मान्यवर, बहुत स्पष्ट है कि जो विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक हैं, और यह तो मान्यवर इसके बाद यह सारे प्रतिबंध होंगे उसके बाद ही इनको इसकी मान्यता होगी कि जब तक यह शर्तें पूरी नहीं कर लेंगे।

मान्यवर, आज निजीकरण के युग में अगर शिक्षा की जितनी आज आवश्यकता है अगर यह सोचा जाय कि केवल संसाधनों से ही शिक्षा का प्रसार हो सकता है तो यह संभव नहीं है। तो विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि निजी क्षेत्र के लोग आगे आयें और इसे आगे विकसित करने का काम करें। मान्यवर, अब किसी संस्था के बनने से पहले ही यह संदेह कर लिया जाय कि यह सारी अनियमितता हो जायेगी तो यह उचित नहीं है। स्वयं माननीय गौर साहब ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गया है उसकी कार्य-परिषद् का गठन हुआ तो मालूम हुआ कि कि वार्ड कमेटी किसी पार्टी की वार्ड कमेटी का गठन हुआ। ऐसी कार्य परिषद् बनी, तो वह संस्था तो केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है वहां के स्तर पर जब यह हो सकता है तो मान्यवर यह तो नैतिकता और यह व्यक्तियों के मानने के ऊपर है कि किस व्यक्ति को शिक्षाविद् कहा जा सकता है। स्नातक, परास्नातक को भी शिक्षाविद् माना जा सकता है और सामान्य व्यक्ति भी आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन किये हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति भी नामित हो जाते हैं। लेकिन मान्यवर, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा साफ है। आचार्य कुन्दकुन्द एजूकेशनल सोसाइटी, अलीगढ़ द्वारा प्रस्तावित मंगलायतन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो यह विधेयक लाया गया है इसमें पूरी-पूरी दृष्टि रखी जायेगी कि विश्वविद्यालय अपने मानकों को पूरा करे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो मानक हैं राज्य सरकार की जो शर्त हैं उसमें किसी तरह विचलन या शिथलन न होने पाये, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह एक अग्रणी संस्था बन करके काम करे। इस उद्देश्य से यह विधेयक लाया जा रहा है। मान्यवर, जो इसमें संदेह व्यक्त किया गया है उन सबका समाधान इसमें है। जो विचार आपने रखे हैं, जिनकी आवश्यकता होगी, उन पर विचार किया जायेगा। मान्यवर, इसको प्रवर समिति में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में शिक्षा के प्रसार के लिए यह निर्णय है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने और गौर साहब ने अलग-अलग गंभीर बिन्दु उठाये हैं। गंभीर इस मानकत कि आपका कहना है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज न खोली जाये। इसलिए कि हम उसमें सक्षम नहीं हैं कि राज्य सरकार या भारत सरकार नियमों को लागू कराने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन संस्थाओं का स्टैण्डर्ड वह नहीं होता है जो होना चाहिए। मान्यवर, यह एक अच्छा सवाल है और हम सब इस पर विचार भी करें।

मान्यवर, लेकिन हम इस पर भी विचार करें कि हमारा संविधान हमें इस बात के लिए बाध्य करता है कि हर हिन्दुस्तानी को हम शिक्षा देंगे। मान्यवर, उसी के तहत सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है। मान्यवर, यहां तक कि भारत सरकार ने तय किया कि भारत के संविधान के अधीन वह तमाम भाषायें जो उसमें दी गयी है उसमें मात्र अगर अपना हस्ताक्षर करना जानता हो तो हम उस व्यक्ति को साक्षर मानेंगे और इस पर खजाने को बहुत बेदर्दी से खर्च भी किया गया है। मान्यवर, हम अगर पूरी दुनिया का नक्शा देखें तो जो वहां का बड़ा शिक्षित समाज है और बड़े ही विकसित देश है वहां अगर हमें कभी जाने का मौका मिले और हमारे हुकुम सिंह जी वहां गये हैं गौर साहब भी गये हैं, इस तरह से यूनिवर्सिटीज बनी हुई है कि जैसे यूनिवर्सिटीज का कोई मार्केट है। हर चन्द मीटर के फासलों पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि फलां यूनिवर्सिटी, फलां यूनिवर्सिटी, फलां यूनिवर्सिटी। और पूरी दुनिया से उसमें छात्र आते हैं कुछ में करसपांडेंस कोर्स होता है और कुछ में छात्र जाकर दाखिला लेते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं और वहां के मुल्कों की डिग्रियां लेकर के हिन्दुस्तान में आते हैं या बाहर के देशों में जाते हैं। लेकिन फर्क है मान्यवर वहां में और यहां में सिर्फ फर्क है भावना का, शायद हम अपने अंदर वही पैदा करना चाहते हैं। अगर सरकार अपने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस बना सकती है, अपनी यूनिवर्सिटीज को मेन्टेन कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है उसके लिए पैसा फराहम कर सकती है और शिक्षा दे सकती है तो यह तो बहुत अच्छा था। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकती है सरकार चाहे वह केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो तो उन्हें अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कायम करने चाहिए। मान्यवर, अगर दक्षिण की तरफ हम चले जायें और वहां निगाह डालें तो एक-एक मेडिकल कालेज, एक-एक इंजीनियरिंग कालेज इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है इतना कामयाब चल रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज के पास भी सरकारी यूनिवर्सिटीज के पास भी इतने स्टेण्डर्डाईज मेडिकल कालेज, ऐसे हास्पिटल, ऐसी मशीनें, ऐसे थियेटर्स नहीं हैं जितने प्राइवेट कालेजेज में हैं।

मान्यवर, तो हमें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि जिस तरह से दक्षिण में शिक्षा का एक सैलाब आया हुआ है और वह सेवा पर उतरे हैं तो हम भी उन्हीं मानकों के अनुरूप अपने इंस्टीट्यूशंस कायम करें। लेकिन यह कब होगा मान्यवर, जब हम उसकी शुरुआत करेंगे। अगर ऐसा करेंगे ही नहीं तो हमारी उसके लिए तैयारी नहीं हो सकती है। आज हम मिट्टी की सड़क बनाते हैं फिर हम उसे खड़ंजा बनाते हैं फिर उसी की जगह सीमेंट रोड बनाते हैं और जब हमारी समझ में आता है कि सीमेंट रोड सही नहीं है तो हम इंटरलाकिंग ब्रिक्स की बनाते हैं। लेकिन हमें पहले उस रास्ते पर चलना होगा शिक्षा के रास्ते पर हमें निकलना होगा। एजुकेशन का प्राइवेटाईजेशन इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम शिक्षा से कमाई करेंगे या धंधा चलाने का कोई कारोबार कर रहे हैं। बल्कि शिक्षा बराये शिक्षा होना चाहिए। यह बिल्कुल सही है कि उसी मानक के तौर पर हो। मान्यवर, मिसाल के तौर पर आपने एमिटी यूनिवर्सिटी की मिसाल दी। एमिटी

कालेज भी है, एमिटी यूनिवर्सिटी भी है और यह सब जानते हैं कि वह एक अच्छे मानकों के तहत चलने वाला इन्स्टीट्यूट है। और यह मान्यवर, जो बिल आज पेश हुआ है, जो पेश हुआ था जिस पर इस वक्त बहस हुई है। मान्यवर, हर बार एमिटी विश्वविद्यालय के तर्ज पर बनाया हुआ यह है, और मान्यवर, मैं और भी जानकारी देना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उच्चतम न्यायालय का छत्तीसगढ़ केस है यह निर्देश है कि प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय का अलग अलग एक्ट होना चाहिए जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्टैन्ड एलोन कहते हैं सबका एक सा मानक नहीं होना चाहिए, हाईकोर्ट के ऐसे निर्देश हैं। मैं इस वक्त अपना दर्द नहीं पेश कर रहा हूं हालांकि हुकुम सिंह जी ने छुपे हुए अल्फाज में कहा है, दो बिल पास हुए यहां से, जिस पर आपका कटाक्ष था उस कटाक्ष का भी जवाब आना चाहिए और आप उससे विदित है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जो कि सरकारी विश्वविद्यालय बनना था उसमें प्रो0 चांसलर का पद था, प्रो0 चांसलर, जिसमें आजीवन प्रो0 चांसलर का प्रावीजन था, वह व्यक्ति कोई हो, व्यक्ति बदला जा सकता है। व्यक्ति यह भी हुआ कि 5 साल के लिए हो जाइये, 7 साल के लिए हो जाइये या 10 साल के लिए हो जाइये तो मैंने यह सवाल रखा था कि क्या आपके पास इस बात की जमानत है कि अमुक व्यक्ति जिसको आप 5 साल के लिए प्रो0 चांसलर बनाना चाहते हैं वह 5 साल जीवित रहेगा। हम खुदाई का दावा करने लगे ? लेकिन प्रो0 चांसलर अगर उसी यूनिवर्सिटी में, यह कोई पहला व्यक्ति है जो मानकों को तोड़कर है, उसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में पचासों व्यक्ति प्रो0 चांसलर्स हों आजीवन प्रो0 चांसलर हों और ऐसे आजीवन हों कि 4-4, 5-5 नस्लें गुजर गयी है। हर बड़ा बेटा उनका स्थान ले तो यह एतराज गलत हो सकता है। किसी प्रदेश के महामहिम के लिए कोई शिक्षा का मापदण्ड नहीं है वे कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, वे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं वे अनपढ़ भी हो सकते हैं। अगर कोई राज्यपाल किसी प्रदेश का महामहिम, उस प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों का चांसलर हो सकता है तो मान्यवर, कोई शिक्षित व्यक्ति प्रो0 चांसलर भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद जब उस पर टिप्पणी होने लगी, उस व्यक्ति ने अपना नाम वापिस भी ले लिया। लेकिन इसके बावजूद भी उस ऐक्ट पर राजभवन की कृपा नहीं हुई । उसके बाद एक प्राइवेट बिल यहां पेश हुआ और प्राइवेट बिल या तो कोई व्यक्ति ट्रस्ट बनाकर या कोई समिति बनाकर मान्यवर जब कोई व्यक्ति कोई समिति बनाकर या ट्रस्ट बनाकर एक व्यक्ति का भी ट्रस्ट होता है और व्यक्तियों का भी ट्रस्ट होता है, जब कोई ट्रस्ट बनाकर कोई इंस्टीट्यूशन कायम करेगा तो जाहिर है उसके मानक वह उसी एतवार से कायम करेगा। जिस मंशा को लेकर ट्रस्ट बनाया गया हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का उसका क्या हुआ, क्या होगा यह तो अलग बहस है। लेकिन जिस तरह से यह बिल पेश हुआ है यह किसी अलग मानक से नहीं हुआ है बिल्कुल एमिटी यूनिवर्सिटी के मानक के आधार पर यह बिल पेश हुआ है और इसको प्रोत्साहित होना चाहिए। मैं तो विपक्ष के सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कालेजेज बन सकें। क्योंकि मान्यवर, सिर्फ दिखाई की जो हालत है बल्कि हमारी मानसिकता की जो हालत है हमारी मानसिकता की जो हालत है वह दूर होना चाहिए। देश इसकी वजह से बहुत पीछे जा रहा है इंसानी रिश्ते खत्म हो रहे हैं पूरी दुनिया में खत्म हो रहे हैं और भारत एक दांव पर लगा हुआ है। मैं बार-बार कहता हूं और मैं अपने एहसास से इसलिए यह कहना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जिसे बहुत बड़ी ताकत होना चाहिए था आज इसलिए कमजोर हो गया कि हम अपने रिश्तों को मजबूत नहीं कर पाये। जिस दिन हम अपने

रिश्तों को मजबूत कर लेंगे और हमारे अंदर का वह जहनी जिहालत, वह दूर हो जायेगी उस वक्त हम बहुत मजबूत हो जायेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे यहां गली-गली, कूंचा-कूंचा में शिक्षा का मंदिर तैयार होना चाहिए। मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता इसमें कि फैला विचारधारा के लोगों ने अगर कोई शैक्षिक संस्था खोली है तो उसे बन्द हो जाना चाहिए। उस विचारधारा को हो सकता है बड़ा होने के बाद वह नकार दे लेकिन एक बार जिस बच्चे के हाथ में कलम आ जायेगा कम से कम हम उसे जाहिल नहीं कहेंगे। इसलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए। स्कूल बनना चाहिये, विद्यालय बनना चाहिये, महाविद्यालय बनना चाहिये, विश्वविद्यालय बनना चाहिये और इसको प्रोत्साहन हासिल होना चाहिये, चाहे इधर का कोई व्यक्ति इस काम को करे, चाहे उधर का कोई व्यक्ति करे। मैं उम्मीद करता हूं कि सर्वसम्मति से इसे पास किया जाय। यह हमारे मन का अहसास है कि ऐसे बिल जब आये, जब कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहे तो कभी उसे तासुफ के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिये और ऐसे बिल्स पूरे सम्मान के साथ सदन से पास होने चाहिये। हमारी निगाह रहना चाहिये कि उसका मिसयूज न हो, लेकिन शिक्षा मिले, उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी की तरफ से निवेदन करना चाहूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पास कर दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हुकुम सिंह जी, आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह--

मैंने अपने संशोधन के माध्यम से जो विन्दु उठाये हैं, उसमें से एक का भी उत्तर में उल्लेख नहीं किया गया। सामान्य भाषण बहुत अच्छा था, प्रभावशाली था लेकिन मेरे बिन्दु पर कहीं कोई विचार नहीं आया। मैंनें तो शिक्षा पद्धति के सुधार के लिये बिन्दु रखे थे और वह वेदना आपके मन में है और आपने भी कहा कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर कहां जा रहा है, उसके उठने की बात सोचनी चाहिये थी।

श्री मोहम्मद आजम खां--

अगर कहीं शिक्षा का स्तर कम है, किसी भी जगह पूरे देश में, तो उसे उंचा होना चाहिये लेकिन हमारी कोशिश हो, अगर हम आज ही से इस चीज को रोक देंगे कि ऐसी शैक्षिक संस्थायें न बने तो जाहिरन एक संस्था बने फिर उसका स्तर बेहतर हो लेकिन अगर बनेगी ही नहीं, तो उसका स्तर कहां से बेहतर होगा।

श्री हुकुम सिंह--

संस्था बनने का विरोध नहीं है लेकिन संस्था कैसे बने, कैसे नियंत्रण हो, कैसे वह रेगुलेट हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, इसलिये मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

अभी माननीय मंत्री बाजपेयी जी ने यहां पर जब विधेयक रखा था। उन्होंने अपने उत्तर में उसकी भूमि की जो शर्तें हैं, पैसा कितना देना है वह तो बताया। हमने जो बातें उठाई थी, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर और यू0जी0सी0 के जो मानक हैं, हमने कहा था कि छात्र-शिक्षक का अनुपात, वहां पर स्थायी शिक्षक नियुक्त होंगे, इनके ऊपर कोई बात नहीं आई है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी बात रखी, मान्यवर, निजीकरण का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमने

अपनी बात में कहा था कि निजीकरण हो लेकिन व्यवसायीकरण के रूप में भी न हो। आज प्रदेश के अन्दर प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज, प्राइवेट मेडिकल कालेजेज की जांच करानी पड़ेगी कि आज उनमें डोनेशन कितना है। अच्छे इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज जो हैं, उसमें बिना डोनेशन के प्रवेश नहीं है, जो बी0एड0 कालेज हैं, मुझे निश्चित जानकारी है, 50 हजार, एक लाख रुपया जो मैनेजमेंट कोटा है, को दे दीजिये तो आपका हो जायेगा। तो इन सारी चीजों पर विचार किया जाना चाहिये। प्राइवेटाइजेशन के साथ-साथ सामान्य छात्र छात्राओं का एक्स्प्लायटेशन भी न हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इस बारे में कोई उत्तर नहीं आया, इसलिये हम लोग इस पर बल देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(खण्ड-2 से खण्ड-51 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक)

मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006

आचार्य कुन्दकुन्द एजूकेशनल सोसायटी, अलीगढ़ द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम 1--यह अधिनियम मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

परिभाषायें 2--जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,--

(क) "विद्यापरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद से है ;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या अन्य बोर्ड से है ;

(ग) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमश: कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है ;

(घ) "कोर्ट" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है ;

(ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किस संस्था, महाविद्यालय, विद्यालय, पॉलीटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है ;

(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी है ;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यकित से है और उसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक या कर्मचारिवन्द का कोई सदस्य भी है ;

(ज) "कार्यपरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद से है ;

(झ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है ;

(ञ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्वानों/छात्रों के निवास से है ;

(ट) "संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है ;

(ठ) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(ड) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है ;

(ढ) "सोसाइटी" का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत आचार्य कुन्दकुन्द एजुकेशनल सोसायटी से है ;

(ण) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमश: परिनियमों और अध्यादेशों से है ;

(त) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है ;

(थ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदानिहित किया जाय ;

(द) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियंत्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमश: कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है ;

(ध) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन सोसायटी द्वारा स्थापित मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से है ;

(न) "कुलाध्यक्ष" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है ।

विश्वविद्यालय की स्थापना

3--(1) अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में सोसायटी द्वारा मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक नियमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये शर्तें

4--प्रायोजक संस्था, सोसायटी इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा :--

(क) विश्वविद्यालय के लिये चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ या समीपस्थ भूमि का इसके स्वामित्व अधिकारी सहित तीस वर्ष या अधिक तक के लिये विधिवत् रखेगा ;

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगा जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा ;

(ग) खण्ड (ख) में उल्लिखित भवन में न्यूनतम 5 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण कार्यालय और प्रयोगशालाओं में स्थापित करेगा ;

(घ) विभागों/विद्यालयों के शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षकों को नियुक्त करना और अवस्थापना स्थापित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनाना ;

(च) ऐसी अन्य शर्तें जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5--(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिये प्राधिकार के पत्र के पश्चात् ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, सोसायटी द्वारा इस आशय के अभिलेख सहित धारा 4 में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी कर दी गयी हैं, एक असंदिग्ध शपथ-पत्र प्राप्त होने पर, प्राधिकार का पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6--विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करने का भरसक प्रयास करेगा :--

(क) शिक्षा में नवीनता की प्रोन्नति करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनसंरचना अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके ;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति करना ;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की प्रोन्नति करना ;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव और नैतिकता की प्रोन्नति करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7--विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :--

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिये तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित व्यवस्था करना ; या

(ख) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, प्रबन्ध और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की और संस्कृति दर्शन और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम आदि की भी शिक्षा प्रदान करना और उनकी प्रोन्नति करना ;

(ग) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना ;

(घ) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना ;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं शिक्षण जिसके अन्तर्गत व्याख्यान और ऐसे पाठ्यक्रम भी हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, प्रदान करना ;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डाक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिये नियुक्तियां करना ;

(छ) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(ज) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, की स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना ;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना ;

(ञ) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो ;

(ट) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ;

(ठ) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये छात्रावासों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना ;

(ड) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;

(ढ) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति, किसी संस्था, विभाग या विद्यालय को केन्द्र घोषित करना ;

(ण) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है ;

(त) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना ;

(थ) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिये व्यवस्था करना ;

(द) छात्राओं के संबंध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे ;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना, और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिये व्यवस्था करना ;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिये सदान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का जिसके अन्तर्गत न्यास और बन्दोबस्ती सम्पत्तियां भी हैं, अर्जन, धारण और निपटारा करना ;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये सोसाइटी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति, उसके धन पर उधार लेना, बन्धक रखना या आडमान करना ;

(ब) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हो।

प्रवेश और मानक

8--(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक-छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा

9--विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग और प्रत्येक वंश, मत, जाति, वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधि सम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहां से स्नातक करने के लिये हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे ;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पर आरक्षण, तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार की विधियों एवं आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

कुलाध्यक्ष

10--(1) कुलाध्यक्ष की नियुक्ति सोसाइटी द्वारा स्वयं की जायेगी।

(2) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की शिक्षा, अनुशासन, शालीनता और समुचित कार्यप्रणाली के मानकों को सुनिश्चित करने के लिये विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किन्हीं संस्थाओं, महाविद्यालयों, विद्यालयों, पोलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को कुलपति द्वारा उसे निर्दिष्ट मामलों के विवाद में कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :--

(क) कुलाधिपति

(ख) कुलपति

(ग) प्रति-कुलपति

(घ) संस्थाओं के निदेशक/प्रधान

(ङ) कुलसचिव

(च) कोषाध्यक्ष

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष

(झ) कुलानुशासक

(ञ) वित्त अधिकारी; और

(ट) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

12--(1) कुलाधिपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी के परामर्श से की जायेगी।

(2) कुलाधिपति राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) कुलाधिपति, राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

(4) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कुलाधिपति अपने पद ग्रहण के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा, परन्तु कुलाधिपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले।

(5) कुलाधिपति अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अन्तरिम कार्य परिषद का गठन करेगा।

(6) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो डिग्रियां प्रदत्त करने के लिये आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।

कुलपति

13--(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा पांच वर्ष के लिये ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित की जाय।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी और विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस अधिकारी को अवगत करायेगा।

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह ऐसे दिनांक से, जिस पर ऐसे कार्यवाही के आधार पर विनिश्चय उसे संसूचित किया जाय, एक माह के भीतर कुलाधिपति को ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे और इस पर कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14--(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जो विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेंगे।

(4) प्रतिकुलपति ऐसी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जो सोसाइटी द्वारा अवधारित की जाय।

कुलसचिव

15--कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी की वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा।

कोषाध्यक्ष

16--(1) कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(2) कोषाध्यक्ष वार्षिक बजट, वार्षिक सम्परीक्षा, निधियों आदि के आवंटन सहित समस्त वित्तीय मामलों में कुलपति की सहायता करेगा।

संकायों के संकायाध्यक्ष

17--प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

18--(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

19--विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

20--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :

(क) कोर्ट ;

(ख) कार्य परिषद् ;

(ग) विद्या परिषद् ;

(घ) वित्त समिति ;

(ङ) नियोजन बोर्ड ;

(च) संकाय बोर्ड ;

(छ) प्रवेश समिति ;

(ज) परीक्षा समिति ;

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों के प्राधिकारी घोषित किये जायें।

कोर्ट

21--(1) कोर्ट के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसा विहित किया जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :--

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपाय का सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर विचार करना और संकल्प पारित करना और ऐसे लेखाओं पर सम्परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना ;

(ग) किसी ऐसे मामले के संबंध में कुलाध्यक्ष को परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिये निर्दिष्ट किया जाय ; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो विहित किये जायें।

कार्यपरिषद्

22--(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा;

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किये जाएं।

विद्या परिषद्

23--(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियों और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

24--(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय का प्रधान वित्तीय निकाय होगा। वित्त समिति

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

25--(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों को पूरा करें। नियोजन बोर्ड

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इसकी अन्य शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

26--संकायों के परिषदों, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें। संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27--(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये कुलाधिपति के अनुमोदन से परिनियम बनायेगी : परिनियमों को बनाने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ये परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात् --

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों, जिनका समय-समय पर गठन किया जाय, का गठन उनका शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से संबंधित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति और परिलब्धियां नियत करना और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना ;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिये किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति ;

(च) सेवानिवृत्तिक लाभों बीमा और भविष्य निधि के लिए उपबंध सहित कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियां ;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया ;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया ;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टियों का वापस लेना ;

(ठ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना ;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनका समाप्त किया जाना ;

(ण) विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ; और

(त) अन्य सभी विषय जो विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनवायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति विश्वविद्यालय को अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में परिनियमों में उपबन्ध करने का निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् ऐसे किसी निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर ऐसे निदेश को लागू करने में असमर्थ रहे तो कुलाधिपति ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए कार्य परिषद् द्वारा संसूचित कारणों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् परिनियमों को उपयुक्त रूप में बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

28--इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेश कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिये अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) अनुदेश और परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक प्रविष्टियां प्रदान करना, और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के संबंध में किये जाने वाले माध्यम ;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिये और विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभार्य शुल्क ;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और परीक्षकों और अनुसीमकों के कर्तव्य भी हैं ;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;

(झ) महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें यदि कोई हों और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना ;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तशांखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ सहयोग और सहभागिता जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी हैं, की रीति ;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के सुधार के लिये आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य ;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक ;

(ण) अध्यापकों और अन्य निकाय शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो।

वार्षिक रिपोर्ट

29--(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और उस ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

30--(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पात्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह माह से अनधिक अन्तराल पर की जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाओं की प्रति कार्य परिषद् के पर्यवेक्षणों सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र के अन्तिम हो जाने के एक माह के अन्दर कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाधिपति द्वारा किये गये पर्यवेक्षणों को कोर्ट और कार्य-परिषद् के संज्ञान में लाया जायेगा और कार्य परिषद् द्वारा पुनरीक्षण किये जाने के पश्चात् पर्यवेक्षण यदि कोई हों, कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेंगे।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

31--(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी सांविधियों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा या काम पर लगाया जायेगा ;

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को निर्दिष्ट किया जायेगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी के लिये अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा ;

(3) व्यथित कर्मचारी, कार्य परिषद्, के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है ;

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के संबंध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा :

(5) कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के संबंध में कोई वाद न्यायालय में संस्थित नहीं किया जायेगा।

अपील करने का अधिकार

(1) किसी परीक्षा के लिये कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद् कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेशों का संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसके एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से विवर्जित कर दिया गया हो, लिखित रूप में अपने द्वारा ऐसे संकल्प की प्रति या ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपांतरित या पलट सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन

33--विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ, के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विहित किये जाएं ऐसी पेंशन या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसी वह उचित समझे।

प्राधिकरण निगमों, निकायों के गठन के बारे में विवाद

34--यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

35--जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो वहां ऐसी समितियां अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे गठित होंगी।

रिक्तियों का भरा जाना

36--विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुयी सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुये हैं नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था, भरा जायेगा ऐसी रिक्ति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति ऐसे शेष पदावधि के लिए ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिये वह नियुक्त या सहयोजित किया गया है।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

37--विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की रीति

38--विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के अधिपत्य में हों को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

39--(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा;

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

40--(1) विश्वविद्यालय कम से कम एक करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा;

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निदेश करने की शक्ति होगी;

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा;

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

41--(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात् :--

(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान और;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

42--(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :--

(क) विकास शुल्क जिसे छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

43--धारा 40, 41 और 42 के अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्तें

44--विश्वविद्यालय, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायक अनुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए अर्ह नहीं होगा।

शुल्क

45--विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार शुल्क लिया जायेगा।

सूचनाओं और अभिलेखों को मंगाने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां

46--(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से संबंधित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करें जो राज्य सरकार द्वारा मांगी जाय;

(2) राज्य सरकार, यदि यह समझती है कि इस अधिनियम अथवा परिनियमों अथवा अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, तो वह विश्वविद्यालय को धारा 50 के अधीन ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे;

विश्वविद्यालय का विघटन

47--(1) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

48--(1) धारा 47 के अधीन उसे प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायगा;

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

49--(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर रहा है, विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसी समय के भीतर, जो उचित समझे किन्तु जो दो मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन जारी किन्हीं निदेशों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करेगी।

(4) जहां राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में किसी जांच के प्रयोजनों के लिए कोर्ट को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह अधिसूचना द्वारा यथास्थिति कोर्ट को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जांच पूरी होने तक के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का और विशिष्टत: निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :--

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना,

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना,

(घ) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(6) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसमें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्वानुमान से अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का व्ययन कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

राज्य सरकार को नीति विषयक मामलें में निदेश देने की शक्ति

50--राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीति विषयक निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो जैसा वह आवश्यक समझे ऐसे निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

51--(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को विशिष्टत: उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, विधेयक 1973 जहां तक संस्थाओं का प्रबन्ध है, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभावी होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-51 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि मंगलायतन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, 3.00 बजे फिर मिलेंगे।

(तत्पश्चात् 2 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। 3 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 15 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है। 3 बजकर 17 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई । गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 2 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 मार्च, 2006 की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन का दिनांक 27 से 29 मार्च, 2006 तक का कार्यक्रम निम्न प्रकार रखा जाय--

मार्च, 2006

28 मंगलवार 1--उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण--आधा घण्टा।

29 बुधवार 1--"उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के संबंध में" डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा--एक घण्टा।

2--"प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के संबंध में" श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा--एक घण्टा।

सदन के शेष उपवेशनों तथा उनमें लिये जाने वाले कार्यक्रम के संबंध में यथासमय सूचना दी जायेगी।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में रखा है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की वर्ष 2006-2007 की विभिन्न समितियों के, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्धारित कार्यक्रम की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की वर्ष 2006-07 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति", "प्रदेश के स्थानीय निकायों

के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है--

1--नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	शुक्रवार, 7 अप्रैल, 2006 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2--नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	सोमवार, 10 अप्रैल, 2006 को अपराह्न 3.00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)
3--नामों की वापसी की तिथि तथा समय	बुधवार, 12 अप्रैल, 2006 को अपराह्न 4.00 बजे तक
4--निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिये	शुक्रवार, 21 अप्रैल, 2006
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिये	

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या 44-ख में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों संबंधी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2006-07 की विभिन्न समितियों, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में कार्य करने हेतु सदस्यता के लिये विधान सभा के सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 27 मार्च, 2006 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं--

"यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2006-07 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति", "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति" और "मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों" में सदस्यता के लिये संबंधित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2006-07 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये यथा समय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में संबंधित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2006-07 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति", "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति" और "मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों" में सदस्यता के लिये संबंधित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2006-07 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये यथा समय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में संबंधित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज दिनांक 27 मार्च, 2006 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुयीं :--

पहली सूचना श्री महेश त्रिवेदी की जनपद कानपुर देहात स्थित चौधरी चरण सिंह उमरहट पम्प नहर पर कटान रोकने हेतु पक्का निर्माण कराये जाने के संबंध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दूसरी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई

विभाग द्वारा ड्रेनों की सफाई न किये जाने के संबंध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की जनपद अलीगढ़ के महाविद्यालयों में बी0एड0 के दाखिले में लाखों रुपये की अवैध वसूली किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। चौथी सूचना श्री आर0 के0 सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट की दो प्रमुख नहरों को हेड से 8 किमी0 तक पक्का कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर नगर में मानक के अनुसार नलकूपों द्वारा पीने का पानी की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठीं सूचना श्री विद्या सागर गुप्ता की प्रदेश के कैंसर मरीजों एवं उसके साथ एक सहवर्ती को राज्य परिवहन की बस में मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। सातवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार की जनपद प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता श्री अशोक कुमार की जिला कारागार में पुलिस द्वारा पिटाई किये जाने से हुई मृत्यु के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। आठवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की प्रदेश के पूर्वी जिलों में नकली नोटों के कारोबार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। नौवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद की सिम्भौली सुगर मिल द्वारा गन्ना क्रय केन्द्रों में घटतौली किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है। दसवीं सूचना श्री रणवीर राणा की प्रदेश के बुनकर उद्योग से जुड़े अशिक्षित बुनकरों को बिचौलियों से बचाये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुयीं--

1--श्रीमती विद्या चौधरी।

2--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी।

3--श्री रंगनाथ मिश्र।

4--श्री मुंशी लाल गौतम।

5--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर।

6--श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल।

7--श्री राम करन आर्य।

गाजियाबाद प्राधिकरण के अन्तर्गत श्री मोहन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, जनकपुरी, नई दिल्ली को भूखण्ड आवंटन एवं सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के बाद भी रजिस्ट्री न किये जाने के संबंध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 13 स्थगित है।

पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग उत्तर प्रदेश के कैडर रीस्ट्रक्चरिंग के अन्तर्गत विशेषज्ञ संवर्ग एवं सुपर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ संवर्ग की संरचना किये जाने के संबंध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय सदस्य, विधान सभा श्री रणवीर राणा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी थी कि सरकारी चिकित्सालयों में विशेषज्ञता संवर्ग . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

पढ़ा हुआ मानते हैं।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पढ़ते रहने पर)।

(कई सदस्य--मान्यवर, वक्तव्य तो बंटवाइये तब तक)।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप सबकी भावनाओं से अवगत हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

आप सब मिलकर मेरी भावनाओं का पता नहीं क्या कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

बहरहाल कुछ तो कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

चलिये साहब मान लेते हैं।

[एवं सुपर स्पेशलिस्ट विशेषता संवर्ग के सृजन करने हेतु उ0प्र0 के तमाम सरकारी चिकित्सालयों में अभी भी विशेषज्ञों एवं सुपर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञों की नितान्त कमी है। शासनादेश संख्या 5174/सेक-2-पांच-05-01(10)/05, दिनांक 5-7-05 के तदर्थ पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग में स्पेशलिस्ट कैडर की संरचना की गयी है। खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि शासनादेश संख्या-7100/चिकि-4-92-623/89, दिनांक 15 अक्टूबर, 92 के क्रम में शासनादेश संख्या-4666/चिकि-4, दिनांक 10-7-92 के अनुपालन में अनेक चिकित्सकों ने अति विशिष्ट सुपर स्पेशलिटी प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन सभी चिकित्सकों के पास एम0डी0 मेडिसिन के अलावा पोस्ट डाक्टरल विशेष प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र है। अत: जनहित में सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ एवं विशेषज्ञतापूर्ण बनाने हेतु इन चिकित्सकों को सुपर स्पेशिलिटी विशेष संवर्ग की संरचना करते हुये इनकी तैनाती अति विशिष्ट संवर्ग में करने की कृपा की जाय। इस विषय पर जनहित में कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2--प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलवरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ एवं जनहितकारी बनाये जाने के उद्देश्य से संवर्ग में भर्ती और उसमें नियुक्त चिकित्साधिकारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004, दिनांक 11-8-2004 को प्रख्यापित की गयी। इस नियमावली के भाग-2 संवर्ग के नियम 4(1) द्वारा निम्नलिखित 04 उपसंवर्गों का गठन किया गया है :--

---

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(1) उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सामान्य उपसंवर्ग (पुरुष)।

(2) उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सामान्य उपसंवर्ग (महिला)।

(3) उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपसंवर्ग (पुरुष)।

(4) उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपसंवर्ग (महिला)।

3--सेवा नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त उक्त गठित उपसंवर्गों का आवंटन चिकित्साधिकारियों के मध्य किये जाने के लिये उनसे विकल्प प्राप्त कर दिनांक 15-4-2005 को उपसंवर्गों का अन्तिम रूप से आवंटन किया तथा उपसंवर्ग के पदों का चिन्हीकरण/कार्यक्षेत्र का निर्धारण दिनांक 20-8-05 को किया गया।

4--विशेषज्ञ उपसंवर्ग में सम्मिलित चिकित्सक विशेषज्ञता धारक हैं, जिसमें सुपर स्पेशलिटी के चिकित्सक भी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सरकारी अस्पतालों में उपचार एवं वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से श्री मनोहर सुब्रहमण्यम्, आई0ए0एस0 सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में एक सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन दिनांक 8-3-06 को कर दिया गया है। समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर उनके कार्यान्वयन के संबंध में विभाग द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद प्रतापगढ़ के चंघईपुर ब्लाक मानधाता में सड़क निर्माण मानक के अनुरूप न किये जाने एवं सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में श्री हरि प्रताप सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 23-3-03 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में जनपद प्रतापगढ़ . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

[के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चंघईपुर ब्लाक मानधाता में चंघईपुर मार्ग के 1 किमी0 का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न कराये जाने की अनियमितता की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत मार्ग हेतु राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पत्रांक 6609 रा0स0वि/04-05, दिनांक 31-8-2005 के द्वारा 1.60 किमी0 लम्बाई हेतु रु0 24.08 लाख की शून्य से लेकर लेपन स्तर तक निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी है। मार्ग की जांच अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़-फतेहपुर वृत्त, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 25-8-06 को की गयी, जिसमें यह पाया गया कि मिट्टी सोलिंग एवं मध्य सतह का कार्य किमी0 1 में पूर्ण हो चुका है। जांच के समय ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, जिससे यह साबित हो सके कि कार्य मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती के बहादुरपुर अन्तर्गत महुआ डाबर को पुरातत्व विभाग द्वारा सुन्दरीकरण कराये जाने एवं ऐतिहासिक स्थल घोषित किये जाने के संबंध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद बस्ती . . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

इसको पढ़ा हुआ मानते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

[के थाना कलवारी अन्तर्गत विकास खण्ड बहादुरपुर में ग्राम महुआडाबर जो सन् 1857 में अंग्रेजों द्वारा जला कर नष्ट कर दिया गया था, की सरकार द्वारा जांच करा कर इसे ऐतिहासिक स्थल घोषित किया जाना चाहिये और पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थल का निर्माण व रख रखाव किया जाना चाहिये।

इस संबंध में अवगत कराना है संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत उत्तर प्रदेश पुरातैत्व निदेशालय द्वारा प्रदेश के पुरातात्विक महत्व के भवनों एवं टीलों आदि स्थलों का संरक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता है। पुरातत्व की दृष्टि से ऐतिहासिक स्थल घोषित करने के पूर्व संस्कृति विभाग द्वारा स्थल का समुचित अन्वेषण कार्य कराया जाना आवश्यक होगा।]

जनपद एटा स्थित मै0 बी0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा लाखों लीटर मिट्टी के तेल की काला बाजारी किये जाने के संबंध में श्री शिशुपाल सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 17 स्थगित है।

जनपद शाहजहांपुर स्थित तिलहर एवं पुवांया शुगर मिल के बन्द होने से गन्ना किसानों के करोड़ों रुपये के बकाये गन्ने के भुगतान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद शाहजहांपुर की . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, पढ़ा हुआ मानते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

[सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल पुवांया पर दिनांक 24-3-2006 तक कुल रु0 1413.01 लाख का गन्ना मूल्य देय था, जिसमें से रु0 979.74 लाख का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार तिलहर चीनी मिल पर दिनांक 24-3-2006 तक कुल रु0 2841.11 लाख का गन्ना मूल्य देय था, जिसके सापेक्ष रु0 2819.48 लाख का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा रहा है।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री कृष्ण कुमार सिंह ग्राम खन्दवा, जिला बलिया की अग्निकांड से हुये नुकसान की सहायता हेतु जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद भी अभी तक सहायता धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 19 स्थगित है।

जनपद जालौन में कालपी स्थित बीरबल का महल 'रंगमहल' पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन।

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 20 भी स्थगित है।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र चायल में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत अधूरे ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दयाराम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

शासन की नीति के अनुसार वर्ष 2003-04 में .....

श्री उपाध्यक्ष--

इसको पढ़ा मानते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

[माननीय सदस्यों की संस्तुति पर 5 ग्राम प्रति सदस्य का विद्युतीकरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित ग्रामों के विद्युतीकरण की परिभाषा के अनुसार किया जाना था। इस परिभाषा के अनुसार ग्राम की मुख्य बस्ती एवं इसके राजस्व क्षेत्र में आने वाले एक मजरे का विद्युतीकरण होना था।

माननीय सदस्य द्वारा इंगित किये गये ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध में जांच कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।]

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पुन: बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 3 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 27 मार्च, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

देखिये अता0 प्र0 सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28-29 पर।

विधान सभा प्रश्न सं0 9 से संबंधित हत्या के मामले से संबंधित आंकड़े

क्र0 सं0	जनपद	अप्रैल, 2002 से अगस्त, 2003 तक पंजीकृत मुकदमों की वास्तविक				सितम्बर, 2003 से सितम्बर, 2005 तक पंजीकृत मुकदमों की वास्तविक			
		संख्या	C.S.	F.R	P.I.	संख्या	C.S.	F.R.	P.I.
1	वाराणसी	108	90	16	2	155	130	9	16
2	गाजीपुर	73	73	--	--	113	99	8	6
3	चन्दौली	44	43	1	--	52	45	5	2
4	जौनपुर	57	51	6	--	100	90	10	--
5	आजमगढ़	144	137	7	--	203	187	9	7
6	मऊ	61	56	5	--	69	53	13	3
7	बलिया	50	50	--	--	88	83	0	5
8	मिर्जापुर	45	42	3	--	80	66	6	8
9	सोनभद्र	38	35	3	--	58	56	1	1
10	सन्त रवि0 न0	19	15	3	1	21	14	1	6
11	इलाहाबाद	199	169	30	--	271	226	35	10
12	प्रतापगढ़	77	72	5	--	133	115	4	14
13	फतेहपुर	103	100	3	--	173	165	5	3
14	कौशाम्बी	82	76	6	--	133	120	8	5
15	झांसी	76	73	3	--	124	116	5	3
16	जालौन	102	92	10	--	153	136	10	7
17	ललितपुर	24	22	2	--	33	32	1	--
18	बांदा	77	69	8	--	134	116	10	8
19	हमीरपुर	71	67	4	--	91	85	6	--
20	महोबा	51	49	2	--	80	79	--	1
21	चित्रकूट	34	33	1	--	56	49	4	3
22	बरेली	316	274	41	1	459	373	54	32

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	जनपद	अप्रैल, 2002 से अगस्त, 2003 तक पंजीकृत मुकदमों की वास्तविक				सितम्बर, 2003 से सितम्बर, 2005 तक पंजीकृत मुकदमों की वास्तविक			
		संख्या	C.S.	F.R.	P.I.	संख्या	C.S.	F.R.	P.I.
23	बदायूं	291	254	36	1	428	366	40	22
24	पीलीभीत	110	104	6	--	131	117	6	8
25	शाहजहांपुर	246	224	20	2	324	271	36	17
26	मुरादाबाद	222	198	24	--	368	349	19	--
27	बिजनौर	137	113	23	1	160	120	23	17
28	ज्यो0 फुले न0	84	83	--	1	153	132	20	1
29	रामपुर	110	104	5	1	136	122	11	3
30	मेरठ	252	173	79	--	445	336	102	7
31	गाजियाबाद	276	239	36	1	401	364	33	4
32	बुलन्दशहर	265	238	27	--	380	340	39	1
33	गौतम बुद्ध न0	92	75	17	--	137	123	14	--
34	बागपत	133	116	16	1	168	131	19	18
35	सहारनपुर	98	87	11	--	183	154	24	5
36	मुजफ्फरनगर	342	280	60	2	460	352	79	29
37	GRP परिक्षेत्र लखनऊ	15	12	--	--	14	11	3	--
38	GRP परिक्षेत्र इलाहाबाद	10	4	6	--	12	8	2	2
39	आगरा	172	136	36	--	246	194	46	6
40	अलीगढ़	230	206	24	--	350	296	34	20
41	मथुरा	128	103	25	--	189	140	46	3.
42	मैनपुरी	163	137	24	2	246	208	30	8
43	एटा	230	218	12	--	295	268	16	11
44	फिरोजाबाद	151	134	17	--	236	189	30	17
45	हाथरस	85	73	12	--	138	107	22	9

क्र0 सं0	जनपद	अप्रैल, 2002 से अगस्त, 2003 तक पंजीकृत मुकदमों की वास्तविक				सितम्बर, 2003 से सितम्बर, 2005 तक पंजीकृत मुकदमों की वास्तविक			
		संख्या	C.S	F.R.	P.I.	संख्या	C.S.	F.R.	P.I.
46	कानपुर नगर	243	198	43	2	314	273	24	17
47	कानपुर देहात	46	40	5	1	101	88	5	8
48	इटावा	90	79	11	--	132	95	20	17
49	औरय्या	61	58	3	--	93	80	10	3
50	फतेहगढ़	105	104	--	1	159	153	--	6
51	कन्नौज	87	84	2	1	124	112	3	9
52	उन्नाव	159	147	12	--	230	213	13	4
53	हरदोई	159	147	11	1	208	189	14	5
54	खीरी	180	142	16	22	254	224	--	31
55	लखनऊ	259	217	40	2	340	250	61	29
56	रायबरेली	90	77	13	--	130	112	12	6
57	सीतापुर	197	186	9	2	300	271	19	10
58	गोरखपुर	127	106	21	--	196	161	17	18
59	देवरिया	45	40	5	--	83	75	5	3
60	महराजगंज	60	57	3	--	58	51	4	3
61	कुशीनगर	65	57	8	--	89	76	9	4
62	बस्ती	65	52	13	--	76	66	7	3
63	सिद्धार्थनगर	20	20	--	--	38	36	2	--
64	सं0 कबीर न0	25	22	3	--	40	34	2	4
65	बहराइच	59	54	--	5	94	80	1	13
66	बलरामपुर	37	35	--	2	45	37	3	5
67	गोण्डा	79	75	--	4	110	92	9	9
68	श्रावस्ती	23	23	--	--	50	44	1	5
69	फैजाबाद	49	45	4	--	87	87	7	3

क्र0 सं0	जनपद	अप्रैल, 2002 से अगस्त, 2003 तक पंजीकृत मुकदमों की वास्तविक				सितम्बर, 2003 से सितम्बर, 2005 तक पंजीकृत मुकदमों की वास्तविक			
		संख्या	C.S.	F.R.	P.I.	संख्या	C.S.	F.R.	P.I
70	सुल्तानपुर	88	81	6	1	127	111	10	6
71	अम्बेडकर न0	49	43	6	--	79	70	7	2
72	बाराबंकी	97	89	8	--	146	123	14	9
	सम्पूर्ण योग :	8257	7277	920	60	12092	10336	1177	579

नत्थी 'ख'

देखिये अता0 प्र0 सं0 142 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर।

वर्ष 2003-04 के चयनित समग्र ग्रामों की सूची

विधान सभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	क्रम संख्या	समग्र विकास ग्राम का नाम
1	2	3	4
मु0बाद आंशिक	जहानागंज	1	मंदे
मुबारकपुर	सठियांव	2	दाउदपुर
मुबारकपुर	सठियांव	3	बसौधा भितरी
मुबारकपुर	सठियांव	4	हाजीपुर (नीबी खुर्द)
मुबारकपुर	सठियांव	5	गजहड़ा
मुबारकपुर	सठियांव	6	आदमपुर
मुबारकपुर	जहानागंज	7	जिगरसण्डी
मुबारकपुर	जहानागंज	8	सेमरौल
मुबारकपुर	सठियांव	9	रानीपुर
मुबारकपुर	जहानागंज	10	बडौरा बुजुर्ग
मेहनगर	मेहनगर	11	घटिया
मेहनगर	मेहनगर	12	शिवरामपुर
मेहनगर	मेहनगर	13	भोरमपुर
मेहनगर	मेहनगर	14	घिप्पईपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	क्रम संख्या	समग्र विकास ग्राम का नाम
1	2	3	4
मेहनगर	पल्हना	15	सिधारी
मेहनगर	पल्हना	16	खजुरा
मेहनगर	तरवा	17	पित्थौरपुर
मेहनगर	तरवा	18	देवराजपुर
मेहनगर	तरवा	19	रस्तीपुर
मेहनगर	ठेकमा	20	बक्शपुर
मेहनगर	तरवा	21	भगवानपुर
मेहनगर	मेहनगर	22	धिरजीपुर
मेहनगर	मेहनगर	23	फिनीहिनी
मेहनगर	मेहनगर	24	मानपुर
मेहनगर	तरवा	25	तरवा
निजामाबाद	तहबरपुर	26	जमीनबारी
निजामाबाद	तहबरपुर	27	चकबारी
निजामाबाद	मिर्जापुर	28	बिजहर मैनुद्दीनपुर
निजामाबाद	मिर्जापुर	29	कैथोली
निजामाबाद	मिर्जापुर	30	रामापुर
निजामाबाद	मिर्जापुर	31	खुटौली
निजामाबाद	पल्हनी	32	तमौली
निजामाबाद	पल्हनी	33	बुन्दा
निजामाबाद	रानी की सराय	34	चकवल
निजामाबाद	रानी की सराय	35	खैरपुर जगजीवन
निजामाबाद	रानी की सराय	36	शाह कुन्दनपुर
सरायमीर	फूलपुर	37	गण्डी
सरायमीर	फूलपुर	38	बैसाडीह
सरायमीर	मिर्जापुर	39	खानकाह
सरायमीर	मिर्जापुर	40	टिकरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	क्रम संख्या	समग्र विकास ग्राम का नाम
1	2	3	4
सरायमीर	मुहम्मदपुर	41	गोठांव
सरायमीर	मार्टीनगंज	42	नरईपुर
सरायमीर	मार्टीनगंज	43	गंभीरी
सरायमीर	मार्टीनगंज	44	लारपुर जोखू
सरायमीर	मार्टीनगंज	45	सहजना
सरायमीर	फूलपुर	46	सदरपुर केथोली
सरायमीर	मिजांपुर	47	फिरुद्दीनपुर
सदर	पल्हनी	48	जमालपुर बाजबहादुर
सदर	पल्हनी	49	गयासपुर
सदर	रानी की सराय	50	बूढ़ान पट्टी
सदर	तहवरपुर	51	बनहरा
सदर	तहवरपुर	52	मुस्लिम पट्टी
सदर	तहवरपुर	53	मेहमौनी
सदर	तहवरपुर	54	अरया
सदर	तहबरपुर	55	गड़हन बुजुर्ग
सदर	तहबरपुर	56	चकिया दुबेरामपुर
सदर	तहवरपुर	57	मड़या
सदर	तहबरपुर	58	बांसला जप्तीमाफी
सदर	पल्हनी	59	कटघर सदर
सदर	पल्हनी	60	दूधनारा
सगड़ी	अजमतगढ़	61	छतरपुर
सगड़ी	अजमतगढ़	62	अमलौनी
सगड़ी	अजमतगढ़	63	लखमी रोहुवार
सगड़ी	हरैया	64	एकवनडांड
सगड़ी	अजमतगढ़	65	लीलापट्टी
सगड़ी	अजमतगढ़	66	दाम महुआ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	क्रम संख्या	समग्र विकास ग्राम का नाम
1	2	3	4
सगड़ी	हरैया	67	जमुवां सागर
सगड़ी	अजमतगढ़	68	नत्थूपुर
सगड़ी	हरैया	69	जोकहरा
सगड़ी	अजमतगढ़	70	बरामदपुर
सगड़ी	अजमतगढ़	71	चांदपार
सगड़ी	हरैया	72	हैदराबाद
सगड़ी	हरैया	73	बनियापार
सगड़ी	अजमतगढ़	74	सुखदत्त नगर
सगड़ी	अजमतगढ़	75	चौकीखुर्द
सगड़ी	अजमतगढ़	76	टेकनगाढ़ा
सगड़ी	हरैया	77	भैसांड़
सगड़ी	बिलरियागंज	78	पतिला गौसपुर
सगड़ी	अजमतगढ़	79	जोगियाबीर
सगड़ी	अजमतगढ़	80	धैरहरा
सगड़ी	अजमतगढ़	81	काजी की डिघवनियां
फूलपुर	अहरौला	82	समसाबाद
फूलपुर	पवई	83	पवई खास
फूलपुर	अहरौला	84	अभयपुर
फूलपुर	पवई	85	खेमीपुर
फूलपुर	पवई	86	मकसूदिया
फूलपुर	फूलपुर	87	बीबीगंज
फूलपुर	फूलपुर	88	टेउगा
फूलपुर	पवई	89	हडिया
फूलपुर	पवई	90	सुल्तानपुर
फूलपुर	पवई	91	बस्ती चकगुलरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	क्रम संख्या	समग्र विकास ग्राम का नाम
1	2	3	4
फूलपुर	फूलपुर	92	गदोपुर
फूलपुर	फूलपुर	93	मालगांव
फूलपुर	फूलपुर	94	हडवा
फूलपुर	फूलपुर	95	सदरुद्दीन
फूलपुर	मार्टीनगंज	96	लिलाई
फूलपुर	मार्टीनगंज	97	सुरहन
फूलपुर	पवई	98	बसही असरफपुर
फूलपुर	फूलपुर	99	सैदपुर
अतरौलिया	अहरौला	100	लंदारा
अतरौलिया	अहरौला	101	कल्यानपुर
अतरौलिया	कोयलसा	102	एकडंगी
अतरौलिया	कोयलसा	103	कटोही
अतरौलिया	कोयलसा	104	मदेपुर
अतरौलिया	अतरौलिया	105	नन्दना
अतरौलिया	अतरौलिया	106	पकरडोहा
अतरौलिया	अतरौलिया	107	ध्यानीपुर
अतरौलिया	अतरौलिया	108	मधईपट्टी
अतरौलिया	कोयलसा	109	अरांवगुलजार
गोपालपुर	महाराजगंज	110	देवारा जदीद
गोपालपुर	महाराजगंज	111	खैरीडोहा
गोपालपुर	महाराजगंज	112	हमीरपुर
गोपालपुर	महाराजगंज	113	सुगौटी
गोपालपुर	अजमतगढ़	114	बावसनपुर
गोपालपुर	बिलरियागंज	115	पांतीखुर्द
गोपालपुर	बिलरियागंज	116	दुर्जी धौरहरा
गोपालपुर	बिलरियागंज	117	लंगड़पुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	क्रम संख्या	सम्मग्र विकास ग्राम का नाम
1	2	3	4
गोपालपुर	बिलरियागंज	118	जिगनाकरमनपुर
गोपालपुर	महाराजगंज	119	चेरा अराजी कटघरा
गोपालपुर	बिलरियागंज	120	मकसूदनपुर
लालगंज	लालगंज	121	जमुनीपुर
लालगंज	लालगंज	122	देवनाथपुर
लालगंज	लालगंज	123	जिजिर अहदपुर
लालगंज	लालगंज	124	खरका
लालगंज	तरवा	125	जियापुर
लालगंज	तरवा	126	जामूडीह
लालगंज	तरवा	127	बेला
लालगंज	पल्हना	128	सिंहपुर
लालगंज	पल्हना	129	सराय
लालगंज	तरवा	130	नरायनपुर द0
लालगंज	तरवा	131	करसड़ा
लालगंज	तरवा	132	जमुखा
लालगंज	तरवा	133	खुन्दनपुर
लालगंज	तरवा	134	देवनाथपुर
लालगंज	तरवा	135	रामपुर जमीन पल्हन
लालगंज	तरवा	136	नगपुर उर्फ भंवरपुर
लालगंज	तरवा	137	बिलखरा
लालगंज	लालगंज	138	हिलालपुर उर्फ विशम्भरपुर
लालगंज	तरवा	139	मऊपरासिन
लालगंज	तरवा	140	हसनपुर उर्फ भरयीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 2004-05 के चयनित समग्र ग्रामों की सूची

विधान सभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	क्रम संख्या	समग्र ग्राम का नाम
1	2	3	4
मु0वाद आ0	जहानागंज	1	खालसा
मुबारकपुर	सठियांव	2	पुसड़ा आइमा
मुबारकपुर	जहानागंज	3	कुतुबपुर
मुबारकपुर	जहानागंज	4	जनकपुर
मुबारकपुर	जहानागंज	5	लक्ष्मीपुर
मुबारकपुर	जहानागंज	6	परासी
मुबारकपुर	जहानागंज	7	अतरारी
मुबारकपुर	जहानागंज	8	सेमा
मुबारकपुर	जहानागंज	9	जलालपुर
मुबारकपुर	जहानागंज	10	वीरभद्रपुर
मेंहनगर	ठेकमा	11	कम्मरपुर
मेंहनगर	ठेकमा	12	अमेठी
मेंहनगर	ठेकमा	13	भँवतर चक भवतर
मेंहनगर	ठेकमा	14	बरसवा
मेंहनगर	ठेकमा	15	खुबुल्लाह चक
मेंहनगर	मेंहनगर	16	गद्दोपुर
मेंहनगर	मेंहनगर	17	रामपुर
मेंहनगर	मेंहनगर	18	मौलिया
मेंहनगर	मेंहनगर	19	मुस्तफाबाद
मेंहनगर	मेंहनगर	20	पकड़िया रानीपुर
मेंहनगर	पल्हना	21	बासूपुर
मेंहनगर	पल्हना	22	बेनूपुर
मेंहनगर	तरवा	23	रसड़ा
मेंहनगर	तरवा	24	दर्रोपुर
मेंहनगर	तरवा	25	भीटी
मेंहनगर	तरवा	26	धजवल
मेंहनगर	लालगंज	27	कसड़ा
निजामाबाद	मुहम्मदपुर	28	चकिया हुसेनाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	क्रम संख्या	समग्र ग्राम का
1	2	3	4
निजामाबाद	मुहम्मदपुर	29	मोतीपुर
निजामाबाद	मुहम्मदपुर	30	अल्लीपुर
निजामाबाद	मुहम्मदपुर	31	फैजुल्लापुर
निजामाबाद	मिर्जापुर	32	अहमदाबाद
निजामाबाद	मिर्जापुर	33	कलवारी
निजामाबाद	मिर्जापुर	34	पाइन्दापुर
निजामाबाद	रानी की सराय	35	मैनपारपुर
निजामाबाद	रानी की सराय	36	सेमरहा
निजामाबाद	रानी की सराय	37	मुइयां मकदूमपुर
सरायमीर	मार्टीनगंज	38	बेलवाना
सरायमीर	मार्टीनगंज	39	धगवल
सरायमीर	मार्टीनगंज	40	सिसवारा
सरायमीर	मार्टीनगंज	41	खजुरा
सरायमीर	मार्टीनगंज	42	सतैनी
सरायमीर	मिर्जापुर	43	सुरही बुजुर्ग
सरायमीर	मिर्जापुर	44	मोहिउद्दीनपुर
सरायमीर	मिर्जापुर	45	बस्ती
सरायमीर	फूलपुर	46	भोरमऊ
सरायमीर	फूलपुर	47	हारुनपुर
सरायमीर	फूलपुर	48	लहरवा
सरायमीर	फूलपुर	49	समसपुर
सरायमीर	फूलपुर	50	गुवाई
सरायमीर	फूलपुर	51	रसूलाबाद
सदर	पल्हनी	52	गोपालपुर
सदर	पल्हनी	53	मुजफ्फरपुर
सदर	पल्हनी	54	सम्मोपुर
सदर	पल्हनी	55	मोजरापुर
सदर	पल्हनी	56	दुर्गापुर
सदर	पल्हनी	57	आहोपट्टी

विधान सभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	क्रम संख्या	समग्र ग्राम का नाम
1	2	3	4
सदर	तहबरपुर	58	शिवराजपुर
सदर	तहबरपुर	59	कोलपुर
सदर	तहबरपुर	60	सुरियाडीह
सदर	तहबरपुर	61	बसही जरमजंपुर
सदर	तहबरपुर	62	सेमरा
सदर	तहबरपुर	63	गौरा
सगड़ी	बिलरियागंज	64	माहीकर्मनाथ पट्टी
सगड़ी	हरैया	65	बातन
सगड़ी	हरैया	66	अजगरा मगवाँ
सगड़ी	हरैया	67	सोनौरा
सगड़ी	हरैया	68	कल्यानपुर
सगड़ी	हरैया	69	रामपुर देवारा
सगड़ी	हरैया	70	बगईकपूर
सगड़ी	हरैया	71	रसूलपुर
सगड़ी	हरैया	72	पूरा बालनरायन
सगड़ी	हरैया	73	सहबदिया सुल्तानपुर
सगड़ी	अजमतगढ़	74	शाहपुर
सगड़ी	अजमतगढ़	75	रौजा शैफनपट्टी
सगड़ी	अजमतगढ़	76	सोहराभार
सगड़ी	अजमतगढ़	77	सुरैना
सगड़ी	अजमतगढ़	78	बाग सुलेमानपुर
सगड़ी	अजमतगढ़	79	विशुनपुरा
सगड़ी	अजमतगढ़	80	अलियावाद कटाई
सगड़ी	अजमतगढ़	81	सिकरौरा
सगड़ी	अजमतगढ़	82	जमीन नरहन
सगड़ी	अजमतगढ़	83	साल्हेपुर
सगड़ी	अजमतगढ़	84	बालीपुर
फूलपुर	पवई	85	फदगुदिया
फूलपुर	पवई	86	भीमलपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	क्रम संख्या	समग्र ग्राम का नाम
1	2	3	4
फूलपुर	पवई	87	हंवती
फूलपुर	पवई	88	आंधीपुर
फूलपुर	पवई	89	नाहरपुर
फूलपुर	पवई	90	मकदुमपुर
फूलपुर	पवई	91	चुहलापुर
फूलपुर	पवई	92	बहाउद्दीनपुर
फूलपुर	फूलपुर	93	नेवादा
फूलपुर	अहरौला	94	रसूलपुर अहमद अली
फूलपुर	अहरौला	95	बिड़हर
फूलपुर	अहरौला	96	सहुवल
अतरौलिया	कोयलसा	97	एकडंगी (बिहारपुर)
अतरौलिया	कोयलसा	98	मठगोविन्द
अतरौलिया	अहरौला	99	अलोवा
अतरौलिया	अहरौला	100	गौरी
अतरौलिया	अहरौला	101	कोठ मु0 भटौली
अतरौलिया	अतरौलिया	102	भीखपुर
अतरौलिया	अतरौलिया	103	चतुंपुर खास
अतरौलिया	अतरौलिया	104	सुक्खीपुर
अतरौलिया	अतरौलिया	105	सिकन्दपुर
गोपालपुर	महराजगंज	106	खंजरपुर
गोपालपुर	महराजगंज	107	तेरही जमीन तेरही
गोपालपुर	महराजगंज	108	चांदपुर भटौरा
गोपालपुर	महराजगंज	109	लखेसर
गोपालपुर	महराजगंज	110	गोवर्धनपुर
गोपालपुर	महराजगंज	111	नौबरार हरखपुर
गोपालपुर	महराजगंज	112	मोतीपुर
गोपालपुर	महराजगंज	113	अराजी कुढ़ई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा क्षेत्र का नाम	विकास खण्ड का नाम	क्रम संख्या	समग्र ग्राम का नाम
1	2	3	4
गोपालपुर	बिलरियागंज	114	साती
गोपालपुर	बिलरियागंज	115	कपसा
गोपालपुर	बिलरियागंज	116	हरिरामपुर
गोपालपुर	बिलरियागंज	117	तेन्दुआ
गोपालपुर	अजमतगढ़	118	बरसड़ा
लालगंज	ठेकमा	119	बरवा
लालगंज	पल्हना	120	मालपार
लालगंज	पल्हना	121	मोली
लालगंज	तरवा	122	चोबाह
लालगंज	तरवा	123	खुशनामपुर
लालगंज	तरवा	124	दरियापुर नंवादा
लालगंज	तरवा	125	परसनियां
लालगंज	तरवा	126	बरवा
लालगंज	तरवा	127	गंगवल
लालगंज	तरवा	128	चकिया कसरावल
लालगंज	तरवा	129	डुहरू
लालगंज	तरवा	130	चिल्लूपुर
लालगंज	तरवा	131	ढाखा
लालगंज	तरवा	132	सकिया बकिया
लालगंज	तरवा	133	कोषड़ा
लालगंज	लालगंज	134	सरंगपुर चेवार
लालगंज	लालगंज	135	मेहरो कला
लालगंज	लालगंज	136	बेरमा विसम्भरपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

दर्शाये अता0 प्र0 सं0 144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 84 पर।

विधान सभा के तृतीय सत्र 2005 के तृतीय सोमवार के लिये निर्धारित श्री राम नरेश यादव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-144 का संलग्नक।

वर्ष 2004-05 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत जिलेवार परिव्यय

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	धनराशि
1	मेरठ	986.61
2	गाजियाबाद	685.87
3	बुलन्दशहर	1564.67
4	गौतमबुद्ध नगर	380.93
5	बागपत	508.09
6	सहारनपुर	1466.89
7	मुजफ्फरनगर	1233.06
8	मुरादाबाद	1079.37
9	बिजनौर	1643.08
10	रामपुर	868.78
11	ज्योतिबा फूले नगर	734.10
12	बरेली	1520.83
13	बदायूं	1852.07
14	शाहजहांपुर	1377.77
15	पीलीभीत	700.52
16	आगरा	1587.50
17	अलीगढ़	1362.70
18	मैनपुरी	929.33
19	एटा	1469.76
20	मथुरा	858.25
21	फिरोजाबाद	945.86
22	हाथरस	933.27
23	झांसी	1036.20
24	जालौन	962.66
25	ललितपुर	702.56

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	जनपद का नाम	धनराशि
26	बांदा	953.87
27	हमीरपुर	720.48
28	महोबा	510.50
29	चित्रकूट	636.12
30	इलाहाबाद	3091.90
31	फतेहपुर	1906.74
32	प्रतापगढ़	2545.78
33	कौशाम्बी	1157.73
34	कानपुर नगर	757.76
35	कानुपर देहात	615.77
36	इटावा	885.82
37	फर्रुखाबाद	1138.35
38	कन्नौज	934.78
39	औरैया	724.18
40	वाराणसी	933.03
41	गाजीपुर	2291.35
42	जौनपुर	3323.39
43	चन्दौली	1097.72
44	मिर्जापुर	1915.78
45	सोनभद्र	2429.81
46	सन्त रविदास नगर	1064.23
47	लखनऊ	1638.91
48	सीतापुर	3373.00
49	उन्नाव	2711.41
50	हरदोई	2741.73
51	लखीमपुर खीरी	2158.79
52	रायबरेली	2976.13
53	गोरखपुर	3067.92
54	देवरिया	1729.42
55	कुशीनगर	1840.19

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	जनपद का नाम	धनराशि
56	महाराजगंज	1641.47
57	बस्ती	1930.11
58	सिद्धार्थनगर	1681.58
59	संत कबीर नगर	1039.48
60	आजमगढ़	3440.67
61	मऊ	1286.38
62	बलिया	2090.98
63	फैजाबाद	1467.05
64	बाराबंकी	2885.28
65	सुल्तानपुर	2772.28
66	अम्बेडकर नगर	1659.51
67	गोण्डा	1906.86
68	बहराइच	1722.28
69	बलरामपुर	1055.17
70	श्रावस्ती	734.37
	कुल योग :	106576.79

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0--एल0 86 विधान सभा--12-6-2006--813 (डी0टी0पी0/आफसेट)।